राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक : 8] विधान सभा के अष्टम सत्र का सौलहवां दिवस [संख्या : 8

मंगलवार;

02 अप्रैल, 2002

राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.00 बजे विधान सभा भवन जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री परसराम मदेरणा, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष : प्रश्न। श्री संजीव कुमार।

जिला मुख्यालय हनुमानगढ़ पर कन्या महाविद्यालय की स्थापना

184. श्री संजीव कुमार (भादरा) : क्या उच्च शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या सरकार की महिला शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु राज्य के सभी जिला मुख्यालयों पर राजकीय कन्या महाविद्यालय खोलने की नीति है? यदि हां, तो उक्त नीति के अनुसार हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय पर कब तक कन्या महाविद्यालय खोलने का विचार है? यदि नहीं, तो क्यों?

उच्च शिक्षा मंत्री (श्री सी. पी. जोशी) : जी हां। बजट प्रावधान होने पर विचार किया जायेगा।

श्री संजीव कुमार : माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी माननीय मंत्रीजी ने सवाल के जवाब में बताया कि सरकार महिला शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु राज्य के सभी जिला मुख्यालयों पर जो कन्या महाविद्यालय हैं उसको खोलने की नीति बनी हुई है। इन्होंने कहा है कि जी हां। जब हर जिला मुख्यालय पर कन्या महाविद्यालय खोलने की नीति बनी हुई है और हनुमानगढ़ जिले को अलग जिला बने हुए भी कई साल हो गये और जिले में विशेष करके लड़कियों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए अन्यत्र जाना पड़ता है। लड़कियों को पड़ौसी स्टेट हरियाणा में जाना पड़ता है। ऐसी स्थिति में महिलाओं की उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए मैं पुरजोर शब्दों में मांग करता हूं कि हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय पर कन्या महाविद्यालय की स्थापना शीघ्र की जाये। वैसे भी सरकार शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए बड़े पैमाने पर विद्यालयों को क्रमोन्नत कर रही है। राजीव गांधी पाठशालाओं की स्थापना की जा रही है। "शिक्षा आपके द्वार" जैसे कार्यक्रम हमारी सरकार चला रही है। तो मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय पर अतिशीघ्र कन्या महाविद्यालय की स्थापना की जाये ताकि महिला शिक्षा को बढ़ावा मिले। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि इन्होंने बजट प्रावधान होने पर विचार किया जायेगा, ऐसा जवाब दिया है। तो मैं

(श्री संजीव कुमार)

पूछना चाहता हूं कि इस तरह का कोई बजट रखा गया है क्या? या कब तक खोल दिया जायेगा? यह बताने की कृपा करें।

श्री सी. पी. जोशी : माननीय अध्यक्ष महोदय, हनुमानगढ़ में दो गर्ल्स कालेज एक अनुदानित और एक गैर अनुदानित और एक को-एजुकेशन का कालेज आलरेडी वहां पर है। सरस्वती महिला महाविद्यालय, हनुमानगढ़ अनुदानित, व्यापार मण्डल महिला महाविद्यालय, हनुमानगढ़, गैर अनुदानित नेहरू मेमोरियल महाविद्यालय, हनुमानगढ़, अनुदानित और नेहरू मेमोरियल विधि महाविद्यालय, हनुमानगढ़ गैर अनुदानित चार में से तीन कालेज वहां पर आलरेडी गर्ल्स एजुकेशन को इम्पार्ट करने के लिए है। अध्यक्ष महोदय, इस बात को माननीय सदस्य एप्रिशिएट करेंगे कि वित्तीय संसाधनों की जहां कमी है वहां संसाधनों का पूरा उपयोग किया जाना चाहिए। हनुमानगढ़ जिले में हनुमानगढ़ मुख्यालय पर तीन गर्ल्स कालेज की सुविधाएं आलरेडी उपलब्ध है। इसलिए यह कहना कि वहां पर उपलब्ध नहीं है, ठीक नहीं है। यह अच्छा होता कि सरकारी महाविद्यालय भी खुले लेकिन सरकार की अभी मंशा है कि हम आने वाले समय में प्राइवेट इंटरप्रिन्योर्स को हायर एजुकेशन में काम करने के लिए अलाउ करेंगे। उसी दृष्टि से राज्य सरकार ने यह कदम उठाया है। इसलिए जब वित्तीय संसाधन उपलब्ध हो जायेंगे तब सरकारी क्षेत्र में भी सोचा जायेगा।

श्री अध्यक्ष : अगर प्राइवेट क्षेत्र को आप चाहते हैं अंगेज करना है तो फिर बजट प्रावधान की क्या जरूरत है?

श्री सी. पी. जोशी : (व्यवधान) माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारी नीति है कि हम हर मुख्यालय पर कालेज खोलेंगे। (व्यवधान)

श्री संजीव कुमार : माननीय अध्यक्ष महोदय, जब सरकार की स्पष्ट नीति है...

डा. के. सी. चौधरी (ब्यावर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं जानना चाहूंगा कि महिला उच्च शिक्षा में प्राइवेट क्षेत्र को इंवाइट कर रहे हैं। (व्यवधान) प्राइवेट इन्टरप्रिन्योर्स को बुला रहे हैं तो उनको प्रोत्साहित करने की सरकार की क्या योजना है? अगर योजना है तो उन्हें समय पर अनुदान क्यों नहीं मिलता है?

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकर्ता।

श्री संजीव कुमार : अभी माननीय मंत्री महोदय ने अनुदानित महाविद्यालय की बात कही। को-एजुकेशन वाले महाविद्यालयों की बात कही। मेरा स्पष्ट प्रश्न है कि क्या इस तरह की नीति बनी हुई है क्या? राजस्थान में इस तरह की क्या नीति बनी हुई है कि प्रत्येक जिला मुख्यालयों पर राजकीय कन्या महाविद्यालय होगा अगर ऐसी साफ नीति है तो आप स्पष्ट घोषणा करें कि कब तक खोल देंगे? यह बजट का प्रावधान रखा गया है। कब तक बजट उपलब्ध हो जायेगा? आप साफ घोषणा करें माननीय मंत्रीजी। अगर नीति बनी हुई है तो फिर राजकीय कन्या महाविद्यालय की बात करें।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही) : माननीय अध्यक्ष महोदय, इसी तरीके की सुविधा झुंझुनूं में होने के बावजूद भी सरकार ने 1999 में झुंझुनूं में महिला कालेज खोला था। फिर हनुमानगढ़ के साथ आप भेदभाव क्यों कर रहे हैं?

श्री सी. पी. जोशी : माननीय अध्यक्ष महोदय, भेदभाव का सवाल नहीं है जब 1999 में खोला गया तब एन्टीसिपेट किया गया कि हमारे पास वित्तीय संसाधन उपलब्ध हैं। जब वित्तीय संसाधन आज उपलब्ध नहीं है तो मैं ऐसी घोषणा करने की स्थिति में नहीं हूं। हमने कहा है कि वित्तीय संसाधन उपलब्ध होने पर हम इस पर विचार करेंगे। आज के दिन हनुमानगढ़ मुख्यालय पर तीन महाविद्यालयों में गर्ल्स एजुकेशन की सुविधाएं उपलब्ध हैं और उन सुविधाओं के उपलब्ध होने के बाद गवर्नमेंट कालेज और खोलने से वहां पर उनका जुडिशियस उपयोग नहीं होगा। इसलिए जब वित्तीय संसाधन उपलब्ध होंगे तब सरकार भी सोचेगी। अन्यथा आज के दिन तो वहां सुविधा उपलब्ध है।

श्री संजीव कुमार : वित्तीय संसाधन कब तक उपलब्ध हो जायेंगे? यह बताने की कृपा करें आप तो।

श्री सी. पी. जोशी : इसका वित्त मंत्रीजी जवाब देंगे...(व्यवधान)

श्री संजीव कुमार : माननीय मंत्री महोदय आपने कहा है कि बजट का प्रावधान आने पर विचार किया जायेगा। आपने स्पष्ट कहा है। (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : माननीय मंत्री महोदय, आपने कहा है कि आप हर जिला मुख्यालय पर लड़कियों का गवर्नमेंट कालेज खोलेंगे। आप अब उस नीति पर कायम नहीं है।

श्री संजीव कुमार : माननीय अध्यक्ष महोदय, जब स्पष्ट नीति बनी हुई है और यह स्वीकार कर रहे हैं माननीय मंत्रीजी कि हर जिला मुख्यालय पर कन्या महाविद्यालय खोलने की नीति बनी हुई है। इन्होंने जवाब में जी हां, कहा है। अगर साफ नीति बनी हुई है तो आप बताते क्यों नहीं है। आप बताने की कृपा करें कि आप कब तक खोल देंगे।

श्री संयम लोढ़ा : या फिर कहिये कि आपकी नीति नहीं है।

श्री संजीव कुमार : या फिर आप साफ कहें कि नीति है ही नहीं। इस तरह की नीति बनी हुई है तो, माननीय अध्यक्ष महोदय, अनुदानित कालेजों का, दूसरे कालेजों का जिक्र क्यों किया जा रहा है।

श्री अध्यक्ष : आप दोनों मित्र हैं लेकिन एक प्रश्न पूछिये, दोनों साथ क्यों खड़े हो रहे हैं?

श्री संजीव कुमार : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे निवेदन है कि अगर सरकार ने स्पष्ट नीति बना रखी है तो हमारा जिला मुख्यालय बने हुए काफी साल हो गये। हनुमानगढ़ को अलग जिला बना दिया गया तो आज तक खुल जाना चाहिए। अब बजट प्रावधान का इन्होंने साफ कहा है। तो, माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि हनुमानगढ़ जिला.... (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : अध्यक्ष महोदय, इनको समझ नहीं आती जर्मनी और जापान से और वर्ल्ड बैंक से + + + कर्जा मिल जायेगा। मंत्री महोदय को + + + तब कालेज खुल जायेगा। इनको समझ क्यों नहीं आ रही है। (व्यवधान) जर्मनी और जापान से, वर्ल्ड बैंक से इनको + + + तब कालेज खुल जायेगा।

श्री संजीव कुमार : (व्यवधान) हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय पर कन्या महाविद्यालय खोलने की ... (व्यवधान)

श्री सी. पी जोशी : इस तरह से माननीय सदस्य प्रश्न पूछेंगे तो मैं समझता हूं सदन की गरिमा को गिरा रहे हैं। काहे की + + + क्या करेंगे....(व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : अध्यक्ष महोदय, मैंने यह कहा है कि जर्मनी और जापान और वर्ल्ड बैंक से जब आपको मदद मिल जायेगी, वहां से कर्जा मिल जायेगा।

श्री सी. पी. जोशी : भारत सरकार मांग रही है।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : कर्जे की + + + तब हो जायेगा। अब इनको समझ में ही तो नहीं आता।

श्री सी. पी. जोशी : बोलने में गरिमा भी रखनी चाहिए कि हम + + + कि क्या करेंगे।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : मैं आपकी मदद कर रहा हूं, मंत्री महोदय। (व्यवधान)

श्री संजीव कुमार : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे मूल सवाल का जवाब नहीं आ रहा है। मूल बात पूछ रहा हूं उसका जो जवाब आये बीच में इस तरह से जो कर रहे हैं। साफ बात है कि जब नीति बनी हुई है कन्या महाविद्यालय खोलने की जिला मुख्यालय पर तो फिर हनुमानगढ़ वंचित क्यों हैं, साहब? हनुमानगढ़ के साथ ऐसा भेदभाव क्यों हो रहा है? जब नीति बनी हुई है इन्होंने जवाब दिया है कि बजट प्रावधान होने पर किया जायेगा तो साफ बतायें कि कब तक खोल देंगे? यह बताने की कृपा करें आप तो।

श्री अध्यक्ष : स्पेसिफिक प्रश्न पूछ लिया आपने। पहले पूछ लिया और बाद में पूछ लिया। मंत्रीजी ने उत्तर भी दिया।

श्री संजीव कुमार : दूसरे को-एजुकेशन वाले और अनुदान से जो खुले हुए हैं उनका जिक्र क्यों किया जा रहा है। माननीय मंत्रीजी यह बताने की कृपा करें कि कब तक खोल देंगे?

श्री सी. पी. जोशी : साफ-साफ बात है कि नीति बनी हुई है वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर खोलेंगे। 1999 में वित्तीय संसाधन उपलब्ध थे इसलिए झुंझुनूं में खोला। अब वित्तीय संसाधन उपलब्ध होंगे तो हनुमानगढ़ में भी खोल देंगे।

श्री संजीव कुमार : जिला बने इतने साल हो गये फिर भी वित्तीय संसाधन आज तक उपलब्ध नहीं हुए। कालेज तो और भी खोले हैं आपने। 11 कालेज खोले हैं दूसरे।

+ + + अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (नेता, प्रतिपक्ष) : मैं माननीय मंत्री महोदय से जानकारी करना चाहूंगा कि क्या राज्य सरकार ने सिद्धांततः निर्णय ले लिया है कि हम निजी क्षेत्र के कालेजों को प्रोत्साहन देंगे नम्बर-1, यदि आपने प्रोत्साहन देने का निर्णय लिया है तो प्रोत्साहन किस रूप में और किस प्रकार दिया जायेगा ?

श्री सी. पी. जोशी : मैं चाहता हूं, माननीय अध्यक्ष महोदय, नीतिगत प्रश्न है इसका जवाब मुझे देना नहीं चाहिए। प्रश्नकाल में नीतिगत प्रश्न का जवाब देने की आवश्यकता ही नहीं है। इसलिए मैं समझता हूं कि जब डिमाण्ड होगी तब जवाब दे दूंगा आपकी बात का।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नीतिगत नहीं आपने यहां हाउस में कहा है।

श्री सी. पी. जोशी : मैंने हाउस में कहा है तो मैं डिमाण्ड में एक्सप्लेन कर दूंगा डिटेल में।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आज नहीं बता सकते क्या ?

श्री सी. पी. जोशी : मुझे अध्यक्ष अलाउ करें तो मैं बोल देता हूं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नहीं बताते हैं तो ठीक है। मैं जिद नहीं करता। (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद) : अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि कितने जिला मुख्यालय हैं जिनमें सरकारी कन्या महाविद्यालय आज की तारीख में खुले हुए नहीं हैं। यह मंत्री महोदय बताने का कष्ट करें और हनुमानगढ़ के साथ वह जिला मुख्यालय जहां सरकारी कन्या महाविद्यालय नहीं है, क्या उन पर भी विचार किया जायेगा।

श्री सी. पी. जोशी : माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान के 7 जिले ऐसे हैं जहां पर जिला मुख्यालय पर गर्ल्स कालेज नहीं है। परन्तु दो जिले, धौलपुर और हनुमानगढ़, इन जिलों में जिले में ही कहीं पर गवर्नमेंट गर्ल्स कालेज नहीं है। अन्यथा जयपुर, जोधपुर, सीकर, चूरू और राजसमन्द में मुख्यालय के अलावा गर्ल्स कालेज हैं। इसलिए दो जिले धौलपुर और हनुमानगढ़....

श्री अमराराम (धोद) : सरकारी सीकर जिले में ही कोई नहीं है, साहब।

श्री सी. पी. जोशी : सरकारी कह रहा हूं, मैं मान्यवर। माननीय सदस्य, मैं सरकारी कह रहा हूं। केवल दो जिले ऐसे हैं धौलपुर और हनुमानगढ़ जिला जिसमें कोई किसी भी जगह गवर्नमेंट गर्ल्स कालेज नहीं है। बाकी सब जगह पर गर्ल्स कालेज हैं। ये जो मैंने जिले बताये हैं जिनमें मुख्यालय पर नहीं है लेकिन जिले के अन्दर है।

श्री अमराराम (धोद) : आप यह बता दीजिए कि सीकर में कौनसा गवर्नमेंट कालेज है, जो सीकर जिले में है।

श्री सी. पी. जोशी : माननीय सदस्य, सीकर जिले के मुख्यालय पर नहीं है। सीकर जिले में नीमकाथाना में गर्ल्स कालेज गवर्नमेंट का है।

श्री संजीव कुमार : माननीय अध्यक्ष महोदय, केवल पूरे राजस्थान में मंत्रीजी ने अभी बताया कि केवल धौलपुर और हनुमानगढ़, केवल 2 जिला मुख्यालय ऐसे हैं जहां राजकीय कन्या महाविद्यालय नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि ये केवल दो जिले हैं और इन जिलों के साथ यह बहुत बड़ा अन्याय है कि सब जगह कन्या महाविद्यालय, राजकीय, खुले हुए हैं और महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के लिये सरकार की स्पष्ट नीति बनी हुई है। बजट प्रावधानों का इन्होंने उल्लेख किया है तो मैं आपके माध्यम से पुरजोर शब्दों में निवेदन करना चाहूंगा कि सरकार जो इस तरह केवल दो जिलों के साथ बर्ताव नहीं करे और शीघ्रातिशीघ्र हनुमानगढ़ और जो दूसरा जिला मुख्यालय कोई बचा हुआ है उसमें राजकीय कन्या महाविद्यालय खोलने की मंत्रीजी घोषणा करें।

श्री अध्यक्ष : श्री अमराराम चौधरी।

श्री अमराराम चौधरी (पचपदरा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, बालोतरा राजकीय कन्या महाविद्यालय के लिए तत्कालीन सरकार को 36 लाख रुपये हमने नगरपालिका के जमा कराये। उस कन्या महाविद्यालय के लिये आपके पास पैसे पड़े हैं और वह पैसे उसमें फ़र्नीचर के लिये और उसके कार्य के लिये आप दे नहीं रहे हैं। आप कह रहे हैं कि बजट का प्रावधान आपका नहीं था। हमने पैसे जमा कराये। हमारे पैसे आप क्यों नहीं दे रहे हैं?

श्री अध्यक्ष : आप बाड़मेर जिला हैड-क्वार्टर की बात कर रहे हैं क्या?

श्री अमराराम चौधरी (पचपदरा) : 36 लाख रुपये में से जो आपको हमेशा से देना चाहिए, 3 साल के अन्दर वह 13 लाख रुपये इन्होंने अभी तक दिये नहीं है।

श्री अध्यक्ष : आप बाड़मेर जिला हैड-क्वार्टर की बात कर रहे हैं क्या?

श्रीमती सुचित्रा आर्य (नोहर) : अध्यक्ष महोदय, हनुमानगढ़ जिला के अन्दर एक ही राज्य का जो महाविद्यालय है उसको भी बजट के अभाव के अन्दर पी. जी. न करने का उन्होंने ना कर दी। और अब जब कन्या महाविद्यालय की बात आयी है जबकि हम इसको महिला वर्ष के रूप में इस वर्ष को मना रहे हैं उसके बावजूद भी हनुमानगढ़ भी नया जिला है और उसके अन्दर ये कालेज भी नहीं बनाना चाहते हैं तो यह हनुमानगढ़ के साथ इस तरह का आप क्या करना चाहते हैं? इसलिये मेरा आपके माध्यम से मंत्रीजी से यह निवेदन है कि कम से कम या तो आप जब हनुमानगढ़ के अन्दर एक हमारा नोहर के अन्दर कालेज है उसको पी.जी. बनाइये और नहीं तो हनुमानगढ़ के अन्दर कन्या महाविद्यालय बनाइये। इन दोनों में से एक काम तो आप कराइये।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय आपने सिद्धांततः इस बात को स्वीकार कर लिया है कि हर जिले पर कम से कम एक महिला महाविद्यालय होना चाहिए।

श्री संजीव कुमार : घोषणा तो कर ही दें आप। (व्यवधान) कृपा करके ये घोषणा तो कर ही दें कि हनुमानगढ़ हैड-क्वार्टर जिला पर कन्या महाविद्यालय तो खोलो आप। लड़कियों के लिये तो खोल दो बाकी तो भादरा में आप नहीं खोल रहे हैं, नोहर को आप क्रमोन्नत नहीं कर रहे हैं। आप जिले में एक कन्या महाविद्यालय. तो खोलने की घोषणा करें कम से कम।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : मैं केवल आपसे से यह पूछना चाहता हूं अब आप ....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कटारियाजी।

श्री शिवराम सिंह कुशवाह : अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूं कि 2 जिले हनुमानगढ़ और धौलपुर ही बाकी हैं। ऐसा ही क्वेश्चन मैंने यहां लगाया।

श्री अध्यक्ष : नहीं, नहीं, आपको नहीं।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से पूछना चाह रहा हूं कि जब सिद्धांततः इस बात को स्वीकार कर रखा है कि कम से कम जिला हैड-क्वार्टर पर एक महिला महाविद्यालय होना चाहिए। इसको आप भी स्वीकार करते हैं, हम सब लोग भी स्वीकार कर रहे हैं और सिद्धांततः इसको स्वीकार किया। क्या आपके शिक्षा विभाग ने इस बात को ध्यान में रख करके वित्त विभाग से इसके लिये बजट प्राप्त करने के लिये कोई प्रयास किया है।

श्री सी. पी. जोशी : हर विभाग अपने विभाग की डिमाण्ड वित्त मंत्रालय के पास प्रस्तुत करता है और हमने भी अपनी मांग प्रस्तुत की।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : तो नहीं मिली ?

श्री सी. पी. जोशी : बजट आ चुका है। पूरा बजट आपके सामने आ चुका है।

श्री अध्यक्ष : श्री शिवरामजी।

श्री शिवराम सिंह कुशवाह : धौलपुर और हनुमानगढ़ में आप महाविद्यालय खोलने की घोषणा करें। दोनों जिले बाकी रहे हैं। पूरे राजस्थान में हैड-क्वार्टर जिलों में आपने ही बताया है, कन्या महाविद्यालय खुले हुए हैं। इसलिये मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से यह निवेदन करना चाहता हूं कि हनुमानगढ़ और धौलपुर में कन्या महाविद्यालय खोलने की तत्काल घोषणा करें।

श्री संजीव कुमार : मंत्रीजी, केवल 2 जिले ही बचे हुए हैं, यह तो कृपा करें आप।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट क्वेश्चन, नैक्स्ट क्वेश्चन।

श्री संजीव कुमार : केवल 2 जिले ही बचे हुए हैं। जब स्पष्ट नीति बनी हुई है तो घोषणा तो करें आप।

श्री शिवराम सिंह कुशवाह : ये टाल देते हैं। इसकी घोषणा करवा दो आप धौलपुर और हनुमानगढ़ की।

श्री अध्यक्ष : शिवरामजी बैठिये, आप। बैठिये, प्रताप सिंहजी। नैक्स्ट क्वेश्चन श्री संयम लोढ़ा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, धौलपुर जिला वित्त मंत्रीजी का जिला है। और धौलपुर जिले के साथ महिला एजुकेशन में इस तरह की ना-इंसाफी, मंत्री महोदय कुछ तो करो। कम से कम आपका धौलपुर जिला पिछड़े जिलों में से आता है, शिक्षा की दृष्टि से पिछड़ा जिला है। महिला शिक्षा वर्ष मनाया जा रहा है।

श्री मदन दिलावर : धौलपुर में कन्या महाविद्यालय खोलना इसलिये आवश्यक है कि....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर, आर्डर।

राज्य में गठित जिला क्रीड़ा परिषदें

185. श्री संयम लोढ़ा (सिरोही) : क्या युवा एवं खेलकूद राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि उप सचिव खेल ने दिनांक 6 जनवरी, 2002 को राज्य के समस्त जिलों की क्रीड़ा परिषदों की सूची घोषित करने के लिये समस्त जिला कलक्टरों को पत्र प्रेषित किया था?

(2) उक्त की अनुपालना में क्या पूरे राज्य में जिला क्रीड़ा परिषदों का गठन हो गया है? प्रत्येक जिले की सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त जिलों में उक्त आदेश की अनुपालना में क्रीड़ा परिषद् का गठन नहीं [illegible] है?

राज्य मंत्री, युवा एवं खेलकूद (मास्टर भंवरलाल मेघवाल) : (1) राज्य सरकार द्वारा दिनांक 16.1.2002 को जिला क्रीड़ा परिषदों के पुनर्गठन के आदेश जारी किये गये हैं, न कि दिनांक 6.1.2002 को।

(2) जी हां। आदेश दिनांक 16.1.2002 की प्रति परिशिष्ट "क" पर संलग्न है।

(3) समस्त जिलों में उक्त आदेश की पालना हो चुकी है। समस्त जिलों में जिला क्रीड़ा परिषद् का पुनर्गठन हो चुका है।

(आदेशों की प्रतियां विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री संयम लोढ़ा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि जिला क्रीड़ा परिषद् पर ही जिलों में खेलों को सक्रिय करने और मजबूत रखने का दायित्व है। पूर्ववर्ती सरकार ने भी जिला क्रीड़ा परिषदों का गठन किया हुआ था और आपने भी इस साल जनवरी में पुनर्गठन किया है। पूर्ववर्ती सरकार के द्वारा गठित जिला परिषदों की 1999, 2000 व 2001 में क्या राज्य के किसी भी जिले में कोई बैठक हुई है। और आपके द्वारा जो इस साल के पहले महीने में जिला क्रीड़ा परिषदों का पुनर्गठन किया गया है, क्या राज्य में इस पुनर्गठित जिला क्रीड़ा परिषद् की किसी भी जिले में कोई बैठक हुई है।

नम्बर दो, क्या इन जिला परिषदों का कोई संविधान बना हुआ है। क्या इनमें कोई स्थायी समिति या संचालक मण्डल बना हुआ है। क्या यह सही है कि इसके अभाव में जिला कलक्टर व सचिव मनमाने आदेश

(श्री संयम लोढ़ा)

निकालते हैं और मनमाने तरीके से काम करते हैं। आपने एक बहुत अच्छा फैसला किया कि राजस्थान में राज्य क्रीड़ा परिषद् का अध्यक्ष खेलों से जुड़े हुए व्यक्ति को बनाया। क्या जिलों में भी क्रीड़ा परिषद् का अध्यक्ष आप खेलों से जुड़े हुए किसी व्यक्ति को बनाने की मंशा रखते हैं और जिला क्रीड़ा परिषदों का हर जिले में कितना-कितना बजट है और उसके उपयोग की क्या प्रक्रिया है? क्या इसका अंकेक्षण होता है और क्या जयपुर जिले की क्रीड़ा परिषद् में धन के अनियमित उपयोग की कोई शिकायत प्राप्त हुई है और इसकी जांच कौन कर रहा है?

मास्टर भंवरलाल मेघवाल : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद् के जरिये जिला क्रीड़ा परिषदों का गठन किया जाता है। दिनांक 16.1.2002 को राज्य क्रीड़ा परिषद् द्वारा विभाग को जो सूची भेजी गयी है उसके आधार पर राजस्थान की समस्त जिला क्रीड़ा परिषदों का गठन किया जा चुका है। उसके बाद अभी तक किसी भी जिले में पिछले 2 महीनों में कोई बैठक नहीं हुई है। विभाग इस बात का निर्देश जारी कर रहा है कि हर 3 महीने में जिला क्रीड़ा परिषदों की बैठक का आयोजन करें। जहां तक आपने कहा कि इसके कोई नियम बने हुए हैं, अध्यक्ष महोदय, मैं सदन की जानकारी के लिये कहना चाहूंगा कि राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद् का एक मेमोरेण्डम बना हुआ है और उसके जरिये ही इन जिला क्रीड़ा परिषदों का गठन किया जाता है। जहां तक अंकेक्षण का सवाल है, जिला क्रीड़ा परिषदों को किसी प्रकार का कोई अनुदान न विभाग द्वारा दिया जाता है और न ही राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद् द्वारा दिया जाता है। इसका अध्यक्ष जिले का कलक्टर होता है और इसका सैक्रेट्री जिले का जो खेल अधिकारी है वह होता है। अनियमितताओं का जहां तक सवाल है जब पैसा ही नहीं दिया जाता है तो अनियमितता का सवाल ही नहीं उठता है।

श्री संयम लोढ़ा : अध्यक्ष महोदय, पिछले साढ़े तीन साल में राजस्थान के किसी जिले में क्रीड़ा परिषद् की एक बैठक भी नहीं हुई। इससे अंदाजा लगता है कि खेलों को हम किस दुर्दशा की तरफ ले जा रहे हैं और राजस्थान सरकार ने प्रशासनिक दृष्टि से सारे दायित्व जिला कलक्टरों को सौंपे हुए हैं। जिला कलक्टर के पास अपना खुद का काम इतना होता है कि वे समय ही नहीं निकाल पाते उसके लिए। मैंने आपसे यह भी पूछा है कि आपने जैसे राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद् का अध्यक्ष खेल से जुड़े हुए व्यक्ति को बनाया है, क्या आप खेल आन्दोलन को सक्रिय करने के लिए जिलों में भी क्रीड़ा परिषद् का अध्यक्ष खेल से जुड़े हुए व्यक्ति को बनाने की मंशा रखते हैं और आप क्या यह नहीं मानते हैं कि जिला कलक्टर को क्रीड़ा परिषद् का अध्यक्ष बनाने से खेलों को हमने बहुत नुकसान किया है?

मास्टर भंवरलाल मेघवाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद् के मेमोरेण्डम के आधार पर जो नियम और अधिनियम बने हुए हैं उनमें जिला कलक्टर ही क्रीड़ा परिषदों का अध्यक्ष है चूंकि राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद् की एक अलग

(मास्टर भंवरलाल मेघवाल)

बॉडी है, उसके जरिये कोई प्रस्ताव आएगा तो निश्चित तौर पर सरकार विचार कर जिला कलक्टरों के स्थान पर किसी ऐसे खेल से जुड़े हुए व्यक्ति को बनाने की मंशा रखेगी लेकिन पहले चूंकि, यह अलग रजिस्टर्ड संस्था है, राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद् से जब तक उसका प्रस्ताव नहीं आता तब तक राजस्थान खेल विभाग किसी प्रकार का आदेश नहीं निकाल सकता।

श्री केसाराम चौधरी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके मार्फत माननीय मंत्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि पाली जिले में जिला परिषद् का गठन किया गया। क्या उसमें एम.एल.ए. को प्रतिनिधित्व दिया गया या नहीं?

मोहम्मद माहिर आजाद : जिला परिषद् नहीं, क्रीड़ा परिषद् है।

श्री केसाराम चौधरी : हां। क्रीड़ा परिषद् में दो सदस्य मनोनीत होते हैं।

मास्टर भंवरलाल मेघवाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान राज्य में जहां तक एम.एल.ए. का सवाल है, चूंकि, अभी तक पिछले महीने ही राजस्थान क्रीड़ा परिषद् द्वारा जिलों की क्रीड़ा परिषदों का मनोनयन किया गया है और, माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी स्वीकृति से ही माननीय विधायकों का मनोनयन होता है। बहुत जल्दी, माननीय अध्यक्ष महोदय, आप से स्वीकृति लेकर मनोनयन कर दिया जाएगा।

श्री अध्यक्ष : अभी तक तो आपने एक स्वीकृति नहीं ली है।

श्री केसाराम चौधरी : आपने किसी भी जिला क्रीड़ा परिषद् में मनोनयन नहीं दिया है विधायकों को।

श्री अध्यक्ष : प्रो. सांवर लाल।

श्री सांवरलाल : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय, यह एक बहुत बड़ा फैसला है कि क्रीड़ा परिषद् का जो रजिस्ट्रेशन हो रखा है, उनके वहीं से अगर प्रस्ताव आएगा तो आप किसी खिलाड़ी को अध्यक्ष बनाने का मन रखते हैं तो मेरे खयाल से फिर आपका यहां पर उत्तर देने का कोई मतलब नहीं है। सरकार की मंशा इस सम्बन्ध में क्या है, सरकार की मंशा अगर खिलाड़ी पैदा करने की राजस्थान में है तो खेल और खेल से सम्बन्ध रखने वाला व्यक्ति ही अगर जिले का अध्यक्ष बनेगा तब इसमें प्रगति हो सकती है। इसलिए मैं आपकी मंशा जानना चाहता हूं कि अगर सरकार की मंशा होगी तो नई क्रीड़ा परिषदें बन सकती है इसलिए आपकी मंशा क्या है, इस सम्बन्ध में आप स्पष्ट करिए।

श्री अशोक बैरवा (खण्डार) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि यह जिला क्रीड़ा परिषद् के गठन के आदेश आपने 16.1.2002 को जारी किये हैं परन्तु आज दिनांक तक किसी भी सदस्य को आपकी तरफ से कोई चिट्ठी नहीं पहुंची है और न ही कोई इत्तला दी गई है। जब तीन महीने में ही कोई सूचना नहीं है तो कैसे यह

(श्री अशोक बैरवा)

गठन करने के बाद कोई खेल के प्रति आपका रूझान है और सरकार इसके प्रति कोई मंशा रखती है? तीन महीने हो गये, क्या सम्भव है कि इस प्रकार की आपकी मंशा के अनुरूप जिलों में काम होंगे और खेलों के प्रति आपकी मंशा सरकार की स्पष्ट लोगों को पता लगेगी?

मास्टर भंवरलाल मेघवाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, जहां तक खिलाड़ी का अध्यक्ष पद पर मनोनयन का सवाल है राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद् जिसका रजिस्ट्रेशन हुआ है 1959 में, उसके संविधान के मुताबिक जब कलक्टर को यह अधिकृत किया हुआ है तो प्रस्ताव तो उन्हीं से मंगाना पड़ेगा या फिर जो खेल नीति हम बना रहे हैं, उस खेल नीति में उक्त प्रस्ताव को भी डाल कर व्यवस्था की जाएगी।

श्री सांवरलाल : इसमें डालो।

मास्टर भंवरलाल मेघवाल : दूसरा, जहां तक व्यक्तिशः मनोनयन का प्रश्न है, चार जिला कलक्टरों को छोड़ कर बाकी सभी जिला कलक्टरों ने व्यक्तिशः मनोनयन के आदेश जारी कर दिये हैं वे आदेश सम्बन्धित व्यक्ति के पास पहुंच चुके होंगे।

श्री संयम लोढ़ा : चार जिले कौन-कौन से हैं, यह तो बता दीजिए।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से ...(व्यवधान)

श्री केसाराम चौधरी : अध्यक्ष महोदय, राज्यपाल के आदेशानुसार एक आदेश निकला है। राज्यपाल का उसमें, महामहिम राज्यपाल के आदेश के अनुसार एक आदेश निकला है, उसमें जिला क्रीड़ा परिषद् में सारी कार्यकारिणी उसके अनुसार गठन की गई, केवल एम.एल.एज. को पीछे छोड़ने का क्या कारण रहा?

श्री संयम लोढ़ा : अध्यक्ष महोदय, जिन चार जिलों में जिला कलक्टर ने आपके आदेश की पालना नहीं की, उनकी जानकारी कृपया दे दें।

मास्टर भंवरलाल मेघवाल : अध्यक्ष महोदय, जिन चार कलक्टरों ने अभी तक आदेश जारी नहीं किये हैं उनको, बारां, बाड़मेर, दौसा और गंगानगर है, उनके लिए आज ही निर्देश जारी कर दिये गये हैं कि ए एज सून एज पोसिबल, जल्दी जारी कर दें।

श्री संयम लोढ़ा : वे जिले कौन-कौन से हैं, आप यह फरमा दें मेहरबानी करके।

मास्टर भंवरलाल मेघवाल : बारां, बाड़मेर, दौसा और गंगानगर। बाकी सभी जिलों में सभी जिला कलक्टरों ने आदेश जारी कर दिये हैं।

श्री केसाराम चौधरी : जी।

मास्टर भंवरलाल मेघवाल : जहां तक माननीय विधायक के मनोनयन का सवाल है, मैं अध्यक्ष महोदय, कहना चाहूंगा कि बिना आपकी अनुमति के सीधा किसी भी माननीय सदस्य को मनोनयन करने का अधिकार नहीं है इसलिए आपसे स्वीकृति लेकर मनोनयन कर दिया जाएगा।

मोहम्मद माहिर आजाद : आपने अनुमति मांगी है क्या? आपने माननीय अध्यक्षजी से अनुमति मांगी क्या?

श्री केसाराम चौधरी : एक बात है, इसमें कोई कहीं भी ऐसा प्रावधान नहीं लिखा हुआ है, माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय के आदेश....(व्यवधान)

श्री जीतमल खांट : आप अपनी मंशा रखते हैं या नहीं रखते हैं, यह बता दीजिए। मंशा है या आपकी मंशा नहीं है? (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : अध्यक्षजी की अनुमति के बिना मनोनयन नहीं किया जा सकता है, यह तो हम भी जानते हैं लेकिन आपने अध्यक्षजी को लिखा क्या अनुमति मांगने के लिए? आपने अनुमति मांगी नहीं। (व्यवधान)

श्री बाबूलाल सिंगारिया : अध्यक्षजी, खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने के लिए..... (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : आप अध्यक्षजी की आड़ में इस काम को कैसे बचाने का काम कर रहे हैं? आपने अध्यक्षजी से अनुमति मांगने के लिए अध्यक्षजी को पत्र लिखा क्या या आपने अध्यक्षजी से मिलकर अनुमति मांगी क्या? आपकी मंशा भी साफ है क्या, यह बता दीजिए, आपकी नीयत साफ नहीं है।

श्री बाबूलाल सिंगारिया : जिला क्रीड़ा परिषद् की समिति के अन्दर माननीय विधायकों का मनोनयन हो....(व्यवधान) रोक लगे और वास्तविक खिलाड़ी को मौका मिले। अध्यक्ष महोदय, आप इजाजत दीजिए। आप समितियों का गठन करवाइये।

मोहम्मद माहिर आजाद : अगर आपकी नीयत साफ होती तो अध्यक्षजी से आप अनुमति मांगते, अध्यक्षजी ने आपको अनुमति देने के लिए मना थोड़े ही किया है।

श्री जीतमल खांट : आपकी नीयत साफ है क्या?

मोहम्मद माहिर आजाद : इसलिए आप अध्यक्षजी का नाम लेकर अध्यक्षजी की आड़ में सारे सदन को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। आपने मांगी अध्यक्षजी से अनुमति?

श्री केसाराम चौधरी : राज्यपाल महोदय, का जो आदेश....(व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, सुचित्रा आर्य का मनोनयन किया है इन्होंने एम.एल.ए. का....(व्यवधान)

श्री बाबूलाल सिंगारिया : माननीय अध्यक्ष महोदय, पूरे सदन की भावनाओं को मद्देनजर रखते हुए माननीय विधायकों को समितियों के अन्दर मैम्बर बनाना चाहिए। जल्दी ही आप स्वीकृति प्रदान करें।

श्री जीतमल खांट : मंत्रीजी, आप सदन को गुमराह कर रहे हैं, आप अपनी मंशा तो बता दीजिए।

मोहम्मद माहिर आजाद : अनुमति मांगी ही नहीं अध्यक्षजी से? अध्यक्षजी की आड़ ले रहे हैं।

श्री बाबूलाल सिंगारिया : जल्दी ही आप सबको स्वीकृति प्रदान करें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, जो सूची सदन में माननीय मंत्री महोदय ने प्रस्तुत की है, उसमें नोहर से आने वाली माननीय सदस्या का मनोनयन आपने पहले कर रखा है।

श्री संयम लोढ़ा : माननीय अध्यक्ष महोदय, नोहर से आने वाली माननीय सदस्या का मनोनयन मंत्री महोदय ने किया है क्रीड़ा परिषद् में, यह जवाब दिया है इन्होंने।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उन विधायकों का पहले मनोनयन किसकी अनुमति से किया है आपने? नोहर से आने वाली माननीय सदस्या को आपने मनोनयन नहीं किया? आप अपना रिकार्ड उठाकर देखो, माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा एतराज है, एतराज इस बात का है कि एक तरफ तो इन्होंने कहा कि विधायकों का मनोनयन बिना आपकी अनुमति के नहीं हो सकता बिलकुल सही बात है। दूसरी तरफ जो इन्होंने सूची प्रस्तुत की है उसमें नोहर से आने वाली माननीय सदस्या का मनोनयन इन्होंने कर रखा है।

श्री संयम लोढ़ा : माननीय सदस्या का मनोनयन है, माननीय अध्यक्ष महोदय।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आप दोनों बातें कह रहे हो, अध्यक्ष महोदय, सदन के अन्दर मंत्रीजी, जवाब दे रहे हैं और वह भी.... (व्यवधान)

मास्टर भंवरलाल मेघवाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, उनको महिला प्रतिनिधि के रूप में मनोनीत किया है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : नो-नो।

श्री केसाराम चौधरी : ली है क्या, यह सदन को गुमराह कर रहे हैं, माननीय अध्यक्ष महोदय।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : माननीय अध्यक्ष महोदय, गंगानगर, हनुमानगढ़ क्रीड़ा परिषद्, माननीय अध्यक्ष महोदय, गंगानगर, हनुमानगढ़ क्रीड़ा परिषद् का यह जो उत्तर दिया है, आपको उसमें आपने किस अधिकार से नोहर से आने वाली माननीय सदस्या का मनोनयन किया है?

श्री जीतमल खांट : आपकी अपनी मंशा साफ नहीं है। पूरे सदन को गुमराह कर रहे हैं, आपने बाड़मेर में खेल मंत्री होने के नाते बहुत बड़ा भाषण दिया था।

श्री दिग्विजय सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं, एक निवेदन, एक बात पूछना चाहता हूं कि आपने कहा कि विधायकों को....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप ठहरिये दिग्विजय सिंहजी। माननीय सदस्य।

श्री दिग्विजय सिंह : एक मिनट, अध्यक्ष महोदय।

श्री संयम लोढ़ा : माननीय अध्यक्ष महोदय, हनुमानगढ़ की सूची में 12 नम्बर पर श्रीमती सुचित्रा आर्य, विधायक का नाम मौजूद है। माननीय अध्यक्ष महोदय.... (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आप मुलाहिजा फरमायें, अध्यक्ष महोदय, यह आपके अधिकारों पर अतिक्रमण है, आपके अधिकारों

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

पर है, अध्यक्ष महोदय, अभी इन्होंने हाउस को मिसलीड किया है, अध्यक्ष महोदय कितना वेग है यह। जो उत्तर दिया है उसमें क्या इनकी जिम्मेदारी नहीं है ?

मास्टर भंवरलाल मेघवाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें अलग-अलग कैटेगरी है और महिला कैटेगरी के अन्दर महिला के नाम के स्थान पर, महिला कैटेगरी के नाम पर उनका मनोनयन किया गया है।

श्री जीतमल खांट : अध्यक्ष महोदय, आपकी आड़ में माननीय मंत्रीजी पूरे सदन को गुमराह कर रहे हैं। आपकी मंशा साफ नहीं है।

मास्टर भंवरलाल मेघवाल : महिला वर्ग में है इनका।

मोहम्मद माहिर आजाद : विधायक-विधायक होता है। विधायक महिला-पुरुष नहीं होता। विधायक-विधायक होता है।

श्री मदन दिलावर : अध्यक्ष महोदय, आपके अधिकारों का उपयोग माननीय मंत्रीजी कर रहे हैं और सदन को धोखा दे रहे हैं। आपसे, अध्यक्ष महोदय, इसकी अनुमति नहीं ली गई है।

श्री जीतमल खांट : अपकी मंशा साफ सुथरी नहीं है और आप नहीं चाहते हैं कि विधायकों को इसमें सम्मिलित किया जाए। आप अध्यक्ष महोदय की आड़ में इस सदन को गुमराह कर रहे हैं।

श्री बाबूलाल सिंगारिया : अध्यक्ष महोदय, आज आप स्वीकृति प्रदान करें ताकि नौकरशाहियों के नेतृत्व के अन्दर यह मैच फिक्सिग का काम रुके। उसके अन्दर जन-प्रतिनिधियों का मनोनयन करने के लिए आप स्वीकृति प्रदान करें।

श्री अध्यक्ष : आप पहले मुझसे मिल चुके हैं। आपने अनुपूरक दो प्रश्न पहले पूछ लिये हैं और यह कैसे...(व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : अध्यक्ष महोदय, यह आपके अधिकारों का स्वयं उपयोग कर रहे हैं और शेष एम.एल.ए. के लिए कह रहे हैं कि माननीय अध्यक्ष महोदय अनुमति नहीं दे रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : माननीय श्री दिग्विजय सिंहजी।

श्री दिग्विजय सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से यह जानकारी करना चाहूंगा आपके माध्यम से...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री दिग्विजय सिंह : माननीय मंत्री महोदय, आपने यह फरमाया कि विधायकों का मनोनयन अध्यक्षजी की अनुमति के बगैर नहीं हो सकता तो मैं यह जानना चाहूंगा कि आपने क्रीड़ा परिषद् में कलक्टर को यह कैसे आदेश दे दिया कि आप दो विधायकों का मनोनयन आप करेंगे।

श्री अध्यक्ष : नहीं, आप ठहरिये। मंत्रीजी।

मास्टर भंवरलाल मेघवाल : अध्यक्ष महोदय, हमने किसी कलक्टर को इस प्रकार के आदेश नहीं दिये हैं।

श्री अध्यक्ष : मंत्रीजी, आपने हनुमानगढ़ से माननीय सदस्या को मनोनीत किया है? सूची आपकी...(व्यवधान)

मास्टर भंवरलाल मेघवाल : हां, अध्यक्ष महोदय, जो महिला कैटेगरी है, उस कैटेगरी में मैंने एम.एल.ए. की हैसियत से नहीं बल्कि महिला की हैसियत से मनोनयन किया है।

श्री अमराराम (धोद) : महिला कैसे, एम.एल.ए. नहीं है क्या? (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : महिला, अल्पसंख्यक, सवर्ण, दलित, यह क्या बात हुई? That's very wrong. You are misleading the House. Please correct yourself.

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, सदन को गुमराह करने की बात है।

श्री सांवरलाल : यह आपके अधिकारों को चुनौती है। अगर कोई महिला विधायक है तो इसकी अनुमति आपसे लेनी पड़ेगी। अध्यक्ष महोदय, आपके अधिकारों पर अतिक्रमण किया है माननीय मंत्री महोदय ने।

श्री जीतमल खांट : मंत्रीजी इस सदन को गुमराह कर रहे हैं। पिछले दरवाजे से प्रवेश करा रहे हैं और सदन को गुमराह कर रहे हैं।

श्री सांवरलाल : अगर कोई महिला भी महिला कोटे में नोमीनेट होगी, वह एम.एल.ए. है तो आपकी अनुमति लेना जरूरी होगा अध्यक्ष महोदय। इसलिए माननीय मंत्री महोदय ने आपके अधिकारों का अतिक्रमण किया है और यह गैर-कानूनी है। कल कह देंगे तीन पुरुष सदस्यों को नोमीनेट करना है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अगर माननीय अध्यक्ष महोदय...(व्यवधान)

श्री सांवरलाल : जब एम.एल.ए. है तो आपकी अनुमति आवश्यक है। माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें आप व्यवस्था दीजिये।

श्री मदन दिलावर : अध्यक्ष महोदय, यह तो अन्याय है, आपके अधिकारों पर अतिक्रमण हो जाये...(व्यवधान)

श्री सांवर लाल : इसमें व्यवस्था दीजिये, अध्यक्ष महोदय। एम.एल.ए. है तो आपकी अनुमति जरूरी है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : माननीय अध्यक्ष महोदय, इस मामले में आपकी व्यवस्था, आसन की व्यवस्था आनी चाहिये।

श्री मदन दिलावर : आप जैसे विद्वान अध्यक्ष महोदय के होने के बावजूद आपके अधिकारों पर अतिक्रमण हो रहा है। सरेआम अतिक्रमण हो रहा है।

मोहम्मद माहिर आजाद : सी. पी. जोशीजी, क्या सिखा रहे हो?

श्री सांवरलाल : यह रिलक्सेशन कहीं नहीं है। स्पष्ट लिखा हुआ है विधायक समिति में नोमीनेट होगा तो माननीय अध्यक्ष की अनुमति आवश्यक है। (व्यवधान) जरूरी है, कैसे नहीं है।

श्री अध्यक्ष : मंत्रीजी।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : व्यवस्था दे रहे हैं अध्यक्ष महोदय।

मास्टर भंवरलाल मेघवाल : इसमें अलग-अलग कैटेगरी है उस कैटेगरी के अंदर ...(व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : आप मुझे वकील कोटे में ले लो।

मास्टर भंवरलाल मेघवाल : आप सुन तो लीजिये।

मोहम्मद माहिर आजाद : यह क्या बात हुई? किसी को सामाजिक कार्यकर्ता, कोटे में ले लो। अपना बचाव करना चाह रहे हो आप। आपने अध्यक्षजी से अनुमति ली नहीं। हमारे लिये क्यों नहीं ली आपने?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : इसके बाद महिला है।

श्री सांवरलाल : यह आपके अधिकारों का क्लियर कट उल्लंघन है, अध्यक्ष महोदय।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : (व्यवधान) बहुत अच्छी स्पोर्ट्स-वूमैन हैं। अपनी स्टूडेंट लाइफ में बहुत अच्छी स्पोर्ट्स वूमैन रही हैं यह।

मास्टर भंवरलाल मेघवाल : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद् ने जो सूची इन जिलों की भेजी खेल विभाग को, उसके बाद में जो विधायकों के नाम हैं, उन नामों के लिये संसदीय कार्य विभाग को एवं विधान सभा सचिव को इस बाबत लिखा जा चुका है।

मोहम्मद माहिर आजाद : कब लिखा? (व्यवधान)

मास्टर भंवरलाल मेघवाल : पहले सुन लो। सुन तो लीजिये। (व्यवधान)

श्री सांवरलाल : आपने माननीय अध्यक्ष महोदय के अधिकारों का अतिक्रमण किया है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : बिना अनुमति के आपने कैसे मनोनीत किया है? (व्यवधान)

श्री सांवरलाल : बिना अनुमति के नहीं कर सकते आप।

श्री दिग्विजय सिंह (उनियारा) : आप यह बता दो आपने कब लिखा? आप कह रह हो लिख दिया संसदीय विभाग को, यह कब लिखा?

मास्टर भंवरलाल मेघवाल : लिखा जा चुका है।

श्री जीतमल खांट : इनको झुठला रहे हैं। मंत्रीजी गुमराह कर रहे हैं पूरे सदन को।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : चित्तौड़ में श्रीमती मधु दाधीच का मनोनयन किया है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, हमें आसन से व्यवस्था चाहिये। यह नई परम्परा इस सदन में डाली जा रही है। अध्यक्ष महोदय, आपकी बिना अनुमति के किसी भी माननीय सदस्य का किसी समिति में मनोनयन नहीं किया जा सकता। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि आप आसन से व्यवस्था फरमावें वरना यह इसी परिपाटी पर चले गये तो कोई अर्थ नहीं होगा। अध्यक्ष

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

महोदय, मधु दाधीच, निम्बाहेड़ा से आने वाली माननीय सदस्या को मनोनीत कर दिया इन्होंने।

मोहम्मद माहिर आजाद : नहीं, अध्यक्ष महोदय, केवल सुचित्रा आर्यजी का ही नहीं है। अपने महेन्द्र मीणा को भी किया है।

श्री कृष्णमुरारी गंगावत : माननीय अध्यक्ष महोदय, महेन्द्र मीणा का भी है।

मोहम्मद माहिर आजाद : इनके लिये आप एस.सी., एस.टी. का बहाना ले लो। हमारी आपसे सहानुभूति हो सकती है लेकिन आप सुचित्रा आर्यजी का नाम लेकर सदन को गुमराह कर रहे हैं।

श्री जीतमल खांट : माननीय मंत्रीजी गलत सूचना देकर पूरे सदन को गुमराह कर रहे हैं।

मोहम्मद माहिर आजाद : महेन्द्र कुमारजी मीणा हैं। विधायक सिकराय को इन्होंने लिया है। इन्होंने मधु दाधीचजी को चित्तौड़ की कमेटी में लिया है।

मास्टर भंवरलाल मेघवाल : मैंने विधायक कोटे से किसी को भी नहीं लिया है।

मोहम्मद माहिर आजाद : आप यहां पर एस.सी. कोटे में आये हो। एस.सी. कोटे में।

श्री जीतमल खांट : गलत सूचना देकर पूरे सदन को गुमराह कर रहे हैं।

मोहम्मद माहिर आजाद : विधायक कोटा, क्या होता है इसमें? यह कोई विधायक विकास कोष थोड़े ही है।

श्री जीतमल खांट : खेल प्रेमियों को आप इस तरह से हतोत्साहित कर रहे हैं।

श्री सांवरलाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्रीजी अपनी मर्जी से हर चीज का इन्टरप्रिटेशन कर रहे हैं। आपके अधिकारों का अतिक्रमण कर रहे हैं। इस मामले में आप व्यवस्था दीजिये अन्यथा और दूसरे मंत्री भी यही परिपाटी अपनाएंगे।

एक माननीय सदस्य : अशोक तंवर, विधायक, फागी का भी नाम है, अध्यक्ष महोदय।

श्री मदन दिलावर : अतिक्रमणकारियों को किसी भी कीमत पर नहीं बख्शा जाये जो माननीय अध्यक्ष महोदय के अधिकारों पर भी अतिक्रमण करने लग गये हैं।

एक माननीय सदस्य : अशोक तंवर जयपुर देहात की लिस्ट में नाम है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर-आर्डर।

मोहम्मद माहिर आजाद : साहब, पांच-छह एम.एल.ए. लिये हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आपने माननीय सदस्यों को मनोनीत किया है डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी पर, यह बिना अध्यक्ष की अनुमति के क्यों किया? (व्यवधान)

मास्टर भंवरलाल मेघवाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, जो विधायकों की कैटेगरी है, उसके अलावा अलग-अलग....(व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद) : कैटेगरी क्या है?

मास्टर भंवरलाल मेघवाल : पहले सुन लीजिये। अलग-अलग कैटेगरी बनायी है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आसन को चुनौती दे रहे हैं?

मास्टर भंवरलाल मेघवाल : एस.सी. का अलग मनोनीत, एस.टी. का अलग और महिला का अलग है। इसमें एस.सी, एस.टी. और महिला के स्थान पर विधायक की हैसियत से नहीं बल्कि उस हैसियत से इनका मनोनयन किया गया है। उसके बावजूद भी माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा फैसला करें, उचित होगा।

मोहम्मद माहिर आजाद : माननीय अध्यक्षजी, इन्होंने महिला कोटे में अशोक तंवर को लिखा है। इन्होंने महिला कोटे में महेन्द्र मीणा को लिया है। पांच एम.एल.ए. हैं।

एक माननीय सदस्य : लड़ा दिया है विधायकों को, फिर क्यों लिया है?

श्री अध्यक्ष : अगर कोई भी माननीय महिला...(व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : सर, पुरुष भी लिया है। अशोक तंवर को लिया है। महेन्द्र मीणा को लिया है।

श्री अध्यक्ष : आप बैठिये। इस तरह खड़े हो गये आप। माननीय महिला जो इस सदन की सदस्या है, उसको महिला प्रतिनिधि में आप करके और एम.एल.ए. के अन्दर नहीं किया है। आप यही कह रहे हैं?

मास्टर भंवरलाल मेघवाल : जी हां।

श्री अध्यक्ष : कैसे कर सकते हो? वह एम.एल.ए. नहीं रहेगी क्या? एम.एल.ए. तो है वह।

मास्टर भंवरलाल मेघवाल : एम.एल.ए. के लिये तो अलग है। (व्यवधान) यह महिला प्रतिनिधि, अनुसूचित जाति की प्रतिनिधि.... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अलग, यह आपके कहने से नहीं है।

मास्टर भंवरलाल मेघवाल : उसके बावजूद भी आप

जैसा उचित समझे जैसा आदेश दें वैसा हमे मंजूर है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, खेद व्यक्त करें। अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय को सदन के अंदर खेद व्यक्त करना चाहिये। खेद व्यक्त करिये आप खड़े होकर। माफी मांगिये आप अध्यक्ष महोदय से। अध्यक्ष महोदय, माफी मांगनी चाहिये इनको।

श्री सांवरलाल : बहुत ही गलत परम्परा पड़ जायेगी। अपने हिसाब से एनालेसिस करने लग गये मिनिस्टर।

श्री केसाराम चौधरी : निर्भय लाल जाटव भी है। सर, निर्भय लाल जाटव का नाम भी इसमें दर्ज है भरतपुर की जिला क्रीड़ा परिषद् में।

श्री अमराराम (धोद) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि जो जिला खेल क्रीड़ा परिषद बनायी गयी है, यह क्रीड़ा परिषद् ने बनायी है या राज्य सरकार ने बनायी है। यह जो क्रीड़ा परिषद् बनायी गयी है, यह केवल कांग्रेस

(श्री अमराराम)

क्रीड़ा परिषद् बनायी गयी है। सीकर जिले में जहां इस जिला क्रीड़ा परिषद् में खिलाड़ियों को नोमीनेट करने का सवाल है मंत्रीजी, एक खिलाड़ी का नाम बता दें जो राज्य स्तर का खिलाड़ी हो और जिसको सीकर जिला क्रीड़ा परिषद् में आपने मनोनीत किया हो। जहां राष्ट्रीय और अन्तरराष्ट्रीय स्तर के सैकड़ों खिलाड़ी हैं, केवल जिला क्रीड़ा परिषद् को आपने कांग्रेस क्रीड़ा परिषद् बनाने का काम किया है। क्रीड़ा परिषद बनाने का काम नहीं किया, सीकर में वह नाम बता दें जो राज्य स्तर का खिलाड़ी उस जिला क्रीड़ा परिषद् में हो।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट क्वेश्चन। श्री हरजीराम बुरड़क।

महिला एवं बाल विकास हेतु स्वीकृत राशि का उपयोग

186. श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं) : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) वर्ष 1998-99 से फरवरी, 2002 तक विभाग को कितनी-कितनी राशि का बजट आबंटित हुआ जिसमें से कितनी-कितनी राशि व्यय की गयी? वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त अवधि में किस-किस मद में कितनी-कितनी राशि आबंटन से कम खर्च हुई? वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती जकिया इनाम) : (1) वर्ष 1998-99 से फरवरी, 2002 तक विभाग को आवंटित राशि एवं इसके विरुद्ध व्यय की सूचना परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) उक्त अवधि में मदवार शेष रही राशि का विवरण परिशिष्ट "ब" पर संलग्न है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-1 देखें)

श्री हरजीराम बुरड़क : अध्यक्ष महोदय, जैसा माननीय मंत्री महोदया ने उत्तर में जो परिशिष्ट दिया है 1998-99 से लेकर अब तक प्रत्येक वर्ष में इनको आबंटित राशि खर्च करने में गिरावट आती गयी है। जहां 1998-99 में 470 लाख रुपये कम खर्च किये और आज बढ़ते-बढ़ते 60977.42 लाख रुपये इनके पास बचत के हैं।

अध्यक्ष महोदय, एक तरफ तो हम महिला सशक्तिकरण वर्ष मना रहे हैं और महिला और बाल विकास विभाग को जो राशि भारत सरकार और राज्य सरकार ने अलाट की, उसको यह खर्च नहीं कर पा रहे हैं। यह एक साल का मामला नहीं है, अध्यक्ष महोदय, आप इस चार्ट को देखें, उत्तरोत्तर चार सालों में कम खर्च बराबर होता जा रहा है। आप यहां सदन में रोज देख रहे हैं कि सारे विभाग यह कह रहे हैं कि हमारे पास बजट का आबंटन नहीं है, हमको पैसे नहीं मिल रहे हैं। अभी माननीय शिक्षा मंत्रीजी बजट का + + + लेकिन इस विभाग को इतनी भारी राशि मिलने के बावजूद यह खर्च नहीं कर पा रहे हैं। अगर पिछले साल की राशि

+ + + अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के ओदशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री हरजीराम बुरड़क)

आपने खर्च नहीं की तो दूसरे साल में आपने किस आधार पर डिमाण्ड की ?

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके मार्फत माननीय मंत्री महोदया से जानना चाहता हूं कि किन कारणों से यह राशि खर्च नहीं हुई ? क्या आपको समय पर बजट नहीं मिला ? क्या आपको और कोई कठिनाई आयी जिसके कारण से आप यह राशि खर्च नहीं कर पाये ? जब आप लगातार प्रत्येक वर्ष बराबर कम खर्चा कर रहे हैं तो अगले साल में बजट आबंटन करा करके दूसरे विभागों में जहां राशि की कमी है, उस मामले में आपने इसको ध्यान नहीं रख करके उन लोगों के सामने कठिनाई पैदा की और आपसे यह राशि खर्च नहीं हुई।

श्रीमती जकिया इनाम : अध्यक्ष महोदय, महिला बाल विकास विभाग में अधिकतर पोस्टें खाली हैं। जब पोस्टें खाली रहेंगी तो उसकी राशि, जो वेतन के रूप में जानी थी, उसकी बचत है। खाली इसलिए है कि आर.पी.एस.सी. से पोस्टें भरने की परमिशन नहीं मिली, डेपुटेशन पर लेने की आज्ञा मिली। मगर डेपुटेशन पर दूसरे विभाग इजाजत नहीं देते। ठेके पर लेने के लिए हाई कोर्ट ने स्टे लगाया हुआ है। इसके बाद मेरे पास कोई चारा नहीं है। इसमें जो राशि व्यय होनी थी वह नहीं हो सकी है। प्लीज, सुन लें।

आंगनबाड़ी के जितने केन्द्र बढ़े हैं, 66 प्रोजेक्ट और आये हैं और पहले जो आंगनबाड़ी के केन्द्र थे क्योंकि आफिसर्स कम थे तो आंगनबाड़ी केन्द्र में जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका होती हैं, उनकी भी भर्ती 1998-99 में उतनी नहीं थी जो मानदेय के रूप में पूरी की पूरी राशि व्यय की जाती। इसमें भी बचत हुई है। 1998-99 में बचत हुई है 2 करोड़ 43 लाख की। जो वेतन लेते हैं कर्मचारी, उसमें बचत हुई है 2 करोड़ 43 लाख की। मगर फिर भी आपको बता दूं कि यह जो राशि है, यह लैप्स नहीं होगी। यह सेंट्रल गवर्नमेंट की राशि है, अगले वर्ष समायोजित हो जायेगी सिर्फ आयोजना मद में हम परेशानी में आते हैं जिसमें 1 करोड़ 26 लाख की राशि वित्त विभाग ने आंगनबाड़ी भवनों के निर्माण के लिए हमें, क्योंकि आंगनबाड़ी का सेंटर से जो 75 परसेंट आता है और प्रोविंशियल गवर्नमेंट को 25 परसेंट देना है, उसकी अनुमति बहुत देर से आयी थी जिससे आखिरी महीने में वित्त विभाग अपनी तरफ का जो हिस्सा है वह नहीं दे पाया जिसकी वजह से वह खर्च नहीं हो पाया है। यह जो आंकड़े इतने बड़े दिखाई दे रहे है, कि बचत हुई है, 4 करोड़, 4.5 करोड़, माफी के साथ कहूंगी, साढ़े चार करोड़ रुपया पी.एच.ई.डी. मंत्रीजी के पास गया था, जिसमें हर आंगनबाड़ी केन्द्र में हैंड पम्प लगाना था, जो 66 प्रोजेक्ट आये हैं, उनमें वह नहीं लगे हैं मगर फिर भी मैं आपको आश्वासन दे रही हूं कि वह लैप्स नहीं होगा। यह तो 1998-99 की बात हुई।

आप तीनों साल का पूछना चाहेंगे न ? सेम चीज है। संवेतन, मानदेय और यात्रा भत्ता। यात्रा भत्ते में 1999-2000 में 79 लाख रुपये की बचत हुई है। अध्यक्ष महोदय, जब आफिसर्स की कमी होगी तो यात्रा भत्ता भी

(श्रीमती जकिया इनाम)

बचत के रूप में रहेगा मगर फिर भी यह उसी मद में से है जो लैप्स नहीं होता है।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : यूटिलाइज तो करना चाहिए था।

श्रीमती जकिया इनाम : कैसे यूटिलाइज करें, मैडम? आपको मैंने बताया कि पोस्टें खाली हैं, कैसे यूटिलाइज करें?

श्री सांवरलाल : नहीं, मैडम भरेगी पोस्टें, इनको सम्भला दो चार्ज आप।

श्रीमती जकिया इनाम : मैडम, मैं आपकी सलाह को पूरी तरह मानने को तैयार हूं, आप मुझे अकेले में भी सलाह दे सकती हैं कि मैं कैसे यूटिलाइज करूं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : इसका मतलब, मंत्री महोदया, आपकी इस सरकार में चलती नहीं है, आपकी बात कोई मानता नहीं है।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : फर्जीवाड़ा है।

श्रीमती जकिया इनाम : नहीं, जितने प्राजेक्ट्स हैं उसमें वह सेंट्रल गवर्नमेंट के हैं, प्रोविंशियल गवर्नमेंट के नहीं है।

श्री सांवर लाल : सैंट्रल गवर्नमेंट के लागू नहीं करना चाहते हो क्या ईमानदारी से?

श्रीमती जकिया इनाम : सेंट्रल गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट हैं।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : केन्द्र सरकार की तो पूरी कृपा है आपके ऊपर लेकिन राज्य सरकार की, मुख्य मंत्रीजी और वित्त मंत्रीजी की आप पर कृपा नहीं है इसलिए सारे जो प्रोजेक्ट हैं वह रुके हुए हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मंत्री महोदया, मैं आपसे एक बात जानना चाहूंगा कि केन्द्रीय सरकार से जो सहायता आपको मिली उसमें राज्य सरकार का हिस्सा नहीं मिलने के कारण....

श्रीमती जकिया इनाम : माननीय सदस्य, पहले मैं इनको रिप्लाई कर लूं फिर आपको रिप्लाई करती हूं।

1999-2000 में आयोजना मद से कन्टेनर के लिए, कम्प्यूटर और फैक्स मशीन के लिए फाइनेंस ने परमिशन नहीं दी, जिसमें भी बचत आयी। 32 परियोजनाओं में, जिसमें प्रोविंसेज को फूड सप्लाई होता है उसमें कोर्ट स्टे आर्डर थे, जिसमें भी बचत हुई है। इसलिए आपको यह इतनी बड़ी बचत दिखाई दे रही है बाकी डिपार्टमेंट अपने काम में कहीं पीछे नहीं है। मैं आपको जानकारी दूं कि सेंटर की मंत्री महोदया ने यह कहा है कि राजस्थान में जिस तरह का काम हो रहा है वह दूसरे प्रोविंस भी आकर देखें। मुझे गर्व है इस पर।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अब मैं पूछ लूं क्या आप से?

श्रीमती जकिया इनाम : नहीं, अभी एक और रह गया है।

2000-2001 में आई.सी.डी.एस. III की सेंक्शन हमारे पास बहुत लेट आयी है, तो उनका भी पैसा है, क्योंकि 66 प्रोजेक्ट्स आये हैं, 32 प्रोजेक्ट तो एक हैं और 34 प्रोजेक्ट दूसरे हैं, उसमें भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी सहायिका और आफिसर्स लगाने में टाइम लगा है, जिसमें भी

(श्रीमती जकिया इनाम)

देरी की वजह से आपको यहां मद में पैसा पड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। अब आप पूछें।

श्री हरजीराम बुरड़क : अध्यक्ष महोदय, जैसा माननीय मंत्री महोदया ने बताया कि अधिकारियों की कमी के कारण यह पैसा खर्च नहीं हुआ है तो क्या यह सारे के सारे पैसे अधिकारियों की तनखाह के हैं? आपने जो आंकड़े दिये हैं उसमें आप देखिये पोषाहार में - पहली साल में 128 लाख, दूसरे साल में 417 लाख, तीसरे साल में 160 लाख और अंत में 1205 लाख रुपये आपने खर्च नहीं किये। यह पोषाहार की हालत है।

श्रीमती जकिया इनाम : मैंने अभी आपको बताया है कि कुछ जगह तो स्टे आये हुए थे और कुछ जगह प्रोजेक्ट देर से सेंक्शन हुए थे। जब प्रोजेक्ट देर से सेंक्शन होंगे तो वहां बच्चे नहीं मिलेंगे, बच्चे नहीं मिलेंगे तो पोषाहार किसको बांटा जायेगा?

श्री हरजीराम बुरड़क : अगर आपके पास अधिकारी नहीं हैं, जिसके कारण से आप पैसे खर्च नहीं कर रहे हो तो चार साल में ही लगातार अगर अधिकारियों की कमी रही....(व्यवधान) एक मिनट पूरा कर लूं।

श्रीमती जकिया इनाम : माननीय सदस्य, मैंने आपको कहीं नहीं कहा कि अधिकारियों की कमी से काम में हरजाना हुआ है।

श्री हरजीराम बुरड़क : अभी कह रहे थे न।

श्रीमती जकिया इनाम : मैंने यह कहा है कि उनकी सैलेरी की बचत हुई है।

श्री हरजीराम बुरड़क : पूरा प्रश्न सुनिये आप। आपने अभी कहा कि न डेपुटेशन पर मिले थे, न हमारे पास भर्ती करने का कोई आदेश मिला, अधिकारियों और कर्मचारियों की कमी रही। तो एक साल की बात तो आप कह सकते हैं लेकिन लगातार चार साल तक आपके अधिकारियों की कमी रही तो फिर आपका विभाग कैसे चला, क्या काम किया?

श्रीमती जकिया इनाम : इनको ही देखते हुए मैंने एडहोक प्रमोशन के आर्डर पास कर दिए हैं, शायद दो या तीन दिन में सब अपनी-अपनी जगह पर ज्वाइन कर लेंगे उसी पे-स्केल पर।

श्री हरजीराम बुरड़क : नहीं, मैं तो चार साल का पूछ रहा हूं, एक-दो दिन का नहीं पूछ रहा हूं, एक साल का नहीं पूछ रहा हूं।

श्रीमती जकिया इनाम : हमको तीन साल हुए हैं और आते के साथ भरना नहीं शुरू कर दी थी।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से, माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि इस योजना के अन्दर दो मद में पैसा आता है केन्द्र सरकार और राजस्थान की सरकार से। क्या यह सही है कि राजस्थान सरकार से जो पैसा आपको मिलना चाहिए था मैचिंग ग्रान्ट का वह नहीं मिलने के कारण केन्द्रीय सरकार से आप पूरी राशि नहीं ले सकीं? नम्बर दो, आपने कहा कि आपके पास पद रिक्त हैं तो आपने आरपी.एससी. में रिक्विजिशन कब-कब भेजी? आपने कहा कि आरपी.एससी. ने अभी अनुमति नहीं दी। आपकी तरफ से आरपी.एससी. में रिक्विजिशन कब-कब गयी पदों को भरने के लिए?

श्रीमती जकिया इनाम : राजस्थान में ऐसा कहीं नहीं हुआ कि हमको सेन्टर से पैसा लाने के लिए यहां के पैसे की कमी की वजह से वह न आ सका हो। एक बार भी ऐसा नहीं हुआ मगर आर.पी.एस.सी. में भेजने से पहले फाइनेंस से परमिशन लेनी होती है। फाइनेंस ने टर्न डाउन किया था तो आर.पी.एस.सी. में भेजने का कोई सवाल ही नहीं है न मेरे पास ऐसा कोई लैटर है जो मैंने आर.पी.एस.सी. में दिया हो।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : फिर आपने आर.पी.एस.सी. का नाम ही क्यों लिया? आपने कहा कि आर.पी.एस.सी. ने अनुमति नहीं दी। फिर काहे को नाम लिया?

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट क्वेश्चन। डा. कन्हैया लाल।

श्री सांवरलाल : आपने आर.पी.एस.सी. का नाम लिया न?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आपने आर.पी.एस.सी. का नाम ही क्यों लिया?

श्री अध्यक्ष : राजेन्द्रजी, बैठिए। डा. कन्हैया लाल।

श्री कन्हैया लाल (बस्सी) : प्रश्न संख्या-187. (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : श्री मदन दिलावर, प्लीज सिट डाउन।

श्रीमती जकिया इनाम : सी.डी.पी.ओज. के पद आर.पी.एस.सी. से भरे जाते हैं जिसकी परमिशन फाइनेंस से मंगानी होती है। फाइनेंस ने परमिशन नहीं दी इसलिए कहा था।

श्री अध्यक्ष : डा. कन्हैया लाल।

श्री कन्हैया लाल : प्रश्न संख्या-187.

श्री सांवरलाल : आपने कहा कि आर.पी.एस.सी. ने अनुमति नहीं दी। फिर यह कैसे कहा आपने?

श्रीमती जकिया इनाम : आपने गलत सुना है।

श्री सांवरलाल : आपका स्टेटमेंट पढ़ लीजिए कार्यवाही में से निकलवाकर।

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी।

श्री सांवरलाल : आर.पी.एस.सी. कहा है लोक सेवा आयोग। आपका यहां पर बयान दर्ज है।

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी. आप बिराजिए।

श्रीमती जकिया इनाम : माननीय सदस्य, अगर स्लिप हो गया तो मैं उसकी माफी चाह लूंगी।

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी, बैठिये। नैक्स्ट लपका वाला क्वेश्चन। (व्यवधान) क्वेश्चन काल कर लिया है।

श्री सांवरलाल : यह सरकार अनुमति नहीं देगी। इनका बजट बचता रहेगा तो फिर यह योजना कैसे लागू होगी, अध्यक्ष महोदय, यह बताइये हमको?

श्री अध्यक्ष : बैठिए, बैठिए।

श्री सांवरलाल : केन्द्र सरकार से पैसा आ रहा है। यदि यहां की सरकार का फाइनेंस विभाग यह अनुमति नहीं देता पद भरने के लिए तो फिर वह पैसा किस काम आयेगा?

श्री मदन दिलावर : विभाग पद भरने की अनुमति नहीं दे रहा है तो इस जनता का क्या होगा ?

श्री सांवरलाल : गरीब बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए जो पैसा आता है पोषाहार का पैसा, उस पैसे का उपयोग नहीं कर पा रही है सरकार। अध्यक्ष महोदय, बहुत गम्भीर मामला है।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : अध्यक्ष महोदय, मामला तो महिलाओं और बच्चों का है।

श्री सांवरलाल : वित्त विभाग महिला विभाग को परमिशन नहीं देगा तो पैसे का उपयोग कैसे होगा ?

श्री अध्यक्ष : माननीय सांवरलालजी, बैठिये।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : अध्यक्ष महोदय, महिलाओं और बच्चों का मामला है।

श्री सांवरलाल : अध्यक्ष महोदय, भारत सरकार जिनको लाभान्वित करना चाहती है उनको कैसे लाभान्वित किया जाएगा।

श्री अध्यक्ष : प्रोफेसर सांवर लाल, प्लीज बैठिए।

श्री सांवरलाल : आज पोषाहार का वितरण बच्चों को और महिलाओं को नहीं हो रहा है। वित्त विभाग इनको अनुमति नहीं दे रहा है तो भारत सरकार क्यों भेज रही है पैसा ?

श्री अध्यक्ष : कोई जवाब देने की आवश्यकता नहीं है।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : मामला सहानुभूति का है, महिलाओं और बच्चों का मामला है साहब। आंगनबाड़ी का मामला है, डी.पी.ई.पी. का मामला है।

श्री अध्यक्ष : माननीय ज्ञानदेवजी आहूजा, बैठिए। डा. कन्हैया लाल। नैक्स्ट क्वेश्चन।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : हैण्ड पम्प नहीं लगे, आंगनबाड़ी का पोषाहार भी नहीं बंटा, दाल दलिया भी खा गये, कोई अधिकारी है नहीं, कोई कर्मचारी है नहीं। मामला महिलाओं का है। महिलाओं के बारे में थोड़ा समय दो साहब। मामला महिलाओं और बच्चों का है, अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : आप बैठिए।

श्री सांवरलाल : सरकार का वित्त विभाग पोस्ट क्रिएट क्यों नहीं करने देता, अध्यक्ष महोदय ? इसमें कुछ व्यवस्था दीजिए। बाकी जिनके लिए पैसा भारत सरकार भेजती है सारा पैसा...(व्यवधान)

श्री जीतमल खांट : पैसा क्यों खर्च नहीं किया जा रहा है ?

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट क्वेश्चन। डा. कन्हैया लाल।

सक्रिय लपका गिरोह के विरुद्ध कार्यवाही

187. श्री कन्हैया लाल (बस्सी) : क्या पर्यटन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राज्य में सक्रिय लपका गिरोह की देशी/विदेशी पर्यटकों के

(श्री कन्हैया लाल)

साथ लूटपाट / धोखाधड़ी / ठगी/डिब्बेबाजी/ दुर्व्यवहार/मारपीट जैसी गतिविधियों के कारण राज्य का पर्यटन व्यवसाय प्रभावित होने के साथ ही जयपुर-उदयपुर जैसे विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों की ख्याति को धक्का लगा है ? यदि हां, तो क्यों ?

(2) उक्त प्रकार की घटनाओं से वर्ष 1999 से फरवरी, 2002 तक कुल कितने देशी/विदेशी पर्यटक प्रभावित होने की सूचना सरकार के पास है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) सरकार ने अब तक पर्यटकों की लपका गिरोहों से रक्षा सुरक्षा के लिए क्या-क्या कार्यवाही की है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

राज्य मंत्री, पर्यटन विभाग (श्रीमती बीना काक) : (1) जी नहीं।

(2) वर्ष 1999 से फरवरी, 2002 तक 10 विदेशी पर्यटकों एवं 18 भारतीय पर्यटकों की कुल 28 शिकायतें पर्यटन विभाग को प्राप्त हुई है। जिनका विवरण परिशष्ट "अ" पर संलग्न है।

(3) राज्य में लपका गिरोह पर पाबन्दी लगाने के लिए पर्यटन विभाग तथा पुलिस विभाग ने पर्यटन पुलिस बल के नाम से एक संयुक्त योजना तैयार की है जिसके तहत जयपुर में 1 अगस्त, 2001 से पर्यटन पुलिस को तैनात किया गया है। आमेर, सिटी पैलेस, एवं जन्तर मन्तर पर पर्यटन पुलिस बूथ स्थापति किये गये हैं। यहां पुलिसकर्मी तैनात किये गये हैं। लपकों से प्रभावित कोई देशी-विदेशी पर्यटक इन पर्यटन बूथों पर अपनी शिकायतें दर्ज करवा सकते हैं। इन बूथों पर पर्यटकों को हर प्रकार की सहायता प्रदान की जाती है। इस बल के सदस्य सम्बन्धित पर्यटन क्षेत्र में घूम-घूम कर निगरानी भी रखते हैं। माह फरवरी, 2002 से पर्यटन विभाग द्वारा जयपुर, जौधपुर, जैसलमेर, उदयपुर, माउन्ट आबू तथा अजमेर-पुष्कर में भूतपूर्व सैनिकों को पर्यटन पुलिस बल में अनुबन्ध के तौर पर रखा गया है। ये भूतपूर्व सैनिक पर्यटक पुलिस बल के अधिकारियों के नेतृत्व में उनके निर्देशानुसार पर्यटकों की सहायतार्थ कार्यवाही कर रहे हैं।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-2 देखें)

श्री कन्हैया लाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदया ने जो उत्तर दिया है कि पर्यटकों की राजस्थान में जयपुर, उदयपुर जैसे विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों की ख्याति को धक्का नहीं लगा है, उत्तर दिया है, जी नहीं। अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने स्वयं ने इस बात को मान लिया है कि 28 प्रकरण दर्ज हुए हैं। लपका गिरोह की जो शिकायतें इनके पास आयी हैं 28 गिरोहों की। ये शिकायतें आने पर क्या इनको इससे धक्का नहीं लगा है। खण्ड दो में जो इन्होंने उत्तर दिया है क्या इससे जो पर्यटक यहां आये विदेशी और स्वदेशी जो यहां आ रहे हैं, दो वर्ष के अन्दर 28 शिकायतें आ जाना और इससे प्रभावित होकर विदेशी और स्वदेशी जो पर्यटक यहां आते थे वे बहुत कम संख्या में यहां आने लगे है। दूसरा माननीय मंत्री महोदय मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि

(श्री कन्हैया लाल)

पर्यटकों की जो कमी हुई है, इन लपका गिरोहों पर कोई पाबन्दी लगाना चाहेंगे। लपका गिरोहों से सावधान रहने के लिए जो विदेशी पर्यटक राजस्थान में और खास कर जयपुर और उदयपुर में बहुसंख्या में आते थे उनको विदेशी दुतावास ने यहां आने से पहले ही सावधान और सचेत करते हैं कि यदि वहां जाते हैं तो आपको जाने से पहले अपने आपको सावधान करना पड़ेगा अन्यथा वहां के जो लपका गिरोह हैं कहीं भी कुछ भी आपके सामने घटना घट सकती है। और इसकी वजह से मैं कहता हूं बहुत सारे पर्यटक जो विदेशी पर्यटक हैं वह राजस्थान में जयपुर और उदयपुर नहीं आकर अपने आपको दूसरी जगह मोड़ लेते हैं।

श्री राजेन्द्र पारीक : यह तो माननीय प्रतिपक्ष के नेता महोदय, ज्यादा मदद कर सकते है क्योंकि राष्ट्रीय स्तर का मामला है।

श्री कन्हैया लाल : पर्यटक पुलिस का गठन इन्होंने खूब किया है।

मोहम्मद माहिर आजाद : मगर ये तो राजस्थान लपका गिरोह की बात कर रहे हैं। राष्ट्रीय की थोड़ी बात कर रहे हैं।

श्री कन्हैया लाल : आमेर, सिटी पैलेस, जन्तर मन्तर जो बूथ इन्होंने गठन किया उनमें गठन होने से अब तक कुल कितने मुकदमे दर्ज हुए? किस प्रकार के दर्ज हुए और क्या कार्यवाही की गयी?

श्री यशवन्त सिंह (रामू) (नदबई) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदया से पूछना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : नहीं। आर्डर-आर्डर। पहले प्रश्नकर्ता ने पूछा है। इनको पहले अवसर दिया जाएगा।

श्री यशवन्त सिंह (रामू) : कि पूर्वी राजस्थान अलवर, भरतपुर, सवाईमाधोपुर जिसमें रणथम्भौर सैंक्चुरी और भरतपुर का किला है, क्या वहां भी इन्होंने कोई ऐसी व्यवस्था की है? पूर्वी राजस्थान के जो पर्यटन स्थल है क्या उनको राजस्थान में मानते है या नहीं मानते है?

श्री नन्दलाल बंशीवाल (दौसा) : अध्यक्ष महोदय, हर बात में पूर्वी राजस्थान के साथ भेदभाव। विकास भी पश्चिमी राजस्थान के अन्दर। सारा काम पश्चिमी राजस्थान में करते हैं।

श्री यशवन्त सिंह (रामू) : हर चीज में पूर्वी राजस्थान के साथ भेदभाव किया जाता है अध्यक्ष महोदय। लपका गिरोह भरतपुर में भी है, अलवर में भी है। अध्यक्ष महोदय, आज तक यह कानून व्यवस्था नहीं की।

श्री अध्यक्ष : बैठिए माननीय सदस्य।

श्री नन्दलाल बंशीवाल : आप हमारे को और पूर्वी राजस्थान को अलग कर दें।

श्री अध्यक्ष : श्री बंशीवाल, यशवन्त सिंहजी, बैठिए।

श्री नन्दलाल बंशीवाल : अध्यक्ष महोदय, पूर्वी राजस्थान के अन्दर रणथम्भौर सैंक्चुरी है, सरिस्का की एक सैंक्चुरी है, केवलादेव घना

(श्री नन्दलाल बंशीवाल)

सैंक्चुरी है वहां पर आपने लपका गिराहों के खिलाफ कुछ भी न तो कार्यवाही की, न आपकी मंशा है। हर बात के अन्दर यह सरकार पूर्वी राजस्थान के साथ भेदभाव कर रही है। ऐसा क्यों?

श्री अध्यक्ष : बैठिए आप।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मंत्री महोदय, आपका व्यक्तिगत अनुभव लपकों के बारे में क्या है वह भी सदन को बता दें।

डा. किरोड़ी लाल : यह भी बता दें कि रणथम्भौर के एरिये में लपका गिरोह तो नहीं है कोई सक्रिय।

(12.00 बजे)

श्रीमती बीना काक : मेरा व्यक्तिगत अनुभव आपके बारे में क्या है वह तो बता सकती हूं। लपकों के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है।

श्री राजेन्द्र पारीक : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदया...(व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : 153 + + + है राजेन्द्र पारीक साहब 153.

श्री मदन दिलावर : अभी + + + पावर में है।

श्री अध्यक्ष : आप बैठिये।

श्रीमती बीना काक : अध्यक्ष महोदय, बस्सी से आने वाले माननीय सदस्य को मैंने उनके मूल प्रश्न के उत्तर में यह कहा है कि 28 शिकायतें हमें प्राप्त हुई हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी जानकारी में लाना चाहती हूं कि हर तीसरा हिन्दुस्तान आने वाला पर्यटक राजस्थान आता है। 77 लाख देशी पर्यटक और छह लाख से सात लाख तक विदेशी पर्यटक यहां आते हैं और हमें 28 शिकायतें प्राप्त हुई। तो इससे ऐसा भारी कोई झटका या कोई नुकसान या कोई पर्यटकों को नहीं हुआ है। यह आपकी जानकारी में है लेकिन मैं यह मानती हूं कि...

श्री अध्यक्ष : किसी लपके को सजा हुई है क्या?

श्रीमती बीना काक : जी, कइयों को हुई है। मैं बताती हूं।

श्री अध्यक्ष : यह दो हजार डालर का धोखा किया है किसने? प्रश्न के सीरियल नम्बर 13, इसको सजा हुई है?

श्रीमती बीना काक : जी, मैं बताती हूं?

श्री अध्यक्ष : इस लपके का क्या हुआ?

श्रीमती बीना काक : पहले मैं इनके मूल प्रश्न का जवाब दे दूं। यह सही है कि कुछ पर्यटकों को दिक्कत जरूर आती है। माननीय अध्यक्ष महोदय, खास तौर से जो अनआर्गेनाइज तरीके से यहां ट्यूरिस्ट आते हैं। जो कंडक्टिव टूअर्स हैं वह तो सेफ्टी और सिक्योरिटी का अपने ट्यूरिस्ट का खयाल रखते हैं। टूर आपरेटर्स की साख, आने वाला बिजनस भी उनके द्वारा जो लाये

+ + + अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्रीमती बीना काक)

गये ट्यूरिस्ट हैं उनकी सुविधा पर बहुत निर्भर करता है।

श्री अध्यक्ष : समाप्त कीजिए आप।

श्री सांवरलाल : बिराज जाइये, बारह बज गये।

श्री अध्यक्ष : समाप्त कीजिए आप।

श्रीमती बीना काक : तेरहवें नम्बर पर इनकी जो शिकायत थी ढाई हजार डालर की बेईमानी करने बाबत पुलिस अधीक्षक, जयपुर शहर दक्षिण को पत्र लिखे गये हैं और एक रिमाइन्डर भी 29.1.2002 को जांच हेतु प्रेषित किया गया है।

श्री अमराराम (धोद) : सजा क्या हुई वह बताओ। खाली पत्र लिखने से काम नहीं चलेगा।

श्रीमती बीना काक : आगे सुन तो लीजिए आप।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : पत्र लिखा है एस.पी. को...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आहूजाजी।

श्री मदन दिलावर : इतने सारे लपके इतना घपला कर गये तब भी धक्का नहीं लगा इनको धक्का आखिर किससे लगता है?

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, बहुत लपके लेते हो। प्रश्नकाल समाप्त।

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिए कृपया परिशिष्ट-3 देखें)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

जिला चूरू में भू-जल गतिविधियों पर रोक

310. श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू) : क्या भू-जल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य में भू-जल सर्वे वर्ष 2001 के अनुसार भू-जल स्तर प्रति वर्ष किस दर से घट रहा है तथा कितने क्षेत्र अधिक भू-जल दोहन के कारण असुरक्षित श्रेणी में आ गये तथा भू-जल की वर्तमान में वार्षिक औसत पुनः भरण क्या है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) चूरू ब्लाक में कितने भू-जल पोटेशन जोन हैं तथा विगत 5 वर्षों में भू-जल में कितने मीटर औसत गिरावट आई है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि भू-जल मूल्यांकन वर्ष 1998 के पश्चात् चूरू ब्लाक में किये गये भू-जल मूल्यांकन के अनुसार भू-जल में औसतन कम गिरावट आई है तथा कृषि उपयोग हेतु घरेलू उपयोग हेतु भू-जल दोहन भी कम हुआ, परन्तु फिर भी चूरू ब्लाक को क्रिटिकल श्रेणी में डाल कर भू-जल गतिविधियों पर प्रतिबन्ध लगाया जाना विभाग द्वारा प्रस्तावित किया गया? यदि हां, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राज्य का भू-जल सर्वेक्षण तथा पुनर्मूल्यांकन 1.1.2001, भू-जल विभाग के द्वारा पूरा किया जाकर तकनीकी पुनर्निरीक्षण

(भू-जल मंत्री)

हेतु केन्द्रीय भू-जल बोर्ड को भेजा गया है। केन्द्रीय भू-जल बोर्ड के स्तर पर तकनीकी पुनर्निरीक्षण होने के पश्चात् इस पुनर्मूल्यांकन का राज्य स्तरीय भू-जल आकलन समिति में विचार किया जाकर, बाद अनुमोदन ही आधिकारिक रूप से यह बताना सम्भव होगा कि भू-जल स्तर किस दर से घट रहा है, साथ ही कितने क्षेत्र असुरक्षित श्रेणी में आ गये हैं तथा भू-जल का वर्तमान वार्षिक औसत पुनर्भरण कितना है।

(2) चूरू जिले की भू-जल सर्वेक्षण रिपोर्ट (01.01.1998) के अनुसार चूरू ब्लाक में एक पोटेंशियल जोन ए.ओ.—3 (A0-3) है तथा एक जोन ए0ओ0 (एस) AO(S) खारा (Saline) है तथा इनमें 1998 से पिछले पांच वर्षों में क्रमशः 0.36 मीटर व 0.03 मीटर की गिरावट पाई गई है।

(3) भू-जल आकलन 1.1.1998 के पश्चात् नवीनतम भू-जल पुनर्मूल्यांकन 1.1.2001 को किया गया है तथा इसे केन्द्रीय भू-जल बोर्ड को तकनीकी पुनर्निरीक्षण के लिए भेजा हुआ है, तथा इसका राज्य स्तरीय भू-जल आकलन समिति के द्वारा अनुमोदन होने के पश्चात् ही चूरू जिले के विभिन्न ब्लाक किस श्रेणी में आते हैं तथा उनमें भू-जल की गिरावट तथा दोहन की क्या स्थिति है, आदि के बारे में बता पाना सम्भव हो सकेगा।

कृषि उत्पादन में वृद्धि हेतु कार्यक्रम

311. श्री गुलाब चन्द कटारिया (बड़ी सादड़ी) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) वर्ष 1999-2000 में कृषि उत्पादन बढ़ाने के अन्तर्गत ड्रिप सिंचाई (हैक्टेयर) का लक्ष्य कितना था जिसकी तुलना में वर्ष 2000-2001 में कितनी उपलब्धि की कमी रही ?

(2) उक्त कार्यक्रम में आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का वर्ष 1999-2000 में लक्ष्य कितना था जिसकी तुलना में वर्ष 2000-2001 में कितनी उपलब्धि की कमी रही ?

(3) उक्त कार्यक्रम के अन्तर्गत खाद्य बिक्री कार्यक्रम में वर्ष 1999-2000 में उपलब्धि का लक्ष्य कितना था जिसकी तुलना में वर्ष 2000-2001 में कितनी उपलब्धि की कमी रही ? तीनों कार्यक्रमों का उक्त दो वर्षों का तुलनात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि कृषि उत्पादन को बढ़ाने को अपेक्षित गति नहीं मिल पाई जिससे कार्यक्रमों के अन्तर्गत लाभान्वितों को पूर्ण लाभ से वंचित रहना पड़ा ? यदि हां, तो इसके लिये सरकार किसे उत्तरदायी मानती है तथा उत्तरदायी के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

उत्तर

(1) उद्यानिकी फसलों का उत्पादन बढ़ाने के अन्तर्गत ड्रिप सिंचाई संयंत्र स्थापन का वर्ष 1999-2000 में 1600 हैक्टेयर का लक्ष्य था जिसके विरुद्ध 1230 हैक्टेयर की प्रगति हुई तथा वर्ष 2000-2001 में 1600 हैक्टेयर का लक्ष्य था जिसके विरुद्ध 581.00 हैक्टेयर की ही प्रगति हो पायी, इसलिये वर्ष

(कृषि मंत्री)

2000-2001 में वर्ष 1999-2000 की तुलना में 649 हैक्टेयर की उपलब्धि की कमी रही।

(2) उक्त ड्रिप सिंचाई कार्यक्रम में आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के वर्ष 1999-2000 एवं 2000-2001 में कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं थे।

(3) उक्त ड्रिप सिंचाई कार्यक्रम के अन्तर्गत खाद्य बिक्री कार्यक्रम के वर्ष 1999-2000 एवं 2000-2001 में कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं थे।

(4) उद्यान विभाग में फल, सब्जी एवं मसाला फसलों के अन्तर्गत कुल उत्पादन विगत 2 वर्षों में प्रायः स्थिर रहा है। ड्रिप योजना अन्तर्गत वर्ष 1999-2000 में 514 एवं 2000-2001 में 233 कृषकों को नियमानुसार पूर्णरूप से लाभान्वित किया गया।

जिला जालौर में गांधी ग्रामों का चयन

312. श्री हीरालाल विश्नोई (सांचौर) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि गांधी ग्राम योजनान्तर्गत प्रथम चरण में जिलों की प्रत्येक पंचायत समिति क्षेत्र में दिनांक 31.12.2001 तक एक-एक गांधी ग्राम का चयन किया जाकर ग्राम का नजरी नक्शा तैयार करने के निर्देश जारी किये गये थे ?

(2) क्या जिला जालौर में गांधी ग्रामों का चयन किया जाकर ग्राम का नजरी नक्शा तैयार कर दिया गया है ? यदि हां, तो कितने ग्रामों का ? पंचायत समितिवार सूची सदन की मेज पर रखें। यदि नहीं, तो सरकार उक्त संदर्भ में क्या व्यवस्था सुनिश्चित करने जा रही है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां। जिला जालौर की समस्त 7 पंचायत समितियों में एक-एक गांधी ग्राम का चयन कर प्रत्येक का नजरी नक्शा तैयार कर लिया गया है। जिसका विवरण संलग्न है। पंचायत समितिवार चयनित गांधी ग्रामों की सूची निम्नप्रकार से है :—

क्र.सं.	पंचायत समिति	गांधी ग्राम का नाम
1.	जालौर	नरपड़ा
2.	आहोर	कंवला
3.	सायला	कोमता
4.	भीनमाल	कांवतरा
5.	जसवंतपुरा	तातोल
6.	रानीवाड़ा	कोड़का
7.	सांचौर	चितलवाना

(विवरण की प्रति विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

जिला अजमेर में भू-संरक्षण कार्यों का भुगतान

313. श्री सांवरलाल (भिनाय) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या जिला अजमेर में भू-संरक्षण विभाग द्वारा करवाये गये कार्यों का भुगतान बकाया है ? यदि हां, तो कौन से कार्य का ?

(श्री सांवरलाल)

(2) उक्त कार्य कब प्रारम्भ किया गया तथा कब बन्द किया गया और कितनी-कितनी राशि का भुगतान बकाया है ?

(3) क्या भुगतान यूजर्स कमेटी के माध्यम से होता है ? यदि हां, तो भुगतान पर किस-किस के हस्ताक्षर होने आवश्यक हैं ?

(4) अब सरकार उक्त बकाया भुगतान कब तक करवाने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) प्रश्न नहीं उठता।

(3) जी हां। भुगतान यूजर्स कमेटी/वाटरशेड कमेटी के माध्यम से होता है।

(अ) राष्ट्रीय जलग्रहण क्षेत्र परियोजना के अन्तर्गत भुगतान हेतु समिति के पांच सदस्यों के हस्ताक्षर होना आवश्यक है, जो निम्नानुसार है:—

1. अध्यक्ष, यूजर्स समिति
2. यूजर्स समिति का कम से कम एक सदस्य
3. संबंधित कनिष्ठ अभियंता/सहायक कृषि अधिकारी
4. विभाग का संबंधित कृषि पर्यवेक्षक
5. पंचायत समिति सदस्य/सरपंच/वार्डपंच

(ब) विशिष्ट योजना/एकीकृत ग्रामीण विकास के अन्तर्गत भुगतान हेतु समिति के सात सदस्यों के हस्ताक्षर होना आवश्यक है, जो निम्नानुसार है :—

1. सचिव, जलग्रहण समिति
2. अध्यक्ष, जलग्रहण समिति
3. अध्यक्ष, जलग्रहण संस्था
4. कम से कम एक सदस्य जलग्रहण समिति
5. डब्ल्यू.डी.टी. का एक सदस्य
6. विभाग का संबंधित कृषि पर्यवेक्षक
7. पंचायत समिति सदस्य/सरपंच/वार्ड पंच

(4) भुगतान शेष नहीं है।

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, आसीन्द (भीलवाड़ा) में सुविधाओं में वृद्धि

314. श्री रामलाल गुर्जर (आसीन्द) : क्या चिकित्सा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला भीलवाड़ा में कितने कहां-कहां पर सैटेलाइट व सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र/रेफरल चिकित्सालय हैं ?

(2) क्या सरकार आसीन्द के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र को 50 शैय्याओं वाला रेफरल चिकित्सालय बनाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जिला भीलवाड़ा में एक सैटेलाइट चिकित्सालय एवं 14 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र/रेफरल चिकित्सालय/राजकीय चिकित्सालय/उच्चीकृत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र हैं। कुल 15 चिकित्सालय हैं। चिकित्सा संस्थानों के नामों की सूची परिशिष्ट "अ" पर उपलब्ध है।

(राज्य मंत्री, चिकित्सा)

(2) उच्चीकृत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, आसीन्द को 50 शैय्याओं में क्रमोन्नत किये जाने हेतु आगामी वित्तीय वर्षों में शैय्याओं में वृद्धि किये जाने के लिए समुचित वित्तीय प्रावधान उपलब्ध होने पर विचार किया जाना सम्भव हो सकेगा ।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-4 देखें)

अप्रशिक्षित दवा विक्रेताओं पर रोक

315. श्री सुरेन्द्र व्यास (मालपुरा) : क्या चिकित्सा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश में दवाई की दुकान चलाने हेतु फार्मेसी का डिप्लोमा धारक होना आवश्यक है ?

(2) क्या यह भी सही है कि अधिकांश दवाई की दुकानें प्रशिक्षित फार्मेसी डिप्लोमा धारक से किराये पर लेकर अप्रशिक्षित लोग चला रहे है ? यदि हां, तो सरकार उक्त विषय में क्या कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

(3) क्या यह भी सही है कि फार्मेसी डिप्लोमा भी राज्य में बिना प्रशिक्षण के दिये जा रहे हैं ? यदि हां, तो सरकार द्वारा उक्त विषय में क्या कार्यवाही की गई ?

उत्तर

(1) जी हां। प्रदेश में औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 एवं नियमावली 1945 के तहत खुदरा दवाई की दुकान चलाने हेतु राजस्थान फार्मेसी कोंसिल द्वारा रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होना आवश्यक है, जो फार्मेसी डिप्लोमाधारक भी हो सकता है।

(2) जी नहीं। खुदरा दवाई की दुकानें रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट द्वारा ही चलाई जाती है जिसकी सुनिश्चितता औषधि नियंत्रण संगठन के अधिकारियों द्वारा समय-समय पर दुकानों का निरीक्षण कर की जाती है।

(3) जी नहीं। राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण पत्र के पश्चात् फार्मेसी आफ इण्डिया व अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् से स्वीकृत संस्थाएं ही फार्मेसी में डिप्लोमा का प्रशिक्षण देती है। इन संस्थाओं से प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले छात्र-छात्राओं को संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित परीक्षा में उत्तीर्ण होने के पश्चात् ही डिप्लोमा प्रदान किया जाता है।

सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर का वाल्व खरीद प्रकरण

316. श्री रामप्रताप (हनुमानगढ़) : क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) "निः शुल्क चिकित्सा सुविधा कार्ड" धारक गरीब व्यक्तियों को 1 जनवरी, 2001 से 28 जनवरी, 2002 तक सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर में कौन-कौन से वाल्व कब-कब, किन-किन व्यक्तियों को लगाए गए ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त वाल्व कौन-कौनसी कम्पनी द्वारा निर्माण किए जाते हैं एवं कम्पनियों के एजेंट कौन-कौन हैं क्या उक्त एजेंटो में ऐसे भी लोग हैं जो सवाई मानसिंह चिकित्सालय में कार्यरत चिकित्सकों के करीबी रिश्तेदार

(श्री राम प्रताप)

हैं ? यदि हां, तो उक्त का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या उक्त वाल्व, उक्त मरीजों के आपरेशन व उपचार हेतु खरीदी गई ?

(4) उक्त कम्पनियों द्वारा निर्मित वाल्व व दवाइयों की कीमत क्या है ?

(5) क्या भविष्य में ऐसे महंगे उपकरण (वाल्व) व दवाइयां राज्य सरकार सीधे तौर पर अनुबंध करके निर्माता से सीधे खरीदने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) 1 जनवरी, 2001 से 28 जनवरी, 2002 तक निःशुल्क चिकित्सा सुविधा कार्ड धारक गरीब व्यक्तियों के कुल 134 कार्ड वाल्व लगाये गये जिनमें से 78 मरीजों के कार्वोमेडिक्स वाल्व तथा 56 मरीजों के मेड्रटोनिक हार्ट वाल्व लगाये गये। मरीजों का नाम, स्थान, वाल्व का नाम तथा आपरेशन तिथि की सूची संलग्न है।

(2) कार्वोमेडिक्स वाल्व, कार्कमेडिक इंकस कम्पनी द्वारा एस्ट्रेन, टेक्सास, यूनाइटेड स्टेट आफ अमेरिका में निर्मित किया जाता है, इसका भारतीय एजेंट मै. वेडमेड सोफ्ट केयर एण्ड ट्रेडिंग प्रा. लि. बी-29, कैलाश कालोनी, नई दिल्ली है। एजेंट का नाम डा. वैनू सहगल एवं डा. (श्रीमती) वर्षा सहगल है। मेड्रटोनिक हार्ट वाल्व के निर्माता मेड्रटोनिक इंक, 7000, सेन्ट्रल सेविन्यू एन.ई. मिनिया पोलिस, एम.एन. 55432-3576, यू.एस.ए. है। इनके एजेंट मै. मीडिया इलैक्ट्रोनिक सर्विसेज 101, 1 फ्लोर, शॉपिंग काम्पलैक्स, गुप्ता प्लाजा, प्लांट नं. 13, कालकाजी है। लोकल एजेंट का नाम सुधीर धर तथा संजय जोशी है। एस.एम.एस. अस्पताल में कार्यरत चिकित्सकों के रिश्तेदारों की सूचना विभाग में उपलब्ध नहीं है।

(3) उक्त वाल्व मरीजों के आपरेशन व उपचार हेतु ही खरीदे गये।

(4) कार्वोमेडिक वाल्व की कीमत बयालीस हजार 42,000/- (रु. तथा मेडट्रोनिक हजार की कीमत 40,000/-रु) चालीस हजार रुपये है।

(5) जी हां। राज्य सरकार द्वारा महंगे उपकरण जैसे हार्ट वाल्व, कार्डियक केविटर स्टेन्ट तथा आर्थोपेडिक प्लेट उपकरण इत्यादि व दवाइयां निमाताओं से सीधे खरीदने हेतु कार्यवाही जारी कर रखी है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट-5 देखें)

ब्यावर के चिकित्सालय में रिक्त पद

317. डा. के. सी. चौधरी (ब्यावर) : क्या चिकित्सा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

राजकीय अमृत कौर चिकित्सालय, ब्यावर में राजपत्रित/अराजपत्रित अधिकारी/कर्मचारियों के कुल कितने पद कब से रिक्त हैं ? उक्त पद कब तक भर दिये जायेंगे ?

उत्तर

राजकीय अमृतकौर चिकित्सालय, ब्यावर में स्टाफ के रिक्त पदों का विवरण रिक्त अवधि सहित परिशिष्ट-अ पर उपलब्ध है।

(राज्य मंत्री, चिकित्सा)

राजकीय अमृतकौर चिकित्सालय, ब्यावर में सीधी भर्ती वाले रिक्त पदों को भरने की समुचित स्वीकृति प्राप्त होने पर ही भरा जाना सम्भव हो सकेगा।

चिकित्सा अधिकारी के रिक्त पदों को राजस्थान लोक सेवा आयोग से चयनित अभ्यार्थी उपलब्ध होने पर ही भरा जाना सम्भव हो सकेगा।

राज्य सरकार कार्मिक (क-2) विभाग के परिपत्र क्रमांक प4 (2) कार्मिक/क-2/अप्र/91 दिनांक 10.1.2002 के द्वारा किसी भी पद के लिये विभागीय पदोन्नति समिति का आयोजन अग्रिम आदेशों तक स्थगित है। इसमें शिथिलता मिलने पर उक्त पदोन्नति वाले रिक्त पदों को विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक आयोजित होने के पश्चात् ही भरा जाना सम्भव हो सकेगा।

(विवरण के लिये कृपया परिशिष्ट-6 देखें)

राजकीय जवाहर लाल नेहरू अस्पताल, अजमेर में पेस मेकर सुविधा का पुनर्भरण

318. श्री कय्यूम खान (मसूदा) : क्या चिकित्सा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) वर्ष 2001-2002 में कितने राज्य कर्मचारियों के हृदय रोग संबंधित पेस मेकर लगाए गए हैं ?

(2) उक्त में कितने लोक सेवकों को हृदय रोग संबंधित पेस मेकर का पुनर्भरण किया गया ? राज्य में कितने लोक सेवकों के लगाए गए हृदय रोग से संबंधित पेस मेकर के पुनर्भरण की राशि बकाया है और अब सरकार कब भुगतान करने का विचार रखती है ?

(3) क्या राजकीय जवाहरलाल नेहरू अस्पताल, अजमेर के हृदय रोग विभाग में पेस मेकर लगाने की सुविधा उपलब्ध है ?

(4) उक्त अस्पताल में लोक सेवकों को हृदय रोग संबंधित पेस मेकर लगाने व पुनर्भरण की प्रक्रिया क्या है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) वर्ष 2001-2002 में सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर में 15, मेडिकल कालेज, बीकानेर में 4 तथा मेडिकल कालेज, उदयपुर में एक राज्य कर्मचारी को हृदय रोग से संबंधित पेस मेकर लगाये गये हैं।

(2) पेस मेकर का पुनर्भरण/भुगतान वित्त विभाग की पूर्व स्वीकृति प्राप्त कर संबंधित विभाग द्वारा किया जा सकता है, जहां राज्य कर्मचारी सेवारत होते हैं। निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अधीन कार्यरत दो राज्य कर्मचारियों को पेस मेकर का पुनर्भरण किया गया है। अन्य विभागों के कर्मचारियों के पुनर्भरण संबंधी रिकार्ड इस विभाग में नहीं रखा जाता है।

(3) राजकीय जवाहर लाल नेहरू अस्पताल, अजमेर में पेस मेकर लगाने की सुविधा उपलब्ध है।

(4) जवाहर लाल नेहरू अस्पताल में हृदय रोग संबंधित पेस मेकर लगाने एवं

(राज्य मंत्री, चिकित्सा)

पुनर्भरण की प्रक्रिया बड़ी है जो राज्य के अन्य अस्पतालों के लिए है। वित्त विभाग द्वारा कर्मचारी का आवेदन करने पर चिकित्सा परिचर्या नियमों में शिथिलीकरण देते हुए चिकित्सा अग्रिम स्वीकृत किया जाता है।

महाविद्यालय, प्रतापगढ़ के मुख्य भवन की मरम्मत

319. श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि महाविद्यालय, प्रतापगढ़ के मुख्य भवन की मरम्मत कार्यों का तखमीना प्राचार्य, महाविद्यालय, प्रतापगढ़ ने दिनांक 15-7-2000 द्वारा कार्यपालक इंजीनियर, लोक निर्माण विभाग, खण्ड प्रथम, चित्तौड़गढ़ ने दिनांक 17-7-2000 द्वारा राशि 668380/- मात्र का तैयार कर सरकार को प्रस्तुत कर दिया है ?

(2) क्या उक्त कार्य की स्वीकृति अपेक्षित है ?

(3) क्या सरकार वर्ष 2002-2003 में उक्त स्वीकृति प्रदान करने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) प्राचार्य, महाविद्यालय, प्रतापगढ़ के पत्र दिनांक 15.7.2000 के अनुसार कार्यपालक इंजिनियर, चित्तौड़गढ़ ने पत्र दिनांक 17-7-2000 द्वारा रुपये 6,68,389/- का तखमीना प्राचार्य को भेजा। इस तखमीने को प्राचार्य ने अग्रिम कार्यवाही के लिये निदेशक, कालेज शिक्षा, जयपुर को भेज दिया है।

(2) जी हां।

(3) जी नहीं। राज्य सरकार के समिति वित्तीय संसाधनों के कारण उच्च शिक्षा विभाग की वार्षिक योजना 2002-2003 में उक्त कार्य हेतु प्रावधान स्वीकृत नहीं है।

बौंली से लाखनपुर (सवाईमाधोपुर) सड़क निर्माण कार्य पर व्यय

320. डा किरोड़ी लाल (बामनवास) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जिला सवाई माधोपुर की तहसील बौंली के ग्राम लाखनपुर को बौंली से लाखनपुर घाटी होते हुये डब्ल्यू.बी.एम. सड़क से जोड़ दिया गया है ?

(2) बौंली से लाखनपुर के मध्य घाटी की कटाई एवं उसमें डब्ल्यू.बी.एम. सड़क के निर्माण हेतु कितनी राशि किस-किस मद से कब-कब व्यय की गई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां।

(2) बौंली से लाखनपुर के मध्य घाटी की कटाई एवं उसमें डब्ल्यू.बी.एम. सड़क के निर्माण में व्यय की गई राशि का मदवार विवरण प्रपत्र "अ" में संलग्न है।

(विवरण के लिये कृपया परिशिष्ट-7 देखें)

जिला धौलपुर की प्रस्तावित सड़कें

321. श्री शिवराम सिंह कुशवाह (धौलपुर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि विधायकों की अभिशंषा पर सरकार ने सड़कों की मरम्मत का कार्य करने की योजना बनाई है ? यदि हां, तो धौलपुर जिले में कुल कितनी लम्बाई की कौन-कौन सी सड़कों के प्रस्ताव सरकार के पास आये ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि सम्पूर्ण राज्य में उक्त सड़कों का निर्माण कार्य शुरू हो चुका है ? यदि हां, तो धौलपुर जिले का कार्य शुरू क्यों नहीं हुआ ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि उक्त सड़कों का निर्माण कार्य राजस्थान ब्रिज कारपोरेशन और कृषि मार्केटिंग बोर्ड को भी दिया गया है ? यदि हां, तो विधान सभा क्षेत्र धौलपुर की कौन-कौनसी सड़कें किस-किस विभाग को दी हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) उक्त विधान सभा क्षेत्र में उक्त सड़कों के निर्माण कार्य की क्या प्रगति है ? उक्त कार्य कब तक पूर्ण कर लिया जावेगा ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। धौलपुर जिले में सड़क उन्नयन कार्यक्रम के फेज प्रथम में कुल 228.50 कि.मी. लम्बाई के प्रस्ताव प्राप्त हुये हैं। सूची परिशिष्ट "अ" संलग्न है।

(2) जी हां। जिला धौलपुर में राज्य सरकार के निर्णय अनुसार सार्वजनिक निर्माण विभाग व कृषि विपणन बोर्ड द्वारा कार्य कराये जाने थे। सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा टेण्डर किये गये परन्तु संवेदकों द्वारा एक बार भाग नहीं लेने व दूसरी बार ऊंची रेटें आने के कारण टेण्डर निरस्त किये गये। तदउपरान्त दिनांक 16.2.2002 को सार्वजनिक निर्माण विभाग के कार्य आर.एस.आर.डी.सी. को आबंटित कर दिये कृषि विपणन बोर्ड के कार्य भी सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा कराये जाने के निर्णय के तहत इन कार्यों को भी राजस्थान पुल एवं सड़क निर्माण निगम को दिनांक 18.3.2002 को आबंटित कर दिये गये।

(3) जी हां। उपरोक्तानुसार। सूची परिशिष्ट "ब" में संलग्न है।

(4) उक्त विधान सभा क्षेत्र की सड़कों का कार्य उक्तानुसार शीघ्र प्रारम्भ करने की कार्यवाही की जा रही है। कार्यों को जून, 2002 तक पूर्ण कराया जाना प्रस्तावित है।

(सूची विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

ग्राम पीसांगन से रिछमालिया (अजमेर) सड़क का डामरीकरण

322. श्री रमजान खान (पुष्कर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या विधान सभा क्षेत्र पुष्कर के ग्राम पीसांगन से रिछमालिया तक सड़क मार्ग पर केवल 3 किलोमीटर तक सड़क का ही डामरीकरण किया गया है ?

(श्री रमजान खान)

(2) क्या सरकार अपूर्ण बची हुई उक्त सड़क का डामरीकरण करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र पुष्कर के ग्राम पीसांगन से रिछमालिया तक 5 कि.मी. सडक पर ही डामरीकरण का कार्य करवाया गया है।

(2) शेष बची हुई तीन कि.मी. सड़क का डामरीकरण राज्य सरकार के वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता एवं प्राथमिकताओं पर निर्भर करेगा।

भीलवाड़ा-ब्यावर सड़क की चौड़ाई में वृद्धि

323. श्री रामलाल गुर्जर (आसीन्द) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या सरकार भीलवाड़ा-ब्यावर सड़क की चौड़ाई बढ़ाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जी नहीं। वित्तीय संसाधन उपलब्ध न होने के कारण फिलहाल सम्भव नहीं।

राजकीय आवास गांधीनगर, जयपुर की मरम्मत पर व्यय

324. श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) सहायक अभियन्ता, गांधीनगर, जयपुर स्थित कार्यालय के अधीन कितनी चौकियां हैं तथा उनका कार्य किस प्रकार विभाजित है? उक्त में कितने कर्मी कब-कब से कार्यरत हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त कार्यालय के अधीन किस-किस श्रेणी के आवासों पर वर्ष 2000 से फरवरी, 2002 तक कितनी-कितनी राशि मरम्मत कार्यों पर व्यय की गई? श्रेणीवार आवास व्यय का विवरण मय मरम्मत कार्य/नवीन कार्य के आवास वार व्यय की राशि स्वीकृति एवं निर्माण की तिथि के विवरण सहित सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि वर्ष 2000-2001 में मरम्मत हेतु रखी गई राशि से अधिक राशि बिना स्वीकृति के व्यय कर दी गई तथा ठेकेदारों को निर्धारित राशि से अधिक राशि का भुगतान कर दिया गया?

(4) वर्ष 2001-2002 में मरम्मत के पेटे गांधीनगर स्थित आवासों में कितनी राशि अब तक किस-किस प्रकृति के कार्यों पर व्यय की जा चुकी है तथा उनकी स्वीकृति कब-कब प्राप्त हुई? श्रेणीवार आवास व्यय की सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) सहायक अभियंता, गांधीनगर, जयपुर कार्यालय के अन्तर्गत चार चौकियां है। उक्त चौकियों का कार्य निम्नप्रकार विभाजित है :—

अनुभाग प्रथम चौकी :—"ए" टाइप, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ एवं पंचम श्रेणी

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

के कुल 327 आवासों का संधारण एवं मरम्मत का कार्य।

अनुभाग द्वितीय चौकी :— प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचमं एवं षष्ठम श्रेणी के कुल 940 आवासों का संधारण एवं मरम्मत का कार्य।

अनुभाग तृतीय चौकी :— प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ एवं पंचम श्रेणी के कुल 288 आवासों का संधारण एवं मरम्मत का कार्य।

विद्युत अनुभाग चौकी : इसके अधीन सभी समस्त 1555 आवासों के विद्युत संबंधित रख-रखाव का कार्य। उक्त चौकियों में कुल 93 कर्मी कार्यरत है। सूची परिशिष्ट-"अ-I" से "अ-4" पर संलग्न है।

(2) गांधीनगर स्थित विभिन्न विभागों के आवासीय भवनों पर वर्ष 2000-2001 एवं 2001-2002 फरवरी तक श्रेणीवार व्यय की गई राशि का विवरण परिशिष्ट "ब" में संलग्न है। उक्त अवधि में नवीन कार्यों की आवासवार स्वीकृत राशि, व्यय राशि माह फरवरी, 2002 तक व निर्माण की तिथि परिशिष्ट "स" में संलग्न है।

(3) जी नहीं।

(4) वर्ष 2001-2002 में मरम्मत एवं रख-रखाव के पेटे गांधीनगर स्थित विभिन्न आवासों में व्यय राशि से विभिन्न श्रेणियों के आवासों में सिविल मरम्मत कार्य, सेनेटरी मरम्मत कार्य, विद्युत मरम्मत कार्य, रंग सफेदी के कार्य, लोहे तथा लकड़ी के दरवाजों एवं खिड़की की मरम्मत इत्यादि के कार्य पर रु. 107.27 लाख व्यय किया गया। मरम्मत कार्यों के लिये खण्ड को सम्मिलित स्वीकृति क्रमांक एफ. 65 (जनरल-28)/अनु-11/2001-2002 दिनांक 30.4.2001, 11.5.2001, एफ. 56 (जनरल-99)/अनु-11/2001-2002 दिनांक 29.6.2001 एफ.65 (जनरल-28)/अनु.-11/2001-2002 दिनांक 26.2.2002 से प्राप्त हुई। श्रेणीवार आवास व्यय की सूचना परिशिष्ट "ब" पर संलग्न है।

(सूची विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

विधान सभा क्षेत्र बनेड़ा के सड़क विहीन ग्राम

325. श्री रामलाल जाट (बनेड़ा) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विधान सभा क्षेत्र बनेड़ा में पंचायत समितिवार कुल कितने ग्राम सड़कों से जुड़े हुये हैं तथा इसमें पंचायत समितिवार कितने किलोमीटर सड़क उपलब्ध है?

(2) उक्त क्षेत्र में पंचायत समितिवार कितने प्रतिशत ग्रामीण जनसंख्या को सड़क परिवहन सुविधा उपलब्ध है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) वर्तमान में राज्य में पंचायत समितिवार सड़कों से जुडे कुल ग्रामों की संख्या व पंचायत समितिवार सड़कों की लम्बाई विवरण परिशिष्ट "अ" पर उपलब्ध है।

(2) वर्तमान में राज्य में पंचायत समितिवार ग्रामीण जनसंख्या को सड़क

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

परिवहन सुविधा का प्रतिशत परिशिष्ट "ब" पर उपलब्ध है।

(विवरण की प्रति विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

विधान सभा क्षेत्र खारची की क्षतिग्रस्त सड़कें

326. श्री केसाराम चौधरी (खारची) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विधान सभा क्षेत्र खारची में वर्ष 2001-2002 के लिए राजस्थान सड़क सुदृढ़ीकरण योजनान्तर्गत कितनी सड़कें कितनी-कितनी राशि की कब स्वीकृत हुई हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त योजना के तहत स्वीकृत सड़कों का कार्य कब तक करवा दिया जाएगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या उक्त स्वीकृत सड़कों में से कई सड़कों में त्रुटियां रही जिन्हें दुरुस्त करने हेतु लिखा भी गया? अब त्रुटियों का निराकरण कब तक कर दिया जाएगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र खारची में वर्ष 2001-2002 के लिये सड़क सुदृढ़ीकरण योजना के अन्तर्गत 23 सड़कें लम्बाई 60 कि.मी. लागत 150 लाख की स्वीकृत की गई। सूची संलग्न है।

(2) उक्त योजना के स्वीकृत सड़कों का कार्य जून, 2002 तक पूर्ण कराया जाना प्रस्तावित है।

(3) उक्त सड़कों में से 3 सड़कों के नाम में त्रुटि के कारण सत्यापन पश्चात् दिनांक 26.2.2002 को स्वीकृति जारी की गई है। अतः त्रुटियों का निराकरण कर दिया गया है, उक्त सड़कें सूची में सम्मिलित है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट-8 देखें)

विधान सभा क्षेत्र हिण्डौली के सड़कों हेतु स्वीकृत राशि

327. श्री नाथूलाल गुर्जर (हिण्डौली) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) सड़कों की नियमित मरम्मत, पेच वर्क, डामरीकरण आदि कार्य कराने के क्या मानदण्ड हैं? मानदण्डों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) वर्ष 1999 से फरवरी, 2002 तक राज्य में नवीन सड़क निर्माण/सड़कों की मरम्मत एवं रख-रखाव पर कितनी राशि स्वीकृत की है? संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) विधान सभा क्षेत्र हिण्डौली में उक्त योजनाओं के तहत कौन-कौन से कार्य कितनी-कितनी राशि के कब से चालू/प्रस्तावित हैं? योजनावार सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) वित्तीय संसाधन उपलब्ध होने पर राष्ट्रीय उच्च मार्ग का डामरीकरण 3 से 5 वर्ष

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

में, राज्य मार्ग का डामरीकरण 6 से 8 वर्ष में एवं जिला एवं ग्रामीण सड़कों का डामरीकरण 10 से 12 वर्ष में कराया जाता है। नियमित मरम्मत व पेच मरम्मत का कार्य आवश्यकतानुसार कराया जाता है। मानदण्डों की प्रति प्रपत्र "अ" में संलग्न है।

(2) विवरण प्रपत्र "ब" में संलग्न है।

(3) विधान सभा क्षेत्र हिण्डौली में विभिन्न योजनाओं में चालू/प्रस्तावित कार्यों का योजनावार विवरण प्रपत्र "स" में संलग्न है।

(विवरण के लिये कृपया परिशिष्ट-9 देखें)

शिक्षा उप निदेशक, जयपुर द्वारा अनियमित पदोन्नति

328. श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) मंत्रालयिक कर्मचारियों की स्वेच्छा पर जिला/मण्डल परिवर्तन हेतु वरिष्ठता का निर्धारण करने हेतु राज्य अधीनस्थ कार्यालय मंत्रालयिक सेवा नियम के नोटिफिकेशन दिनांक 31-8-1982 से क्या निर्देश दिये हैं? निर्देशों की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या शिक्षा उप निदेशक (माध्यमिक), जयपुर में क्रमांक एक में अंकित नोटिफिकेशन दिनांक 31-8-1982 की अवहेलना करते हुये बीकानेर मण्डल वर्तमान चूरू मण्डल से जयपुर मण्डल में स्वेच्छा पर स्थानान्तरण पर आये श्री नन्दकिशोर रंगा की वरिष्ठता का निर्धारण करके वरिष्ठ लिपिक के पद पर पदोन्नति दी गई? यदि हां, तो विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या श्री रंगा की गलत पदोन्नति दिये जाने पर वरिष्ठता के निर्धारण हेतु शिक्षा उप निदेशक (मा.), चूरू एवं जयपुर में क्रमशः 23-5-1998 एवं 17-7-1998 को पत्र व्यवहार हुआ है? यदि हां, तो उक्त पर क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या श्री रंगा, कार्यालय सहायक, शिक्षा उप निदेशक (मा.), जयपुर को पदोन्नति दिये जाने के संबंध में जांच विचाराधीन है? यदि हां, तो जांच प्रतिवेदन की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या निदेशक माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर ने शिक्षा उप निदेशक (मा.), जयपुर को मंत्रालयिक कर्मचारियों की वरिष्ठता निर्धारण के संबंध में पत्र दिनांक 19-11-01 से सूचना चाही है? यदि हां, तो शिक्षा उप निदेशक (मा.), जयपुर ने क्या सूचना भेजी और उक्त पर क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(6) क्या श्री रंगा को वरिष्ठ लिपिक से कार्यालय सहायक के पद पर पदोन्नति भी गलत दी गई? उक्त पद पर की गई पदोन्नति और शिक्षा उप निदेशक (मा.), जयपुर के कार्यालय में किये गये पदस्थापन के संबंध में विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) नोटिफिकेशन दिनांक 31-8-1982 के द्वारा जिला/मण्डल स्तर पर नियुक्त

(शिक्षा मंत्री)

क. लि. की वरिष्ठता जिला/मण्डल स्तर पर निर्धारित किये जाने के निर्देश दिये गये हैं। नोटिफिकेशन दिनांक 31-8-1982 परिशिष्ट "क" के रूप में सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(2) जी नहीं। श्री नन्दकिशोर रंगा क. लि., की वरिष्ठता का निर्धारण करके उन्हें दिनांक 15-10-1979 को आवश्यक/अस्थाई पदोन्नति दी गई एवं वर्ष 1980-81 की डी.पी.सी. में चयन किया गया, अर्थात् सभी कार्यवाही नोटिफिकेशन दिनांक 31-8-1982 से पूर्व की है।

(3) जी नहीं।

(4) जी नहीं।

(5) जी हां। जन अभियोग निराकरण विभाग, जयपुर के द्वारा मंत्रालयिक कर्मचारियों के वरिष्ठता के निर्धारण के सम्बन्ध में जानकारी चाहे जाने पर निदेशालय, बीकानेर ने अपने पत्र दिनांक 19-11-01 के द्वारा उप निदेशक (मा.), जयपुर को मंत्रालयिक कर्मचारियों की वरिष्ठता के निर्धारण के सम्बन्ध में सूचना भिजवाने हेतु लिखा गया था। उप निदेशक (मा.), जयपुर ने अपने पत्र दिनांक 4-12-2001 के द्वारा वांछित सूचना भिजवाई गई, जिसके आधार पर जन अभियोग निराकरण विभाग, जयपुर को वांछित सूचना निदेशालय, बीकानेर के पत्र दिनांक 27-12-01 के द्वारा प्रेषित की जा चुकी है।

(6) जी नहीं। श्री रंगा को कार्यालय सहायक के पद पर पदोन्नति वरिष्ठता के आधार पर दी गई तथा पदोन्नति पदस्थापित किया गया है।

(नोटिफिकेशन प्रति के लिये कृपया परिशिष्ट-10 देखें)

जयपुर शहर में प्राथमिक विद्यालयों के अध्यापकों की अनिवार्य सेवामुक्ति

329 श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) जयपुर शहर में प्राथमिक विद्यालय में कार्यरत कितने अध्यापकों को वर्ष 2001 में अनिवार्य सेवामुक्त किया गया? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त को सेवामुक्त किये जाने से पूर्व सुनवाई का अवसर दिया गया? यदि नहीं, तो क्यों? क्या उक्त के विरुद्ध शिकायतें भी प्राप्त हुई हैं? यदि हां, तो क्या? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जयपुर शहर में प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत निम्न दो अध्यापकों को वर्ष 2001 में अनिवार्य सेवामुक्त किया गया :—

1- श्रीमती चन्द्रभागा पारीक

2- श्री ओमप्रकाश दीक्षित

(2) जी नहीं। श्रीमती चन्द्रभागा पारीक पूर्व अध्यापिका को 476 दिन बिना पूर्व सूचना के अनुपस्थित रहने, सीसीए-16 नियम में दण्डित होने एवं राजकीय सेवा में रहते हुए अन्यत्र कार्य करने के कारण अनिवार्य सेवानिवृत किया गया।

(शिक्षा मंत्री)

श्री ओमप्रकाश दीक्षित पूर्व अध्यापक को सीबीआई की रिपोर्ट के आधार पर अनिवार्य सेवानिवृत्त किया गया।

विधान सभा क्षेत्र दानपुर के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों में रिक्त पद

330. श्री भाणजी (दानपुर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विधान सभा क्षेत्र दानपुर में कितने राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय हैं? उक्त में किस-किस विषय के व्याख्याता हैं और व्याख्याता के कितने पद स्वीकृत हैं और किस-किस विषय के पद रिक्त हैं?

(2) क्या सरकार रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त विधान सभा क्षेत्र के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के कितने पद स्वीकृत हैं? उक्त में से कितने कार्यरत हैं और रिक्त पद कितने हैं?

(4) क्या सरकार रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र दानपुर में कुल 10 राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय संचालित हैं। इनमें कुल 77 व्याख्याताओं के पद स्वीकृत हैं एवं 20 पद वर्तमान में रिक्त हैं। विषयानुसार स्वीकृत एवं रिक्त पदों का विवरण परिशिष्ट "क" में सदन की पटल पर रख दिया गया है।

(2) जी हां। व्याख्याता (स्कूल शिक्षा) के सीधी भर्ती के रिक्त पदों को भरने हेतु विभिन्न विषयों हेतु अर्थनाएं राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर को भिजवाई जा चुकी है, आयोग द्वारा चयनित आशार्थी उपलब्ध करवाये जाने एवं पदोन्नति पर लगाई गई रोक हटाये जाने पर ही रिक्त पदों को भरा जाना सम्भव हो सकेगा।

(3) विधान सभा क्षेत्र दानपुर की राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के 40 पद वर्तमान में स्वीकृत हैं। इनमें से कोई भी पद वर्तमान समय में रिक्त नहीं है।

(4) जी नहीं। क्योंकि विधान सभा क्षेत्र दानपुर के उच्च माध्यमिक विद्यालयों में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का कोई भी पद रिक्त नहीं है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-11 देखें)

स्कूली व्याख्याताओं की एस.डी.आई. पद पर प्रतिनियुक्ति

331. श्री हरिश चन्द कुमावत (नावां) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य में कौन-कौन स्कूली व्याख्याता पंचायती राज के एस. डी. आई. पद पर किस-किस आदेश से कार्यरत हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री हरीश चन्द कुमावत)

(2) उक्त प्रतिनियुक्त व्याख्याता (स्कूली) तदर्थ/विभागीय पदोन्नति समिति अथवा राजस्थान लोक सेवा आयोग से चयनित आदि में से किस प्रकार के हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या 5 वर्ष बाद प्रतिनियुक्ति समाप्त करने का कोई नियम है?

(4) उक्त में से किस-किस स्कूली व्याख्याता की 5 वर्ष की अवधि पूर्ण हो गई? क्या नियमों के अनुसार सरकार इनकी प्रतिनियुक्ति/तदर्थ नियुक्ति समाप्त करने का विचार रखती है? यदि हां, तो प्रतिनियुक्ति कब तक समाप्त की जायेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

(5) क्या व्याख्याताओं का मूल कार्य अध्यापन से संबंधित ही होता है? यदि हां, तो क्रमांक 1 में वर्णित स्थिति क्यों है?

उत्तर

(1) राज्य में स्कूली व्याख्याता पंचायती राज के एस. डी. आई. पद पर किस-किस आदेश से कार्यरत हैं, का विवरण परिशिष्ट "क" संलग्न है।

(2) प्रारम्भिक शिक्षा विभाग में एस. डी. आई. के पदों पर कार्यरत व्याख्याताओं को प्रतिनियुक्ति पर पद स्थापित नहीं किया है। बल्कि प्रशासनिक व्यवस्था के अन्तर्गत लगाये गये हैं। पंचायती राज में एस. डी. आई. पद पर व्याख्याता (स्कूली) तदर्थ/डी.पी.सी. अथवा राजस्थान लोक सेवा आयोग से चयनित आदि का विवरण परिशिष्ट "क" सदन की मेज पर रख दिया है।

(3) जी हां।

(4) उक्त में से किसी भी व्याख्याता को एस. डी. आई. के पद के विरुद्ध कार्य करते हुए 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं हुई है। प्रारम्भिक शिक्षा विभाग में एस. डी. आई. के पदों पर कार्यरत व्याख्याताओं को प्रतिनियुक्ति पर पदस्थापित नहीं किया है, बल्कि प्रशासनिक व्यवस्था के अन्तर्गत लगाये गये हैं जो प्रशासनिक व्यवस्था के लिए आवश्यक है। अतः इन व्याख्याताओं को एस. डी. आई. उपलब्ध होने तक हटाया नहीं जा सकता है।

(5) जी हां। एस. डी. आई. उपलब्ध होने पर व्याख्याताओं को हटाया जा सकेगा क्योंकि प्रशासनिक व्यवस्था हेतु इन्हें लगाया गया है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-12 देखें)

जिला शिक्षा अधिकारी अलवर में लम्बित स्थानान्तरण प्रकरण

332. श्री जगमाल सिंह यादव (तिजारा) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला शिक्षा अधिकारी (प्रथम), अलवर के यहां रिक्त पदों के विरुद्ध चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों एवं प्रयोगशाला सेवकों के स्थानान्तरण सम्बन्धित कितने प्रार्थना पत्र कब-कब से लम्बित हैं?

(2) अब सरकार उक्त लम्बित स्थानान्तरण प्रार्थना पत्रों का कब तक निपटारा करने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जिला शिक्षा अधिकारी (मा), प्रथम अलवर के यहां रिक्त पदों के विरुद्ध चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों एवं प्रयोगशाला सेवकों के स्थानान्तरण सम्बन्धित कोई प्रार्थना पत्र लम्बित नहीं है।

(2) जी नहीं। बिन्दु संख्या-एक के अनुसार है।

राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, बहरोड़ जाट (अलवर) में छात्रों की परीक्षा शुल्क रसीदों में अनियमितताएं

333. **श्री जगमाल सिंह यादव** (तिजारा) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जिला शिक्षा अधिकारी, अलवर व निदेशक, शिक्षा विभाग, बीकानेर को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, बहरोड़ जाट (अलवर) में स्वयंपाठी छात्रों की परीक्षा शुल्क रसीदों में छात्रों की कक्षाएं, वल्दीयत आदि सही अंकित न करने, परीक्षा शुल्क राजकोष में जमा नहीं कराने व परीक्षा सम्बन्धित प्रविष्ठियां पंजिका में दर्ज नहीं करने तथा वर्ष 1993-94 के स्वयंपाठी छात्रों से सम्बन्धित अन्य रिकार्ड, दस्तावेज विद्यालय से गायब कर देने से सम्बन्धित गम्भीर अनियमितताओं की शिकायतें विभाग को प्राप्त हुई हैं? यदि हां, तो प्राप्त शिकायतों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या जांच अधिकारी ने वर्ष 1993-94 के शिकायतकर्ता स्वयंपाठी छात्र व अन्य स्वयंपाठी छात्रों की प्रविष्ठियां सही करने व व्यक्तिगत सुनवाई हेतु कोई सूचना विज्ञप्ति जारी करवाई? यदि हां, तो विज्ञप्ति की प्रति सदन की मेज पर रखें और नहीं, तो क्यों? परीक्षा शुल्क रसीदों की विद्यालय से बरामद कार्यालय प्रति व छात्रों की मूल प्रति में अन्तर होने पर प्रविष्ठियां दुरुस्त करने का जांच अधिकारी द्वारा अन्य क्या मानदण्ड रखा गया है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त सम्बन्ध में सरकार ने अब तक क्या कार्यवाही की है? जांच अधिकारी द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन/जांच के दौरान अधिकारी, कर्मचारियों व छात्रों के लिए गये बयानों की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि उक्त सम्बन्ध में विभाग द्वारा दुबारा जांच कराई जा रही है? यदि हां, तो क्यों? उक्त प्रकरण में कर्मचारियों को दिये गये आरोप पत्रों की प्रति उक्त द्वारा प्रस्तुत जवाब की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) सरकार छात्र हित में भविष्य में ऐसी पुनरावृत्ति नहीं हो इस हेतु क्या कोई उपाय करने का विचार रखती है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। शिकायत की प्रति श्रम, समय एवं व्यय साध्य होने के कारण सदन के पटल पर रखा जाना सम्भव नहीं है।

(2) जी नहीं। प्राप्त शिकायत की प्रारम्भिक जांच हेतु जांच अधिकारी नियुक्त किया गया था। जांच अधिकारी द्वारा अभिलेखों के आधार पर जांच करने हेतु

(शिक्षा मंत्री)

अधिकृत थे। जांच अधिकारी ने प्रथम दृष्ट्या में दोषी पाये गये अधिकारियों को सी. सी. ए.-16 के तहत आरोप पत्र दिये गये।

(3) जांच में दोषी पाये गये अधिकारियों/कर्मचारियों को सी. सी. ए.-16 के तहत आरोप पत्र एवं आरोप विवरण पत्र जारी किये जा चुके हैं। जांच प्रतिवेदन एवं बयानों की प्रतियां श्रम, समय एवं व्यय साध्य होने के कारण सदन के पटल पर रखा जाना सम्भव नहीं है।

(4) प्रारम्भिक जांच में दोषी पाये जाने पर दोषियों के विरुद्ध विभागीय जांच का प्रावधान होने से विभागीय जांच प्रारम्भ की गई है। आरोप पत्रों, आरोप विवरण पत्रों एवं बयानों की प्रतियां अत्यधिक होने के फलस्वरूप श्रम, समय एवं व्यय सक्रिय होने के कारण सदन के पटल पर रखा जाना सम्भव नहीं है।

(5) विभाग द्वारा समय-समय पर शिक्षा अधिकारियों की बैठक/प्रधानाध्यापक वाकपीठों में प्रकरण में गहन विचार-विमर्श किया जाकर आवश्यक निर्देश बैठकों में प्रदान किये जाते रहते हैं, जिसके परिणामस्वरूप इस प्रकार की घटनाओं पर अंकुश लगा है।

राज्य में भौतिक शास्त्र स्कूल व्याख्याताओं के रिक्त पद

334. श्री वृद्धिचन्द जैन (बाड़मेर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य में भौतिक शास्त्र स्कूल व्याख्याता के कितने पद रिक्त हैं ?

(2) गत तीन वर्षों से राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन व विभागीय पदोन्नति समिति से कितने रिक्त पद भरे गये हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) द्वितीय श्रेणी के भौतिक शास्त्र पात्र वरिष्ठ अध्यापकों को किस वर्ष तक व किस वरिष्ठता क्रमांक तक पदोन्नति दी गई एवं अभी तक की भौतिक विज्ञान की पात्रता सूची की क्या स्थिति है ?

उत्तर

(1) राज्य में भौतिक शास्त्र व्याख्याता (स्कूल शिक्षा) के कुल 47 पद रिक्त हैं।

(2) गत वर्षों में विभाग द्वारा समानीकरण के तहत भौतिक शास्त्र आदि विषय छात्र संख्या न्यूनतम होने के कारण अनार्थिक घोषित किये जाने के परिणामस्वरूप गत तीन वर्षों में राजस्थान लोक सेवा आयोग एवं विभागीय पदोन्नति समिति के माध्यम से पद नहीं भरे गये हैं तथा वर्तमान में पदोन्नति पर राज्य सरकार द्वारा रोक लगाई हुई है।

(3) द्वितीय श्रेणी के भौतिक शास्त्र पात्र वरिष्ठ अध्यापकों को महिला वर्ग के वरिष्ठता क्रमांक 453(ए) (1986-88) और पुरुष वर्ग में वरिष्ठता क्रमांक 3628 (1988-90) को क्रमशः वर्ष 1991-92 और वर्ष 1996-97 में पदोन्नतियां दी जा चुकी हैं। आगामी सत्र की पात्रता सूची निर्माणाधीन है।

अतारांकित प्रश्न संख्या-335

(स्थगित)

विधान सभा क्षेत्र सहाड़ा के विद्यालयों की क्रमोन्नति

336. **श्री रतन लाल जाट** (सहाड़ा) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) माध्यमिक विद्यालयों को उच्च माध्यमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत करने के क्या मानदण्ड हैं ?

(2) विधान सभा क्षेत्र सहाड़ा के माध्यमिक विद्यालय, नाहरी तथा मोखुन्दा को मानदण्डों के तहत कब तक क्रमोन्नत कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) सीमित वित्तीय साधनों में क्षेत्र की मांग, गांव की जनसंख्या, अन्तिम कक्षा की छात्र संख्या, फीडर विद्यालय की दूरी, जन प्रतिनिधियों की मांग एवं गुणावगुण के आधार पर विद्यालय क्रमोन्नत किये जाते हैं।

(2) विद्यालय क्रमोन्नति हेतु बजट प्रावधान उपलब्ध होने तथा विधान सभा क्षेत्र सहाड़ा के माध्यमिक विद्यालय, नाहरी तथा मोखुन्दा के मानदण्डों की पूर्ति करने पर राज्य के अन्य प्रस्तावो के साथ गुणावगुण के आधार पर क्रमोन्नति पर विचार किया जा सकेगा।

विद्युत सुधार हेतु विश्व बैंक से प्राप्त ऋण

337. **श्री हरजीराम बुरड़क** (लाडनूं) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या राज्य में विद्युत सुधार के लिए विश्व बैंक ने ऋण स्वीकृत किया है ? यदि हां, तो कब, कितनी राशि किन-किन शर्तों पर ? विश्व बैंक के साथ किये गये अनुबन्ध की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या विश्व बैंक ने जो ऋण स्वीकृत किया है उसमें ऋण प्राप्त भी हुआ है ? यदि हां, तो कितना-कितना, कब-कब, किस-किस कार्य के लिए तथा शेष ऋण कब तक प्राप्त हो जायेगा।

उत्तर

(1) जी हां। राज्य में राजस्थान विद्युत क्षेत्र पुनर्संचना परियोजना के लिए 18 करोड़ डालर का ऋण दिनांक 18 जनवरी, 2001 को विश्व बैंक द्वारा स्वीकृत किया गया है। इसके लिए विश्व बैंक, भारत सरकार, राज्य सरकार एवं कम्पनियों के बीच दिनांक 27-02-2001 को अनुबंधों पर हस्ताक्षर किये गये थे। अनुबंधों की प्रति मय ऋण शर्तों के परिशिष्ट "क-1 से क-3" पर सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) विश्व बैंक द्वारा स्वीकृत 18 करोड़ ऋण की अग्रिम राशि 1.5 करोड़ डालर दिनांक 31-03-2001 को राज्य सरकार को प्राप्त हो गई है। इस ऋण की राशि का उपयोग मुख्य रूप से विद्युत के पारेषण एवं वितरण में होने वाली छीजत को कम करने के लिए किया जा रहा है। जिसमें एल. टी. लैस प्रणाली का विस्तार पारेषण एवं वितरण तंत्र का सुदृढ़ीकरण, प्रभावी मीटरिंग, कैपेसिटर लगाना आदि सम्मिलित है। किये गये खर्चों का दावा करने पर स्वीकृत ऋण राशि में से विश्व बैंक द्वारा पुनर्भरण कर दिया जायेगा।

(ऊर्जा मंत्री)

परियोजना की लागत तथा श्रेणीवार किये जाने वाले खर्च एवं समयावधि की विस्तृत जानकारी परिशिष्ट "ख" पर संलग्न है।

(अनुबन्ध की प्रति विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

विद्युत दरों में वृद्धि से प्राप्त राजस्व

338. श्री अमराराम (धोद) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य सरकार द्वारा गत वर्ष बिजली की दरें बढ़ाने के बाद अब तक कितना राजस्व प्राप्त हुआ ?

(2) गत एक वर्ष में कितने घरेलू उपभोक्ताओं को नये कनेक्शन दिये गये और कितने कृषि कुओं पर कनेक्शन दिये हैं ?

(3) क्या यह सही है कि बिजली की दरें बढ़ाने के बाद कारखानों, कुओं तथा घरेलू उपभोक्ताओं के कनेक्शन काटे गये हैं ?

उत्तर

(1) गत वर्ष 1 अप्रैल, 2001 से विद्युत दरें बढ़ाने पर 1 अप्रैल, 2001 से फरवरी, 2002 तक जोधपुर, अजमेर एवं जयपुर विद्युत वितरण निगम को क्रमशः 1137.37, 1579.23 एवं 1576.46 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ।

(2) गत वर्ष 1 अप्रैल, 2001 से फरवरी, 2002 तक अजमेर, जोधपुर व जयपुर विद्युत वितरण निगमों द्वारा दिये गये घरेलू व कृषि कनेक्शनों का विवरण निम्नप्रकार है :—

वितरण निगम का नाम	दिये गये कनेक्शन	
	घरेलू	कृषि
अजमेर	43813	4910
जयपुर	47036	5569
जोधपुर	38237	4572
योग	129086	15051

(3) विद्युत बिलों की राशि जमा नहीं करवाने वाले उपभोक्ताओं के कनेक्शन काट कर उनसे बकाया राशि की वसूली करने का प्रावधान नियमों में पहले से ही है, नियमों के अनुसार पूर्व में भी कार्यवाही की जाती रही है तथा वर्तमान में भी कनेक्शन काटने की कार्यवाही की जा रही है, यह एक निरन्तर जारी रहने वाली प्रक्रिया है।

विद्युत वितरण निगमों की स्थापना के बाद विद्युत छीजत का प्रतिशत

339. श्री शिवनाथ सिंह (गुढ़ा) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) अजमेर, जयपुर तथा जोधपुर विद्युत वितरण निगमों में इनके स्थापनाकाल से फरवरी, 2002 के अन्त तक छीजत का प्रतिशत क्या रहा है ?

(2) उक्त निगमों की स्थापना से पूर्व के एक वर्ष की अवधि में राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल के समय में उक्त छीजत का प्रतिशत क्या था ?

(3) उक्त अवधि में विद्युत मण्डल का घाटा कितना था तथा संबंधित अवधि (2001-2002) में तीनों निगमों का घाटा कितना-कितना रहा ?

(ऊर्जा मंत्री)

(4) उक्त अवधि में मण्डल का प्रशासनिक व्यय कितना था तथा उक्त तीनों निगमों का प्रशासनिक व्यय कितना रहा ?

उत्तर

(1) अजमेर, जयपुर व जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के स्थापनाकाल जुलाई, 2000 से मार्च, 2001 तक व वर्ष 2001-02 में फरवरी 2002 तक औसत छीजत प्रतिशत का विवरण निम्नप्रकार है:—

क्र. सं.	विद्युत वितरण निगम का नाम	औसत छीजत प्रतिशत	
		वर्ष 2000-01	वर्ष 2001-02
1	अजमेर	34.74	29.61
2	जयपुर	38.79	37.35
3	जोधपुर	37.36	36.92

(2) उक्त निगमों की स्थापना से पूर्व एक वर्ष की अवधि में राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल के समय (वर्ष 1999-2000) में राज्य के भीतर 29.34 प्रतिशत छीजत (प्रसारण एवं वितरण) की गणना की गई थी। निगमों की स्थापना से पूर्व राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल में छीजत निर्धारण करने के लिए कृषि के फ्लैट रेट उपभोक्ताओं की विद्युत खपत का आकलन विद्युत उपलब्ध करवाये गये घंटों के आधार पर किया जाता था जबकि वर्तमान में उक्त विद्युत खपत का आकलन इन उपभोक्ताओं से प्राप्त राजस्व को यूनिटों में बदल कर किया जाता है।

(3) वर्ष 1999-2000 में राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल का घाटा 1678.05 करोड़ रुपये था। वर्ष 2001-02 में अजमेर, जोधपुर एवं जयपुर विद्युत वितरण निगमों को क्रमशः 345.89, 393.94 व 305.47 करोड़ रुपये घाटा होने का अनुमान है।

(4) वर्ष 1999-2000 में राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल का प्रशासनिक व्यय 680.75 करोड़ रुपये था। वर्ष 2001-02 में जोधपुर, अजमेर व जयपुर विद्युत वितरण निगम का प्रशासनिक व्यय क्रमशः 119.86, 171.08 एवं 199.78 करोड़ रुपये होने का अनुमान है।

स्थानान्तरित उद्योग की बकाया विद्युत राशि की वसूली

340. श्री हरचन्द सिंह सिद्धू (पीलीबंगा) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या एक स्थान से किसी उपभोक्ता ने किराये पर लेकर उस पर किसी उद्योग के लिए विद्युत कनेक्शन लिया है? उक्त उपभोक्ता कुछ अर्सा बाद उक्त उद्योग कनेक्शन किसी दूसरे उपभोक्ता को स्थानान्तरित अपने स्तर पर कर दिया और विभाग उससे शुल्क वसूलता रहा परन्तु कुछ बकाया छोड़कर उपभोक्ता उद्योग बन्द कर गया तो उस बकाया की वसूली विभाग किस व्यक्ति से वसूलेगा और वसूलने का तरीका क्या होगा ?

(2) क्या सरकार उक्त प्लाट के मालिक से भी बकाया वसूली कर सकता है? यदि हां, तो आधार क्या होगा ?

उत्तर

(1) जब तक कोई भी विद्युत कनेक्शन विद्युत निगम के रिकार्ड में सभी औपचारिकताएं पूरी करके स्थानान्तरित नहीं हो जाता तब तक जिस उपभोक्ता ने कनेक्शन लिया था, उसी से बकाया राशि वसूल की जाती है। बकाया रहने पर विद्युत कनेक्शन काट दिया जाता है बकाया राशि के लिए ई. यू. डी. आर. एक्ट के अन्तर्गत उपभोक्ता (अर्थात जिसके नाम से कनेक्शन था) की चल व अचल सम्पत्तियों को कुर्क कर वसूली की कार्यवाही की जाती है। ऐसे मामलों में विद्युत निगम के अधिशासी अभियन्ता को राज्य सरकार द्वारा वसूली करने के लिये अधिकृत किया हुआ है।

(2) यदि कोई व्यक्ति किरायेदार की हैसियत से विद्युत कनेक्शन लेता है तो उससे अमानत राशि सामान्य अमानत राशि से दो/तीन गुणा वसूल की जाती है। यदि उक्त व्यक्ति अपने मकान/प्लाट मालिक की लिखित सहमति प्रस्तुत करता है एवं कुछ बकाया राशि रहती है तो उस राशि की वसूली प्लाट मालिक से भी की जा सकती है। इस स्थिति में उपभोक्ता को सामान्य अमानत राशि की दो गुणा अमानत राशि जमा करानी होती है। मकान मालिक की लिखित सहमति के अभाव में उपभोक्ता को सामान्य से तीन गुणा अमानत राशि जमा करानी होती है तथा ऐसी स्थिति में बकाया की वसूली मकान/प्लाट मालिक से नहीं की जाती है।

ग्रामीण इलाकों में उपलब्ध विद्युत सुविधा

341. श्री रामलाल जाट (बनेड़ा) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) वर्तमान में राज्य में पंचायत समितिवार कितने गांवों में विद्युत सुविधा उपलब्ध है ?

(2) वर्तमान में राज्य में पंचायत समितिवार कितनी प्रतिशत ग्रामीण जनसंख्या विद्युत सुविधा से लाभान्वित है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) माह मार्च, 2001 के अन्त तक राज्य में 37054 ग्रामों को विद्युतीकृत घोषित किया हुआ है। इन ग्रामों में मांग होने पर नियमानुसार विद्युत विस्तार कर कनेक्शन दिये जाने का प्रावधान किया हुआ है। पंचायत समितिवार संख्या विवरण परिशिष्ट "अ" में संलग्न है।

वित्तीय वर्ष 2001-2002 में माह दिसम्बर, 2001 तक 91 और ग्रामों को विद्युतीकृत घोषित किया जा चुका है।

(2) माह दिसम्बर, 2001 तक राज्य में कुल ग्रामीण जनसंख्या 339.39 लाख में से 332.11 लाख ग्रामीण जनसंख्या को विद्युत सुविधा से लाभान्वित किये जाने का प्रावधान किया हुआ है। जिलेवार विवरण मय प्रतिशत के परिशिष्ट "ब" में सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(विवरण की प्रति विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

जिला जयपुर की कच्ची बस्तियों में रियायती दरों पर विद्युत कनेक्शन

342. **श्री कन्हैया लाल** (बस्सी) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सरकार ने कच्ची बस्ती वासियों को सस्ती दरों पर विद्युत कनेक्शन देने के आदेश प्रसारित किये हैं? यदि हां, तो निर्धारित की गई न्यूनतम दरों सहित आदेशों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त आदेशों के तहत सरकार द्वारा जयपुर शहर की कच्ची बस्तियों में अब तक कुल कितने कनेक्शन सस्ती दरों पर जारी किये हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। जयपुर विद्युत वितरण निगम के आदेश संख्या 1023 दिनांक 10.7.2001 के अनुसार 2000/ रु. प्रति कनेक्शन की दर से स्थायी शुल्क लेकर कच्ची बस्ती वासियों को विद्युत कनेक्शन देने का प्रावधान है। इसी प्रकार जयपुर विकास प्राधिकरण तथा राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा विकसित कालोनियों में भी 2000/ रु. स्थायी शुल्क लिया जाता है जबकि अन्य स्थानों पर 5000/ रु. प्रति कनेक्शन स्थायी शुल्क लेने का प्रावधान है। उक्त आदेश की प्रति परिशिष्ट "अ" पर सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) उपरोक्त आदेश के तहत जयपुर शहर में कुल 1961 विद्युत कनेक्शन कच्ची बस्ती वासियों को जारी किये जा चुके हैं।

(आदेश की प्रति के लिये कृपया परिशिष्ट-13 देखें)

विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम में विद्युत चोरी पर रोक

343. **श्री रामस्वरूप** (टोडाभीम) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम में वर्ष 2000 से फरवरी, 2002 तक कुल कितने मामले विद्युत चोरी के पकड़े गये? उक्त में से कितने व्यक्तियों से जुर्माना वसूला गया? ग्राम का नाम, राशि सहित सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार ने उक्त क्षेत्र में भविष्य में विद्युत चोरी न हो इस हेतु कोई कदम उठाये हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त वर्ष में चोरी करने वाले कितने व्यक्तियों के विरुद्ध पुलिस में मामला दर्ज करवाया गया?

(4) चोरी के मामले में कृषि, उद्योग एवं घरेलू के कितने-कितने मामले पकड़े गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम में वर्ष 2000 से फरवरी, 2002 तक विद्युत चोरी के 455 मामले पकड़े गये हैं। उक्त में से 244 मामलों में 36,57,419 /- रु. जुर्माना राशि का निर्धारण किया गया जिसके सापेक्ष 18,58,016 रु. की राशि जमा हुई। ग्रामवार नाम एवं राशि सहित विवरण परिशिष्ट "अ" पर सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(2) विद्युत चोरी रोकने हेतु विजीलेंस व परि. एवं संधा. अधिकारियों द्वारा लगातार

(ऊर्जा मंत्री)

जांच की जाती है। अप्रयुक्त एल. टी. लाइनों को हटाया जाता है तथा कृषि बाहुल्य गांवों में एल. टी. लैस स्कीम से कनेक्शन दिये जाते हैं। इसके अतिरिक्त खराब मीटरों को सही मीटरों से बदल कर मीटर बक्से लगाकर सील किया जा रहा है।

(3) विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम की पंचायत समिति-नादौती में 15 एफ.आई.आर. दर्ज करवाई गई है।

(4) विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम में वर्ष 2000 से फरवरी, 2002 तक कृषि के 100, उद्योग के 16 एवं घरेलू श्रेणी के 156 चोरी के मामले पकड़े गये हैं।

(विवरण की प्रति विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

विधान सभा क्षेत्र मूंडवा के ग्रामों को विद्युत आपूर्ति

344. श्री हबीबुर्रहमान (मूंडवा) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विधान सभा क्षेत्र मूंडवा के कितने बड़े गांवों को 24 घंटे बिजली उपलब्ध करवाने का निर्णय लिया है ?

(2) उक्त ग्राम कौन-कौन से हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या गांव कुमारी को भी उक्त स्कीम में लिया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) राज्य सरकार द्वारा वर्ष 1991 की जनगणना पुस्तिका के अनुसार जिन गांवों की आबादी 5000 या उससे अधिक है तथा उन गांवों में 300 या उससे अधिक घरेलू कनेक्शन (चालू हालत में) हो, उन गांवों को निरन्तर विद्युत उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है। मूंडवा क्षेत्र में इस श्रेणी के पांच गांव आते हैं।

(2) उक्त ग्राम निम्नप्रकार हैं :—

1. बासनी बेलिया
2. रूण
3. गोटन
4. मेड़ता रोड
5. ताउसर

(3) कुमारी गांव को उक्त योजना में नहीं लिया गया है क्योंकि कुमारी गांव की आबादी 1991 की जनगणना पुस्तिका के अनुसार 5000 से कम है।

जिला दौसा/सवाईमाधोपुर के खराब ट्रांसफार्मर

345. डा. किरोड़ी लाल (बामनवास) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सरकार/निगम ने जले हुए ट्रांसफार्मरों को 72 घंटे में बदले जाने की घोषणा की है ? यदि हां, तो पंचायत समिति-महुवा (दौसा) व बामनवास एवं बौंली जिला सवाईमाधोपुर के किस-किस गांव के ट्रांसफार्मर कब-कब से फुंके पड़े हैं ? ग्रामवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) पंचायत समिति-महुवा के ग्राम हल्देना, गंगवाना, सायपुर, खोहरा, समलेटी, बडागांव, खैडला आदि गांवों के ट्रांसफार्मर

(डा. किरोड़ी लाल)

काफी दिनों से फुंके पड़े रहने के बावजूद नहीं बदले जाने के क्या कारण हैं ?

(3) सरकार द्वारा घोषित समय में ट्रांसफार्मर नहीं बदलने वाले अधिकारियों के विरुद्ध निगम क्या कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो क्या तथा कब तक ?

उत्तर

(1) जले हुए वितरण ट्रांसफार्मरों को उपलब्धता के आधार पर 72 घंटे में बदले जाने के निर्देश दिये हुए हैं। पंचायत समिति-महुवा (दौसा) , बामनवास के गांवों में जले हुए ट्रांसफार्मरों का विवरण परिशिष्ट "अ" पर सदन के पटल पर रख दिया गया है। पंचायत समिति-बौंली में कोई ट्रांसफार्मर जला हुआ नहीं पड़ा है।

(2) पंचायत समिति-महुवा के गांव हल्देना में जले हुए ट्रांसफार्मर से जुड़े 56 उपभोक्ताओं में से 35 उपभोक्ताओं पर 91268/- रु. बकाया हैं इसलिये ट्रांसफार्मर नहीं बदला जा रहा है। गंगवाना, सायपुर, समलेटी, खोहरा, बडागांव व खेड़ला के ट्रांसफार्मर बदले जा चुके हैं।

(3) उपभोक्ताओं द्वारा बकाया राशि जमा नहीं कराने के कारण ट्रांसफार्मर नहीं बदला गया है। इसके लिए कोई अधिकारी दोषी नहीं है। बकाया राशि जमा करवाने पर ट्रांसफार्मर बदलने की कार्यवाही की जाएगी।

(विवरण के लिये कृपया परिशिष्ट-14 देखें)

ग्राम ढूढ़िया (टोंक) के सही मीटर को बदलने की जांच

346. श्री शैलेन्द्र जोशी (बांदीकुई) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि ग्राम ढूढ़िया, तहसील पीपलू, जिला टोंक के विद्युत उपभोक्ता श्री कल्याण पुत्र श्री माधो गुर्जर ने अपने विद्युत मीटर संख्या 898777 के बिल में अधिक राशि आने के कारण दूसरा मीटर लगाने हेतु सहायक अभियन्ता, विद्युत निगम ग्रामीण, टोंक को एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था ? यदि हां, तो कब ? पत्र की प्रति सदन की मेज पर रखें ?

(2) क्या यह भी सही है कि पत्र में मीटर रीडर द्वितीय ग्रामीण (झिराना) टोंक ने एवं लाइनमैन ने मीटर संख्या 898777 को चैक करके मीटर में कोई फाल्ट नहीं पाये जाने की टिप्पणी करके कनिष्ठ अभियंता, झिराना, जिला टोंक को प्रेषित किया तथा उसी पर पत्र कनिष्ठ अभियन्ता, झिराना, जिला टोंक को प्रेषित किया तथा उसी पर पत्र कनिष्ठ अभियन्ता ने टिप्पणी करके सहायक अभियन्ता (ग्रामीण), टोंक को प्रेषित किया था ? यदि हां, तो उक्त संबंध में क्या कार्यवाही की गई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त प्रकरण में मीटर रीडर, लाइनमैन द्वारा मीटर फाल्ट नहीं होने पर टिप्पणी करने के पश्चात भी बिल में मीटर फाल्ट बताने एवं अधिक राशि का बिल भेजने के लिए कौन-कौन कर्मचारी/अधिकारी जिम्मेदार हैं और उक्त के विरुद्ध क्या-क्या कार्यवाही की जाएगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(श्री शैलेन्द्र जोशी)

(4) क्या सरकार प्रार्थी के प्रार्थना पत्र पर कोई कार्यवाही नहीं करने एवं बदले की भावना से मीटर ही निकलवा देने वाले सहायक अभियन्ता (ग्रामीण) के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो क्या और नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। विद्युत उपभोक्ता श्री कल्याण पुत्र श्री माधो गुर्जर निवासी ग्राम ढूंढ़िया, तहसील पीपलू, जिला टोंक ने अपने विद्युत मीटर नं. 10898777 को जांच करने व मीटर को जला हुआ मानकर, बिल में जोड़ी गई मीटर की कीमत 500/- रु. कम करके मीटर बदलने हेतु सहायक अभियंता (ग्रामीण), टोंक के कार्यालय में दिनांक 5.10.2001 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, जिसकी प्रति परिशिष्ट 'अ' सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) उक्त उपभोक्ता ने अपने स्तर पर ही प्रार्थना पत्र पर मीटर रीडर व लाइनमैन से मीटर की रिपोर्ट करवाई, जिसमें मीटर रीडर ने मीटर पठन अंक खराब होना बताया तथा लाइनमैन ने मीटर फाल्ट न होना बताया। कनिष्ठ अभियन्ता, झिराना द्वारा प्रार्थना पत्र पर कोई टिप्पणी नहीं की। इसी प्रार्थना पत्र को सहायक अभियन्ता (ग्रामीण), कार्यालय टोंक को दिनांक 5.10.2001 को प्रस्तुत किया गया। चूंकि कनिष्ठ अभियन्ता द्वारा प्रेषित चैकिंग रिपोर्ट पर सहायक अभियन्ता द्वारा आवश्यक कार्यवाही की जा चुकी थी, इस पत्र पर किसी अतिरिक्त कार्यवाही की आवश्यकता नहीं थी।

(3) मीटर की जांच के लिये मीटर रीडर व लाइनमैन अधिकृत नहीं है। कनिष्ठ अभियन्ता द्वारा की गई जांच को ही प्रमाणित माना जाता है। कनिष्ठ अभियन्ता, झिराना द्वारा इस मीटर को दिनांक 18.5.2001 को चैक करके वी. सी. आर. नं. 12538/13 दिनांक 18.5.2001 भरी गई थी, जिसमें मीटर टर्मीनल को जला हुआ पाया गया तथा मीटर की कीमत जमा करवाने की सिफारिश की गई थी। इस सिफारिश के अनुसार ही माह जून, 2001 के बिल में 500/- रु. जोड़े गये। इस प्रकरण में मीटर रीडर व लाइनमैन द्वारा अनधिकृत रूप से रिपोर्ट देने के लिए उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रस्तावित की गई है।

(4) उपभोक्ता द्वारा माह जून, 2001 से अक्टूबर, 2001 तक के बिल की राशि जमा नहीं करवाने के कारण उपभोक्ता का दिनांक 30.10.2001 को विद्युत सम्बन्ध विच्छेद कर, मीटर व सर्विस लाइन उतार लिये गये हैं। यह कार्यवाही नियमानुसार की गई है, अतः सहायक अभियन्ता (ग्रामीण), टोंक इसके लिये दोषी नहीं है। अतः उनके विरुद्ध कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है।

(प्रार्थना पत्र की प्रति विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

ग्राम बाटडानाऊ (सीकर) में विद्युत आपूर्ति में सुधार

347. श्री यशवन्त सिंह (रामू) (नदबई) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बातने की कृपा करेंगे :—

(श्री यशवन्त सिंह (रामू)

(1) क्या यह सही है कि जिला सीकर के गांव बाटडानाऊ में ग्रिड सब स्टेशन नहीं है? क्या सरकार उक्त ग्राम में ग्रिड सब स्टेशन बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त ग्राम में विद्युत सप्लाई सुचारू रूप से नहीं हो रही है? क्या सरकार उक्त का निराकरण करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) नया कनेक्शन देने में उपभोक्ता को कितने पोल मुक्त दिये जाते हैं? उक्त नियमों की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) उक्त गांव में किस लाइनमैन को पदस्थापित कर रखा है? उक्त कर्मी कितने दिन से पदस्थापित है? क्या यह सही है कि उक्त कर्मचारी समय पर लाइन चैक नहीं करता है? क्या सरकार उक्त कर्मचारी को अन्यत्र पदस्थापित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या यह सही है कि ग्राम बाटडानाऊ में घरेलू आटा चक्की अवैध रूप से चलती है? क्या उक्त का कभी निरीक्षण उच्च अधिकारी ने किया है? यदि हां, तो कब? क्या उक्त प्रकरण में किस-किस को नोटिस दिया गया है? यदि हां, तो विवरण सदन की मेज पर रखें।

(6) उक्त ग्राम में विद्युत कनेक्शन लेने के बाद कितने ग्रामवासियों के कनेक्शन काटे गये क्या इनका भुगतान बकाया है? क्या सरकार उक्त बकाया राशि वसूल करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? क्या काटे गये कनेक्शनधारी अवैध रूप से विद्युत कनेक्शन ले रहे हैं? क्या सरकार अब इनको चिन्हित कर इनके विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। जिला सीकर के ग्राम बाटाडानाऊ में कोई ग्रिड सब स्टेशन नहीं है। वर्तमान में इस ग्राम को 33 के. वी. सब स्टेशन जाजोद से निकलने वाले 11 के. वी. सेठों की ढाणी फीडर से विद्युत आपूर्ति की जा रही है जिसका वोल्टेज रेग्यूलेशन 5 प्रतिशत है। वी. आर. निर्धारित सीमा 8 प्रतिशत से कम होने के कारण 33 के. वी. सब स्टेशन बनाने की आवश्यकता नहीं है।

(2) उक्त ग्राम में नियमानुसार नियमित रूप से विद्युत आपूर्ति की जा रही है।

(3) नये कनेक्शन देने के लिये जो पोल लगाये जाते हैं उनके चार्जेज का विवरण परिशिष्ट "अ" पर सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(4) उक्त गांव में श्री पोकर सिंह पुत्र सुगनाराम सी. सी. ए. के पद पर माह नवम्बर, 1994 से कार्यरत है। इस कर्मचारी का कार्य संतोषजनक है तथा इसके विरुद्ध कोई

(ऊर्जा मंत्री)

शिकायत प्राप्त नहीं हुई है, अतः अन्यत्र स्थानान्तरण करने का प्रस्ताव नहीं है।

(5) जी नहीं। इस ग्राम में कोई घरेलू आटा चक्की अवैध रूप से चलने की सूचना नहीं है। सहायक अभियन्ता व कनिष्ठ अभियन्ता द्वारा माह दिसम्बर, 2001 में निरीक्षण किया गया परन्तु कोई आटा चक्की अवैध रूप से चलती नहीं पाई गई है। अतः किसी को नोटिस नहीं दिया गया।

(6) उक्त ग्राम में विद्युत कनेक्शन लेने के बाद 45 कनेक्शन काटे गये हैं। उक्त में से.28 कनेक्शनों में 66713.00 रुपये बकाया हैं। बकाया राशि वसूलने की कार्यवाही की जा रही है। सभी 28 उपभोक्ताओं को ई. यू. डी. आर. के तहत नोटिस जारी किये हुए हैं। निरीक्षण के दौरान कोई भी कटे हुए कनेक्शन वाला उपभोक्ता अवैध रूप से विद्युत उपयोग करता हुआ नहीं पाया गया है।

(विवरण की प्रति विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

जिला पाली में विशेष योजना में विद्युत कनेक्शन

348. श्री केसाराम चौधरी (खारची) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) गत वर्षों में प्रदेश में अकाल राहत के दौरान राज्य सरकार की हरा घास स्कीम के तहत कितने काश्तकारों ने कुएं पर विद्युत कनेक्शन लेने हेतु आवेदन किया? संख्या विवरण जिलेवार सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त स्कीम के तहत जिला पाली में किन-किन काश्तकारों को विद्युत कनेक्शन दिये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या उक्त जिले में अभी भी ऐसे काश्तकार हैं जो हरा घास विद्युत कनेक्शन हेतु आवेदन किए हुए हैं? क्या उक्त को डिमाण्ड राशि भी जमा करवाए दो वर्ष हो गये? क्या उक्त को सरकार द्वारा अब तक कृषि विद्युत कनेक्शन नहीं दिए गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) अब उक्त कनेक्शन कब तक कर दिए जाएंगे? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) उक्त कृषि कनेक्शन नहीं दिये जाने के क्या-क्या कारण रहे? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) गत वर्षों में प्रदेश में अकाल राहत के तहत विशिष्ठ योजना (स्पेशल स्कीम) के अन्तर्गत 33334 काश्तकारों द्वारा आवेदन किया गया। जिलेवार संख्या विवरण परिशिष्ट "अ" में सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(2) उक्त स्कीम के तहत पाली जिले में जिन 705 किसानों को कनेक्शन दिये गये हैं, उनका उप खण्डवार संख्या विवरण परिशिष्ट "ब" पर सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(3) किसी भी आवेदक को डिमाण्ड नोटिस की राशि जमा करवाये हुए दो वर्ष नहीं हुए हैं। कुल 28 आवेदक ऐसे हैं जिनके

(ऊर्जा मंत्री)

मांग पत्र की राशि जमा है परन्तु कनेक्शन नहीं दिये जा सके हैं। इनमें से 8 आवेदकों के कनेक्शन विवादों के कारण रुके हुए हैं तथा विवाद समाप्त होने पर कनेक्शन दिये जा सकेंगे। शेष 20 आवेदकों को कनेक्शन देने की कार्यवाही प्रगति पर है। मांग पत्र जमा कराने की तिथि सहित विवरण परिशिष्ट "स" पर सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(4) विवादित मामलों को छोड़कर शेष को कनेक्शन देने की कार्यवाही प्रगति पर है।

(5) लाइन खींचने के रास्ते पर कुछ ग्रामीणों द्वारा विवाद व ऐतराज किया गया है, इसलिए उनके कनेक्शन लम्बित हैं। शेष जिन आवेदकों ने गत तीन माह में मांग पत्र की राशि जमा कराई है, उनको कनेक्शन देने की कार्यवाही की जा रही है।

(विवरण के लिये कृपया परिशिष्ट-15 देखें)

विकलांग छात्रों को छात्रवृत्ति वितरण में अनियमितता की जांच

349. श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं) एवं **श्री गुलाब चन्द कटारिया** (बड़ी सादड़ी) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा विकलांग छात्रों को छात्रवृत्ति दी जा रही है? यदि हां, तो वर्ष 1999-2000 एवं 2000-2001 में कितने छात्रों को छात्रवृत्ति दी जाने का लक्ष्य था और कितने छात्रों को दी गई? वर्षवार संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त योजना में उक्त अवधि में वर्षवार कितनी राशि दी जानी थी जिसमें उसे कितनी-कितनी दी गई? वर्षवार संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या उक्त अवधि में लक्ष्य के मुकाबले कम राशि दी गई? यदि हां, तो क्यों?

(4) उक्त प्रकरण में सरकार किसे दोषी मानती है और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की जाएगी? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां, सरकार द्वारा विकलांग छात्रों को छात्रवृत्ति दी जा रही है। वर्ष 1999-2000 एवं 2000-01 में क्रमशः 25000-25000 छात्रों को छात्रवृत्ति दिये जाने का लक्ष्य था। वर्ष 1999-2000 में 21346 एवं वर्ष 2000-01 में 20832 छात्रों को छात्रवृत्ति दी गई थी।

(2) योजना में वर्ष 1999-2000/2000-01 में क्रमशः रुपये 145.00 एवं 120.00 लाख की राशि दी जानी थी जिसके विरुद्ध क्रमशः 100.14 तथा 103.71 लाख की राशि दी गई थी।

(3) जी हां, प्राप्त आवेदन पत्रों को नियमानुसार पात्रता के आधार पर छात्रवृत्ति स्वीकृत की गई है।

(4) विभाग द्वारा नियमानुसार प्राप्त आवेदन पत्रों पर पात्रता के आधार पर भुगतान कर दिया गया है, अतः कोई दोषी नहीं है।

अनुसूचित जाति/जनजाति के अपूर्ण छात्रावासों का निर्माण

350. श्री रामगोपाल बैरवा (पीपल्दा) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि गत वर्षों में अनुसूचित जाति/जनजाति छात्रावासों के भवन निर्माण के लिए स्वीकृति जारी की गई थी? यदि हां, तो किस-किस छात्रावास के लिए कितनी-कितनी राशि स्वीकृत की गई? स्वीकृति की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त छात्रावास भवन निर्माण का कार्य किस एजेन्सी के माध्यम से करवाया जा रहा है? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि छात्रावास भवन निर्माण की स्वीकृति के लम्बे समय बाद भी कई छात्रावासों का निर्माण कार्य शुरू नहीं करवाया गया है? यदि हां, तो इसके लिए कौन दोषी है?

(4) उक्त स्वीकृत छात्रावासों में कितनों का निर्माण कार्य शुरू हुआ व कितनों का कार्य शुरू नहीं हुआ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या सरकार कार्य शुरू नहीं होने वाले छात्रावासों का कार्य शीघ्र शुरू करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) जी हां। आवास विकास संस्थान को वर्ष 1993-94 से 1996-97 तक 83 छात्रावासों के भवन निर्माण कार्य की स्वीकृति दी गई तथा सार्वजनिक निर्माण विभाग को वर्ष 1994-95 व 1995-96 में 55 छात्रावासों के भवन निर्माण कार्य की स्वीकृति दी गई थी। इनमें से आवास विकास संस्थान को राशि 1178.55 लाख रुपये एवं सार्वजनिक निर्माण विभाग को 903.12 लाख रुपये स्वीकृत किये गये। स्वीकृति एवं छात्रावासवार राशि स्वीकृति की प्रति एवं सूची संलग्न है (परिशिष्ट "अ" एवं "ब")।

(2) उक्त छात्रावासों के भवन निर्माण कार्य सार्वजनिक निर्माण विभाग से 55 छात्रावासों का भवन निर्माण करवाया गया व 83 छात्रावासों का भवन निर्माण कार्य आवास विकास संस्थान द्वारा 22 छात्रावासों का निर्माण करवाया गया। आवास विकास संस्थान बन्द होने पर शेष छात्रावासों में से 22 छात्रावासों का निर्माण कार्य आवास विकास लिमिटेड से करवाया गया, 16 छात्रावासों का निर्माण कार्य राजस्थान आवासन मण्डल से करवाया जा रहा है, 5 छात्रावासों का निर्माण कार्य सार्वजनिक निर्माण विभाग से करवाया जाना प्रस्तावित है। शेष 18 छात्रावासों का आवास विकास संस्थान द्वारा निर्माण कार्य अधूरा छोड़ा गया। इन अधूरे निर्माण कार्यों का मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में हुई बैठक दिनांक 21.11.2001 में लिये गये निर्णयानुसार गठित कमेटी द्वारा अधूरे निर्माण कार्य का मूल्यांकन करवाकर पूर्ण करवाने में होने वाली लागत का तकमीना प्राप्त कर, राज्य सरकार से राशि प्राप्त होने पर शेष निर्माण कार्य

(समाज कल्याण मंत्री)

करवाया जाना विचाराधीन है। सूची संलग्न है। (परिशिष्ट "अ", "ब", "स", "द" व "एफ")

(3) यह पूर्ण रूप से सही नहीं है। आवास विकास संस्थान के बन्द होने से कुछ छात्रावासों का निर्माण एजेन्सी बदलने के कारण विलम्ब से शुरू हुआ। इसका कारण आवास विकास संस्थान का बन्द होना है।

(4) उक्त स्वीकृत 138 छात्रावासों में से 133 छात्रावासों का निर्माण कार्य शुरू हुआ व 5 छात्रावास भवनों का निर्माण कार्य शुरू नहीं हुआ। जिनकी सूची परिशिष्ट "एफ" पर संलग्न है।

(5) जी हां। जिन 5 छात्रावास भवनों का निर्माण कार्य शुरू नहीं हुआ, उनका निर्माण कार्य शुरू करवाने हेतु सार्वजनिक निर्माण विभाग से तखमीना प्राप्त कर बजट आबंटन करवाकर निर्माण कार्य शुरू करवाने की प्रक्रिया चल रही है।

(सूची विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

पंचायत समिति-अटरू (बारां) गांधी ग्राम चयन योजना के प्रस्ताव

351. श्री मदन दिलावर (अटरू) : क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) जिला बारां की पंचायत समिति-अटरू में गांधी ग्राम के चयन हेतु कौनसी ग्राम पंचायत द्वारा कब-कब, क्या-क्या प्रस्ताव लिया गया? ग्राम पंचायत की आम सभा में प्रस्ताव में क्या लिखा गया? प्रस्तावों की प्रतियां सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त प्रस्ताव के समय कौन-कौन जनप्रतिनिधि व अधिकारी मौजूद थे? उनके नाम व पते की सूची सदन की मेज पर रखें। ग्राम सभा के पारित प्रस्ताव के अनुसार सरपंच या ग्राम सेवक द्वारा पंचायत समिति या जिला परिषद् को उक्त पारित प्रस्ताव के बारे में कब-कब सूचित किया? यदि नहीं, तो क्यों?

(3) गांधी ग्राम योजनान्तर्गत ग्राम चयन का अधिकार ग्राम पंचायत की आम सभा को है या पंचायत समिति व जिला परिषद् को है?

(4) क्या ग्राम पंचायत की आम सभा में पारित प्रस्ताव को बदलने का अधिकार जिला परिषद् को है? यदि हां, तो नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(5) जिला परिषद् बारां द्वारा किस आधार पर उम्मेदगंज, ग्राम पंचायत-अन्ताना का चयन किया गया? क्या यह चयन नियम विरुद्ध है? यदि नहीं, तो क्यों?

(6) क्या उक्त सम्बन्ध में दिनांक 5 फरवरी, 2002 की गांधी ग्राम योजनान्तर्गत जिला कार्यकारिणी समिति की बैठक जिला कलक्टर की अध्यक्षता में हुई थी? यदि हां, तो क्या अंताना (अटरू) को गांधी ग्राम योजना में शामिल करने का निर्णय हो गया था? यदि हां, तो उसके आदेश कब प्रसारित हुए? आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जिला बारां की पंचायत समिति-अटरू में गांधी ग्राम चयन हेतु ग्राम पंचायत-अंताना में दिनांक 26.1.2001 की ग्राम सभा में ग्राम अन्ताना का चयन किया गया। दिनांक 20.5.2001 की ग्राम सभा में पुनः सर्वसम्मति से ग्राम अन्ताना का चयन किया गया। पुनः दिनांक 23.8.2001 की ग्राम सभा में सर्वसम्मति से ग्राम उम्मेदगंज का चयन किया गया। ग्राम पंचायत द्वारा पारित प्रस्तावों की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) दिनांक 26.1.2001 की ग्राम सभा में जन प्रतिनिधि श्री मदन दिलावर क्षेत्रीय विधायक महोदय अटरू, श्री बलराम नागर, पंचायत समिति सदस्य (अटरू), ग्राम अंताना पंचायत समिति, अटरू, श्रीमती कालीबाई सरपंच, ग्राम पंचायत-अंताना, श्री भैरूलाल वर्मा, कनिष्ठ अभियंता भू-जल संरक्षण विभाग उपस्थित थे। दि. 20.5.01 की ग्राम सभा में श्री बलराम नागर, पंचायत समिति सदस्य ग्राम अन्ताना, श्रीमती कालीबाई, सरपंच, ग्राम पंचायत, अन्ताना उपस्थित थे। दिनांक 23.8.2001 की ग्राम सभा में श्री बलराम नागर, पंचायत समिति सदस्य, ग्राम अंताना एवं श्रीमती कालीबाई, सरपंच, ग्राम पंचायत-अन्ताना उपस्थित थे। सरपंच/ ग्राम सेवक द्वारा उक्त पारित प्रस्तावों की प्रति पंचायत समिति या जिला परिषद् को भिजवाने से सहवन से रह गई थी जो पंचायत समिति/जिला परिषद् को अब प्राप्त हो गई है।

(3) ग्राम सभा द्वारा पारित प्रस्तावों में से गांधी ग्राम के चयन का अधिकार जिला कार्यकारिणी समिति को है।

(4) जी नहीं।

(5) जिला परिषद बारां द्वारा गांधी ग्राम का चयन नहीं किया गया। जी नहीं, चयन नियम विरुद्ध नहीं है क्योंकि प्रत्येक पंचायत समिति में एक गांधी ग्राम के चयन का अधिकार जिला कार्यकारिणी समिति को है।

(6) जी हां। जी नहीं।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट-16 देखें)

राजीव गांधी स्वर्ण जयन्ती पाठशालाओं में नियुक्त शिक्षकों को वेतनमान

352. श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर) : क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजीव गांधी स्वर्ण जयन्ती पाठशाला में अब तक कितने शिक्षकों को नियुक्त किया गया है ? पंचायत समितिवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त राजीव गांधी स्वर्ण जयन्ती पाठशालाओं में नियुक्त किए गए शिक्षकों में कितने शिक्षक बी. एड. या एस. टी. सी. प्रशिक्षित हैं? पंचायत समितिवार संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) अप्रशिक्षित शिक्षकों में से कितने स्नातकोत्तर, स्नातक, मैट्रिक तथा नान मैट्रिक हैं? प्रत्येक की संख्या का पंचायत समितिवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री मानिक चन्द सुराना)

(4) उक्त राजीव गांधी स्वर्ण जयन्ती पाठशालाओं में कार्यरत शिक्षकों से प्रतिदिन कितने घंटे काम लिया जाता है एवं इन्हें प्रतिमाह कितनी राशि मानदेय के रूप में दी जाती है?

(5) क्या सरकार राजीव गांधी स्वर्ण जयन्ती पाठशाला के प्रशिक्षित/अप्रशिक्षित अध्यापकों को नियमित वेतन श्रृंखला प्रदान करने या स्थाई शासकीय कर्मचारी का दर्जा प्रदान करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राजीव गांधी स्वर्ण जयन्ती पाठशालाओं में अब तक 18449 शिक्षा सहयोगियों को नियुक्त किया गया है। पंचायत समितिवार सूची सदन के पटल पर रख दी गई है। परिशिष्ट-"क"

(2) पंचायत समितिवार सूची सदन के पटल पर रख दी गई है। परिशिष्ट-"क"

(3) पंचायत समितिवार सूची सदन के पटल पर रख दी गई है। परिशिष्ट-"क"

(4) राजीव गांधी स्वर्ण जयन्ती पाठशालाओं में कार्यरत शिक्षा सहयोगी शिक्षा विभाग द्वारा जारी कलैण्डर के अनुसार अध्ययन कराते हैं तथा इन्हें प्रथम वर्ष में रुपये 1200/- प्रतिमाह मानदेय दिया जाता है।

(5) राजीव गांधी स्वर्ण जयन्ती पाठशाला के प्रशिक्षित शिक्षा सहयोगियों को 4 वर्ष का सेवाकाल पूर्ण करने पर तृतीय श्रेणी अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु विचार किया जाएगा।

(सूची विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

जिला बाड़मेर व जैसलमेर के प्राथमिक विद्यालयों में रिक्त पद

353. **श्री अमीन खान** (शिव) : क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला बाड़मेर व जैसलमेर के उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कितने पद रिक्त हैं? पंचायत समितिवार संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) जिला बाड़मेर व जैसलमेर के उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अध्यापकों के रिक्त पदों की पंचायत समितिवार सूची परिशिष्ट "क" सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) वर्तमान में नव नियुक्ति पर प्रतिबन्ध है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-17 देखें)

ग्राम दयालपुरा (जयपुर) व सिरोही में अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को स्वीकृत ऋण

354. **श्री संयम लोढ़ा** (सिरोही) : क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री संयम लोढ़ा)

(1) हुडको द्वारा आवास ऋण किन-किन शर्तों पर दिया जाता है ? नियम एवं शर्तों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) पंचायत समिति-बस्सी (जयपुर), सिरोही एवं शिवगंज क्षेत्र में वर्तमान में कितने व्यक्तियों की तरफ उक्त ऋण बकाया है ? पंचायत समितिवार संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि ग्राम पंचायत-हंसमहल के ग्राम दयालपुरा, पंचायत समिति-बस्सी, जिला जयपुर में अनुसूचित जाति के किसी व्यक्ति को उक्त ऋण दिया गया था ? यदि हां, तो कब, कितना एवं किसको ?

(4) उक्त व्यक्ति द्वारा उक्त बकाया ऋण कब-कब, कितना-कितना चुकाया एवं अब कितना बकाया है ? राशि प्राप्ति की रसीद की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर -

(1) हुडको आवास ऋण के नियम एवं शर्तों की प्रति सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) पंचायत समिति-बस्सी (जयपुर) क्षेत्र में 393 व्यक्तियों, पंचायत समिति-सिरोही क्षेत्र में 32 व्यक्तियों एवं पंचायत समिति-शिवगंज में 7 व्यक्तियों के हुडको ऋण बकाया है। पंचायत समितिवार सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(3) जी हां, ग्राम पंचायत-हंसमहल के ग्राम दयालपुरा के श्री मांगीलाल पुत्र श्री गंगाराम जाति कोली को रु. 1500/- दिनांक 23.2.1984 को व रु. 1500/- दिनांक 3.6.1985 को तथा श्रीमती मूली देवी पत्नी श्री छाजुलाल जाति कोली को रु. 1500/- दिनांक 23.2.1984 को व रु. 1500/- दिनांक 29.5.1985 को ऋण दिया गया था।

(4) श्री मांगीलाल पुत्र श्री गंगाराम कोली द्वारा दिनांक 6.2.1998 को पूर्ण ऋण चुका दिया एवं श्रीमती मूली देवी पत्नि श्री छाजूलाल कोली द्वारा दिनांक 18.6.1990 तक 2080/- रु. का ऋण चुका दिया है। वर्तमान में 920/- रु. मूल ऋण राशि तथा 920/-रु. ब्याज के कुल 1840/- रु. बकाया है। राशि प्राप्ति की रसीदों की प्रतियों सहित विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(विवरण की प्रतियां विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

पंचायती राज में आरक्षित पद

355. श्री सुरेन्द्र सिंह (चितौड़गढ़) : क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) राज्य में वर्ष 1991 में पंचायत समितिवार पंचायत समिति सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी ? उक्त में महिला सदस्याएं कितनी थीं तथा कुल सदस्यों में अनुसूचित जाति/जनजाति तथा पिछड़े वर्ग के कितने सदस्य थे ?

(श्री सुरेन्द्र सिंह)

(2) वर्ष 1991 में पंचायत समितिवार ग्राम पंचायतों में कुल कितने सदस्य (वार्ड पंच) थे? उक्त में से कितनी महिलाएं थीं तथा कुल सदस्यों में अनुसूचित जाति/जनजाति तथा पिछड़े वर्ग के सदस्य कितने थे?

(3) वर्ष 1991 में ग्राम पंचायतों के कुल सरपंच कितने थे? उक्त में से महिला सरपंच कितनी थी तथा कुल सरपंचों में से अनुसूचित जाति/जनजाति तथा पिछड़े वर्ग के कितने थे?

उत्तर

(1) राज्य में वर्ष 1991 में पंचायत समिति सदस्यों की कुल संख्या 7024 थी। राजस्थान राज्य में 1988 में हुए पंचायती राज चुनाव में आरक्षण का प्रावधान नहीं था। पंचायत समिति के सदस्यों की सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) वर्ष 1991 में ग्राम पंचायतों में कुल 69940 सदस्य (वार्ड पंच) थे। वर्ष 1988 में हुए पंचायती राज में महिला एवं अनुसूचित जाति/जनजाति तथा पिछड़े वर्ग का कोई आरक्षण नहीं था। वार्ड पंचों की सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(3) वर्ष 1991 में कुल 7024 सरपंच थे। वर्ष 1988 में सम्पन्न हुए पंचायती राज चुनाव में आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं था। सरपंचों की सूची पंचायत समितिवार सदन के पटल पर रख दी गई है।

(सूची विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

ग्राम खीवांस (जयपुर) की मुमकिन भूमि पर जारी पट्टे

356. **श्री राधेश्याम गंगानगर** (श्रीगंगानगर) : क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जिला जयपुर की तहसील जमवारामगढ़ के ग्राम खीवांस की गैर मुमकिन भूमि खसरा नं. 71 की भूमि के पास सरकारी भूमि पर वर्ष 1975 में निःशुल्क पट्टे जारी किये गये थे? यदि हां, तो किस-किस को? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त में श्री हनुमान पुत्र श्री भगवान को भी पट्टा दिया गया था? क्या उक्त पट्टा निरस्त किया गया है? यदि हां, तो क्यों?

(3) क्या यह सही है कि उक्त निःशुल्क भू-खण्ड की भूमि पर अब श्री श्रवण पुत्र श्री भगवाना मीणा ने अतिक्रमण कर लिया है? यदि हां, तो क्यों व किस आदेश के तहत?

(4) क्या उक्त अतिक्रमण पंचायत की सांठ-गांठ से किया गया है? यदि हां, तो क्यों?

(5) क्या उक्त भू-खण्ड का अब फर्जी पट्टा तैयार कर शिक्षा विभाग से ऋण प्राप्त किया गया है? यदि हां, तो उक्त संबंध में क्या कार्यवाही की जा रही है?

(6) क्या सरकार उक्त अतिक्रमण को हटाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) जी नहीं। श्री हनुमान पुत्र श्री भगवान को कोई पट्टा जारी नहीं किया गया।

(3) जी नहीं।

(4) जी नहीं।

(5) ग्राम पंचायत-खीवांस द्वारा कोई फर्जी पट्टा नहीं बनाया गया है। सरकारी भूमि पर पट्टे देने का अधिकार शिक्षा विभाग को नहीं है।

(6) जी नहीं। क्योंकि उक्त प्रश्नगत जमीन पर अतिक्रमण नहीं किया गया है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट-18 देखें)

बृज भाषा का पाठ्यक्रम में तृतीय भाषा में समावेश

357. मोहम्मद माहिर आजाद (नगर) : क्या भाषा विभाग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य में और कौन-कौन सी भाषाएं तृतीय भाषा के रूप में पढ़ाई जाती हैं?

(2) राज्य में कौन-कौन सी भाषा अकादमियां हैं और उन्हें कितनी-कितनी राशि अनुदान के रूप में दी जाती हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या उर्दू अकादमी व बृज भाषा अकादमी के बजट में कोई कटौती का प्रस्ताव है? यदि हां, तो क्यों?

(4) क्या राज्य में बृज भाषा को बढ़ावा देने हेतु इसे तृतीय भाषा के रूप में पाठ्यक्रम में सम्मिलित करने का विचार है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) राज्य में माध्यमिक शिक्षा के अन्तर्गत संस्कृत, उर्दू, सिन्धी, पंजाबी, गुजराती, मलयालम, तमिल भाषा तृतीय भाषा के रूप में पढ़ाई जाती हैं।

(2) राज्य में निम्नांकित भाषायी अकादमियां कार्यरत हैं, जिन्हें वर्ष 2001-2002 में निम्न अनुदान स्वीकृत किया गया :—

क्र. सं.	नाम अकादमी	आयोजना	आयोजना भिन्न
1.	उर्दू अकादमी, जयपुर	26.80	9.76
2.	ब्रजभाषा अकादमी, जयपुर	21.00	4.11
3.	सिंधी अकादमी, जयपुर	20.92	5.45
4.	संस्कृत अकादमी, जयपुर	20.48	5.25
5.	साहित्य अकादमी, उदयपुर	11.00	23.52
6.	राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी, बीकानेर	18.75	5.75

(भाषा विभाग मंत्री)

(3) जी, नहीं।

(4) जी, नहीं। वर्तमान में कोई प्रस्ताव प्रक्रियाधीन नहीं है।

अजमेर, राजसमन्द व पाली में बालिका समृद्धि योजनाओं में चयनित बालिकाएं

358. श्री हीरा सिंह चौहान (रायपुर) : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला अजमेर, राजसमन्द व पाली की प्रत्येक पंचायत समिति में से 15 अगस्त, 1997 से 31 जनवरी, 2002 तक बालिका समृद्धि योजना में कितनी-कितनी बालिकाओं का चयन किया गया? पंचायत समितिवार योजनानुसार चयनित बालिकाओं की सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) गत महीने में प्रशासन गांवों के संग कार्यक्रम में उक्त जिलों में कितनी बालिकाओं का चयन किया गया? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या उक्त योजना में प्रधान मंत्री की घोषणानुसार सभी चयनित परिवार की बालिकाओं का चयन कर लिया गया है? यदि नहीं, तो गरीब परिवार की बालिकाओं को इस योजना से वंचित रखने के जिम्मेदार कौन हैं?

(4) क्या सरकार ने उक्त प्रकार की बालिकाओं का चयन करने के लिये कोई नोडल एजेन्सी बना रखी है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या उक्त योजना की समीक्षा पंचायत समिति, जिला परिषद् स्तर पर या किसी प्रशासनिक स्तर पर राज्य सरकार ने बना रखी है? यदि नहीं, तो क्या उक्त कार्य के लिये कोई नोडल एजेंसी बनाकर इसकी समीक्षा करने का सरकार विचार रखती है? यदि हां, तो उक्त पर सरकार द्वारा की जाने वाली कार्यवाही का विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) अजमेर, राजसमन्द व पाली जिले में बालिका समृद्धि योजना अन्तर्गत 15 अगस्त, 1997 से 31 जनवरी, 2002 तक चयनित की गई बालिकाओं की पंचायत समितिवार संख्या निम्नानुसार है—

क्र.सं.	जिला	पंचायत समिति	चयनित बालिकाओं की संख्या
1	2	3	4
1	अजमेर	1. अराई	203
		2. भिनाय	632
		3. जवाजा	341
		4. केकड़ी	369
		5. मसूदा	383
		6. पिसांगन	361
		7. सिलोरा	246
		8. श्रीनगर	149
			2684

(महिला एवं बाल विकास मंत्री)

1	2	3	4
2	राजसमन्द	1. आमेट	56
		2. भीम	589
		3. देवगढ़	306
		4. खमनौर	112
		5. कुम्भलगढ़	297
		6. राजसमन्द	143
		7. रेलमगरा	183
			1686
3.	पाली	1. पाली	305
		2. रानी	105
		3. सुमेरपुर	610
		4. मारवाड़ जंक्शन	478
		5. रोहट	740
		6. रायपुर	315
		7. सोजत	623
		8. जैतारण	582
		9. बाली	255
		10. देसूरी	235
			4248

(2) गत महीने में प्रशासन गांव के संग कार्यक्रम में अजमेर, राजसमन्द व पाली जिले में निम्नानुसार बालिकाओं का चयन किया गया।

क्र.सं.	जिला	चयनित बालिकाओं की सं.
1	अजमेर	1020
2	राजसमन्द	600
3	पाली	1606
		3226

(3) जी हां।

(4) जी हां। ग्राम स्तर पर चयन के लिये ग्राम पंचायतों को उत्तरदायी बनाया गया है। महिला एवं बाल विकास विभाग को नोडल विभाग बनाया गया है। भारत सरकार की उक्त योजना की मार्गदर्शिका में से सम्बन्धित अंश तथा पंचायती राज विभाग के आदेश की प्रति परिशिष्ट 'अ' व 'अ-1' पर संलग्न है।

(5) जी हां। योजना की समीक्षा प्रतिमाह ग्राम स्तर पर पंचायत द्वारा, खण्ड स्तर पर पंचायत समिति द्वारा एवं जिला स्तर पर जिला परिषद् की मासिक बैठक में की जाती है। राज्य स्तर पर महिला एंव बाल विकास विभाग द्वारा समीक्षा की जाती है। दिनांक 11.4.2001 की राज्य स्तरीय बैठक का कार्यवाही विवरण परिशिष्ट "ब" पर संलग्न है।

(विवरण की प्रति विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

विधान सभा क्षेत्र प्रतापगढ़ में "बालिका समृद्धि योजना" से लाभान्वित महिलाएं

359. श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़) : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

क्या यह सही है कि "बालिका समृद्धि योजना" चयनित परिवार में पहली दो बालिकाओं के जन्म पर पांच सौ रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान करने का प्रावधान है? यदि हां, तो प्रतापगढ़ विधान सभा क्षेत्र

(श्री नन्दलाल मीणा)

की कितनी महिलाओं को आर्थिक सहायता दी गई? पंचायत समितिवार संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जी हां। विधान सभा क्षेत्र प्रतापगढ़ की 568 महिलाओं को आर्थिक सहायता राशि उपलब्ध कराई गई। सूची परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट-19 देखें)

जिला नागौर में महिला सामर्थ्य योजना से लाभान्वित महिलाएं

360. श्री हरीशचन्द कुमावत (नावां) : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि महिला सामर्थ्य योजना के अन्तर्गत विधवा, तलाकशुदा, परित्यक्ता एवं निराश्रित महिला को रोजगारोन्मुखी कार्य हेतु प्रशिक्षण एवं उसके बाद प्रत्येक महिला को आवश्यक उपकरण हेतु आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है? यदि हां, तो नागौर जिले में किन-किन स्थानों पर किन-किन महिलाओं को वर्ष 2000, से फरवरी, 2002 में सहायता उपलब्ध कराई गई? संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या प्रशासन गांवों के संग अभियान 2001 तथा प्रशासन शहरों के संग अभियान 2002 के दौरान उक्त प्रकार के आवेदन पत्र प्राप्त किये गये हैं? यदि हां, तो कुचामन पंचायत समिति क्षेत्र में तथा कुचामन व नावां नगरपालिका क्षेत्र में किन-किन महिलाओं के ऐसे आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं तथा उन्हें उक्त सहायता राशि प्रदान कराने के लिए अब तक क्या कार्यवाही की गई है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। अभी ऐसी योजना नहीं बनाई गई है।

(2) जी नहीं।

जिला करौली में विदेशी सहायता से प्राप्त दवाइयां

361. श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं के लिये विदेशों से प्राप्त औषधियों को करौली जिले में बांध में फैंके जाने की घटना की जांच करवाई गई है? यदि हां, तो क्या जांच पूर्ण कर ली गई है? जांच रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त जांच रिपोर्ट के आधार पर दोषियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। जांच रिपोर्ट की प्रति परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) दोषी बाल विकास परियोजना अधिकारी, सपोटरा सुश्री सुरभी अवस्थी, कनिष्ठ लिपिक श्री हनुमान प्रसाद मीणा एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी श्री रामजी लाल मीणा

(महिला एवं बाल विकास मंत्री)

को निलम्बित किया जा चुका है तथा उक्त तीनों के विरुद्ध राजस्थान सिविल सेवाएं (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 16 के अन्तर्गत संयुक्त जांच हेतु दिनांक 4.1.2002 को कार्मिक विभाग (क-3) द्वारा आरोप पत्र जारी किये जा चुके हैं। जो परिशिष्ट "ब" पर संलग्न है।

(रिपोर्ट की प्रति विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

बाल विकास परियोजनाओं में पदोन्नतियां

362.. श्री नानालाल नीनामा (घाटोल) : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) बाल विकास परियोजना में कितनी पदोन्नतियां की गई हैं? संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त परियोजना में कितनी पदोन्नतियां किया जाना शेष है और वह कब तक की जायेंगी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को सुपरवाइजर, सुपरवाइजर से सहायक परियोजना अधिकारी व सहायक परियोजना अधिकारी से परियोजना अधिकारी पद पर कब तक पदोन्नतियां करने का विचार है? क्या पदोन्नतियां दे दी गई हैं? यदि हां, तो कितनों को?

उत्तर

(1) बाल विकास परियोजना में पृथक से पदोन्नतियां नहीं दी जाती। महिला एवं बाल विकास विभाग में वर्ष 2001-2002, में 201 मंत्रालयिक कर्मचारियों को पदोन्नति दी गई है। सूची परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) उपरोक्त पदों के लिए इस वर्ष कोई पदोन्नति दिया जाना शेष नहीं है।

(3) आंगनबाड़ी कार्यकर्ता से पर्यवेक्षक एवं पर्यवेक्षक से सहायक बाल विकास परियोजना अधिकारी के पद पर नियमों में पदोन्नति का प्रावधान नहीं है। सहायक बाल विकास परियोजना अधिकारी के पद पर नियमितिकरण की तिथि में 5 वर्ष का कार्यानुभव प्राप्त करने पर अथवा कार्मिक विभाग से नियमानुसार अनुभव में शिथिलन प्राप्त होने एवं पदोन्नति पर प्रतिबन्ध हटने पर ही पदोन्नति दिए जाने का विचार है। इन पदों पर पदोन्नतियां नहीं दी गई है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट-20 देखें)

महिला पर्यवेक्षक बाल विकास परियोजना धरियावद (उदयपुर) को देय भुगतान में विलम्ब

363. श्री रघुवीर सिंह (सराड़ा) : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि श्रीमती लक्ष्मी देवी मेघवाल महिला पर्यवेक्षक बाल विकास परियोजना धरियावद जिला उदयपुर को विगत 10 वर्षों से वेतन, यात्रा भत्ता आदि नहीं मिला है? यदि हां, तो क्यों? क्या

(श्री रघुवीर सिंह)

इन्होंने विभाग से समय-समय पर मांग एवं निवेदन किया है? यदि हां, तो विभाग ने उक्त पर कार्यवाही क्यों नहीं की?

(2) क्या बिना वेतन, भत्ते प्राप्त किये कोई व्यक्ति अपने परिवार का भरण-पोषण कर सकता है? सरकार इस पर क्या कदम उठाने जा रही है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि गत 10 वर्षों में उक्त कर्मचारी का स्थानान्तरण कई स्थानों पर किया गया है? यदि हां, तो क्या नीति के अनुरूप इन्हें मिलने वाले लाभ दिये गये हैं? यदि हां, तो क्या-क्या और नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। श्रीमती लक्ष्मी मेघवाल जो 1-4-99 से पूर्व द्वाकरा योजनान्तर्गत ग्राम सेविका/मुख्य सेविका के पद पर कार्यरत थी, को फरवरी, 1990 से जून, 1997 तक नियमित वेतन भुगतान नहीं हुआ है। 1-4-1999 के पश्चात् द्वाकरा योजना समाप्त हो जाने पर श्रीमती लक्ष्मी मेघवाल, महिला एवं बाल विकास विभाग में महिला पर्यवेक्षक के पद के विरुद्ध कार्यरत हैं तथा अंतिम वेतन भुगतान प्रमाण पत्र के अभाव में मार्च, 2000 से अब तक इन्हें नियमित वेतन भुगतान नहीं हो सका है।

जी हां। श्रीमती लक्ष्मी मेघवाल द्वारा विभाग में समय-समय पर ज्ञापन दिये गये। विभाग द्वारा इन ज्ञापनों पर समुचित कार्यवाही की गई तथा सम्बन्धित जिला ग्रामीण विकास अभिकरण-भीलवाड़ा, बांसवाडा एवं उदयपुर के अध्यक्ष एवं जिला कलेक्टरों को इनके बकाया भुगतान तथा अंतिम वेतन भुगतान प्रमाण पत्र के लिए समय-समय पर पत्र लिखे गये।

(2) जी नहीं। विभाग द्वारा श्रीमती मेघवाल के अंतिम वेतन भुगतान प्रमाण पत्र के अभाव में वेतन नहीं मिलने पर अंतरिम व्यवस्था हेतु विभाग के उप निदेशक, उदयपुर द्वारा दिनांक 7-12-2000 को जुलाई, 1997 से फरवरी, 2000 तक के अन्तरिम वेतन भुगतान की स्वीकृति जारी की गई। श्रीमती मेघवाल को भुगतान किन कारणों से नहीं हुआ, इस बारे में जांच कराई जा रही है।

(3) जी हां। स्थानान्तरण पर मिलने वाले स्थानान्तरण यात्रा भत्ता के बकाया अथवा भुगतान की पूर्ण सूचना सम्बन्धित कार्यालयों से प्राप्त की जा रही है तथा नियमानुसार भुगतान क्यों नहीं किये गये, इसकी भी जांच की जा रही है।

विधान सभा क्षेत्र हिण्डौली के आंगनबाड़ी केन्द्र

364. **श्री नाथूलाल गुर्जर** (हिण्डौली) : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विधान सभा क्षेत्र हिण्डौली में कितने आंगनबाड़ी केन्द्र कहां-कहां किस-किस के माध्यम से चलाये जा रहे हैं और कौन-कौन से केन्द्र कब से बन्द हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री नाथूलाल गुर्जर)

(2) क्या उक्त केन्द्रों पर प्रति माह पोषाहार दिया जा रहा है? यदि हां, तो क्या-क्या एवं कितनी-कितनी मात्रा में ?

(3) क्या उक्त विधान सभा क्षेत्र में सरकार और आंगनबाड़ी केन्द्र खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कहां-कहां पर कब तक और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र हिण्डौली में कुल 178 आंगनबाड़ी केन्द्र विभाग द्वारा संचालित किये जा रहे हैं। कोई भी केन्द्र बन्द नहीं है सूची परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) जी हां, आंगनबाड़ी केन्द्रों पर पोषाहार निम्नप्रकार वितरण किया जा रहा है।

पोषाहार	लाभार्थी	मात्रा
1. सी.एस.बी.	6 माह से 3 वर्ष के कुपोषित बच्चों को (सप्ताह में एक बार छह दिन का)	390 ग्राम
	6 माह से 3 वर्ष के अति कुपोषित बच्चों को (सप्ताह में एक बार छह दिन का)	780 ग्राम
	3 वर्ष से 6 वर्ष तक के कुपोषित बच्चों को (प्रति दिन) बनाकर दिया जाता है।	65 ग्राम
	3 वर्ष से 6 वर्ष तक के अति कुपोषित बच्चों को	130 ग्राम
	गर्भवती/धात्री महिला को (सप्ताह में एक बार)	780 ग्राम
2. एम. आयल	6 माह से 3 वर्ष के कुपोषित बच्चों को (सप्ताह में एक बार)	48 ग्राम
	6 माह से 3 वर्ष के अति कुपोधित बच्चों को	96 ग्राम
	3 वर्ष से 6 वर्ष तक के कुपोषित बच्चों को	89 ग्राम प्रति दिन
	3 वर्ष से 6 वर्ष तक के अति कुपोषित बच्चों को	160 ग्राम प्रति दिन
	गर्भवती/धात्री महिला को (सप्ताह में एक बार)	96 ग्राम सप्ताह में एक बार
3. बेबी मिक्स	0 से 3 वर्ष के कुपोषित बच्चों को	450 ग्राम सप्ताह में एक बार
	0 से 3 वर्ष के अति कुपोषित बच्चों को	900 ग्राम सप्ताह में एक बार

उक्त पोषाहार हिण्डौली विधान सभा क्षेत्र की जजावर ग्राम पंचायत को छोड़कर केयर के माध्यम से पोषाहार दिया जा रहा है। जजावर ग्राम पंचायत के नैनवा परियोजना के आई.सी.डी.एम. के अन्तर्गत आने के कारण पांच केन्द्रों पर निम्नप्रकार से पोषाहार दिया जा रहा है।

(महिला एवं बाल विकास मंत्री)

पोषाहार	लाभार्थी	मात्रा
1. बेबी मिक्स	6 माह से 3 वर्ष के बच्चों को (सप्ताह में एक बार छह दिवस का)	450 ग्राम
2. पंजीरी	3 वर्ष से 6 वर्ष के बच्चों को गर्भवती/धात्री महिलाओं को (सप्ताह में एक बार छह दिवस)	80 ग्राम प्रति दिन 360 ग्राम प्रति सप्ताह

(3) जी नहीं। आंगनबाड़ी केन्द्र खोलने की स्वीकृति भारत सरकार द्वारा प्रदान की जाती है।

(सूची विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

पंचायत समिति क्षेत्र कोटड़ा व गोगुन्दा (उदयपुर) में कुओं पर फ्री ब्लास्टिंग कार्य

365. श्री मांगीलाल गरासिया (गोगुन्दा) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि पंचायत समिति क्षेत्र कोटड़ा व गोगुन्दा (उदयपुर) में अनुसूचित जाति/जनजाति के कृषकों के कुओं को गहरे कराने हेतु फ्री ब्लास्टिंग की स्वीकृतियां जारी की गई थी? यदि हां, तो किन-किन गांवों में किस-किस काश्तकार हेतु? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि पंचायत समिति क्षेत्र कोटड़ा में कृषकों के कुओं पर फ्री ब्लास्टिंग करने का कार्य ठेकों पर दिया गया था? यदि हां, तो क्या ठेकेदार द्वारा कार्य निर्धारित समय पर किया गया व कितने कृषकों के कुओं पर ब्लास्टिंग शेष रहा, शेष रहने के क्या कारण हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) सरकार अब शेष रहे कृषकों के कुओं पर फ्री ब्लास्टिंग कार्य इस वर्ष कब तक पूरा कराने का विचार रखती है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या ठेकेदार से कराये गये ब्लास्टिंग कार्य का भौतिक सत्यापन किसी अधिकारी से कराया गया है? यदि हां, तो किस-किस गांव के किन-किन काश्तकारों के कुओं का सत्यापन किया गया है? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग द्वारा कोटड़ा एवं गोगुन्दा पंचायत समितियों में कुल 732 जनजाति कृषकों के कुएं गहरे कराने हेतु स्वीकृतियां जारी की गई है। जिनमें से 522 कृषक कोटड़ा पंचायत समिति क्षेत्र के तथा 210 कृषक गोगुन्दा पंचायत समिति क्षेत्र के हैं। कृषकों की सूचियां क्रमशः परिशिष्ट-1 एवं 2 पर संलग्न है। राजस्थान अनुसूचित जाति/जनजाति वित्त एवं विकास सहकारी निगम ने वर्ष 1998-99 से

(समाज कल्याण मंत्री)

2001-02 की अवधि में गोगुन्दा पंचायत समिति क्षेत्र में 143 एवं पंचायत समिति कोटड़ा में 7 अनुसूचित जाति के कृषकों के कुएं गहरे कराने हेतु स्वीकृतियां जारी की गयी हैं। जिनकी सूची क्रमशः परिशिष्ट-3 एवं 4 पर संलग्न है।

(2) जी हां। पंचायत समिति क्षेत्र कोटड़ा में अनुसूचित जनजाति के कृषकों के कुओं के गहरा कराने हेतु ब्लास्टिंग का कार्य निजी ठेकेदार को भी दिया गया था। ठेकेदार द्वारा निर्धारित समय में 389 कुओं का ब्लास्टिंग पूर्ण किया गया। 78 कुओं के ब्लास्टिंग का कार्य ठेकेदार द्वारा समय पर पूर्ण नहीं किया। कृषकों द्वारा समय पर कुएं में से मलवा न निकालने तथा कुएं तक पहुंचने के लिए सम्पर्क मार्ग न होने के कारण कार्य शेष रहा।

(3) शेष रहे कुओं के ब्लास्टिंग का कार्य वर्ष 2002-03 में करवाये जाने के प्रयास किये जा रहे हैं। कार्य पूर्ण होना कृषकों के सहयोग एवं कुएं तक पहुंचने के लिए सम्पर्क मार्ग उपलब्ध होने पर निर्भर करता है।

(4) ठेकेदारों से कराये गये कार्यों का भौतिक सत्यापन सरपंच/ ग्रुप सचिव, पटवारी एवं विकास अधिकारी के माध्यम से कराया गया है। भौतिक सत्यापन की गांव व काश्तकारवार सूचना परिशिष्ट-1 एवं 5 पर अंकित की गई है।

(सूची विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

जिला जैसलमेर में सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम अन्तर्गत दसवीं पंचवर्षीय योजना में स्वीकृत राशि

366. श्री गोवर्द्धन कल्ला (जैसलमेर) : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) सीमा क्षेत्र विकास प्रोग्राम के अन्तर्गत नवीं पंचवर्षीय योजना वर्ष 1997 से फरवरी, 2002 तक राजस्थान में जिलेवार तथा वर्षवार कितनी राशि स्वीकृत हुई तथा व्यय की गई ?

(2) क्या यह सही है कि दसवीं पंचवर्षीय योजना के लिये प्रस्ताव भिजवाये हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि जिला जैसलमेर कुल अन्तरराष्ट्रीय सीमा क्षेत्र का 40 प्रतिशत है ?

(4) क्या यह सही है कि इन्दिरा गांधी नहर व उसकी ब्रांचें व उसका उपनिवेशन क्षेत्र अन्तरराष्ट्रीय सीमा क्षेत्र में आता है जिसका विकास सीमा का विकास है ?

(5) क्या सरकार नहर निर्माण तथा सिंचित क्षेत्र विकास विभाग के कार्य तथा जैसलमेर जिले के सीमा क्षेत्र का 40% सीमा क्षेत्र विकास प्रोग्राम में सम्मिलित करने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) सीमावर्ती क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत नवीं पंचवर्षीय योजना 1997 से 2002 तक राजस्थान में ग्रामीण विकास

(ग्रामीण विकास मंत्री)

विभाग के माध्यम से राजस्थान के जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर एवं श्री गंगानगर जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों को जारी की गई राशि एवं अभिकरणों द्वारा उसके विरुद्ध व्यय की गई राशि का विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) योजना आयोग भारत सरकार के निर्देशानुसार दसवीं पंचवर्षीय योजना वर्ष 2002-2007 के लिए दीर्घकालीन योजना के प्रस्ताव सीमवर्ती क्षेत्र विकास कार्यक्रम के चार जिलों से तैयार करवाये गये हैं। उक्त प्रस्तावों का विवरण परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(3) जी हां। राजस्थान राज्य के सीमावर्ती क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत सम्मिलित 13 पंचायत समितियों के कुल क्षेत्रफल का 45.92 प्रतिशत भाग जैसलमेर जिले की सीमावर्ती क्षेत्र विकास कार्यक्रम अंतर्गत सम्मिलित दो पंचायत समितियों का क्षेत्र है।

(4) जी हां।

(5) जी नहीं। इन्दिरा गांधी नहर विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार नहर निर्माण के लिए सीमावर्ती क्षेत्र विकास कार्यक्रम अंतर्गत सहायता भारत सरकार द्वारा वर्ष 2000-01 से बंद कर दी गई है। जिसके लिए इन्दिरा गांधी नहर विभाग द्वारा पुनः शुरू करवाने के प्रयास किये जा रहे हैं।

(विवरण के लिये कृपया परिशिष्ट-21 देखें)

ग्राम रामपुरा (फुलेरा) जयपुर के प्रस्तावित विकास कार्य

367. श्री हेमन्त कुमार (दीगोद) : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या ग्राम पंचायतों द्वारा इनके अधीनस्थ ग्रामों में विकास कार्य करवाये जाने के लिये कोई मानदण्ड निर्धारित हैं ? यदि हां, तो क्या ?

(2) ग्राम रामपुरा से ग्राम पंचायत डूंगरी खुर्द तथा फुलेरा, जिला जयपुर के द्वारा वर्ष 1990 से फरवरी, 2002 तक क्या-क्या विकास कार्य किस-किस जगह पर कराये गये तथा कितनी-कितनी राशि व्यय की गई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या उक्त ग्राम में किये गये विकास कार्य निर्धारित मानदण्ड के अनुरूप नहीं कराये गये हैं ? यदि हां, तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है ?

(4) अब भविष्य में उक्त ग्राम में क्या-क्या विकास कार्य किस-किस जगह पर कितनी-कितनी राशि के करवाये जाने का विचार है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) ग्राम रामपुरा, पंचायत डूंगरी खुर्द, तहसील फुलेरा में वर्ष 1978 से 1984 तक एवं वर्ष 1997 से फरवरी, 2002 तक किन-किन व्यक्तियों द्वारा भू-खण्ड का पट्टा चाहने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये गये ? वर्षवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(6) उक्त वर्षों में उक्त व्यक्तियों के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्रों पर क्या-क्या

(श्री हेमन्त कुमार)

कार्यवाही की गई ? अब तक की गई समस्त कार्यवाही की प्रति सदन की मेज पर रखें। अब उक्त को कब तक पट्टे जारी कर दिये जावेंगे ?

उत्तर

(1) जी हां। ग्राम पंचायतों द्वारा उनके अधीनस्थ ग्रामों में विकास कार्य सम्बन्धित योजना में निहित दिशा-निर्देशों के अनुसार ही संपादित करवाए जाते हैं। किन्तु कार्य के मापदण्ड एवं लागत के लिए ग्रामीण कार्य निर्देशिका की मार्गदर्शिका की व्यवस्था लागू होती है। उक्त मार्गदर्शिका में निर्माण कार्यों के संदर्भ में तकनीकी मानदण्ड, जिसमें लागत एवं सक्षम स्वीकृति के सम्बन्ध में मानदण्ड निर्धारित किए हुए हैं। सरपंच, ग्राम पंचायत को 50 हजार रुपये तक की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी करने की शक्तियां प्राप्त हैं। कनिष्ठ अभियंता 2 लाख रुपये तक की तकनीकी स्वीकृति जारी करने के लिए सक्षम है। प्रशासनिक समिति, पंचायत समिति को 5 लाख रुपये की राशि के निर्माण कार्य करवाने के संदर्भ में प्रशासनिक/वित्तीय स्वीकृतियां जारी करने की शक्तियां उक्त कार्य निर्देशिका में प्रावैधित है।

(2) ग्राम रामपुरा, ग्राम पंचायत डूंगरी खुर्द तहसील फुलेरा जिला जयपुर में वर्ष 1990 से फरवरी, 2002 के दौरान 5 स्वीकृत कार्य सम्पादित करवाये गए हैं, जिन पर कार्यवार स्वीकृत राशि, व्यय की गई राशि का विवरण परिशिष्ट-1 पर सम्बन्धित कार्य के सम्मुख अवलोकनीय है।

(3) जी नहीं।

(4) वर्ष 2002-2003 के दौरान ग्राम रामपुरा में राजकीय प्राथमिक शाला-रामपुरा की चारदीवारी लागत राशि 1 लाख रुपये से निर्माण कराने का वार्षिक कार्य योजना में प्रस्ताव है।

(5) ग्राम रामपुरा, ग्राम पंचायत-डूंगरी खुर्द तहसील फुलेरा में वर्ष 1978 से 1984 तक तथा वर्ष 1997 से फरवरी, 2002 तक 9 व्यक्तियों द्वारा भू-खण्ड के पट्टे प्राप्त करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये थे, जिनका वर्षवार विस्तृत विवरण परिशिष्ट-2 पर अवलोकनीय है।

(6) उक्त अवधि में भू-खण्ड के पट्टे प्राप्त करने हेतु जिन 9 व्यक्तियों ने आवेदन किया था उनमें से 7 व्यक्तियों को पट्टे आबंटित किए जा चुके हैं तथा शेष 2 व्यक्तियों के पट्टे जारी करने के संदर्भ में आपत्ति नोटिस जारी किए गए हैं। निर्धारित समय में आपत्ति प्राप्त नहीं होने की स्थिति में दिनांक 20.4.2002 को ग्राम पंचायत की आयोजित होने वाली बैठक के निर्णयानुसार पट्टे जारी करने की कार्यवाही की जावेगी। पट्टे जारी करने की वर्षवार सूची परिशिष्ट-3 पर अवलोकनीय है।

(विवरण के लिये कृपया परिशिष्ट-22 देखें)

ब्यावर में महिला उच्च शिक्षा हेतु कार्यरत निजी संस्थाओं को अनुदान

368. डा. के. सी. चौधरी (ब्यावर) : क्या उच्च शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(डा. के. सी. चौधरी)

(1) क्या राज्य सरकार की उच्च शिक्षा में महिलाओं की शिक्षा हेतु कोई विशेष प्रोत्साहन योजना है ? यदि हां, तो क्या ?

(2) क्या सरकार महिला उच्च शिक्षा हेतु निजी संस्थानों को प्रोत्साहित करने का भी विचार रखती है ? यदि हां, तो ऐसी निजी संस्थाओं को कितना अनुदान देना प्रस्तावित है ?

(3) क्या महिला उच्च शिक्षा में कार्यरत ब्यावर के निजी संस्थाओं को सरकार द्वारा अनुदान का भुगतान नियमित रूप से किया जाता है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(4) ब्यावर स्थित वर्धमान कन्या महाविद्यालय व दयानन्द आर्य बालिका महाविद्यालय के कार्यों से क्या सरकार संतुष्ट है ? यदि हां, तो क्या कारण है कि सरकार इन्हें आर्थिक सहायता नहीं प्रदान कर पा रही है व भविष्य के लिये सरकार के पास ऐसी संस्थाओं की सहायता हेतु क्या योजनाएं हैं ?

उत्तर

(1) राज्य सरकार द्वारा महिलाओं की उच्च शिक्षा हेतु विशेष प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत निम्न योजनाएं संचालित कर रही है :–

1. सामान्य शिक्षा के विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में अध्ययनरत छात्राओं को शिक्षण शुल्क से मुक्त रखा गया है।
2. महिला महाविद्यालयों में छात्राओं को न्यूनतम प्राप्तांकों के आधार पर प्रवेश दिया जाता है।
3. राजकीय महाविद्यालयों में अध्ययनरत प्रतिभावान छात्राओं को महिला योग्यता छात्रवृत्ति एवं पूर्व सैनिकों की प्रतिभावान पुत्रियों को छात्रवृत्ति दी जाती है।
4. निजी क्षेत्र में प्रारम्भ किये जाने वाले महिला महाविद्यालयों की वित्तीय सुदृढ़ता हेतु 10.00 लाख रुपये प्रबन्ध समिति द्वारा 5 वर्षीय सावधि खाते में जमा कराने का प्रावधान है (जबकि सहशिक्षा के महाविद्यालय हेतु 25 लाख रुपये का प्रावधान है)

(2) जी हां। वर्तमान में नवीन निजी संस्थाओं को अनुदान दिया जाना सम्भव नहीं है।

(3) जी हां।

(4) जी हां। ब्यावर में संचालित दयानन्द आर्य बालिका महाविद्यालय को अनुदान के रूप में नियमित आर्थिक सहायता दी जा रही है, जबकि वर्धमान कन्या महाविद्यालय गैर अनुदानित संस्था है जिसको आर्थिक सहायता प्रदान नहीं की जा रही है। फिलहाल ऐसी संस्थाओं को अनुदान देने का कोई विचार नहीं है।

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री अध्यक्ष : मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है :–

(1) श्री ज्ञानचन्द पारख एवं चार अन्य सदस्यों की ओर से पाली के बांगड़

(श्री अध्यक्ष)

चिकित्सालय में चिकित्सकों के पद रिक्त होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(2) श्री मदन दिलावर सदस्य की ओर से चित्तौड़गढ़ जिले के बस्सी कस्बे में मूर्तियों को तोड़कर तालाब में फैंक देने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(3) डा. किरोड़ी लाल एवं एक अन्य सदस्य की ओर से राजस्थान आवासन मण्डल के अध्यक्ष के विरुद्ध न्यायालय द्वारा प्रसंज्ञान लिये जाने के बाद भी उन्हें पदमुक्त नहीं किये जाने के सम्बन्ध में।

(4) श्री गुलाब चन्द कटारिया, सदस्य की ओर से पण्डित रेवाशंकर व्यास, निवासी रामड़ी, जिला डूंगरपुर की 12.10.2001 को की गयी हत्या के सम्बन्ध में।

उपरोक्त स्थगन प्रस्तावों पर राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है और जानकारी प्राप्त होने पर निर्णय लिया जाएगा।

मुझे माननीय सदस्यों को यह भी सूचित करना है कि निम्न स्थगन प्रस्ताव के सम्बन्ध में राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त हुई है :—

श्री सुरेन्द्र गोयल, सदस्य की ओर से जैतारण तहसील के कस्बा लाम्बिया में पुलिस द्वारा लोगों को थाने में बन्द कर मारपीट करने के सम्बन्ध में।

यह प्रस्ताव स्थगन प्रस्ताव के रूप में स्वीकार योग्य नहीं है, अतः इस पर अनुमति देने में असमर्थ हूं। माननीय सदस्य को प्रस्ताव के विषय पर दो मिनट बोलने की अनुमति होगी।

(12.06 बजे)

(श्री देवेन्द्र सिंह, उपाध्यक्ष, पदासीन)

नियम 295 के अन्तर्गत प्राप्त विशेष उल्लेख की सूचनाएं

श्री उपाध्यक्ष : (1) श्री मांगीलाल गरासिया, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र गोगुन्दा का वन क्षेत्र दो तहसीलों में बंटा होने से उसका समुचित विकास नहीं होने के सम्बन्ध में।

(2) श्री सोहन नायक, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र रायसिंहनगर के शहीद भगतसिंह महाविद्यालय का अनुदान बढ़ाने के सम्बन्ध में।

(3) श्री कय्यूम खान, सदस्य की ओर से आयुर्वेद चल चिकित्सा इकाई का अजमेर से भीलवाड़ा स्थानान्तरण रोकने के सम्बन्ध में।

(4) श्री अमीन खां, सदस्य की ओर से जिला बाड़मेर की तहसील मुख्यालय शिव में स्थापित 132 के.वी.जी.एस.एस. को शीघ्र चालू करने के सम्बन्ध में।

(5) श्री गुलाब चन्द कटारिया, सदस्य की ओर से मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय में सभागार का निर्माण कार्य ब्रिज कारपोरेशन से कराने के बजाय निजी भवन निर्माता से कराने के सम्बन्ध में।

(श्री उपाध्यक्ष)

(6) श्री नाथूराम अहारी, सदस्य की ओर से जिला डूंगरपुर में अनावृष्टि से फसल को हुए नुकसान के सम्बन्ध में।

(7) डा. के. सी. चौधरी, सदस्य की ओर से ब्यावर में भू-राजस्व अधिनियम की धारा 90-बी की क्रियान्विति में हुई अनियमितताओं की जांच करवाने के सम्बन्ध में।

(8) श्री मदन दिलावर, सदस्य की ओर से बारां जिले की परवन नदी पर निर्मित एनीकट पर गेट लगाने की स्वीकृति प्रदान करने के सम्बन्ध में।

(9) श्री श्रवण कुमार, सदस्य की ओर से तहसील चिड़ावा के ग्राम नुनियागोठड़ा से लाम्बागोठड़ा तक निर्मित की गयी सड़क को चालू करने के सम्बन्ध में।

माननीय सदस्यों को उनके द्वारा दी गयी सूचना को पढ़ने की अनुमति होगी।

श्री मांगीलाल गरासिया।

श्री सुरेन्द्र गोयल : उपाध्यक्ष महोदय....

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजो, आपको बोलने का मौका दूंगा।

डा. किरोड़ी लाल : मानसिंह जी देवड़ा के सम्बन्ध में जो स्थगन प्रस्ताव दिया है....

श्री उपाध्यक्ष : यह 295 है रुको ना तसल्ली रखो ना। श्री मांगीलाल गरासिया।

नियम 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख

विधान सभा क्षेत्र गोगुन्दा के वन क्षेत्र का विकास

श्री मांगीलाल गरासिया (गोगुन्दा) : उपाध्यक्ष महोदय, नियम 295 के तहत विधान सभा क्षेत्र गोगुन्दा में वन विभाग की समस्याओं के सम्बन्ध में वन मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करने बाबत निवेदन है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र गोगुन्दा के अन्तर्गत तहसील गोगुन्दा की बीस पंचायतें भानपुरा, दियाणा, पलासणा, ब्राह्मणों का कलवाना, सायरा, सिंगाड़ा, बोखाड़ा, सेमड़, बिसमा, चित्रावास, कमोल, रावछ, पुनावली, सुआवतों का गुड़ा, तरपाल, पानेर ढून्ढी, करदा, गुन्दाली एवं पदराड़ा वन विभाग राजसमन्द जिले के वन क्षेत्र में आती हैं तथा शेष बीस पंचायतें वन विभाग उदयपुर के वन क्षेत्र के अन्तर्गत आती हैं। इस प्रकार एक ही तहसील को अलग-अलग जिलों में बांट दिये जाने से वन विभाग के किसी भी जिले द्वारा वन क्षेत्र की ओर पूर्ण ध्यान नहीं दिया जाता है एवं विकास के कोई कार्य नहीं हो रहे हैं साथ ही अन्धाधुन्ध वनों का विध्वंश होना भी इस तहसील क्षेत्र का दो जिलों में विभाजन ही एक मात्र कारण है। इस क्षेत्र के लोगों को आवश्यक कार्य के लिए भी बहुत दूर विभिन्न वाहनों को बदलते हुए राजसमन्द जिले में जाना पड़ता है।

अतः मेरा माननीय उपाध्यक्ष महोदय के माध्यम से वन मंत्रीजी से निवेदन है कि

(श्री मांगीलाल गरासिया)

तहसील क्षेत्र गोगुन्दा जिला उदयपुर के राजसमन्द जिले में आने वाले वन क्षेत्र को वन विभाग राजसमन्द से हटाकर उदयपुर जिले के वन विभाग व क्षेत्र में जोड़ा जाकर वन व्यवस्था सुरक्षा तथा जन सुविधा की ओर ध्यान दिलावें। इस सम्बन्ध में मेरे द्वारा पूर्व में दिनांक 30.4.2001 को भी माननीय उपाध्यक्ष महोदय के माध्यम से वन मंत्री जी का ध्यान आकर्षित किया गया था परन्तु इस सन्दर्भ में अभी तक कोई क्रियान्विति नहीं हुई है। वन भूमि पर अतिक्रमणों को रोकने व वन क्षेत्र की अवैध कटाई की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है तथा पौधारोपण भी न के बराबर हो रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री सोहन नायक।

विधान सभा क्षेत्र रायसिंहनगर के शहीद भगत सिंह महाविद्यालय के अनुदान में बढ़ोतरी

श्री सोहन नायक (रायसिंहनगर) : राजस्थान विधान सभा के नियमों के नियम 295 के अन्तर्गत रायसिंहनगर के शहीद भगत सिंह कालेज के अनुदान बढ़ाने के सम्बन्ध में।

महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र के शहीद भगत सिंह महाविद्यालय को सरकार द्वारा 60 परसेंट अनुदान दिया जा रहा है। महोदय जी, मैं आपके माध्यम से शिक्षा मंत्रीजी का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि महाविद्यालय की प्रबन्ध समिति भंग हो चुकी है। विगत चार वर्षों से महाविद्यालय का प्रबंधन जिला उप-खण्ड अधिकारी के पास है। वर्तमान अनुदान राशि से कालेज का चल पाना नामुमकिन है।

महोदय जी, लगभग 80 किलोमीटर की परिधि में कोई राजकीय उच्च शिक्षा का केन्द्र नहीं है। अतः मेरे विधान सभा क्षेत्र के शहीद भगत सिंह महाविद्यालय को बंद होने से बचाने के लिये अनुदान राशि 90 प्रतिशत करने हेतु शिक्षा मंत्री महोदय से अनुग्रह करता हूं ताकि क्षेत्र में उच्च शिक्षा सुचारू रूप से चल सके। सधन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री कय्यूम खानजी।

श्री रामनारायण चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे....

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज। आर्डर। माननीय कय्यूम खानजी, एक मिनट।

श्री रामनारायण चौधरी : मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय गोयल साहब का स्थगन प्रस्ताव था और वह स्थगन प्रस्ताव माननीय अध्यक्ष महोदय ने सरकार से जानकारी चाही, उसके बाद उन्होंने अनुमति दी। लेकिन उसके साथ ही व्यवस्था यह दी कि माननीय सदस्य यदि चाहेंगे तो दो मिनट वह बोल सकेंगे। फिर उन्होंने स्थान खाली कर दिया, उपाध्यक्ष महोदय ने स्थान ग्रहण कर लिया। उपाध्यक्ष महोदय ने 295 की जो सूचना है व पढ़नी शुरू कर दी। मैं यह जानना चाहता हूं कि इस मामले में 295 के तहत जो आप पढ़वा रहे हो वह पहले पढ़े जायेंगे, या कि गोयल साहब के बारे में जो व्यवस्था दी है कि दो मिनट बोल सकेंगे, तो कौनसा इसमें पहले बोलेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : पहले 295 पढ़ रहे हैं। 295 पहले पढ़ रहे हैं।

श्री रामनारायण चौधरी : यह तो आपने पढ़ाना शुरू कर दिया। मैं व्यवस्था यह चाहता हूं कि भविष्य में 295...

श्रीमती सुमित्रा सिंह : पहले एडजोर्नमेंट मोशन होता है।

श्री रामनारायण चौधरी : असैप्ट नहीं किया, वह रिजैक्ट हो गया लेकिन व्यवस्था यह दी कि—

श्री गुलाब सिंह शक्तावत (गृह मंत्री) : 295 नहीं, एडजोर्नमेंट मोशन।

श्री रामनारायण चौधरी : स्थगन पर बोलने वाला—(व्यवधान) एडजोर्नमेंट मोशन में व्यवस्था यह दी कि उसको रिजैक्ट करके दो मिनट बोलने की अनुमति दी। उसके बाद उन्होंने स्थान खाली कर दिया अध्यक्ष महोदय ने। उपाध्यक्षजी आ गये। उपाध्यक्षजी ने 295 की चिट्ठियां ले लीं और उनको—

श्री उपाध्यक्ष : उन्होंने यह नहीं कहा कि 295 के पहले ही बोलेंगे।

श्री रामनारायण चौधरी : मैं जानना चाहता हूं व्यवस्था के तौर पर इसमें स्थगन प्रस्ताव पर दो मिनट वाले को पहले बोलने की अनुमति होगी, या 295 वाले पहले पढ़ेंगे?

श्री उपाध्यक्ष : स्थगन प्रस्ताव पर उन्होंने सरकार से जानकारी चाही, सरकार की जानकारी आ गयी। उसके बाद माननीय मंत्रीजी बाई चांस यहां उपस्थित नहीं थे, वह जानकारी प्राप्त कर रहे होंगे इसलिये 295 शुरू कर दिया और अब उनको समय दे देंगे।

श्री रामनारायण चौधरी : नहीं, नहीं, यहां अनेक बार ऐसा होता है—(व्यवधान)

श्री हीरासिंह चौहान : स्थगन प्रस्ताव पर दो मिनट बोलने का जो भी टाइम दिया जाता है, 295 के पूर्व में देने की व्यवस्था है।

श्री रामनारायण चौधरी : प्रायोरिटी कौनसे को मिलेगी? दो मिनट वाले को मिलेगी, या 295 वालों को मिलेगी?

श्री उपाध्यक्ष : बिराज जाइये। अभी बुला देंगे। आप बिराजो, अभी बुला देंगे। अभी बुला देंगे आप बिराज जाओ।

श्री रामनारायण चौधरी : नहीं, मैं बुलाने की बात नहीं कर रहा हूं। मैं तो आपसे व्यवस्था यह चाहता हूं—

श्री उपाध्यक्ष : ऐसी परिस्थिति होगी—

श्री रामनारायण चौधरी : प्राथमिकता कौनसे को मिलेगी? स्थगन प्रस्ताव वाले को मिलेगी, या 295 वालों को मिलेगी?

श्री सुरेन्द्र गोयल : इस तरह उनका मतलब यह है कि सारी कार्यवाही को स्थगित कर दें और मुझे नहीं सुना जाये—

श्री उपाध्यक्ष : नार्मली—(व्यवधान) माननीय सदस्य, बिराजो। आप बिराजो तो सही।

श्री रामनारायण चौधरी : सुनना तो आपका स्थगन ही पड़ेगा। स्थगित नहीं की उन्होंने कार्यवाही अध्यक्ष महोदय ने लेकिन आपको दो मिनट बोलने की अनुमति दी है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, नार्मली 295 से पहले स्थगन प्रस्ताव पर दो मिनट बोलने की अनुमति दी जाती है पहले, लेकिन आज चूंकि माननीय गृह मंत्रीजी नहीं पधार सके थे इसलिये 295 लिया। ऐसी परिस्थिति में, बाकी नार्मली यही होता है।

श्री रामनारायण चौधरी : आपके लिये तो आज का शिरोधार्य है। आज्ञा तो शिरोधार्य है लेकिन....

श्री उपाध्यक्ष : हो गया। हो गया। नार्मली यही होता है....(व्यवधान) आप बिराजो। बिराजो। हां बुलायेंगे। आप चिन्ता, परेशान मत होओ।

आयुर्वेद चल चिकित्सा इकाई का स्थानान्तरण

श्री कय्यूम खान (मसूदा) : राजस्थान विधान सभा के नियमों के नियम 295 के अंतर्गत आयुर्वेदिक चल चिकित्सा इकाई अजमेर को भीलवाड़ा स्थानान्तरण करने से रोकने बाबत।

महोदय, आयुर्वेद विभाग दिनांक 23.3.2002 को उप शासन सचिव द्वारा अजमेर में 18 वर्ष से चल रहे चल चिकित्सा इकाई अजमेर जो कि राजस्थान स्तर की इकाई है इसको भीलवाड़ा स्थानान्तरित करने के एक आदेश प्राप्त हुए हैं। मंत्रीजी को अजमेर की जनता कहना चाहती है कि अजमेर में इस इकाई से हर वर्ष आउटडोर में लगभग पेंतीस हजार चल इकाई में लगभग 25,000 एस.सी., एस.टी. (अल्पसंख्यक) एवं गरीब वर्ग के लोग लाभान्वित होते हैं।

अन्त में मंत्रीजी से निवेदन है कि यदि इस इकाई को भीलवाड़ा स्थानान्तरित किया जाता है तो अजमेरवासियों के साथ अन्याय होगा जो कि अजमेर की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी और अजमेर की जनता किसी भी हालत में इस इकाई को भीलवाड़ा नहीं जाने देगी।

कृपया मंत्रीजी इस आदेश को वापस लेने हेतु गौर फरमावें। यदि आपको चल इकाई भीलवाड़ा स्थानान्तरित करनी ही है तो जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर में इकाई बंद पड़ी है, यदि इनमें से किसी भी इकाई को भीलवाड़ा स्थानान्तरित किया जाता है तो अजमेर की जनता को कोई परेशानी नहीं होगी। अतः इस इकाई को अजमेर में ही रखा जावे।

श्री उपाध्यक्ष : श्री अमीन खान।

तहसील मुख्यालय शिव, जिला बाड़मेर के विद्युत सब-स्टेशन को चालू करने विषयक

श्री अमीन खान (शिव) : विशेष उल्लेख प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियमों के नियम 295 के तहत।

महोदय, उपरोक्त विषय में मेरा इस सदन से आपकी मार्फत निवेदन है कि जिला बाड़मेर की तहसील शिव के मुख्यावास पर वर्ष 2001-2002 में विद्युत प्रसारण निगम ने जनहित में 132 के.जी.एस.एस. के निर्माण की स्वीकृति जिसके अनुसार विभाग ने समय पर सारा कार्य पूरा कर लिया है। जिसके लिये धन्यवाद।

(श्री अमीन खान)

इसके साथ में यहां विद्युत मंत्रीजी से बहुत अदब के साथ अर्ज करना चाहता हूं कि शिव नेशनल हाइवे नं. 15 रोड जाती है जिसको क्रोस करके तार जायेंगे जो ऊर्जा विभाग ने इजाजत नहीं ली है जिससे 132 के.जी.एस.एस. को चार्ज 31.3.02 को होना था, जो नहीं हो रहा है। जिसके कारण गर्मियों में पीने के पानी के लिये तहसील शिव बायतू के 360 ग्राम व ढ़ाणियों को समय व जरूरत अनुसार पानी नहीं मिलेगा।

अतः निवेदन है कि शिव 132 के.जी.एस.एस. पर करीब दस करोड़ खर्चा करने के उपरांत लोगों को राहत मिले इसलिये नेशनल हाइवे रोड से इजाजत लेकर 132 शिव को चार्ज करने की शीघ्र कार्यवाही की जावे।

श्री उपाध्यक्ष : श्री गुलाब चन्द कटारिया।

मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय में सभागार निर्माण विषयक

श्री गुलाब चन्द कटारिया (बड़ी सादड़ी) : प्रक्रिया एवं कार्य संचालन के नियम 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख प्रस्ताव।

महोदय, यह कि मोहन लाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय में प्रबन्धक अध्ययन महाविद्यालय एवं फार्मेसी विभाग का कार्य राजस्थान ब्रिज कारपोरेशन से करवाया गया। जिस बिल्डिंग का लोकार्पण माननीय मुख्य मंत्री अशोक गहलोत द्वारा 10 मार्च, 2002 को सम्पन्न हुआ। उक्त बिल्डिंग को बने हुये एक वर्ष भी पूर्ण नहीं हुआ है इसके उपरान्त बिल्डिंग की दीवारें फट चुकी हैं तथा छतों में से इतनी कम वर्षा के बावजूद पानी रिसने व टपकने लग गया है जबकि विश्वविद्यालय द्वारा एक कन्या छात्रावास का कार्य निजी ठेकेदार द्वारा कराया गया, जो कि बी.एस.आर. रेट से 17 प्रतिशत कम रेट में अच्छा कार्य हुआ और किसी प्रकार की उक्त भवन में कोई कमी नहीं। विश्वविद्यालय द्वारा एक नया सभागार बनाने के लिए विश्वविद्यालय ने 7-8 फरवरी, 2002 को उक्त भवन के डिजायनर का टेण्डर राष्ट्रीय समाचार पत्र में विज्ञापित किया और ऐन वक्त पर उक्त टेण्डर को निरस्त कर दिया गया जिससे विश्वविद्यालय पर बाइस हजार रुपये का व्यर्थ भार पड़ा और यह कार्य माननीय कुलपति महोदय दवाब डालकर राजस्थान ब्रिज कारपोरेशन को देने में सहयोग कर रहे हैं जिससे कुछ व्यक्ति विशेष को निजी लाभ पहुंचाने की मंशा दिखती है। यदि यह कार्य किसी निजी ठेकेदार से कराया जाता है तो चालीस से पचास लाख रुपये की लागत कम आयेगी। कुल लागत 1.70 करोड़ में से राज्य सरकार द्वारा कुछ भी सहयोग नहीं लिया गया है, फिर भी उक्त समस्त राशि विश्वविद्यालय बचत में से व्यय की जानी है जिससे विश्वविद्यालय की आर्थिक स्थिति बहुत ही दयनीय होने की संभावना है।

पूर्व में महालेखाकार कार्यालय, जयपुर द्वारा उक्त संस्था से कार्य कराने पर एतराज कर रखा है। फिर भी कुलपति इसी संस्था से कार्य कराने पर आमादा हैं। चूंकि उक्त

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

सभागार भवन कमेटी के द्वारा भी प्रस्ताव पास नहीं है तथा बिना किसी विचार-विमर्श और दिशा-निर्देश के उक्त संस्था को दिनांक 19.3.2002 को अग्रिम राशि के रूप में दस लाख रुपये का चैक दे दिया गया। इस तरह कुलपति द्वारा निजी व्यक्ति को लाभ पहुंचाने हेतु इतनी बड़ी राशि का दुरुपयोग करना चाहते हैं जिससे विश्वविद्यालय की आर्थिक स्थिति ही नहीं, वरन अनियमितता को भी बढ़ावा मिलेगा।

ऐसे गम्भीर और महत्वपूर्ण विषय पर सार्वजनिक निर्माण मंत्री का सदन के माध्यम से ध्यानाकर्षण करना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री नाथूराम अहारी।

जिला डूंगरपुर में अनावृष्टि से फसल को नुकसान विषयक

श्री नाथूराम अहारी (डूंगरपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन के नियमों के नियम 295 के अन्तर्गत निवेदन करना चाहता हूं कि डूंगरपुर जिले में गत वर्ष की भांति इस वर्ष भी कई पंचायतों में स्थिति गम्भीर है। कई पंचायतों में मात्र एक बरसात के अभाव में सारी की सारी फसल नष्ट हो गई। सियालू फसल का तो नामोनिशान नहीं है। पशुओं को पानी पिलाने के बारे में भी भयंकर स्थिति है। पशुओं को हैण्ड पम्पों से पानी पिलाया जा रहा है लेकिन हैण्ड पम्पों में भी पानी नहीं है। लोग मजदूरी के लिए गुजरात गये हुए थे लेकिन अभी बी.जे.पी., बजरंग दल तथा शिव सेना के कृत्यों से गुजरात के जो हालात हुए हैं तथा जो हो रहे हैं उसके कारण कई लोग तो मारे गये हैं और कई लोग पैदल आ रहे हैं। सारे के सारे भागकर आये हैं अर्थात् डूंगरपुर में इन कारणों से हालात बहुत ही गम्भीर हो गये हैं।

अतः श्रीमान् मेरी मांग है कि डूंगरपुर जिले में जहां फसल का ज्यादा खराबा है और गिरदावरी के आधार पर अतिशीघ्र अकाल राहत कार्य 15 अप्रैल से प्रारम्भ किये जाएं। अकाल राहत के कार्यों में प्राइवेट कुएं, सार्वजनिक कुएं, सिंचाई के तालाब, पंचायतों के तालाब, वन विभाग के कार्य, भू-संरक्षण के कार्य, सड़कों के कार्य आदि प्रारम्भ कराएं जावें। पानी की समस्या को हल करने के लिए ज्यादा से ज्यादा हैण्ड पम्प खोदे जाएं। जगह-जगह एनीकट बांधे जायें। सिंचाई विभाग, पंचायत समितियों के एनीकट बांधे जायें ताकि आगामी वर्ष में जल स्तर कायम हो सके। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : डा. के. सी. चौधरी।

ब्यावर में भू-राजस्व अधिनियम क्रियान्विति में कथित अनियमितताएं

डा. के. सी. चौधरी (ब्यावर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमों के नियम 295 के अन्तर्गत निवेदन करना चाहता हूं कि सम्पूर्ण प्रदेश में भू-खण्ड मालिकों को भू-रूपांतरण की लम्बी प्रक्रिया से आने वाली दिक्कतों से बचाने हेतु भू-राजस्व की धारा 90बी लागू की गई थी। जिसके तहत खातेदारों को सुनवाई का अवसर देकर एवं उनकी रजामंदी लेकर एवं अधिग्रहण के पूर्व टेबल सर्वे कराकर

(डा. के. सी. चौधरी)

भूमि आवासीय एवं वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ स्थानीय निकाय को समर्पित करने का प्रावधान किया गया था। मान्यवर, ब्यावर शहर की जनता में इस बात को लेकर घोर असंतोष है कि भू-राजस्व की धारा 90बी की भावनाओं के विरुद्ध ब्यावर के करीब 2500 बीघा भूमि बिना खातेदारों को सुनवाई का अवसर दिये व उनकी रजामंदी लिए बगैर नियमानुसार पासशुदा कालोनियां, आबादी भूमियां, निजी सम्पत्तियां, पंचायत क्षेत्र की भूमियां एवं कृषि भूमि भी इसमें सम्मिलित कर ली गई। ब्यावर शहर की जनता ने ब्यावर ए.सी.एम. द्वारा एक ही रात में आनन-फानन में की गई इस अनियमित कार्यवाही को लेकर दिनांक 23.1.2002 को ब्यावर बंद का आयोजन भी किया।

मेरा माननीय स्वायत्त शासन मंत्री जी से अनुरोध है कि सम्पूर्ण प्रकरण की जांच कराकर दोषी अधिकारी के खिलाफ उचित कार्यवाही करें, गलत आदेशों को निरस्त कराएं एवं धारा 90बी में आने योग्य भूमि का नियमानुसार क्रियान्वयन हेतु पुनः सर्वे के आदेश प्रसारित कर उक्त कार्य में होने वाली अनियमितताओं एवं जन परेशानियों को रोक कर ब्यावर की जनता को राहत प्रदान करें।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मदन दिलावर।

बारां जिले की परबन नदी एनीकट पर गेट लगाने विषयक

श्री मदन दिलावर (अटरू) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन के नियमों के नियम 295 के अन्तर्गत निवेदन करना चाहता हूं कि बारां जिले से निकलने वाली परबन नदी पर बारां जिले के सैकड़ों गांवों की असिंचित जमीन को सिंचित करने हेतु लगभग 33 करोड़ रुपये की लागत से तुलसा लिफ्ट सिंचाई योजना भाजपा सरकार के द्वारा बनाई गई थी और वहां पानी का भण्डारण करने हेतु परबन नदी पर एनीकट का निर्माण किया गया था और आज उसके फलस्वरूप हजारों बीघा सिंचित होने से क्षेत्र के किसान खुशहाल दिखाई दे रहे हैं। परन्तु तकनीकी खामी रहने से उस क्षेत्र के आस-पास दुष्प्रभाव भी दिखाई दे रहा है उसके कारण नदी में मिट्टी का भराव काफी हो गया। आस-पास के कुओं, नलकूपों का जल स्तर नीचे चला गया। नदी के रिसाव से जो पानी आस-पास के क्षेत्र को तरोताजा रखता था वह आज शुष्क हो गया और यही हाल रहा तो पांच वर्ष में नदी के एनीकट का अधिकांश ऊपरी भाग मिट्टी से भर जायेगा इसके कारण न तो लिफ्ट सिंचाई योजना चल पायेगी तथा आसपास का सम्पूर्ण क्षेत्र पानी की दृष्टि से शुष्क हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि इसका इलाज नहीं है। इसका इलाज है यदि सिंचाई विभाग खुले दिमाग व गम्भीरता से विचार करे तो निश्चित ही तुलसा लिफ्ट सिंचाई योजना भी अनन्तकाल तक निर्बाध रूप से चलती रहेगी व क्षेत्र का जल स्तर भी ऊंचा आएगा। इसके कारण पेयजल व सिंचित जल का भी संकट दूर हो सकता है। उसके लिए हमें हठधर्मिता छोड़कर वहां निर्मित एनीकट (छोटा बांध) पर पर्याप्त संख्या में गेट लगाने पर विचार करना पड़ेगा। गेट लगाने से जब नदी में तेज प्रवाह

(श्री मदन दिलावर)

हो तो गेट खोल दिया जावे जिससे उसमें जमा मिट्टी बहकर चली जाएगी और वर्षाकाल की समाप्ति से पूर्व गेट को बंद करने से तुलसा लिफ्ट सिंचाई योजना हेतु पर्याप्त पानी का भण्डारण भी हो जाएगा तथा नदी के आस-पास के क्षेत्र में पानी के रिसाव हेतु छिद्र भी खुल जाएंगे। इससे जल स्तर ऊंचा उठेगा। इससे सम्पूर्ण क्षेत्र धन-धान्य से परिपूर्ण होगा, साथ-साथ पेयजल संकट से भी छुटकारा मिलेगा।

अतः परबन नदी पर निर्मित एनीकट पर गेट लगाने की स्वीकृति दी जाए। यह काफी लोक महत्व का मामला है। अतः विशेष उल्लेख प्रस्ताव के माध्यम से माननीय सिंचाई मंत्रीजी का ध्यानाकर्षित कर रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री श्रवण कुमार (अनुपस्थित) श्री सुरेन्द्र गोयल।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

जैतारण तहसील के कस्बा लाम्बिया में लोगों के साथ पुलिस थाने में मारपीट

श्री सुरेन्द्र गोयल (जैतारण) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं 25.3.2002 को ग्राम लाम्बिया में पुलिस एवं प्रशासन द्वारा बर्बरतापूर्वक और बेरहमी से निर्दोष ग्रामवासियों पर लाठीचार्ज करने और रबड़ की गोलियां चलाई जाने से उनके जबरदस्त चोटें आने के संबंध में आपसे निवेदन कर रहा हूं कि कम से कम 50-60 व्यक्ति जो घरों में बैठे हुए थे और हनुमानजी के मंदिर के सामने हवन चल रहा था और सुबह से शांतिपूर्वक हवन चल रहा था और शाम को 5-6 बजे के करीब प्रशासन वाले आए और हवनकर्ताओं में से 2-3 आदमियों को पकड़कर ले गए। लोगों ने कहा कि आप इन निर्दोष लोगों को क्यों लेकर जा रहे हैं तो उन्होंने कहा कि इनकी ही बदमाशी है और इन्होंने आ करके हवन शुरू कर दिया है और यह हमारा कहना भी नहीं मान रहे हैं। इस कारण से हम इनको ले जायेंगे और बंद करेंगे। लोगों ने उनको छुड़ाने का प्रयत्न किया तो इस पर प्रशासन वालों ने उन पर अश्रु गैस के गोले छोड़ने और लाठी चार्ज करने का आदेश देकर गांव वालों पर लाठी चार्ज किया।

उपाध्यक्ष महोदय, अगर धारा 144 थी तो प्रशासन ने 144 लगाने के बाद भी उनको क्यों तो परमीशन दी और क्यों वहां पर हवन करवाया। अगर हवन शांतिपूर्वक चल रहा था और मोहर्रम निकालने के लिए दूसरे समुदाय के लोगों ने मना भी कर दिया था कि हम मोहर्रम नहीं निकालेंगे तो भी प्रशासन ने हठधर्मिता की, कि हम पर सरकार का आदेश है और हम किसी भी सूरत में मोहर्रम निकलवायेंगे तो उन पर बर्बरतापूर्वक लाठियां चलायी और उसके बाद में पुलिस की गाड़ी पर माइक लगाकर के गांव में अनाउन्स करा दिया कि आज कर्फ्यू लगा दिया गया है। कोई भी घर से बाहर निकला तो उसको गोली से भून दिया जायेगा। सब लोग डर के मारे घरों में घुस गये। उसके बाद में पुलिस का तांडव शुरू होता है और करीब 700-800 पुलिस वाले घरों में जा करके उनके दरवाजे

(श्री सुरेन्द्र गोयल)

तोड़कर के औरतों के साथ में, बच्चों के साथ में और उनके परिवार के व्यस्क सदस्यों के साथ में बेरहमी से पिटाई की, जिसको शब्दों में, मैं इस सदन में नहीं कह सकता।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजें, माननीय किरोड़ीलाल जी बिराजें।

श्री सुरेन्द्र गोयल : उपाध्यक्ष महोदय, आज कम से कम 60 व्यक्तियों के, किसी का छह जगह से पांव टूट गया, किसी के दोनों हाथ टूट गये, किसी के सर पर आठ-नौ टांके आए हैं और उनकी निर्ममतापूर्वक पिटाई की है। उन 60 व्यक्तियों के खिलाफ झूठा 307 का मुकदमा बना करके उनको थाने में ठूंस दिया और आज वह थाने में और जेल में बंद हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, उनका कहना है कि पुलिस के साथ मारपीट की, कोई भी एक चोट पुलिस वालों के लगी हो तो मैं आप जैसा कहो वैसा करने को तैयार हूं। सिर्फ एक षड्यंत्र रचकर उन्होंने मुकदमा बनाया और 91 व्यक्तियों को नामजद किया और जो 60 निर्दोष लोग थे, इनका कहना है कि हवन करने वाले बदमाश थे। अगर हवन करने वाले बदमाश होते तो आप धारा 144 लगाकर के उनको अरेस्ट कर लेते। उनको अरेस्ट किया नहीं और निर्दोष लोगों को जो घरों में बैठे थे, उनके साथ में मारपीट की है।

उपाध्यक्ष महोदय, इनका यह कहना है कि अगर हम नहीं ठोकते या हम नहीं मारते तो यह मुस्लिम समुदाय के लोगों के साथ में अत्याचार कर देते। मैं निवेदन करता हूं कि 14.1.2002 को मकर संक्रान्ति का जुलूस निकल रहा था और उस जुलूस में करीब तीन हजार हिन्दू शांतिपूर्वक निकाल रहे थे। और उधर से पन्द्रह-बीस दोनों समुदायों के लोग आये, धारियां, तलवारें लेकर के और उन्होंने पाकिस्तान जिन्दाबाद और हिन्दुस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाये। इस पर मुकदमा नम्बर 6/2002 दर्ज किया। यह जो मुकदमा दर्ज किया हुआ है वह स्वयं थानेदार ने दर्ज कराया है। थानेदार ने जो मुकदमा दर्ज कराया है, उसमें लिखा है कि अगर मौके पर प्रशासन, पुलिस और एस.डी.एम. वगैरह नहीं होते तो अशांति हो सकती थी। उस समय 20-25 मोहम्मडन समुदाय के लोग थे और तीन हजार हिन्दू थे। अगर उनमें वैमनस्य होता तो इनमें कोई न कोई बात होती तो वे 20-25 आदमियों को वहीं खतम कर देते पर हिन्दूओं ने कुछ नहीं किया, न कोई किसी प्रकार की बात की। पुलिस ने 2-3 आदमियों को गिरफ्तार कर लिया और बाकी को छोड़ दिया। उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि इस मामले की न्यायिक जांच करवायी जाये और जो दोषी अधिकारी हैं उनके खिलाफ दण्डात्मक कार्यवाही करें, उनको निलम्बित करें और यह कार्यवाही जब तक हो तब तक तुरन्त उनको वहां से हटा दिया जाये। जिन निर्दोष लोगों के साथ निर्ममतापूर्वक मारपीट की है उनका मुकदमा दर्ज करके उसको सी.आई.डी., सी.बी. में लेकर के न्याय दिलाने की कृपा करें। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा यही निवेदन है।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजो, बिराजो। माननीय मंत्रीजी।

श्री सांवरलाल (भिनाय) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं मौके पर गया हूं। उपाध्यक्ष महोदय, प्रतिपक्ष के नेता महोदय के निर्देश पर मैं स्वयं वहां मौके पर गया हूं।

श्री हीरासिंह चौहान (रायपुर) : सदन के कुछ माननीय सदस्य वहां जाकर आए हैं, उनको भी अपनी बात कहने का मौका दिया जाये।

श्री सांवरलाल : उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि बहुत गम्भीर बात है। प्रतिपक्ष के नेता महोदय के आदेश से हम स्वयं वहां जाकर आये हैं।

श्री मदन दिलावर (अटरू) : उपाध्यक्ष महोदय, प्रतिपक्ष की बात नहीं सुन रहे हैं। (व्यवधान)

श्री हीरासिंह चौहान : हमको कहने का मौका दीजिये। निर्मम पिटायी की गई है, जानबूझकर लोगों पर हमला किया गया है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी। (व्यवधान) बिराजो।

श्री हीरासिंह चौहान : मेरा निवेदन है कि कोई हिन्दू-मुस्लिम दंगा नहीं था। न तो मोहर्रम निकला था, न मुसलमान वहां पर थे। प्रशासन ने जोर जबरदस्ती की। हमें सुनना पड़ेगा।

श्री उपाध्यक्ष : नहीं सुनना पड़ेगा। बिराजिये। माननीय मंत्रीजी।

श्री हीरासिंह चौहान : उपाध्यक्ष महोदय, हम अपनी तरफ से अपनी बात आपको कहेंगे। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बिराजें।

श्री हीरासिंह चौहान : उपाध्यक्ष महोदय, इस प्रकार के सेंसिटिव मामले पर गये हैं वहां पर...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप गये होंगे। आप बिराजिये न।

श्री हीरासिंह चौहान : हम वास्तविक स्थिति है, उसका चित्रण कर रहे हैं, आप हमको मौका दीजिये।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये आप।

श्री मदन दिलावर : उनके हाथ-पैर तोड़ दिये। उलटा लिटा-लिटा कर मारा है।

श्री हीरासिंह चौहान : उपाध्यक्ष महोदय, हमको बोलने का मौका दीजिये।

श्री मदन दिलावर : वहां पर पुलिस ने अत्याचार किया है। आप छुपा रहे हैं।

श्री हीरासिंह चौहान : पुलिस और प्रशासन के द्वारा हमला किया गया है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वहां पर हिन्दू-मुस्लिम की लड़ाई नहीं थी।

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिये।

श्री हीरासिंह चौहान : न तो कोई वहां पर मोहर्रम के ताजिये निकल रहे थे।

श्री उपाध्यक्ष : पहले उनको सुनें।

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, पाकिस्तान जिन्दाबाद कहने वालों को

(श्री ज्ञानदेव आहूजा)

सरकार क्यों बचाना चाहती है? क्यों गृह मंत्रीजी बचाना चाहते हैं? क्यों गृह मंत्रीजी बचाना चाहते हैं आई.एस.आई. के एजेंटों को? क्यों गृह मंत्रीजी बचाना चाहते हैं?

श्री उपाध्यक्ष : कोई अंकित नहीं होगा। आप बिराजिये।

श्री सांवरलाल : ×××

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिये। आई विल नोट अलाउ।

श्री सांवरलाल : ×××

श्री उपाध्यक्ष : अंकित नहीं होगा। आप बिराजिये पहले। पहले उनकी बात सुनिये। आई विल नोट अलाउ।

श्री मदन दिलावर : ×××

श्री उपाध्यक्ष : वह देखेंगे बाद में। आप बिराजिये।

श्री हीरासिंह चौहान : ×××

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिये। प्लीज, पहले उनको सुनिये, उसके बाद में बात करेंगे। आप बिराजिये। उनके पास भी तथ्य होंगे।

श्री सांवरलाल : ×××

श्री मदन दिलावर : ×××

श्री ज्ञानदेव आहूजा : ×××

श्री गुलाब सिंह शक्तावत (गृह मंत्री) : आप बैठो तो बताऊं।

श्री मदन दिलावर : ×××

श्री ज्ञानदेव आहूजा : ×××

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये। आप कुछ सुनना चाहते हैं या नहीं? नहीं तो मैं अगला कार्यक्रम शुरू करता हूं।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : ×××

श्री उपाध्यक्ष : नहीं, नहीं, यह नहीं। माननीय सदस्य, जिसने स्थगन प्रस्ताव रखा उसको उपाध्यक्ष महोदय ने दो मिनट बोलने की इजाजत दी। उसके बाद मंत्रीजी जो कुछ कहना चाहेंगे, यह कोई डिबेट तो है नहीं, जो आप बोलेंगे और ये बोलेंगे। डिबेट थोड़े चल रही है? उनको दो मिनट का मौका दे दिया, उस पर गवर्नमेंट का रिप्लाई आ जायेगा, बात खतम हो गयी। व्हाट फार यू आर स्पीकिंग? किसलिये बोल रहे हो? आप काहे पर बोल रहे हो? (व्यवधान)। हां, ये बोलेंगे बस।

श्री हीरासिंह चौहान : ×××

श्री उपाध्यक्ष : आप और तरीके से ले आइये ना यदि गम्भीर है तो।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : उपाध्यक्ष महोदय, ग्राम लाम्बिया के निजामुद्दीन पुत्र जमातुद्दीन निवासी लाम्बिया के नाम ताजिये का जुलूस निकाले जाने का लाइसेंस दिया गया था जिसमें निर्धारित रूट से जुलूस निकालने का प्रावधान था। साम्प्रदायिक पृष्ठभूमि के कारण ग्राम लाम्बिया में पर्याप्त पुलिस बल भी तैनात किया गया था। दिनांक

××× अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री गुलाब सिंह शक्तावत)

23.2.2002 को ग्राम लाम्बिया में जिलाधीश व पुलिस अधीक्षक ने गांव के प्रतिष्ठित व्यक्तियों एवं दोनों समुदायों के व्यक्तियों से वार्ता की थी, गांव के सभी व्यक्तियों ने शांति हेतु आश्वस्त किया। स्थानीय शिव सेना नगर प्रमुख बलदेव राम जाट तथा इनके साथियों ने एक पम्फलेट जरिये जीप नम्बर आर. जे. 16 सी 1540 के ग्राम लाम्बिया धनेरिया, कुडकी, भूम्बिलिया, जसनगर आदि गांवों में वितरित कर, माइक से प्रचार कर दिनांक 24.3.2002 की रात्रि में भजन कीर्तन एवं दिनांक 25.3.2002 को बालाजी जन कल्याण यज्ञ में जनता को आने हेतु आमंत्रित किया। यह पम्पलेट है मेरे पास, शिवसेना का। यज्ञ की कोई अनुमति प्रशासनिक अधिकारियों से नहीं ली गयी थी। कोई प्रशासनिक स्वीकृति न तो एसडीओ. से ली और न जिलाधीश से ली थी। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य।

(माननीय उपाध्यक्ष महोदय द्वारा हाथ से अंकित न करने के संकेत)

श्री हीरासिंह चौहान : ×××

श्री सांवरलाल : ×××

श्री मानिकचन्द सुराना : ×××

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सुराणाजी।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : 24.3.2002 की रात्रि में (व्यवधान) आप सुनिये, उसकी क्यों आवश्यकता है, यह मैं बताने जा रहा हूं। रात्रि में शिव सैनिकों द्वारा स्थानीय बालाजी के मंदिर के सामने आम रास्ते पर दरियां बिछाकर भजन कीर्तन शुरू किया गया था जो मोहर्रम के रास्ते पर पड़ता था। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, प्लीज डोंट डिस्टर्ब।

श्री हीरासिंह चौहान : ×××

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : उसी रात्रि को कत्ल की रात में मोहर्रम के ताजिये का उस भजन कीर्तन स्थल से होकर निर्धारित रूट था। इसलिये मोहर्रम का जुलूस कत्ल की रात को नहीं निकल सका। पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारियों ने काफी समझाइश की तथा मौके पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पाली, अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट जैतारण व उप पुलिस अधीक्षक (प्रोबेशनर) को मय जाप्ते के शांति व्यवस्था हेतु लगाया गया, जिन्होंने काफी समझाया परन्तु उक्त लोग नहीं माने।

दिनांक 25.3.2002 को प्रातः 5 बजे भी उक्त शिव सैनिकों ने ताजिये के रास्ते पर ईंटों का हवन कुण्ड निर्माणकर यज्ञ आरम्भ कर रास्ता अवरुद्ध कर दिया था। यज्ञ करने वालों को समझाया गया कि आप लोगों द्वारा धारा 144 सी.आर.पी.सी. का उल्लंघन किया जा रहा है जो उचित नहीं है, परन्तु यह लोग यज्ञ स्थल पर मुस्लिम समुदाय के व्यक्तियों को उत्तेजित करने वाले नारे लगाते रहे तथा

××× अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री गुलाब सिंह शक्तावत)

भीड़ को प्रशासन के विरुद्ध एवं मुस्लिम समुदाय के विरुद्ध उकसाते रहे और आते-जाते झुण्ड में मुस्लिम मोहल्ले में धारिये, लाठियों, सरियों सहित घुसने का बार-बार प्रयास करने लगे। दिनांक 25.3.2002 को पुलिस अधीक्षक, पाली एवं जिला मजिस्ट्रेट पाली ने मौके पर करीब 3 पी.एम. पर जाकर गांव के मौजिज लोगों को समझाया लेकिन उन शिव सैनिकों पर कोई असर नहीं हुआ। भीड़ जो संख्या में 500 तक बढ़ गई व मुस्लिम मौहल्ले में जाकर हिंसा एवं साम्प्रदायिक तनाव पैदा करने पर आमादा थी। पुलिस बल मय प्रशासनिक अधिकारी के मुस्लिम मौहल्ले के बीच में थे तथा भीड़ को लगातार रोकने का प्रयास करते रहे। अगर यह भीड़ मुस्लिम मौहल्ले में घुसने में कामयाब हो जाती तो बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। पुलिस ने इस भीड़ को लगातार रोके रखा। दिन भर मुस्लिम समुदाय के लोग भी अपने घरों से बाहर नहीं निकले तथा भय के कारण मोहर्रम के ताजिये को भी मुकाम से नहीं उठा सके। जब भीड़ अपने मकसद में कामयाब नहीं हुई तो उन्होंने श्री दशरथ सिंह (प्रोबेशनर) पुलिस उप अधीक्षक को घेर लिया तथा पुलिस जाप्ते पर भारी पथराव शुरू कर दिया। मकान की छतों पर से भी पत्थर आने लगे। ऐसी स्थिति में पुलिस थाना कालू के थानाधिकारी ने मौके पर उपस्थित उप-खण्ड मजिस्ट्रेट जैतारण से अश्रु गैस छोड़ने की अनुमति मांगी। अनुमति उपरांत एस.एच.ओ. ने बलवाइयों को चेतावनी दी, परन्तु चेतावनी का कोई असर नहीं हुआ और पुलिस जाप्ते पर हमला जारी रहा। तत्पश्चात् पुलिस ने गैस के 9 शार्ट रेंज सैल, 9 लांग रेंज सैल, 18 थ्री वे ग्रेनेड चलाये, परन्तु पथराव व घातक धारदार हथियारों से लैस होकर हमला जारी रहा व भीड़ काबू में नहीं आई तथा भीड़ मुस्लिम मौहल्ले की तरफ बढ़ने लगी। इस पर थानाधिकारी थाना कालू ने मौके पर उप-खण्ड मजिस्ट्रेट, जैतारण से लाठीचार्ज की अनुमति हासिल की। पुलिस द्वारा विधिवत लाठीचार्ज करने पर भीड़ तितर-बितर हुई तथा कुछ लोग जो मकानों पर से पथराव कर रहे थे वे मकानों की छतों से कूदकर भागने लगे। कुल 28 बलवाइयों के चोटें आई। बलवाइयों द्वारा किये गये पथराव तथा धारदार हथियारों के प्रहार से 36 पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों के चोटें आई, जिनमें से 2 पुलिस कर्मियों को इलाज हेतु बांगड़ अस्पताल, पाली में भर्ती कराया गया। वर्तमान में एक पुलिसकर्मी अभी भी अस्पताल, पाली में भर्ती है।

इस आपराधिक कृत्य के विरुद्ध थानाधिकारी, आनन्दपुर कालू द्वारा कुल 91 नामजद अभियुक्तों के विरुद्ध प्रकरण संख्या 41/2002 दिनांक 25.3.2002 अन्तर्गत धारा 147, 148, 149, 353, 332, 153(ए), 188, 295, 307 भा.दं.सं. व 3 पी.डी.पी.पी. एक्ट में दर्ज किया गया है। उक्त प्रकरण के अनुसंधान के दौरान अब तक कुल 62 मुल्जिमान को गिरफ्तार किया गया जिनकी जमानत न्यायालय द्वारा स्वीकार की जा चुकी है। गिरफ्तारशुदा मुल्जिमों से तेज धारदार हथियार पुलिस द्वारा जप्त किये गये हैं। अभियोग अन्वेषणाधीन है।

श्री सांवरलाल : ×××

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिए, बिराजिए, बिराजिए।

श्री सांवरलाल : ×××

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : बता रहा हूं, हथियार बता रहा हूं।

श्री सांवरलाल : ×××

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिए।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : जो हथियार बरामद हुए हैं—(व्यवधान) सुनिए। आप प्रश्न पूछ लेते हैं, सुनते नहीं हैं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री कन्हैयालाल जी।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : बरछे-3, (व्यवधान)

श्री सांवरलाल : ×××

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिए। बिराजिए प्लीज।

श्री सांवरलाल : ×××

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिए प्लीज।

श्री सांवर लाल : ×××

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : कोई लीपापोती नहीं, जो धारदार हथियार हैं उनकी सूची पेश कर रहा हूं।

श्री सांवरलाल : ×××

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिए पहले।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : इस तरह से व्यवधान पैदा करके किसी के धार्मिक कार्य में अवरोध पैदा करना संविधान के खिलाफ है और सरकार इसको नहीं होने देगी।

श्री उपाध्यक्ष : श्री कन्हैयालाल जी मीणा।

श्री सांवरलाल : ×××

श्री उपाध्यक्ष : श्री कन्हैयालाल जी। बोलिए। बिराजिए माननीय सदस्य। (व्यवधान) बिराजिए, बिराजिए।

श्री सांवरलाल : ×××

श्री हीरासिंह चौहान : ×××

श्री सांवरलाल : ×××

श्री यशवन्त सिंह (रामू) : ×××

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा : ×××

श्री सांवरलाल : ×××

श्री उपाध्यक्ष : श्री कन्हैया लाल जी।

श्री सांवरलाल : ×××

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिए, और कुछ आगे लूं।

श्री यशवन्त सिंह (रामू) : ×××

श्री सांवरलाल : ×××

श्री उपाध्यक्ष : चर्चा समाप्त हुई। बिराजिए प्लीज। माननीय सांवरलाल जी। बिराजिए।

श्री यशवन्त सिंह (रामू) : ×××

××× अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री सांवरलाल : ×××

श्री नन्दलाल बंशीवाल : ×××

श्री उपाध्यक्ष : आप प्लीज सांवरलाल जी, बिराजिए।

श्री सांवरलाल : ×××

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा : ×××

श्री नन्दलाल बंशीवाल : ×××

श्री बाबूलाल सिंगारिया : ×××

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिए।

श्री यशवन्त सिंह (रामू) : ×××

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिए प्लीज। आर्डर प्लीज। बिराजिए।

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा : ×××

श्री नन्दलाल बंशीवाल : ×××

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिए।

श्री नन्दलाल बंशीवाल : ×××

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा : ×××

श्री ज्ञानदेव आहूजा : ×××

श्री हीरासिंह चौहान : ×××

श्री उपाध्यक्ष : कोई पूछना नहीं है, आप बिराजो।

श्री हीरासिंह चौहान : ×××

श्री उपाध्यक्ष : कोई पूछना नहीं है, आप बिराजो प्लीज।

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा : ×××

श्री सांवरलाल : ×××

श्री हीरासिंह चौहान : ×××

श्री उपाध्यक्ष : आपको क्या कहना है, बोलो ना।

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा : ×××

श्री यशवन्त सिंह (रामू) : ×××

श्री हीरासिंह चौहान : ×××

श्री उपाध्यक्ष : आप चाहते क्या हो ?

श्री हीरासिंह चौहान : ×××

श्री सांवरलाल : ×××

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : धारदार हथियार मौके से बरामद किये गये हैं। जिसमें तलवार भी है, फरसा भी है, गण्डासा भी है, खुरपा भी है, लोहे की राड भी है। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : ×××

श्री सांवरलाल : ×××

श्री हीरासिंह चौहान : ×××

श्री यशवन्त सिंह (रामू) : ×××

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : ×××

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य।

डा. के. सी. चौधरी : ×××

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : किसी भी अधिकारी की अनुमति के बिना काम करोगे तो सरकार.... (व्यवधान)

××× अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : ×××

श्री हीरासिंह चौहान : ×××

श्री नाथूराम अहारी : ×××

श्री गुलाब चन्द कटारिया : ×××

श्री के. सी. चौधरी : ×××

श्री सांवरलाल : ×××

डा. किरोड़ी लाल : ×××

श्री राजेन्द्र राठौड़ : ×××

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। बिराजिये प्लीज।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : ×××

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिये।

श्री हीरासिंह चौहान : ×××

श्री हफीज मोहम्मद : ×××

श्री ज्ञानदेव आहूजा : ×××

श्री उपाध्यक्ष : आप एक मिनट, माननीय सदस्य बोल गये, इन्होंने जवाब दे दिया, माननीय, इनका स्टेटमेंट आ गया।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : ×××

श्री गुलाब चन्द कटारिया : ×××

श्री राजेन्द्र राठौड़ : ×××

श्री नाथूराम अहारी : ×××

श्री हीरासिंह चौहान : ×××

श्री गुलाब चन्द कटारिया : ×××

श्री नाथूराम अहारी : ×××

श्री गुलाब चन्द कटारिया : ×××

(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा सदन से बहिर्गमन किया)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर प्लीज।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : ×××

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिए, प्लीज, माननीय आहूजा जी।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : ×××

श्री प्रद्युम्न सिंह : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक मिनट।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी अंकित नहीं हो रहा है, आप काहे को बोल रहे हैं?

श्री प्रद्युम्न सिंह : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक निवेदन करना चाहता हूं कि गृह मंत्रीजी ने जो बात कही है वह रेकार्ड के ऊपर....

श्री उपाध्यक्ष : नहीं, नहीं।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : सर, वो रास्ता रोकने की चेष्टा कर रहे हैं।

श्री प्रद्युम्न सिंह : रास्ता रोकने की चेष्टा करें और उसका उल्टा आरोप लगायें, उसको ट्विस्ट दूसरा देने की कोशिश कर रहे हैं कि यह परमिशन नहीं दी, वह परमिशन नहीं दी, आपका जो रास्ता तय था उस रास्ते को रोकेंगे, समझाइश के बाद नहीं मानेंगे तो फिर काहे का?

श्री यशवन्त सिंह (रामू) : ×××

××× अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री उपाध्यक्ष : कन्हैयालाल जी आप बोलिये। आप क्या बोल रहे हैं, बोलो।

श्री यशवन्त सिंह (रामू) : ××××

श्री नन्दलाल बंशीवाल : ×××

श्री उपाध्यक्ष : आप कहना क्या चाहते हो?

श्री नन्दलाल बंशीवाल : ×××

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा : ×××

श्री मदन दिलावर : ×××

श्री सांवरलाल : ×××

श्री उपाध्यक्ष : यह क्या कह रहे हैं?

श्री सांवरलाल : ×××

श्री मदन दिलावर : ×××

(13.00 बजे)

श्री सांवरलाल : ×××

श्री यशवन्त सिंह (रामू) : ×××

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये प्लीज।

श्री यशवन्त सिंह (रामू) : ×××

(माननीय सदस्य श्री यशवन्त सिंह (रामू), श्री रिछपाल सिंह मिर्धा, श्री नन्दलाल बंशीवाल एवं श्री सांवरलाल द्वारा सदन के वेल में धरना)

श्री उपाध्यक्ष : झगड़ा क्या है वह सुना ही नहीं और आप धरना दे रहे हो। वहां से बोल लेना, बोलना ही तो है आपको। आपको वहां से बुलवा रहे हैं, आप बोल ही नहीं रहे हो। (व्यवधान) समर्थन मूल्य आ गया।

श्री मानिक चन्द सुराना : ×××

श्री उपाध्यक्ष : यह कहां से आ गया? यह क्या इश्यु हुआ?

श्री मानिक चन्द सुराना : ×××

श्रीमती सुमित्रा सिंह : ×××

श्री अमराराम (धोद) : ×××

श्री उपाध्यक्ष : श्री कन्हैया लालजी।

श्री अमराराम (धोद) : ×××

श्री मदन दिलावर : ×××

श्री सांवरलाल : ×××

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बिराजें प्लीज। माननीय दिलावर जी, बिराजिये।

श्री नन्दलाल बंशीवाल : ×××

श्री मदन दिलावर : ×××

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिये प्लीज। माननीय कन्हैयालाल जी बोलेंगे। कन्हैया लालजी, बोलिये, बोलिये।

श्री मदन दिलावर : ×××

श्री कन्हैया लाल : ये बोल रहे हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से राज्य सरकार से निवेदन करना चाहता हूं— (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री मदन दिलावर : ×××

श्रीमती सुमित्रा सिंह : ×××

श्री नाथूराम अहारी : ×××

श्रीमती सुमित्रा सिंह : ×××

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बिराजें।

××× अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री नाथूराम अहारी : ×××

श्री नन्दलाल बंशीवाल : ×××

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री नन्दलाल बंशीवाल : ×××

श्री ज्ञानदेव आहूजा : ×××

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : ×××

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्या, आप बजट पर बोलिये न।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : ×××

श्री उपाध्यक्ष : इस पर बोल लेना न आप। बजट में अगर आपको इंक्लूड कराना है तो बजट पर बोलना न।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : ×××

श्री उपाध्यक्ष : आपको अवसर दिया जाएगा, आप बोल लेना न बजट पर। माननीय सदस्या, आप बिराजें प्लीज।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : ×××

श्री उपाध्यक्ष : आप यह फरमा रही हैं कि इसको बजट में जोड़िये तो बजट पर बोल लेना न आप।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : ×××

श्री यशवन्त सिंह (रामू) : ×××

श्रीमती सुमित्रा सिंह : ×××

श्री उपाध्यक्ष : सरकार से जवाब मांगा किसने ? (व्यवधान) कब मांग रह हो ?

श्रीमती सुमित्रा सिंह : ×××

श्री यशवन्त सिंह (रामू) : ×××

श्री उपाध्यक्ष : आफ हैण्ड बोल रहे हैं, सरकार का जवाब नहीं आया।

श्री सांवरलाल : ×××

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप बैठिये। बिराजिये।

श्री अमरा राम (धोद) : ×××

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिये। आप बिराजिये प्लीज। एक मिनट वे बोल रहे हैं न। आप बिराजें। मैं आपसे यह निवेदन कर रहा हूं कि यह मामला बहुत गम्भीर है, हम भी इसको गम्भीर मानते हैं।

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा : ×××

श्रीमती सुमित्रा सिंह : ×××

श्री उपाध्यक्ष : तरीके से आप उठाकर के इस स्थिति में तो लाइये कि सरकार इसका जवाब दे और आफ हैण्ड न तो सरकार को कुछ पता है कि आप बोल रहे हैं, न को-आपरेटिव मिनिस्टर बैठे हैं। आप इसको किसी तरीके से उठा करके लेकर के फिर जवाब लेते।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : ×××

श्री यशवन्त सिंह (रामू) : ×××

श्री उपाध्यक्ष : आप अभी बजट में बोलिये। किसी तरीके से इसको लाइये तो सरकार का जवाब भी आयेगा। बिराजिये विराजिये।

श्री यशवन्त सिंह (रामू) : ×××

××× अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री अमराराम (धोद) : ××××

श्री उपाध्यक्ष : यह तो हो गयी।

श्री अमराराम (धोद) : ×××

श्री उपाध्यक्ष : एक मिनट आप बिराजिये। आपने कल एडजोर्नमेंट मोशन दिया इसी पर? (व्यवधान) और कल कहा कि सरकार से जानकारी प्राप्त की है।

श्री यशवन्त सिंह (रामू) : ×××

श्री अमराराम (धोद) : ×××

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, इस पर कल सरकार से जानकारी प्राप्त करके कल सरकार से जानकारी दिला देंगे। (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद) : ×××

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये प्लीज।

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा : ×××

श्री उपाध्यक्ष : कह दिया न कल हो जाएगा। माननीय सदस्य श्री कन्हैयालाल जी।

डा. किरोड़ी लाल : ×××

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजें। वह तो जानकारी के लिए भेज दिया। आपको बता दिया न।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : ×××

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये। आप वाला आयेगा जब पर्ची की बात करेंगे। अभी तो कन्हैयालाल जी की पर्ची है उस पर बोलने दो। आप बिराजें।

पर्ची के माध्यम से उठाये गये मुद्दे

ग्रामीण क्षेत्रों में अपर्याप्त विद्युत आपूर्ति

श्री कन्हैया लाल (बस्सी) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यानाकर्षित करना चाहूंगा कि गांवों के गरीब लोग, आप इस बात को जानते हैं कि राजस्थान के 80 प्रतिशत किसान, ग्रामीण लोग गांवों में रहते हैं। चाहे वे किसान हों, चाहे मजदूर हों, वे सारे के सारे लोग वहां पर रहते हैं। उन लोगों ने बहुत महंगे दामों में अपने घरों में कनेक्शन लिये, बिजली के कनेक्शन लिये और आपकी सरकार ने जो रेट बढ़ाया और सारी राशि को भी वे महीने के महीने चुकाते हैं तो दुःख का विषय है कि आज किसान के बालक क्या पढ़ते नहीं हैं? आज उनके बच्चे कालेज में भी जाते हैं, प्राइमरी स्कूलों में भी जाते हैं और आज उनको पढ़ने के लिए न तो मिट्टी का तेल है और न लाइट है। आज वे बच्चे बिना तैयारी के परीक्षा देने जाते हैं। आज गांव वालों के बच्चों का क्या हाल होगा। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय विद्युत मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि गांव में जो काश्तकार की फसल थी, पहले फसल की वजह से कह रहे थे कि हम नौ बजे तक लाइट देंगे सिंगल फेस, उसके अलावा हम आपको नहीं देंगे। मैं कह रहा हूं, अब तो इनको चाहिए कि 24 घंटे

××× अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री कन्हैया लाल)

सिंगल फेस कर दें जिससे गांव की जनता, गांव के किसान का बेटा है, बेटियां हैं, वे पढ़ रहे हैं, आज उनको कम से कम लाइट मिले और मिट्टी का तेल भी आज कहीं भी उपलब्ध नहीं हो रहा है। और आज वह अंधेरे के अन्दर बैठकर, और या तो सरसों के तेल का दीपक जलाकर वह पढ़ाई करने को मजबूर हो रहे हैं। साथ ही मेरा आपसे निवेदन है, माननीय विद्युत मंत्रीजी ने घोषणा की थी कि हम 5000 गांवों को खैर वैसे यह घोषणा है क्या आप छोटे गांवों में नहीं देंगे? 5000 गावों के लिए इन्होंने कहा है कि 5000 की आबादी वाले जो गांव हैं, जो भी 5000 से ज्यादा हैं राजस्थान में, हम उनको 25 घंटे बिजली देंगे, थ्री फेस बिजली देंगे, सिंगल फेस देंगे, 24 घंटे देने का वादा किया था। आज विद्युत मंत्री महोदय, कोई सा भी ऐसा गांव नहीं है जिसमें 5000 से अधिक की आबादी के ग्रामीण एरिया में जिसमें 24 घंटे बिजली दे रहे हैं। मेरे क्षेत्र में, जहां पर बड़ी-बड़ी पेयजल स्कीमें हैं, जहां 20-30 हजार की आबादी के गांव हैं, उन गांवों के अन्दर भी लाइट नहीं देने की वजह से आज लोगों को पानी पीने के लिए भी बड़ी समस्या उत्पन्न हो रही है। मेरे क्षेत्र के अन्दर जैसे कानोता है, तूंगा है, बांसखोह है, कोटखावदा है, जटवाड़ा है, ये इतने बड़े-बड़े कस्बे हैं, जिनमें कोई लाइट नहीं दे रहे हैं। मैं आपके माध्यम से सरकार से यह निवेदन करना चाहूंगा कि जो वादा आपने किया, कम से कम उन वादों को निभायें और इस समय किसान फसल करीब-करीब काट चुका है, इस समय सिंगल फेस की बिजली 24 घंटे मिले। उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय से कहकर इसको करवायें जिससे गांवों के बच्चे जो परीक्षा दे रहे हैं, वे दे सकें। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : डाक्टर किरोड़ी लाल।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा...नहीं उपाध्यक्ष महोदय, दूसरे नम्बर पर मेरी पर्ची है।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये, बिराजिये आप। बुलाउंगा, चिंता मत करो। बिराजिये, बिराजिये। पर्ची है ना। इनकी भी पर्ची है। आप बिराजिये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आज लाटरी जो निकली थी.....

नर्सरी की जमीन पर नियम विरुद्ध पेड़ों की कटाई

डा. किरोड़ी लाल (बामनवास) : उपाध्यक्ष महोदय, इनका नम्बर मत काट देना मेरे को बुलाने के बाद में।

उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान में जिस तेजी के साथ वनों की कटाई हो रही है और इस वनों की कटाई में जिस ढंग से राजनैतिक संरक्षण प्राप्त है, उससे लगता है कि सरकार कोई कार्यवाही नहीं करना चाहती। उपाध्यक्ष महोदय, जयपुर की लाल कोठी में एक प्रताप नर्सरी नाम की बहुत अच्छी विश्वविख्यात नर्सरी थी। यह तहसील जयपुर के गांव भोजपुरा एवं चक सुदर्शनपुरा के खसरा नम्बर 345 से 347 एवं 351 से 356 की 9 बीघा 6 बिस्वा जमीन पर लगी हुई थी। 1955 में यह नर्सरी स्थापित हुई और पांच वर्ष से 50 वर्ष की उम्र के इसमें पेड़ थे। इससे ही लगी हुई

(डा. किरोड़ी लाल)

दूसरी एक नर्सरी जो 5 बीघा में थी, आनन्द नर्सरी थी, उपाध्यक्ष महोदय, 15.5.1971 को आनन्द नर्सरी को तो सरकार ने डी-एक्वायर कर दिया लेकिन प्रताप नर्सरी को डी-एक्वायर नहीं किया तो उनके मालिक कोर्ट में गये और कोर्ट ने, 9 मार्च, 1979 को जस्टिस लोढ़ा ने एक निर्णय दिया कि—"The Anand Nursery and the Pratap Nursery are like two twin sons of a father, located at one place, adjoining each other and form part of the same scheme called Lal Kothi Scheme of Jaipur. Both these areas have been shown in the Master Plan as, ...are reserved for nurseries....." इसलिए डिस्क्रिमिनेटरी होने के नाते कांस्टीट्यूशन आफ इण्डिया के आर्टिकल (14) के उल्लंघन के कारण हाई कोर्ट ने निर्णय देकर अवाप्ति की कार्यवाही को रद्द कर दिया और हाई कोर्ट ने कहा—"This land would be kept in the present form for the use of nursery and nursery only." नर्सरी के काम में ली जायेगी। लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, वह नर्सरी की जमीन बड़ी कीमती थी। भू-माफिया की निगाह उस जमीन पर थी। उप-पंजीयक जयपुर द्वितीय ने अपनी रिपोर्ट 22.5.1998 के द्वारा स्वर्गीय श्री रामप्रताप के पक्ष में निष्पादित विक्रय पत्र के स्टाम्प के सिलसिले में इस भूमि की कीमत 57 करोड़ रुपये आंकी थी 1998 में, उपाध्यक्ष महोदय, इस नर्सरी का नियमन इस सरकार ने कर दिया। हाई कोर्ट ने कहा कि यह नर्सरी, नर्सरी ही रहेगी और बाद में जयपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम 1979 की धारा 54 (बी) में स्पष्ट उल्लेख है कि नर्सरी की जमीन का नियमन नहीं किया जा सकता—

श्री उपाध्यक्ष : आप पेड़ों की कटाई पर बोल रहे हैं या लाल कोठी पर बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं आप? माननीय सदस्य।

डा. किरोड़ी लाल : मैं यह बोल रहा हूं कि जिस ढंग से नर्सरी का अस्तित्व खतम किया है—

श्री उपाध्यक्ष : वैसे इसका प्रश्न आपने उठाया, उसका डिटेल जवाब आपके पास पहुंच चुका है।

डा. किरोड़ी लाल : हां हां, आ गया, तभी तो बोल रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : उसके बाद भी आपको अलाउ कर रहे हैं इसलिए, बाकी तो जरूरत नहीं थी लेकिन जो प्रश्न है, उस पर ही बोलो आप।

डा. किरोड़ी लाल : हां, उसी पर बोल रहा हूं, उपाध्यक्ष महोदय। केबीनेट सब कमेटी ने कानून में परिवर्तन कर दिया, नियमन का निर्णय ले लिया। जयपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम 1979 की धारा 54 (बी) का उसमें ध्यान नहीं रखा। प्रताप नर्सरी को यू.आई.टी. द्वारा 1976 में मास्टर प्लान में दर्शाया गया है, 1999 में जे.डी.ए. द्वारा मास्टर प्लान में दिखाया गया है। 1979 में यह निर्णय था कि यह नर्सरी रहेगी, संभागीय आयुक्त ने भी इसको नर्सरी का माना है और इस 60-65 करोड़ की जमीन को कोड़ियों के भाव में दे

(डा. किरोड़ी लाल)

दिया। मैं इसमें तो नहीं जाना चाहता क्योंकि भू-माफिया और मंत्री, कौन-कौन की सांठ-गांठ है, वह पूरा अच्छी तरह से पता है। पूरे राजस्थान की जनता जानती है, उसको बेच दिया है। उपाध्यक्ष महोदय, कार्यालय भूमि अवाप्ति अधिकारी, नगर विकास योजना जयपुर के पत्रांक 887 दिनांक 20.10.1973 यह कहता है कि इसमें 1,71,461 पेड़ होना पाया गया है और कल जो सरकार ने जवाब दिया है, सरकार ने भी माना है कि इसमें इतने पेड़ लगे हुए थे। यह राजस्थान की सबसे बड़ी नर्सरी थी। वैज्ञानिक तरीके से तैयार की गई नर्सरी थी और जयपुर का फेफड़ा माना गया था। उपाध्यक्ष महोदय, इसके तथाकथित मालिक भीमसेन गर्ग जिसने अभी जमीन पर कब्जा कर लिया, ने राज्य सरकार को 9.11.1999 तथा 17.1.2001 को पत्र लिखा, उन्होंने अपने पत्र में इसका पूरा वृत्तान्त देते हुए लिखा है कि यह नर्सरी वास्तव में इस क्षेत्र के निवासियों के लिए फेफड़ों का कार्य कर रही है और सरकार ने उनसे मिलकर पूरे के पूरे फेफड़े को कोलेप्स कर डाला। जे.डी.ए. के आयुक्त थानवी ने 1999 में इन पेड़ों की कटाई को रोका था। उपाध्यक्ष महोदय, 9 बीघा 6 बिस्वा जमीन, देश की प्रसिद्ध नर्सरी में लाखों-हजारों पेड़ों की कटाई जनवरी, 2002 में चालू हुई और अब भी चल रही है और रातों-रात उसको गणेश विहार आवासीय योजना में बदल डाला। उपाध्यक्ष महोदय, इसमें हास्यास्पद बात यह है कि किसान अपनी खातेदारी में, खेत में बिना परमिशन के पेड़ काट ले तो उसकी सजा हो जाती है। किसानों के हजारों मामले कोर्ट्स में चल रहे हैं, उनकी बैलगाड़ी, ट्रैक्टर, ऊंट गाड़ी पकड़ ली जाय तो जितनी उनकी कीमत है उतनी बैंक गारंटी देने के बाद वह छूटती है। उपाध्यक्ष महोदय, बड़े प्रभावशाली लोगों के खिलाफ सरकारी कोई कार्यवाही नहीं करना चाहती, इनको तो मुक्त कर डाला और किसानों को जेल के सींखचों में भेज रहे हो।

उपाध्यक्ष महोदय, किसानों के खिलाफ फोरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट की धारा 41, 42 एवं टिनेन्सी एक्ट की धारा 80 से लेकर के 86 के प्रावधानों का उपयोग कर सजा बोली जा रही है। इसमें, उपाध्यक्ष महोदय, हुआ क्या है, इसमें फोरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 एवं 1988 में किये गये संशोधनों के अनुसार 4 (क) का स्पष्ट रूप से उल्लंघन हुआ है जिसमें केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति जरूरी है। एक उपाध्यक्ष महोदय, एन.टी.पी.सी. का जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने किया था, उस जजमेंट के हिसाब से इसका उल्लंघन किया है। सुप्रीम कोर्ट का ही जजमेंट गोधा बर्धन बनाम यूनियन आफ इण्डिया एण्ड अदर्स का जो हुआ, उसमें भी केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति बहुत आवश्यक है, उपाध्यक्ष महोदय। काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 83 के अनुसार किसान को खुद के खेत से पेड़ काटने का अधिकार नहीं है। वह अधिनियम की धारा 84 में घरेलू प्रयोजन के लिए, केवल घरेलू प्रयोजन के लिए पेड़ काट सकेगा। उसके भी लिये, उपाध्यक्ष महोदय, राजस्व अधिकारी की पूर्वानुमति जरूरी है और उसने अगर अनुमति नहीं ली तो उसको....

श्री शिवनाथ सिंह : उपाध्यक्षजी, पर्ची का मामला है, पर्ची के लिए आसन से भी निर्देश दिये गये हैं। एक मांन्यता है, जो अर्जेन्ट मैटर है उसको दो मिनट में, पांच मिनट में कह दिया जाय। माननीय उपाध्यक्षजी, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि वह महाभारत सुनने के लिए हमको क्यों बाध्य किया जा रहा है। यह बाध्य क्यों किया जा रहा है हमको? जो एक बात पांच मिनट में कही जा सकती है, यह तो पूरी हिस्ट्री हो गई, एक पूरा केस हो गया, पूरी डिबेट हो गई। इसलिए माननीय उपाध्यक्ष जी, हम पर मेहरबानी कीजिये और हमको इस महाभारत सुनने को बाध्य मत कीजिये।

मोहम्मद माहिर आजाद : कल एक सवाल लगा हुआ था तारांकित सवाल, उसका जवाब भी आ गया, फिर आज पर्ची के जरिये भी यही, एक ही चीज को रोज-रोज अगर इस हाउस में उठाया जायेगा—

डा. किरोड़ी लाल : नहीं, आपको क्या तकलीफ हो रही है?

मोहम्मद माहिर आजाद : नहीं, हम अपनी बात आसन से कह रहे हैं—

डा. किरोड़ी लाल : + + +

मोहम्मद माहिर आजाद : किससे, क्या हो गया—(व्यवधान)

डा. किरोड़ी लाल : भीमसेन से—(व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : मैं आसन से बात कर रहा हूं। (व्यवधान) एक निजी पर्सनली दुश्मनी निकालने का माध्यम नहीं है यह। आप इस तरीके से निजी दुश्मनी निकालने के लिए हाउस का उपयोग करते हैं, यह ठीक बात नहीं है।

डा. किरोड़ी लाल : हां, बिलकुल करेंगे हाउस का उपयोग। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बिराजिये, बिराजिये। (व्यवधान)

डा. किरोड़ी लाल : उपाध्यक्ष महोदय, हम भ्रष्टाचार को सहन नहीं कर सकते।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य।

डा. किरोड़ी लाल : एक लाख सतरह हजार पेड़ कटना—

श्री ज्ञानदेव आहूजा : उपाध्यक्ष महोदय, उनको तो माल मिल गया, माहिर आजाद साहब को क्या हुआ है, इनको भी + + +

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य बिराजें। थोड़ा ब्रीफ होइये माननीय किरोड़ी लालजी।

डा. किरोड़ी लाल : मैं शार्ट कर रहा हूं। उपाध्यक्ष महोदय, मेरे कहने का मतलब यह था कि अगर खेत से किसान एक पेड़ काटता है, वह इजाजत नहीं ले तो 83-84 में उसको सजा कर दी जाती है और वह भी, उपाध्यक्ष महोदय, एक-दो पेड़ की परमिशन उसको मिलती है। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं, एक लाख सतरह हजार पेड़ काट डाले, सरकार में कोई जवाब देने वाला है, उन पेड़ों को क्यों काटा गया? न माइनर एक्ट में मुकदमा दर्ज हुआ उपाध्यक्ष महोदय, न फोरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट में मुकदमा दर्ज हुआ,

---

+ + + अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

(डा. किरोड़ी लाल)

न टिनेन्सी एक्ट में मुकदमा दर्ज हुआ और जो सूचना यहां विधायक नगर थाने में दर्ज हुई थी, रोजनामचे में रपट डाल रखी है, उपाध्यक्ष महोदय, उस रपट के आधार पर कुछ यहां पेड़, काटे हुए पेड़ों को खड़ा किया था और वह गृह मंत्री के दखल के बाद उन सारे पांच-छह ट्रकों को यहां पर छोड़ दिया गया, इसलिए इसमें सीधा-सादा सरकार का दखल है। सरकार के दखल के कारण पेड़ कटे हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मेरी मांग है, इतने लम्बे पेड़ों को काट देना पर्यावरण के साथ खिलवाड़ है। जिसने भी पेड़ काटे हैं उनके खिलाफ कार्यवाही सरकार करे, ऐसा मैं आपसे आश्वासन चाहता हूं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे इस मामले में एक मिनट कहना है। संबंधित मंत्री तो शायद यहां नहीं है, लेकिन मंत्री मण्डल का संयुक्त उत्तरदायित्व है इसलिए कोई न कोई मंत्री इसका उत्तर देगा। केवल एक छोटी सी बात है कि पेड़ काटने की अनुमति राज्य सरकार ने या भारत सरकार ने दी है या नहीं दी।

श्री प्रद्युम्न सिंह (वित्त मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, चूंकि प्रतिपक्ष के नेता महोदय ने एक प्रश्न यहां किया। मेरा विभाग नहीं है, न मुझे इस प्रकरण की कोई जानकारी है....

श्री उपाध्यक्ष : यह तो कह चुके, यह आपका विभाग नहीं है।

श्री प्रद्युम्न सिंह : स्वयं इस बात को उन्होंने स्वीकार किया है कि संबंधित मंत्री नहीं है और इस आधार पर उन्होंने उत्तर चाहा है कि मंत्रिमण्डल की संयुक्त जिम्मेदारी है, जोइंट रेस्पांसिबिलिटी के आधार पर इतना मैं कह सकता हूं, मुझे इसकी जानकारी नहीं है और मैं ऐसा मानकर चलता हूं शायद गृह मंत्रीजी को भी इसके बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन जो कुछ यहां पर कहा है, आपकी भावनाओं से मैं संबंधित मंत्री महोदय को अवगत करा दूंगा।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इतना ही चाहूंगा कि इतना इम्पोर्टेंट इश्यू है, सरकार की तरफ से यदि उसका उत्तर नहीं आता है तो प्रिजम्प्शन क्या होगा इसका अंदाजा लगा लिया जाय। लेकिन मैं वित्त मंत्रीजी से कहना चाहूंगा कि कल आप मंत्रीजी को कह दीजिये इसके ऊपर वह एक छोटा सा वक्तव्य दे देंगे, फलां तारीख को परमिशन ली गई और इतने पेड़ काटे गये।

श्री हरिसिंह (महुवा) (सरकारी मुख्य सचेतक) : पर्ची के माध्यम से प्रश्न उठा है तो....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : पर्ची का प्रश्न नहीं कर रहा।

श्री हरीसिंह (महुवा) : मैं आपसे थोड़ा सा, एक सैकण्ड, आप थोड़ा सा मेरी भी सुन लें। यह है नर्सरी और नर्सरी में पौध तैयार होती है और लाखों की संख्या में तैयार होती है....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप छोड़ो। जो विषय की जान रहे हैं....

श्री हरिसिंह (महुवा) : नर्सरी में होती है, हर साल पौध तैयार होती है और हर साल बेच दी जाती है या बांट दी जाती है....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह ठीक है, वह मंत्रीजी से कहलवा दें।

श्री हरिसिंह (महुवा) : अब उसमें एक लाख पिचहत्तर हजार, दो लाख छिहत्तर हजार, यह कहां कोई उसमें पेड़ थे और कितना उसके लिए क्षेत्रफल चाहिए, दो लाख पेड़ों के लिए, यह सब आप अंदाज करिये। इसका नाम नर्सरी है, प्रताप नर्सरी के नाम से।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मालूम है।

श्री हरिसिंह (महुवा) : और नर्सरी पौध तैयार करती है और पौध तैयारी करते ही उनको बेच देती है या डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। अब इसमें कहां आ गये वन मंत्री, कहां आ गई इसमें सरकार।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : उपाध्यक्ष महोदय, पहले तो मुख्य सचेतकजी को यह जानकारी दीजिये कि कोई दूसरा सदस्य बोलता है तो बीच में नहीं खड़े हों। मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि आप जो बात कह रहे हैं, यदि मंत्री महोदय के मुंह से इस हाउस में कहलवा दें तो आपको आपत्ति है क्या। इससे सरकार की छवि सुधरेगी। मैं छवि सुधारने की बात कर रहा हूं, आप सरकार की छवि बिगाड़ने का काम कर रहे हैं।

श्री हरिसिंह (महुवा) : आप चिंता न करें, आप सरकार की छवि की चिंता न करें।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप थोड़ा बैठ जाओ। अब सरकार की छवि जब ही सुधरेगी...

श्रीमती सुमित्रा सिंह : आप तो दो करोड़ रुपये खर्च कर रहे हो, यह तो मुफ्त में सुधार रहे हैं आपकी छवि। आपने दो करोड़ रुपये खर्च करे हैं छवि सुधारने के लिए।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अब मेरा दुर्भाग्य है कि मैं छवि सुधारने का काम कर रहा हूं और यह अपनी छवि को बिगाड़ने में तुले हुए हैं। अब ऐसे ही शिवनाथ सिंहजी से मैं कहना चाहूंगा, आप कई बार बहुत आपत्तियां उठाते हैं। यह ऐसी आपत्ति है कि जैसे इन्होंने कहा कि यदि काश्तकार पेड़ काटता है तो सजा भोगता है। और एक लाख सोलह हजार या सतरह हजार पेड़ काट लिये जायें, सरकार की जानकारी है या नहीं, सरकार ने अनुमति दी है या नहीं दी है, भारत सरकार से अनुमति ली या नहीं ली, यह पर्ची हो चाहे एडजोर्नमेंट मोशन हो, मैं समझता हूं, कोई भी रेस्पांसिबिल सरकार होगी तो निश्चित रूप से इस हाउस के अन्दर इसका स्पष्टीकरण करेगी और यही मैंने मांग रखी है।

श्री प्रद्युम्न सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने कहा कि मैं उन्हें अवगत करा दूंगा। वैसे जो डिमांड्स डिस्कस हो रही है इस बार सदन के अंदर, इसके ऊपर, न-न, मैं आपको निवेदन कर रहा हूं, कल ही बिजनस एडवाइजरी कमेटी...(व्यवधान) एक मिनट सुन लें, देखिये सुमित्रा सिंहजी, यह न करें। मेरी जहां तक जानकारी है कि यह रिलेटेड, मैं फोरेस्ट की बात नहीं कर रहा, मैं अरबन डवलपमेंट की बात कर रहा हूं, उसके डिमांड के ऊपर चर्चा हो रही है, नम्बर एक। नम्बर एक, चर्चा हो रही है और नम्बर दो, मैं इस बारे में संबंधित मंत्री महोदय को अवगत करा दूंगा। यह मैंने अभी आपके माध्यम से निवेदन किया है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नहीं उपाध्यक्ष महोदय, मुझे अफसोस है कि पांच दिन तक आप अपनी छवि क्यों खराब रखना चाहते हैं।

श्री प्रद्युम्न सिंह : आप चिंता न करें, दूध का दूध, पानी का पानी, सारी चीज सामने आ जायेगी श्रीमन्। मुझे आपका बहुत धन्यवाद है, मैं बड़ा धन्यवाद ज्ञापन अर्पित करता हूं कि श्रीमन् आपने हमारी छवि की चिंता करी, बाकी तो जिस दिन से सदन शुरू हुआ है, उस दिन से आप् हमारी छवि सुधारने का कार्य कर रहे हैं, यह सारा सदन जानता है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नहीं, उपाध्यक्ष महोदय, आप कम से कम दखल करिये।

श्री उपाध्यक्ष : कह दिया न, अब....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह नहीं उपाध्यक्ष महोदय, फिर यह मामले नहीं उठे इसकी व्यवस्था तो आपको करनी है। इनको तो अपनी छवि सुधारने का मामला तय करना है लेकिन मैं आपको इतना बता दूं, जो तथ्य इन्होंने रखे हैं वह तथ्य दबाये नहीं जा सकते। फिर विधान सभा में उठेंगे तो ज्यादा अच्छा है कि आप सरकार को कह दें कि इसका उत्तर दिया जाय।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : कह दो, क्या है।

श्री उपाध्यक्ष : कैसे कह दें।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : इस कुर्सी पर बैठने के बाद मैं भी कह सकता हूं, आप भी कह सकते हैं, ऐसी क्या बात है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आसन सर्वशक्तिशाली है।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये, बिराजिये। माननीय राजेन्द्र सिंहजी राठौड़, बिराजिये। बिराजिये, आप बिराजिये। एक मिनट बिराजिये। बिराजिये, पहले बिराजिये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आपने मेरा नाम पुकारा है, उपाध्यक्ष महोदय।

श्री उपाध्यक्ष : नाम पुकारा है न। इसीलिए तो पुकारा है कि आपको, आपने जो पर्ची दी है उसमें आपने स्वयं ने लिखा है कि यह प्रश्न जोधपुर न्यायालय के प्रसंज्ञान में लिया गया है....

श्री राजेन्द्र राठौड़ : पद खाली की बात है....

श्री उपाध्यक्ष : आप सुनिये। जब आलरेडी यह कोर्ट में मामला चला गया तो यह सबजुडिस हो गया इसलिए आपको मैं अलाउ नहीं कर सकता।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, मैं कोर्ट की बात नहीं करूंगा मैं तो निवेदन यह कह रहा था....

श्री उपाध्यक्ष : आपने लिखा है। बिराजिये। नहीं आपने स्वयं ने लिखा है, मैंने नहीं लिखा है। नो-नो।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : कि राजस्थान आवासन मण्डल के अध्यक्ष जिन्होंने....

श्री उपाध्यक्ष : नो-नो, प्लीज। नहीं, अंकित नहीं होगा। No, I will not allow.

श्री राजेन्द्र राठौड़ : ×××

श्री उपाध्यक्ष : आपने स्वयं ने लिखा है। अंकित नहीं हो। आप बिराजिये प्लीज। नहीं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : ×××

श्री उपाध्यक्ष : आप प्लीज, आपने स्वयं ने लिख दिया कि यह कोर्ट में विचाराधीन है उसके बाद में कोई प्रश्न ही नहीं रहता।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : ×××

श्री उपाध्यक्ष : अंकित नहीं होगा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : ×××

श्री उपाध्यक्ष : श्री अमराराम जी।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : ×××

श्री उपाध्यक्ष : श्री अमराराम जी।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : ×××

श्री उपाध्यक्ष : आपने लिख दिया इसमें कि कोर्ट में विचाराधीन है। आपने स्वयं ने लिखा है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : ×××

श्री उपाध्यक्ष : नहीं। अलाउ ही नहीं कर सकते। सबजुडिस मामला है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : ×××

श्री उपाध्यक्ष : काग्नीजेंस ले ली न।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : ×××

श्री उपाध्यक्ष : नहीं आप उस पर डिस्कस नहीं कर सकते। यहां डिस्कसन नहीं हो सकता।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : ×××

श्री उपाध्यक्ष : श्री अमरारामजी।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : ×××

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर-आर्डर प्लीज। आर्डर-आर्डर।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : ×××

श्री उपाध्यक्ष : स्थगित हो चुकी आप बिराजें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : ×××

डा. किरोड़ी लाल : ×××

श्री राजेन्द्र राठौड़ : ×××

डा. किरोड़ी लाल : ×××

श्री राजेन्द्र राठौड़ : ×××

श्री उपाध्यक्ष : श्री अमरारामजी।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : ×××

डा. किरोड़ी लाल : ×××

श्री राजेन्द्र राठौड़ : ×××

डा. किरोड़ी लाल : ×××

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : ×××

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये प्लीज।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : एक मिनट मेरी बात सुनिये।

××× अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री उपाध्यक्ष : हां सुनाइये।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : आपने यह कहा कि यह मामला कोर्ट में पेंडिंग है इसलिए....

श्री उपाध्यक्ष : मैंने नहीं कहा इन्होंने कहा है।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : हां इन्होंने कहा है। इसलिए आप मैरिट पर....(व्यवधान).... सुनिये।

श्री उपाध्यक्ष : यह लिखा हुआ है यहां।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : इसलिए आप मैरिट पर डिस्कस नहीं कर सकते। यह आप फरमा रहे हैं इसलिए उसके मैरिट पर डिस्कस नहीं कर सकते। इनका यह कहना नहीं है, इनका यह कहना है कि मैरिट पर डिस्कस मत करिये लेकिन जो आदमी अपराधी मान लिया गया वह किसी पद पर रहे इस पर तो आप बहस कर ही सकते हैं न।

श्री उपाध्यक्ष : अंकित नहीं हो।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : ×××

श्री भंवरलाल शर्मा : ×××

श्री राजेन्द्र राठौड़ : ×××

श्री हरिसिंह (महुवा) : जब मैटर कोर्ट में है। कोर्ट में सबजुडिस मामलों पर चर्चा नहीं की जा सकती।

श्री प्रद्युम्न सिंह : देखिये। काग्नीजेंस कई मामलों में ली जाती है। आप यह नहीं कह सकते हैं....

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : यह मामला सबजुडिस नहीं है। एक सैकण्ड सुनिये।

श्री हरिसिंह (महुवा) : आपने कहा है हाई कोर्ट में चल रहा है मामला।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : यह मामला सबजुडिस नहीं है।

श्री प्रद्युम्न सिंह : आपका यह कहना कि उन्हें अपराधी मान लिया गया काग्नीजेंस लेने से ही। पुलिस ने एफ.आर. दी। एफ.आर. को अदालत ने मंजूर नहीं करते हुए उसका काग्नीजेंस ले लिया।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : ले लिया।

श्री प्रद्युम्न सिंह : तो उससे अपराधी कहां हो गया? नो-नो।

श्री भंवरलाल शर्मा : एक सैकण्ड।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मैं वह कंटेन्ट पढ़ कर सुनाना चाहता हूं, उपाध्यक्ष महोदय, सदन के अंदर जो न्यायालय ने प्रसंज्ञान लेते वक्त में जो आदेश दिया।

श्री प्रद्युम्न सिंह : यह ला का गलत इंटरप्रिटेशन नहीं। यह गलत इंटरप्रिटेशन है ला का।

××× अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : ...उस आदेश को आपकी अनुमति से पढ़ कर सुनाना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : I will not allow. अंकित नहीं हो।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : ×××

श्री उपाध्यक्ष : माननीय अमरारामजी।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : ×××

श्री उपाध्यक्ष : माननीय अमरारामजी।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : ×××

श्री उपाध्यक्ष : माननीय अमरारामजी।

पंचायत राज संस्थाओं में जनप्रतिनिधियों को ज्यादा अधिकार देने विषयक

श्री अमराराम (धोद) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन और सरकार का ध्यान उस ओर दिलाना चाहता हूं जहां पूरे राजस्थान में ग्रामीण विकास में आज जो विकास का जरिया है उसमें प्रमुख लोगों में जिस तरह से असंतोष पैदा हुआ है, और वह सरकार की ग्राम पंचायतों और पंचायत राज संस्थाओं के प्रति जो उपेक्षापूर्ण नीति रही है, उसके कारण जो असंतोष पैदा हुआ है, और उसके कारण राजस्थान के आजादी के इतिहास में शायद पहला दिन होगा जब राजस्थान की ग्रामीण जनता द्वारा चुने हुए सरपंच और अन्य जनप्रतिनिधिगण हजारों की संख्या में इस राजस्थान की विधान सभा और सरकार के सामने अपना पक्ष लेकर राजस्थान विधान सभा के सामने आये हैं। और उसमें विशेष तौर से ग्राम पंचायत और पंचायत राज संस्थाओं के अधिकारों की बात साढ़े तीन साल पहले हमारे मुख्य मंत्रीजी जब राजस्थान के कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष होते थे, तो बड़े जनप्रतिनिधियों की ग्राम पंचायत और पंचायत समिति और जिला परिषदों के प्रतिनिधियों के अधिकारों की बड़ी जोर-शोर से बात करते थे। लेकिन तीन-सवा तीन साल से सरकार में आने के बाद उनके अधिकारों के प्रति जिस तरह का उपेक्षापूर्ण भाव राजस्थान की सरकार ने अपनाया है उसका नतीजा है कि आज चार हजार से ज्यादा सरपंच और जनप्रतिनिधि ग्रामों का पूरा जो 80% जनता के विकास का काम जिनके हाथ में है, वह राजस्थान की सरकार के सामने आये हैं। और उसमें जो प्रमुख मुद्दे हैं जो उनके साथ जिस तरह से उनकी गरदन पर तलवार लटकायी जा रही है। एक तो विशेष तौर से जो मुद्दा है कि उसी गांव में अगर ग्राम पंचायत कार्य करायेगी, पी.एच.ई.डी. करायेगी और पी.डब्ल्यू.डी. करायेगी। तो तीनों की बी.एस.आर. में, उपाध्यक्ष महोदय, अन्तर देखिये आप। अगर वही मकान एक स्कूल का कमरा पी.डब्ल्यू.डी. के माध्यम से बनेगा तो 12% अधिक बी.एस.आर. होगी। वही अगर पी.एच.ई.डी. पीने के पानी का काम करेगी तो बी.एस.आर. 8% ज्यादा होगी और वो ही काम अगर ग्राम पंचायत और पंचायत राज संस्थाएं करायेंगी तो 12 और 8% कम होगा उसमें कई प्रतिबंध होंगे तो तय रूप से वही काम बराबर उसी गांव में इसी सरकार

××× अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री अमराराम)

के डिपार्टमेंट अगर करायेंगे तो उनको रेट ज्यादा मिलेगी 8% से लेकर 12%। और वही जो जनता द्वारा चुने हुए गांवों के विकास की बात करते हैं उनको 12% कम रेट पर। आज तक जिस रेट को रिवाइज करने के लिए राजस्थान की सरकार घोषणाएं तो अधिकारों की बहुत करती है लेकिन इस बी.एस.आर. रेट को डिपार्टमेंट के बराबर करने के लिए तैयार नहीं है। दूसरा, उपाध्यक्ष महोदय, सबसे खतरनाक जो रेशो बना रखा है, कोई भी निर्माण कार्य पक्का निर्माण कार्य होगा उसमें श्रम 60% होगा, सामग्री 40% होगी। कहीं-कहीं वो ही राजस्थान सरकार के द्वारा आपके डी.पी.ई.पी. में कार्य होगा उसमें सामग्री पंचायत राज मंत्री जी भी आ गये हैं इसके लिए तो मैं धन्यवाद दूंगा। लेकिन इस बात के लिए जहां वो ही ग्राम पंचायत डी.पी.ई.पी. का भवन निर्माण करेगी तो उसमें सामग्री होगी 70% मजदूरी होगी 30% और वही पंचायत जब पंचायत की दूसरी योजना के तहत करायेगी तो 60% मजदूरी होगी 40% सामग्री होगी। जबकि असलियत बात यह है कि, उपाध्यक्ष महोदय, कि इस रेशो में कोई भी पक्का निर्माण कार्य नहीं हो सकता। महज इस बात के लिए उन पर तलवार लटकती रहे। क्योंकि आज जो सामग्री और श्रम का रेशो है 60 और 40 का उसमें राजस्थान के किसी भी कोने में कोई भी पक्का निर्माण कार्य नहीं हो सकता। ये तो हो सकता है कि कच्चा निर्माण कार्य हो लेकिन यह निर्माण कार्य रेशो इसलिए तय किया जाता है कि हर पंचायत अगर काम नहीं करायेगी तो ग्राम पंचायत के लोगों ने जिनको चुना है वे काम नहीं करायेंगे तो उसके साथ वे रह नहीं सकते हैं। अगर काम करायेंगे तो उसको गलत मस्टररोल भरना पड़ेगा जो मटीरियल लगा उसको मजदूरी में दिखाना पड़ेगा और तय रूप से उस सरपंच की गरदन पर तलवार हमेशा लटकती रहेगी। और उसका राजनीति उपयोग करते रहे राजस्थान में पिछली सरकार ने भी और इस सरकार ने भी साढ़े तीन साल में इस रेशो को नहीं बदला है। आप अंदाजा लगाइये, उपाध्यक्ष महोदय, क्या हालत है जहां हमारी मिनिमम मजदूरी अनस्किल्ड लेबर की 60 रुपये है और स्किल्ड जो कारीगर है उसकी 70 रुपये है। कहीं 80 रुपये है। कहीं भी राजस्थान में स्किल्ड कारीगर 70 रुपये में नहीं मिल सकते। जहां ऊंटगाड़ी और बैलगाड़ी है सौ रुपये में राजस्थान में शायद कहीं नहीं मिलेगा। एक ऊंट जो पूरे दिन सौ रुपये का चारा खाता है और सौ रुपये में ग्रामीण विकास में आपका काम कर देगा मैं नहीं समझता। तो फिर सब कुछ जानते हुए राजस्थान की सरकार केवल जिस तरह से एक कहावत है कि "सरकार को चाहिए आंकड़े और भैंस को चाहिए काकड़े" कि सरकार को केवल ये आंकड़े चाहिए कि इतने लोगों को काम हमने दे दिये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : क्या कहावत है? कहावत दुबारा बताना क्या है।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : भैंस को चाहिए काकड़े और सरकार को चाहिए आंकड़े।

श्री अमराराम (धोद) : वो वैसे ही है जैसे भैंस को चाहिए काकड़े खाने के लिए और सरकार को चाहिए आंकड़े। केवल आंकड़े चाहिए कि इतने लोगों को हमने रोजगार दे दिया।

मोहम्मद माहिर आजाद : सरकार बढ़िया हुई कि भैंस?

श्री अमराराम (धोद) : दोनों ही एक सी हैं। तो मेरे कहने का मतलब, उपाध्यक्ष महोदय, उनकी गरदन पर तलवार लटकी रही कि वो सामग्री आये उसको मजदूरी में दिखाये, जो रेट है, एक कारीगर लगेगा उसकी जगह तीन को उसमें भरना पड़ेगा और उसकी आपने इंफोर्मेशन में दे दिया कि कोई भी नकल ले सकता है। ग्राम पंचायत में लिस्ट लगायेंगे लेकिन उनके अधिकारी पर अगर काम नहीं करवाया गया तो ग्राम पंचायत के जितने निवासी हैं काम नहीं होने पर उनको मारेंगे। काम करेंगे तो आपकी जांच और जेल के सींखचों में वे जाएंगे और इसी का नतीजा है कि आज राजस्थान में पहली बार इतने जनप्रतिनिधि सब राजनीतिक भेदभाव भुला कर चाहे वे किसी भी पार्टी के हैं और किसी भी राजनीतिक पार्टी में विश्वास रखते हैं लेकिन सब एकजुट होकर और राजस्थान की सरकार के सामने इसलिए आये हैं। यह जो विकास के नाम पर चुनी हुई संस्थाओं का गला घोंटने का और उनकी गर्दन पर तलवार लटकाने का काम सरकार कर रही है इसको बरदाश्त नहीं करेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, संविधान संशोधन के बाद यही नगरपालिका, परिषद् और नगर निगम है वहां इस तरह का कोई एक्ट नहीं है। वहां न मस्टररोल है, वहीं स्कीम हिन्दुस्तान की सरकार में और स्टेट में सेंट्रल गवर्नमेंट स्पोंसर्ड स्कीम वहां भी चलती है लेकिन वहां न रेशो होगा, न मस्टररोल होगा केवल नप्ती होगी, बी.एस.आर. के आधार पर जो काम होगा उसकी जांच होगी, नाप होगी उसके अनुसार पेमेंट होगा लेकिन राजस्थान की 80 प्रतिशत ग्रामीण जनता जो राजस्थान की विधान सभा का चुनाव करती है। बहुमत में लोगों को भेजती है और उनके विकास के साथ जिस तरह का सौतेला व्यवहार नगर पालिका में नहीं होगा, ग्राम पंचायत में नहीं होगा। जो पंचायत समिति और जिला परिषद् के मेम्बर हैं उनकी इस तरह की हालत हो गई है। उपाध्यक्ष महोदय, केवल उनका काम प्रधान और प्रमुख चुनने के अलावा कुछ नहीं रहा। उनकी विकास में क्या भागीदारी हो, जब हमारे मुख्य मंत्री जी प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष थे बड़े बयान दिया करते थे। लेकिन सरकार में आने के बाद पंचायत समिति और जिला परिषद् के मैम्बर को भूल गये लेकिन तय रूप से राजस्थान की राजनीति करनी है तो ग्रामीण इलाके का जो विकास है उसको सही रूप में इस रेशो को, मस्टररोल की व्यवस्था को इनको तय रूप से हटाना पड़ेगा। जहां तक ग्रामीण पंचायत का सवाल है, उपाध्यक्ष महोदय, पूरी ग्राम पंचायत के जितने वोटर हैं कुलमिलाकर ग्राम पंचायत के सरपंच का चुनाव करते हैं और उसको हटाने के लिये पंचायत के जितने मैम्बर हैं वह उसको अविश्वास के माध्यम से हटा सकते हैं। फिर तो विधान सभा का एक विधायक

(श्री अमराराम)

चुनकर आता है और उस पंचायत समिति के जितने मेम्बर है, जिला परिषद् के मैम्बर हैं अविश्वास कर देंगे तो राजस्थान के उस विधायक का अविश्वास हो जायेगा। लेकिन विधायक के लिये नहीं होगा। ग्राम पंचायत के सरपंच जो पूरे वोटर से चुनता है उनको वही अधिकार है जो चुनने वाले को है, वहीं उनका अविश्वास कर सकते हैं। यह जो परेशानियां हैं उनको तय रूप से दूर करना होगा। आज हजारों की संख्या में जो जनप्रतिनिधि ग्रामीण विकास की परेशानियों को लेकर आये हैं, मैं आपके माध्यम से सरकार से जानना चाहूंगा कि इनके बारे में सरकार की क्या मंशा है सरकार स्पष्टीकरण दे। और उनको विश्वास में ले जिससे राजस्थान के ग्रामीण विकास को गति दी जा सके। आज उनकी गर्दन पर जो तलवार लटकाई है उससे छुटकारा मिले। उनको भय मुक्त किया जाये जिससे ग्रामीण विकास को गति दी जा सके। सरकार उनसे बात करे और सदन में पूरे राजस्थान की ग्रामीण जनता को मंत्री जी बतायेंगे, यही मैं कहना चाहता हूं।

श्री सी.पी. जोशी (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, धोद से आने वाले माननीय सदस्य ने जिस बात को उठाया है मैं चाहता हूं कि आपके माध्यम से सारे राजस्थान की ग्रामीण जनता को और हमारे चुने हुए प्रतिनिधियों को स्पष्ट रूप से बात जानी चाहिये कि क्या मुद्दा है जिसके संबंध में वह एजीटेड कर रहे हैं।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : यह सभी सदस्यों की भावना है, सबकी इच्छा है कि सरपंचों के बारे में कुछ निर्णय आप करेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बिराजिए।

श्री सी. पी. जोशी : उपाध्यक्ष महोदय, आप स्वयं जानते हैं कि 73 और 74 अमेंडमेंट के बाद पंचायतों के नियम और कानून में परिवर्तन हुआ और राइट टू इंफोरमेशन, सोशियल आडिट यह सब पंचायत एक्ट में प्रोविजन कर दिये। पर इसके साथ-साथ सेंट्रल स्पोंसर्ड स्कीम जहां पर मैटेरियल कम्पोनेंट का पैसा 60:40 है, कुछ स्टेट की स्कीम है जहां पर मैटेरियल कम्पोनेंट और लेबर कम्पोनेंट का रेशो 60:40 है। यह काम वर्षों से इसी पेटर्न पर चलता आया है। बीच में कभी फिफ्टी-फिफ्टी भी गवर्नमेंट ने आर्डर देकर किये है लेकिन जो मूल उद्देश्य है उससे हम भटक रहे हैं। रूरल डवलपमेंट की स्कीम में उन लोगों को रोजगार सप्लीमेंट करने की स्कीम भारत सरकार ने लागू की है सेंट्रल स्पोंसर्ड स्कीम में। उसमें स्कीम है जिसमें 75 पर्सेंट लेबर कम्पोनेंट का पार्ट है, 25 पर्सेंट मटीरियल कम्पोनेंट का पार्ट है। उस स्कीम के संबंध में हम चर्चा नहीं करते हैं कि वाटर शैड के जितने कार्यक्रम हैं उन सारे कार्यक्रमों में 75 पर्सेंट लेबर कम्पोनेंट का पार्ट है, 25 पर्सेंट मटीरियल कम्पोनेंट का पार्ट है। लेकिन हमारा टेम्प्टेशन है कि हम मटीरियल कम्पोनेंट के काम ज्यादा लें जिसमें कास्ट ज्यादा आती है, 40 पर्सेंट की जगह 80 पर्सेंट कास्ट आती है और लेबर कम्पोनेंट का पैसा उसमें कम

(श्री सी. पी. जोशी)

खर्च होता है। इस टेम्प्टेशन से हमें हटना पड़ेगा। हमारे चुने हुए सरपंच साहेबान को यह बताना पड़ेगा कि पंचायतों में जितनी भी भारत सरकार और राजस्थान सरकार की स्कीम है उसमें सप्लीमेंट इन्कम करने के लिये यह प्रोग्राम लागू है। इसके लिये हम मिनिमम वेजेज से कम्पेयर नहीं कर सकते हैं। यदि वाटर शैड में 75:25 पर्सेंट के काम कर रहे हैं तो कहीं भी फिक्टिशस एनरोलमेंट बताने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन राइट टू इन्फोरमेशन आने के बाद, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट होने के बाद, जनावत केस में एम.के.एस. ने जो केस उठाकर लोगों का ध्यान आकर्षित किया उसके बाद यह प्रश्न खड़ा हो गया कि जो सरपंच निष्ठा और लगन से काम कर रहे हैं और ओवर आल उसका काम 60:40 के अंतर्गत नहीं होकर 80:20 के अंतर्गत हो रहा है उसको आधार माने या नियम और कानून के अंतर्गत उन चीजों का ध्यान रखे। तब सारे सरपंचों के मन में प्रश्न खड़ा हो गया कि शायद इनके कारण यह स्थिति खड़ी हो गई है।

लेकिन धोद से आने वाले माननीय सदस्य जानते हैं कि 5 से 6 तारीख को भारत के प्रधानमंत्री और रूरल डवलपमेंट मिनिस्टर, ने दिल्ली में मीटिंग बुलाई है। इन प्रश्नों पर रूरल डवलपमेंट मिनिस्टर भारत सरकार ने पहले भी पंचायती राज के मंत्रियों की मीटिंग बुलाई है। भारत सरकार इस बात के प्रति भिज्ञ है कि राइट टू इंफोर्मेशन की व्यवस्था की है तो नियम और कानून में परिवर्तन करना आवश्यक है। इसलिए मैं इस बात से आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि राजस्थान सरकार नियम और कानून में परिवर्तन करने की जहां आवश्यकता है वहां निश्चित तौर पर करेगी लेकिन जन-प्रतिनिधियों को यह भी छूट नहीं दी जा सकती कि 75 और 25 पर्सेंट का जो काम करना है वहां भी मटीरियल कम्पोनेंट के आधार पर फिक्टिशस बना ले और उसकी जांच नहीं हो सके तो आज के जमाने में यह स्थिति नहीं बन सकती है। इसलिए धोद से आने वाले माननीय सदस्य से मैं कहना चाहता हूं जो प्रश्न खड़ा हुआ है वह इस आधार पर खड़ा हुआ है राजस्थान सरकार सोशियल आडिट के कार्यक्रमों में दिशा-निर्देश बनाने के लिये, राजस्थान सरकार ने फैसला किया कि राजस्थान की 237 पंचायत समिति में पिछले पांच सालों में जिस पंचायत में हाइएस्ट खर्चा हुआ है, 237 पंचायत समिति की एक पंचायत में जहां पर सबसे ज्यादा खर्चा हुआ है उस खर्चे के आधार पर हम देख लें कि वहां पर फिजिकल असेट्स डवलप हुई है या नहीं हुई है। एम.बी. में कहीं गलती हुई है कि नहीं हुई है। उनको आधार बनाकर दिशा-निर्देशों में परिवर्तन करना चाहते हैं। हम किसी को प्रोसिक्यूट नहीं करना चाहते लेकिन केवल मात्र इस भय के आधार पर संरपचों की यूनियन बनाकर हम यह कहें कि नियम और कानून गलत है, मैं समझता हूं ऐसी चीजों को हमें डिस्कस करने की आवश्यकता है। हम किसी भी पंचायत के सरपंच पर तलवार नहीं लटकाना चाहते हैं। मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं, ढ़ाई साल हमारी सरकार बनने के बाद एक भी

(श्री सी. पी. जोशी)

पंचायत के सरपंच को हमने सस्पेंड नहीं किया है। आप बता दें हमने किस-किस सरपंच को सस्पेंड किया है। हम इस बात पर विश्वास करते हैं कि इलेक्टेड कम्युनिटी का सम्मान होना चाहिये, सोशियल आडिट का काम होना चाहिये। प्युनिटिव एक्शन नहीं होना चाहिये, करेक्टिव मेजर्स होने चाहिये। और पंचायत के चुने हुए सरपंच का स्वाभिमान बनना चाहिये और धीरे-धीरे वह सब काम कर सके जो सैल्फ गवर्नेंस के लिये आवश्यक है। हम इस स्टेज से गुजर रहे हैं, न केवल राजस्थान सरकार गुजर रही है, भारत सरकार के अन्य प्रदेश भी गुजर रहे हैं। भारत सरकार भी इस बात से चिंतित है। इसलिए इसके नियम और कानून में परिवर्तन करने के लिये यह जो काम किया जा रहा है जन सुनवाई का उससे उनके मन में यह भय खड़ा हो गया कि यदि हम इसका विरोध नहीं करेंगे तो शायद सब सरपंच इस श्रेणी में आ जायेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से आश्वस्त करना चाहता हूं कि राजस्थान सरकार प्यूनिटिव एक्शन के आधार पर जन सुनवाई नहीं करना चाहती है, राजस्थान सरकार करेक्टिव मेजर्स लेने के लिये, कैसे नियम और कानून में परिवर्तन करें, कैसे 60:40 को 80:20 में आइडेंटिफाई करें, कैसे पंचायत के संरपच को यह कहे कि वही काम हाथ में ले जिसमें मटीरियल कम्पोनेंट का पैसा 25 पर्सेंट है। मेहरबानी कर के 25 पर्सेंट का काम ही हाथ में लें। और स्कीम हैं एम.एल.ए. और एम. पी. फंड को सप्लीमेंट कर लें और जनता का सहयोग ले लें, लेकिन मटीरियल कम्पोनेंट के संबंध में जो यह व्यवस्था है उस व्यवस्था में परिवर्तन करने की हम गुंजाइश नहीं दे सकते। (व्यवधान)

इसलिए मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान सरकार के मुख्य मंत्री श्री अशोक गहलोत ने यह कहा है कि हम पंचायती राज के संदर्भ में जो काम करेंगे, हमने आते ही उन सब नियम और कानून में परिवर्तन किया है। हमने ओर्गेनिक लिंकेज एस्टेब्लिश की है पंचायती राज के सदस्यों में, जिला परिषद् के सदस्यों में और पंचायत के बीच में। लेकिन 73 वें अमेंडमेंट की जो कमी और खामी है जिस 73 वें अमेंडमेंट के अन्तर्गत पंचायत समिति के सदस्य, जिला परिषद् के सदस्य और पंचायत के बीच ओर्गेनिक लिंकेज नहीं होने से जो स्थिति आ गई है कि काम करने की जो एग्जीक्युशन एजेंसी है वह पंचायत होगी और सुपरविजन करने की एजेंसी पंचायत समिति और जिला परिषद होगी। यह बात अभी पंचायत समिति के सदस्य और जिला परिषद् के सदस्यों के मन में बैठी नहीं है। इसलिए वह अपने आप को कम्पेयर करना चाहते हैं कि एम.एल.ए. का कोटा एम. पी. का कोटा है, इसलिए जिला परिषद के सदस्य का भी कोटा होना चाहिये, पंचायत समिति के सदस्य का भी कोटा होना चाहिये। यह 73वें अमेंडमेंट की स्पिरिट का पार्ट नहीं है। फिर भी जो हमारे सरपंच साहेबान आये हैं उनकी भावनाओं के अनुसार भारत सरकार में हम भी जा रहे हैं 5 से 6 तारीख को, हम भी भारत सरकार का ध्यान इस पर आकर्षित

(श्री सी. पी. जोशी)

करेंगे हमने भारत सरकार का ध्यान आकर्षित किया है। 11वें वित्त आयोग में। राजस्थान के संदर्भ में 25 पर्सेंट आप पंचायतों के माध्यम से पैसा जब तक कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे तब तक 11 वें वित्त आयोग के पैसे का उपयोग नहीं हो सकेगा। मैं भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों से भी कहना चाहता हूं इस संबंध में भारत सरकार से हम कहें कि 11वें वित्त आयोग के पैसे का उपयोग लेना है तो 25 पर्सेंट का राइटर हमें खतम करना पड़ेगा। इन सब मुद्दों पर हम समय-समय पर भारत सरकार के रूरल डवलपमेंट मिनिस्टर का ध्यान आकर्षित कर रहे हैं कि और हमें खुशी है कि 5 और 6 तारीख को प्रधानमंत्री जी ने दिल्ली में सम्मेलन आयोजित किया है। हम उस सम्मेलन में भी हमारे सदस्यों की जो भावना है उसको भारत सरकार के सामने रखेंगे और 73 अमेंडमेंट में ऐसी व्यवस्था करेंगे जिससे जो एबरेशन पैदा हो गया है कि पंचायत समिति के सदस्यों का, जिला परिषद् के सदस्यों का और पंचायत समिति के बीच में जो एक गेप हो गया है उस गेप को हम कैसे ठीक कर सके, मैं समझता हूं कि उसके संबंध में आपकी भावनाओं को हम भारत सरकार के सामने रखेंगे और मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं मेहरबानी करके चुने हुए जनप्रतिनिधि को ट्रेड यूनियन का कंसेप्ट नहीं दें। जनप्रतिनिधियों का अपना सम्मान है, काम करने का अपना तरीका है। हम नियम और कानून के अन्तर्गत ही काम कर सकते हैं। ट्रेड यूनियन बनाकर हम डिमाण्ड करने की बात करेंगे तो मैं समझता हूं कि जनप्रतिनिधि का जो हमारा सम्मान है वह हम ठीक ढंग से लागू नहीं कर पाएंगे। धोद से आने वाले माननीय सदस्य, वैस्ट बंगाल में क्या हो रहा है, केरल में क्या हो रहा है, वहां पंचायती राज में क्या हुआ, यह सब जानते हुए...(व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद) : ट्रेड यूनियन क्या है, ट्रेड यूनियन कैसे बनती है, आपको पता है क्या ?

श्री सी. पी. जोशी : ट्रेड यूनियन का प्रारम्भिक चरण यही है कि हम कामन इंटरेस्ट के लिए पहले ओरगेनाइज करें, उसके बाद...(व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़) : मंत्री जी, आप सुने ही नहीं तो कोई क्या करे? इकट्ठे संगठित होकर बैठेंगे ना। जब आप किसी की सुनें नहीं, किसी की फरियाद पर आप ध्यान ही नहीं दें...(व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद) : आप ट्रेड यूनियन की, उनकी भावनाएं...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : मैं ट्रेड यूनियन लीडर रहा हूं। मैं लेबर लीडर रहा हूं।

श्री सी. पी. जोशी : आप मेरी बात तो सुनिए।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : ट्रेड यूनियन कैसे बनती है, साहब जरा उसका पता करें।

श्री सी. पी. जोशी : मैं आपको बता दूंगा।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : ट्रेड यूनियन 1926 का कोई रजिस्ट्रेशन कराया है क्या इन्होंने ?

(श्री ज्ञानदेव आहूजा)

वह बैठे हैं अपने अधिकारों के लिए। आप फरियाद नहीं सुनते। आप उनकी बात नहीं सुनते।

श्री सी. पी. जोशी : हम नहीं सुनते तो आप बैठो तो सही। (व्यवधान) आप बैठो तो सही।.

श्री ज्ञानदेव आहूजा : मैं तो बैठ जाऊंगा, मुझे क्या है। (व्यवधान)

श्री सी. पी. जोशी : पहले बात सुन लीजिए, यह कोई तरीका थोड़े ही है। यह बात सुनने का तरीका थोड़े ही है।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : यह ट्रेड यूनियन, ट्रेड यूनियन क्या होती है?

श्री सी. पी. जोशी : मुझे अच्छी तरह से ध्यान है। मुझे ट्रेड यूनियन की जानकारी है।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : मैं ट्रेड यूनियन में 20 साल रहा हूं। आपने गलत कोट कर दिया।

श्री सी. पी. जोशी : आपने बहुत अच्छा किया...(व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : कोई एसोसिएशन कहते, कोई समिति कहते। आपने ट्रेड यूनियन का गलत हवाला दे दिया। कोई एसोसिएशन या आरगेनाइजेशन कह देते तो ठीक रहता। इसका हवाला न दें।

श्री सी. पी. जोशी : आप पूरी बात समझकर फिर बात करें। मैंने यह नहीं कहा है। मैंने यह कहा है कि चुने हुए जनप्रतिनिधि को ट्रेड यूनियन की तरह नहीं जाना चाहिए, मैंने नहीं कहा है कि ट्रेड यूनियन बना दी है। मैंने यह कहा है कि चुने हुए जनप्रतिनिधि को जिसमें भारतीय जनता पार्टी के सदस्य भी हैं, पंचायत के सरपंच, प्रमुख हैं, प्रधान हैं। दिल्ली में सरकार है, अलग-अलग स्टेट में सरकार है। 73 अमेंडमेंट के बाद उसमें जो कुछ परिवर्तन करने हैं, एक दूसरे के निजी अनुभवों के आधार पर परिवर्तन करने का काम कर सकते हैं। इसलिए राजस्थान सरकार भी जो हमारे चुने हुए जनप्रतिनिधि है, जिनकी कोई कठिनाइयां हैं, हम समय-समय पर ध्यान में ला रहे हैं, आपके भी ध्यान में ला रहे हैं। हम सब मिलकर भारत सरकार के संविधान में परिवर्तन करने के लिए कोशिश करेंगे जिससे पंचायत का चुना हुआ जनप्रतिनिधि है वह सैल्फ गवर्नेंस के आसपेक्ट को ठीक ढंग से लागू कर सके। मैं आपको यह विश्वास दिलाना चाहता हूं, हमारा कोई तलवार लटकाने का मकसद नहीं है। यह तलवार लटकाने का मामला सामने...(व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : आपका अविश्वास प्रस्ताव के बारे में क्या कहना है? अविश्वास प्रस्ताव के बारे में...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय बी. डी. कल्ला साहब।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो अविश्वास प्रस्ताव इनके खिलाफ आता है...(व्यवधान)

ी
हम
90
नता
भी
न के
स्थिति
कर्जे
भारतीय
सम्भाली
3840.11
करोड़ का
और इन्होंने
चलाई तो
100 करोड़
दय, वह भी

पति शासन के
मैं कहना यह
मन में इन्होंने 16
को सौंपा जिसको
को कर्जे में डूबो
गये। ये आप अपने

, जो आपने
पुस्तक हमको दी है,

(मोहम्मद माहिर आजाद)

आपका दस्तावेज है, इसके पेज नम्बर 14 पर जरा मुलाहिजा फरमाइये।

जब से आप सत्ता में आए, आपने 1999-2000 में 5022.18 करोड़ का मूल प्रावधान रखा, आपने इसको संशोधित करके 3855.14 करोड़ किया और आपका व्यय 3600.95 करोड़ हुआ।

2000-2001 में आपने मूल प्रावधान रखा 4146.15 करोड़, फिर आपने इसको रिवाइज करके 4237.94 करोड़ और आपने व्यय किया 3772.90 करोड़।

माननीय सभापति महोदय, 2001-2002 में आपने 4515.61 करोड़ का प्रावधान रखा फिर आपने इसको रिवाइज करके 4642.35 कर दिया, और अब कह रहे हैं कि हम इतना ही खर्च करेंगे। आपकी इन बातों पर कैसे विश्वास किया जाए? आप हर वर्ष जो योजना का आकार यहां प्रदर्शित करते हैं लास्ट में जाकर उसको आप बहुत कम कर देते हैं।

आपने उस रोज सदन में आयुर्वेद विभाग के सवाल में भी स्वीकार किया कि आपने घोषित बजट में आयुर्वेद के औषधालय किए, यूनानी औषधालय किए और आपने बाद में उनको स्वीकृति नहीं दी, अर्थात बजट के मूल प्रावधानों की सैंक्टिटी खतम कर दी है। कुल मिलाकर सरकार योजनाओं के प्रति गम्भीर नहीं है।

माननीय सभापति महोदय, आज बजट की स्थिति देखिए, क्या है? आपकी सम्पूर्ण अर्थव्यवस्था जैसा कल कटारिया साहब ने कहा था कि पूरी तरह से कर्जे पर आधारित हो गई हैं। कर्जे की किस्त चुकाने और कर्जे का ब्याज चुकाने के लिए आपको नया कर्जा लेना पड़ रहा हैं। आपको याद होगा, आपने सत्ता सम्भालने के बाद एक श्वेत पत्र जारी किया, पहले जो चुनाव घोषणा पत्र था उसमें भी यह बात कही। आप भारतीय जनता पार्टी की इस बात के लिए आलोचना करते थे कि यह राजस्थान को कर्जे के कुचक्र में डुबो रहे हैं, राजस्थान को डेट ट्रेप की तरफ ले जा र है। लेकिन माननीय सभापति महोदय, वास्तविक स्थिति का चित्रण करें जब 19 में कांग्रेस से भारतीय जनता पार्टी और ज दल ने सत्ता सम्भाली थी, जिसमें आप गृह मंत्री थे, हम भी उस वक्त इस सद सदस्य थे। उस समय राजस्थान की क्या थी, राजस्थान 6000 करोड़ के में था। और जब 1998 में जनता पार्टी से वापस आपने सत्ता उस वक्त यह कर्जा बढ़कर 2 करोड़ का हो गया। यानि 6000 कर्जा आपने इनको दिया अ वापस जब आपको सत्ता स 23840.11 करोड़ का, इसमें 1 रुपया माननीय सभापति महो

(14.00 बजे)

शामिल है,जो 1993 में राष्ट्र दौरान लिया गया। यानि चाहता हूं कि 7 वर्ष के शा हजार करोड़ का कर्जा आप आप कहते रहे कि ये ह गये, खाली खजाना छोड़

के

अंके

कराइये

है, उपा

कही है...(

श्री उपा

श्री ज्ञानदे

मंत्री जी ने भाष

दिया है....(व्यवधा

श्री अमराराम (

मिलेगा मजदूर को उ

राजस्थान के कौनसे

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष :

(व्यवधान)

(श्री मानिक चन्द सुराना)

पूंजीगत खाते से लिया जाना प्रस्तावित है। और कुलमिलाकर इसको हम जोड़ेंगे तो 11199.91 करोड़ रुपये पूंजीगत खाते से राजस्व घाटे की पूर्ति के लिए लिये जा चुके हैं और पूंजीगत खाते से लेने के पश्चात् ही यह बजट घाटा घोषित किया जाता है, बजट घाटा जो आपने पहले साल में घोषित किया 1999-2000 में 601 करोड़, 2000-2001 में 112 करोड़ रुपये और 2001-2002 में 283 करोड़ का घाटा माननीय वित्त मंत्रीजी ने

(15.18 बजे)

(श्री हीरासिंह चौहान, सभापति, पदासीन)

घोषित किया। वित्त मंत्रीजी, मैं यह जानना चाहूंगा कि यह बजट घाटा 283 करोड़ से आपने इस बार 900 करोड़ कर दिया संशोधित अनुमानों में और इस वर्ष आपने 1334 करोड़ का अपूरित घाटा छोड़ा। खैर, मैं इस अपूरित घाटे को छोड़ने के जो नुकसान हैं उस पर बाद में आऊंगा। मैं यह जानना चाहता हूं कि वित्त मंत्रीजी यह तो बतायें, जब हम पूंजीगत खाते से राजस्व व्यय चला रहे हैं तो स्पष्ट है कि हम अपने दिन प्रतिदिन के खर्चे के लिए पूंजी उधार लेकर खर्च कर रहे हैं। और आपकी यह प्रक्रिया लगातार चल रही है, निश्चित रूप से आर्थिक दृष्टि से यह बहुत खतरनाक प्रक्रिया है। हमारी देनदारियां बढ़ रही हैं। जब हम पूंजीगत खाते से राजस्व व्यय चलायेंगे तो हमारी देनदारियां बढ़नी निश्चित हैं। और देनदारियां हमारी जो बढ़ी है माननीय वित्त मंत्रीजी, ब्याज के रूप में हमारी जो देनदारियां हैं, मैं 1998-1999 से शुरू करता हूं क्योंकि आप लोग दिसम्बर में आ गये थे, 2243 करोड़ रुपए ब्याज की देनदारियां थीं। 1999-2000 में घटी नहीं, 600 करोड़ बढ़ गयीं, 2825 करोड़ की ब्याज की देनदारियां हो गई। वर्ष 2000-2001 में 3339 करोड़ ब्याज की देनदारियां, 2001-2002 में 3912 करोड़ ब्याज की देनदारियां, 2002-2003 में, अभी आप कह रहे थे 4372 करोड़ की देनदारियां होंगी, खैर, कुल ये देनदारियां ब्याज की पिछले पांच सालों में 1998-1999 से आज तक, यह साल अभी 2002-2003 तो खैर शुरू हो रहा है पर कुलमिलाकर प्रस्तावित जो आपने देनदारियां बतायी हैं 16691 करोड़ की ब्याज की देनदारियां करीब 12000 करोड़ हम दे चुके हैं और 4372 करोड़ अभी देने हैं। ये देनदारियां, ब्याज की देनदारियों का कुल नतीजा क्या होता है कि ब्याज की देनदारियों से बकाया कर्ज हम पर बढ़ता है। कर्ज बढ़ेगा तो ब्याज की देनदारियां बढ़ेंगी। बकाया कर्ज राजस्थान पर जो हुआ, माननीय कटारिया साहब ने उसके आंकड़े दिये, मैं उन आंकड़ों को पुनः देना चाहता हूं। वर्ष 1998-99 के अंत में राज्य पर कुल बकाया कर्ज 24170 करोड़ था। इसमें आपके चार महीने आने के बाद जो कर्ज बढ़ा, हजार-पन्द्रह सौ करोड़, वह भी है। मूल रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जब शासन छोड़ा तब 23 हजार करोड़ का कर्जा था। आपने 1999-2000 के आंकड़ों में 30011 कर दिया, 2000-2001 में आपने इसको 33874 कर दिया और 2001-2002 में वह आंकड़ा 39162 करोड़ पर पहुंच गया है। करीब 16000 करोड़ रुपये का नया कर्जा आप अपने शासन में आने के

(श्री मानिक चन्द सुराना)

बाद से ले चुके हैं। (व्यवधान) जो भी पीरियड हो। आप तो हमें कहते थे कि खजाना खाली कर गये, बेतहाशा खर्च कर गये। तो वह शानदार 1990-1991 से 1998-1999 के साल और कहां आपके 3 साल। अभी नगर से आने वाले माननीय सदस्य, आपने बजट स्टडी प्रचारित की है, बजट एट ए ग्लांस, जो आपने प्रचारित किया है, माननीय अब्दुल अजीज साहब ने, वह प्रतिवर्ष जहां मूलभूत खर्च का, कृषि हो, सिंचाई हो, अन्य इन्फ्रास्ट्रक्चर के खर्च हों, निरन्तर घटते जा रहे हैं। और तो और, विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर आपने 80 लाख रुपये पूरे राजस्थान के लिए, इस वर्ष के लिए रखे हैं जो कभी अपने आप में 5 करोड़, 6 करोड़, 8 करोड़ हुआ करते थे। अब आपने उसको 80 लाख कर दिया। खैर, यह आपके देखने की बात है।

मैं मूल बात आपको पूछना चाहता हूं कि राजस्व आय का कितना प्रतिशत रुपया ब्याज में जाना चाहिये। आप तो वित्त मंत्री हैं तो निश्चित रूप से आपको वे सब मानदण्ड मालूम होंगे। रिजर्व बैंक ने इस सम्बन्ध में क्या कहा है, ब्याज का रेशो, कुल आय का रेशो क्या होना चाहिये? मैं स्टेट फाइनेंस स्टडी आफ बजट्स, 2001-2002 जो रिजर्व बैंक आफ इण्डिया ने प्रकाशित की है, उसके पेज 26 पर कोट कर रहा हूं। माननीय सभापतिजी, "The Eleventh Finance Commission (E.F.C.) has observed that in order to ensure sustainability of debt over a medium term, the proportion of interest payment to revenue receipts of State, including devolution and grants, should be about 18%".

माननीय सभापति जी, जो कहा गया है अंग्रेजी में उसका कुल तात्पर्य यह है कि ग्यारहवें वित्त आयोग ने यह कहा है कि ब्याज चुकाने में यदि सस्टेनेबिलिटी को देखा जाना है और सस्टेनेबिलिटी का मतलब यह है कि जिसका हम भार वहन कर सकते हैं। जो भार वहन करने लायक है, वह प्रपोर्शन ब्याज की देनदारी का कुल राजस्व आमदनी से 18 प्रतिशत से ज्यादा नहीं होना चाहिए। यह कहा है ग्यारहवें वित्त आयोग ने। यह भी माननीय वित्त मंत्रीजी कहा है, मैं यह नहीं कहता कि राज्य की खुद की आय नहीं, उन्होंने कहा है कि डिवोल्यूशन और ग्रांट्स को भी मिलाओ और राज्य की आय को उसमें देखो और 18 प्रतिशत उससे कैलक्यूलेट करो। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि स्थिति क्या बनती है, जो कुछ भी ब्याज हम पर दे रहे हैं, वह ब्याज किधर जा रहा है? वह ब्याज माननीय वित्त मंत्रीजी, 1990-1995 में राजस्थान की ब्याज की स्थिति जो थी वह भी मैं आपको बताता हूं। 1990-1995 में ब्याज की देनदारियां राजस्व आय की 15 प्रतिशत थी, 15 प्रतिशत। भाजपा की आलोचना करना बहुत सरल है पर किस तरीके से डेट मैनेजमेंट था, यह भी समझने की कोशिश कीजिये कि उस वक्त 1990-1995 में राजस्व आय का 15 प्रतिशत था और वर्ष 2001-2002 में कहां चली गई। संशोधित अनुमान आगामी वर्ष के में 31 प्रतिशत की सीमा पार कर गई। हमारी टोटल राजस्व इन्कम का एक तिहाई के करीब ब्याज

(श्री मानिक चन्द सुराना)

के चुकारे में जाता है। वित्त मंत्रीजी यह बतायें कि यह सस्टेनेबिलिटी है? क्या इससे हमारी कमर टूटी रही है या नहीं? पर वित्त मंत्रीजी ने बजट भाषण में कहा कि वित्तीय स्थिति को बिगड़ने नहीं दिया, आखिरी पोर्शन में, आखिरी पैरेग्राफ में कहा वित्त मंत्रीजी ने कि राजस्व स्थिति को बिगड़ने नहीं दिया।

माननीय वित्त मंत्रीजी, यह दावा सही नहीं है कि आपने वित्तीय स्थिति को बिगड़ने नहीं दिया। जिस तरह ग्यारहवें वित्त आयोग ने पैरामीटर्स डाले कि राजस्व आय का ब्याज की देनदारियों का क्या हिस्सा होना चाहिए, उसी तरीके से हमारे सकल घरेलू उत्पाद का, हमारे बकाया कर्ज का क्या प्रतिशत होना चाहिये, यह भी पैरामीटर्स डाले हैं। सकल घरेलू उत्पाद, हमारे पूरे राजस्थान की आमदनी, सभी लोगों की कुल मिलाकर और आमदनी और उसका प्रतिशत बकाया स्टेट पर कर्ज है उसका कोई प्रतिशत तो होना चाहिये। सेफ प्रतिशत क्या है? सुरक्षित प्रतिशत क्या है? मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह सेफ प्रतिशत, अभी क्या स्थिति है, जरा इसको भी हम देखें वर्ष 1999-2000 में सकल घरेलू उत्पाद के मुकाबले राजस्थान का बकाया कर्ज 40.33 प्रतिशत पहुंच गया है, 40.33, वर्ष 2001-2002 में ब्याज का बकाया कर्ज टोटल सकल घरेलू उत्पाद के मुकाबले 44.06 हो गया है, 2001-2002 में 45.7 हो गया है। सकल घरेलू उत्पाद के मुकाबले हमारे राज्य पर जो ऋण है उसका प्रतिशत यह है और जबकि माने हुए अर्थशास्त्रियों ने कहा है कि 27 प्रतिशत से बकाया कर्ज सकल घरेलू उत्पादन के मुकाबले ज्यादा नहीं होना चाहिये।

अब इन्टरेस्ट पेमेंट/आर.आर. रेवेन्यू रिसीट के मुकाबले इन्टरेस्ट पेमेंट क्या हो? सकल घरेलू उत्पाद के मुकाबले बकाया कर्ज की दर क्या हो, यह 27 प्रतिशत होनी चाहिये। माननीय वित्त मंत्रीजी, आपके ध्यान में तो था, 2000-2001 में जब आप बोल रहे थे, बजट भाषण पढ़ रहे थे, तब आपने खुद ने कहा था, बजट भाषण को मैं कोट कर रहा हूं। 2000-2001 का "संशोधित अनुमानों के आधार पर यह प्रतिशत" खैर, इसमें यह प्रतिशत सकल घरेलू उत्पाद के मुकाबले बता रहा हूं, राजकोषीय घाटे का। राजकोषीय घाटे के सम्बन्ध में माननीय वित्त मंत्रीजी बोल रहे थे, "संशोधित अनुमानों के आधार पर यह प्रतिशत 8.51 रहने की सम्भावना है, 2000-2001 में, आगामी वर्ष में राजकोषीय घाटा राज्य के सकल घरेलु उत्पाद का 7.46 रहना सम्भावित है।" अतः आगामी कुछ वर्षों में हमारा राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद के चार प्रतिशत तक सीमित हो जाए इसके लिए हम प्रयासरत हैं।" अब माननीय वित्त मंत्री, 2000-2001 में आप नये-नये वित्त मंत्री बनें तो आपको लगा कि जो देश की अर्थव्यवस्था के मानदण्ड हैं उन मानदण्डों के अनुसार राजस्थान में कुछ आर्थिक व्यवस्था और परिवर्तन ऐसे करूंगा जिससे कि राजकोषीय घाटा तीन सालों में, चार सालों में चार पर्सेंट कर दूंगा और जिस साल आप रहे उस वक्त 8.51 था राजकोषीय घाटा और आपने कहा अगले वर्ष 7.45 रहेगा। मैं निवेदन करना चाहता हूं सकल घरेलू उत्पादन का और बकाया कर्ज का यह प्रतिशत तो मैंने बताया और यह राजकोषीय घाटे का प्रतिशत यह प्रतिशत भी आपने नोर्म्स डाल दिया कि यह चार प्रतिशत से ज्यादा नहीं होगा। अब

(श्री मानिक चन्द सुराना)

आज सकल घरेलू उत्पाद क्या है माननीय वित्त मंत्रीजी। आज तो 85 हजार करोड़ से ऊपर है और 85 हजार करोड़ का चार पर्सेंट क्या है। 84 का चार पर्सेंट आप फलाएंगे तो 3,500 करोड़ के इर्द-गिर्द आयेगा और इस वर्ष आपकी योजना क्या है? कितना रुपया उधार लेना चाहते हैं। वह रुपया 3500 करोड़ से काम नहीं चलेगा। वह रुपया तो आपने फिस्कल डेफिसिट जो खुद माना है सात हजार करोड़ से कुछ लाखों ऊपर का आंकड़ा। आपने तो खुद ने फिस्कल डेफिसिट इस साल सात हज़ार करोड़ का बता दिया है जो कि आपके खुद के नोर्म्स से डबल है। तो वित्त मंत्रीजी, मैं यह जानना चाहता हूं कि न तो आप रेवेन्यू का घाटा कम कर पाये, न आप सकल घरेलू उत्पाद के मुकाबले जो राजकोषीय घाटा है उसको कम कर पाये और न आप जो प्रतिशत हमारी देनदारी का बन रहा है सकल घरेलू उत्पाद के मुकाबले 27 पर्सेंट से ऊपर 45 तक आ गया, न आप उसमें कोई परिवर्तन करने की स्थिति में हैं। तो आपका यह कहने का आधार क्या है कि हमने स्थिति को बिगड़ने नहीं दिया। स्थिति तो निरन्तर बिगड़ती जा रही है, ब्याज की देनदारियों बढ़ रही हैं और कुल बकाया कर्ज का प्रतिशत बढ़ रहा है सकल घरेलू उत्पाद के मुकाबले और यह भी बढ़ रहा है। जो हमारा पर्सेंटेज है राजकोषीय घाटे का यह भी बढ़ रहा है। मैं निवेदन यह करना चाहता हूं कि इन सबमें आप क्या करना चाहते हैं? जहां राजकोषीय घाटे को आपने चार प्रतिशत बताया वह घाटा राज्य शुद्ध उत्पाद के मुकाबले 8.18 प्रतिशत इस साल है और राज्य की स्थिति वित्तीय मानदण्डों के अनुसार फिस्कल स्ट्रेस में आ रही है, दबाव में आ रही है यानी वित्तीय दबाव की बन रही है। वित्त मंत्रीजी ने बजट में भी स्थिति को उबारने की दिशा में कोई मूलभूत कार्य नहीं किया।

वित्त मंत्रीजी, यह 283 करोड़ का घाटा 900 करोड़ हो गया। 500 करोड़ का तो आपने माथे मढ़ दिया भारत सरकार के कि वह भारत सरकार की आमदनी कम हुई और स्टेट डवोल्यूशन में हमें 500 करोड़ कम मिलेंगे। क्योंकि उनकी आमदनी घट गई, आर्थिक मंदी का दौर है, वहां की आमदनी घट गई। आपके पास 500 करोड़ कम है, पर यह 900 कैसे हुई। 500 और 200, 783 और 783 में 117 करोड़, आपको जो फिजूल खर्चियों को काटना था, एडिशनल रिसोर्स मोबेलाइजेशन करना था, आप अपनी तरफ से उसको 283 पर पैक करते और उतना सा फर्क रखने देते कि सेंट्रल से जितना कम आया उतना ही फर्क रखते। आपने देखा कि सेंटर से कम आ रहा है, ज्यादा मशक्कत करने की जरूरत क्या है, फिजूलखर्चियों को रोकने की जरूरत कहां है और संस्थापन व्यय में कटौती किसलिए करेंगे और जो फिजूल खर्ची चल रही है चलने दो और आपने उसको 900 करोड़ कर दिया और इस साल आपने 438 करोड़ और बढ़ा दिया। अब नया घाटा 1334 करोड़ हो गया, 938 करोड़ नहीं 934 करोड़ बढ़ा। मैं यह जानना चाहता हूं आपने इसको अपूरित कैसे छोड़ दिया। यह 1334 करोड़ का अपूरित घाटा छोड़ने का भी आपने कीर्तिमान स्थापित किया

(श्री मानिक चन्द सुराना)

है। आपने 50 करोड़ के संसाधन बताए माननीय वित्त मंत्रीजी कि कुछ हम टैक्स लगाएंगे। आपने प्रवेश करके 10 पर्सेंट से 20 पर्सेंट तकनीकी रूप से करने का प्रावधान कर दिया कानून में। कोई हर्ज नहीं है 10 से 20 कर दिया। कुछ चीजों पर आपने राजस्थान के उद्योगों को संरक्षण देने की दृष्टि से प्रवेश कर बढ़ाया। पड़ौसी राज्यों से जो आटा आ रहा था, मैदा आ रही थी, सूची आ रही थी और कुछ चीजें आ रही थीं, रेफ्रिजरेटर वगैरह पर जहां ज्यादा टैक्स था आपने उसको कुछ घटाया, 12 से 4 किया ताकि उसकी बिक्री बढ़े, आर्थिक मंदी के दौर से वे 12 पर्सेंट बरदाश्त नहीं कर सकते, आपने बहुत ठीक किया। पर सवाल यह है कि आप यह 50 करोड़ का टैक्स लगा रहे हो या 500 करोड़ का लगा रहे हो यह तो बताओ। मुझे तो साफ नजर आ रहा है आपकी इस बजट स्टडी से कि 3150 करोड़ रुपये की जो आमदनी इस वर्ष बिक्री कर से है, आपने तो अपने बजट एस्टीमेट में सही डाला है 4 हजार करोड़। 850 करोड़ की आमदनी आपने बिक्री कर से आंकी है। अब बजट का डाक्यूमेंट है तो कोई ऐसा तो है नहीं कि आपने जो आंका है वह गलत आंका है।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि 10-12 पर्सेंट तो इजाफा हो सकता है 3150 करोड़ में वो ट्रेंड है, विक्रय कर की इंक्रीज का ट्रेंड है। और विक्रय कर की इंक्रीज का जो ट्रेंड है वह पिछले चार सालों के आंकड़े सदन के समक्ष रखना चाहता हूं। 1998-99 के मुकाबले 1999-2000 में 366 करोड़ रुपये बढ़ी कुल आमदनी के बिक्री कर में। जो पिछली आमदनी का 17.87 ज्यादा था। फिर 2000-2001 में पिछली टैक्स वसूली थी, 1999-2000 में 2424 करोड़ की उसके मुकाबले में 397 करोड़ ज्यादा आये सैल्स टैक्स में और 16.37 पर्सेंट की बढ़ोतरी दिखी। 2001-02 में जब यह 3150 हो रहा है तो 329 करोड़ की वसूली ज्यादा हुई है। अब मैं यह पूछना चाहता हूं कि आपकी एवरेज वसूली 11,17,16,14 भी पकड़ लें तो 3150 में 14 पर्सेंट बढ़ोतरी 13 पर्सेंट बढ़ोतरी, करीब 300-400 करोड़ की बढ़ोतरी होगी और 3150 का फिगर 3500 पर आ जाएगा। लेकिन आप तो चार हजार पर ले आये, क्योंकि आपको पता है कि प्रवेश कर, मैं 50 करोड़ का कम कर लगा रहा हूं इस प्रवेश कर से और दूसरी जो कुछ भी आपने फेरबदल कुछ टैक्स स्ट्रक्चर में किया है, आपका दावा है कि आपको तो 500 करोड़ रुपया आने वाला है। यह जो आपने बजट में सदन को गलत रूप से कहा है, 50 करोड़ की आमदनी होगी, माननीय वित्त मंत्रीजी, मेरा दावा है कि आपका अगला आंकड़ा 3800 से चार हजार को टच करेगा और जब टच करे तो मेरे निर्वाचन क्षेत्र को पांच करोड़ रुपया ज्यादा दे देना। क्योंकि आप मना कर रहे हैं कि नहीं होगा और हमको साफ दिख रहा है यह होने ही वाला है और आप भी इतने भोले नहीं हैं कि 3150 को 4 हजार करोड़ कर देते। आपने सारा आकलन सही कराया है, पर इस सदन को कह दिया 50 करोड़ की आमदनी प्रवेश कर के माध्यम से हम कर रहे

(श्री मानिक चन्द सुराना)

हैं। (व्यवधान) वह तो क्षेत्र के लिए है कहां, आप ले जाओ भले ही उसमें से एक करोड़ रुपया मालपुरा भेज दो, कहीं आपत्ति नहीं है। सवाल यह है कि आपका यह आकलन....

श्री सुरेन्द्र व्यास : आपको ही दे देंगे, कहीं भेजने की जरूरत नहीं है।

श्री मानिक चन्द सुराना : नहीं, कहीं भेजने का सवाल नहीं है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : यह तो मिलीजुली कुश्ती है।

श्री मानिक चन्द सुराना : यह चार हजार करोड़ रुपया वाकई में वसूल कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं तो आपने बताया क्यों? अब कर आपका दायित्व है। यह ट्रेंड इंक्रीज है 12, 13, 14 पर्सेंट का। तो 3500 करोड़ तो होना ही है और आपने जो 50 बताया वह 50 नहीं है, वह गलत है, वह 500 ही है। आपने सारा केलकुलेशन सदन से छुपाने के लिए किया होगा, लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूं यह सही नहीं है।

श्री सी. पी. जोशी : कल कटारियाजी तो इसको नहीं मान रहे थे। कटारियाजी ने जो प्रोजेक्शन दिया उसमें यह क्वेश्चन इन्होंने किया चार हजार करोड़ का टच नहीं होगा।

श्री मानिक चन्द सुराना : माननीय मंत्री महोदय, दो ही विकल्प हैं या तो आपने....

श्री सी. पी. जोशी : मैं तो खाली अपडेट कर रहा हूं। कल उन्होंने सदन में कोट किया था।

श्री मानिक चन्द सुराना : दो ही विकल्प हैं या तो आपने.... (व्यवधान)

श्री सी. पी. जोशी : यह कहा था कि चार हजार टच नहीं करेंगे।

श्री मानिक चन्द सुराना : दो विकल्प हैं। या तो आपने घाटे को छुपाने के लिए आंकड़े ज्यादा दे दिये कि होना तो 3500 था और चार हजार बता दिया घाटे को छुपाने के लिए या यह कि हमको मिसलीड करने के लिए....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मंत्री महोदय, अभी स्पष्टीकरण कर दें, दिक्कत क्या है, ताकि डिबेट की जरूरत ही नहीं रहे।

श्री प्रद्युम्न सिंह : चार दिन काहे को रखवाये श्रीमान्।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : ताकि डिबेट इस इश्यु पर न हो।

श्री प्रद्युम्न सिंह : किसकी?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : एक इश्यु पर हो जाए।

श्री प्रद्युम्न सिंह : विस्तार से जवाब देंगे साहब, आराम से।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : वह तो आपका जवाब आएगा।

श्री प्रद्युम्न सिंह : मैं आपकी सब बात सुन रहा हूं आराम से।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : लेकिन ये कह रहे हैं गुलाबजी कटारिया यह कह गये, मानिक चन्दजी सुराना यह कह गये।

श्री प्रद्युम्न सिंह : अब ये तो दोनों, वह पुराने शिक्षा मंत्री हैं, ये नये शिक्षा मंत्री हैं, अब दोनों में कुछ चलता रहता है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप तो कृपा करके इस संदेह को निकाल दीजिए ताकि आगे बोलने वाला भी सावधान हो जाये कि यह बात सही है या गलत।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : सही है तो बता ही दो आप।

श्री प्रद्युम्न सिंह : आपने कई बजट पेश किये हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : ध्यान है तभी।

श्री मानिक चन्द सुराना : खैर, वित्त मंत्रीजी, आपने जो कुछ राजस्थान की रुग्णता पर हाथ रखा, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप रोग की गहराई तक नहीं गये हैं। राजस्थान में 21 हजार उद्योग रुग्ण हैं। मेरे एक प्रश्न के जवाब में यह बात सदन में आ चुकी है, जो सदन की प्रोपर्टी है, 32 जिलों में रुग्णता अलग-अलग जिलों का ब्रेक-अप है, 21 हजार उद्योग रुग्ण हैं। आपने यह जो कहा कि जो नया उद्योगपति उसको खरीद लेगा, चलो आपने स्टाम्प ड्यूटी माफ कर दी, बहुत ठीक किया पर खरीदने के बाद में आपने यह कहा कि उसको बिक्री कर का लाभ भी मिलेगा पर खरीदेगा क्यों? जब वह उद्योग रुग्ण हैं कोई उसके नजदीक नहीं जाएगा और रुग्णता को दूर करने का काम, रुग्णता के कारणों की जांच करने का काम राज्य सरकार का है, चाहे उद्योग मंत्रीजी बैठे हैं वह सुनें चाहे आप सुनें। आप रुग्णता की गहराई में नहीं गये। यदि किसी की उत्पादन लागत अधिक है, सरकार की टैक्स रेट-अनुकूल नहीं है, काम्पीटिशन में वह इण्डस्ट्री ठहर नहीं सकती या मिस-मैनेजमेंट है, अनेकों कारणों से रुग्णता पैदा होती है। मैं उस रुग्णता की बात कर रहा हूं जहां आर्थिक मन्दी के कारण सैकड़ों, हजारों उद्योग बन्द पड़े हैं। आपको मन बड़ा बनाना पड़ेगा। आर. एफ. सी. के पास भी करीब 160 करोड़ की लैंडिंग हर साल है और करीब 80-100 करोड़ की लैंडिंग रीको करती है, आपने जवाब में भी मुझे यह कहा, सरकार ने, कि हमने अध्ययन नहीं कराया कि तेल मिलें क्यों रुग्ण हैं और यह खाद्य प्रसंस्करण के उद्योग क्यों रुग्ण हैं और मिनी सीमेंट क्यों रुग्ण हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आपको प्रत्येक वर्ग से जो रुग्ण हैं, प्रत्येक तरह के उद्योग में, उसका अध्ययन कराना चाहिए। और उस रुग्णता में यदि वह इण्डस्ट्री रिवाइव हो सकती है, हजारों करोड़ का विनियोजन उनमें हुआ है उसमें आपका भी आर.एफ.सी. और रीको का हिस्सा है। पर उनको बावजूद रुग्णता के यदि आप रिवाइव करते हैं तो भी हजारों करोड़ रुपये की सेविंग होगी। और राजस्थान में जो औद्योगिक वातावरण है वह औद्योगिक वातावरण तभी सुधरेगा जबकि रुग्णता कम से कम होगी और चारों तरफ रुग्ण उद्योग बन्द पड़े हों तो नये उद्योगपति भी नहीं आना चाहते और न वह रुपया अपना फंसाना चाहते हैं। इसलिए रुग्णता की यह आपने जो औपचारिक घोषणा की है कि स्टाम्प ड्यूटी नहीं लगेगी और उसका लाभ ले लेंगे पर उस रुग्ण उद्योग के पास आएगा कौन? जब तक आप खुद उसमें कोई लैंडिंग आर.एफ.सी., रीको की नहीं करना चाहते तब तक कोई रुग्णता का इलाज हो नहीं सकता। यदि आपको औद्योगिक वातावरण बनाना है तो रुग्णता का इलाज आपको करना पड़ेगा।

(श्री मानिक चन्द सुराना)

यह जो एक आई.आर.सी. का सम्मेलन हुआ, आई.आर.सी. बना दी। मैं मूल सवाल यह पूछना चाहता हूं कि आई.आर.सी. क्यों बना दी? मुख्य मंत्री उसके अध्यक्ष क्यों हैं? उद्योग मंत्री हैं माननीय चन्द्रभानजी तो उद्योग के नीचे उद्योग मंत्री ही तो उसका अध्यक्ष रह लेता। आपने एक सोसाइटी बना दी, क्या जरूरत है सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट में सोसाइटी बनाने की? आखिर तो जो कुछ है वह आपको यदि 25-50 बड़े लोगों को बुलाकर हर साल कोई दावत करनी है, उनसे बात करनी है, आप बुलाइये, राज्य तो एक बार नहीं, दो बार भी बुलाये उनको कहां दिक्कत है। और आपके निमंत्रण पर आते हैं वह तो कहां दिक्कत है और जो आते हैं वह हमें मालूम है कि इसमें बहुत बड़े-बड़े अरबपति हैं। पर वह अरबपति आपको यह कह चुके हैं कि आप उद्योग लगाने का हमको न कहें राजस्थान में, आप तो कोई अस्पताल खुलवाना हो, कोई स्कूल खुलवाना हो तो हम हाजिर हैं बाकी उद्योग लगाने के लिए हम नहीं आएंगे। यह लक्ष्मी मित्तलजी ने भी कह दिया। और सी. के. बिड़लाजी ने भी कह दिया और सी. के. बिड़ला तो जो उद्योग यहां चला रहे हैं वह चला ही रहे हैं, उसमें कहीं किसी न्योहरे की आवश्यकता नहीं थी। उनकी अनेकों सीमेंट, और राहुल बजाज भी कह चुके हैं और जिस भाषा में वह कह रहे हैं उस भाषा को आप समझने की कोशिश करें कि आप तो इन्फ्रास्ट्रक्चर बनाइये। इन्फ्रास्ट्रक्चर बिजली का, इन्फ्रास्ट्रक्चर रोड का, इन्फ्रास्ट्रक्चर सिंचाई का, इन्फ्रास्ट्रक्चर टेक्निकल नो-हाउ का और टेक्निकल नो-हाउ में आज राजस्थान पिछड़ा हुआ है। आप ध्यान तो करिये कि राजस्थान के एक लाख आदमियों पर कितने औद्योगिक मजदूर हैं। एक लाख आदमियों पर 838 से ज्यादा औद्योगिक मजदूर नहीं हैं, 838, एक परसेंट भी नहीं है। और इसलिए यदि हमें उद्योगों के माध्यम से अधिक लोगों को रोजगार देना है और उद्योगों के माध्यम से अधिक उत्पादन करना है और औद्योगिक उत्पादन को बढ़ावा देना है, नगर से आने वाले माननीय सदस्य ने कई आंकड़े कोट किये कि देखिये इस फलां-फलां ट्रेड में यह आपके कपड़े में आधा उत्पादन है। दूसरों में अनेकों उद्योगों में आधा उत्पादन है, कहीं चौथाई उत्पादन है। मैं एक निवेदन करना चाहता हूं कि इस रुग्णता का इलाज आप बड़े पैमाने पर करिये और इसमें नया चिन्तन करिये। जितने भी तरह के उद्योग राजस्थान के रुग्ण हैं उनका अलग-अलग अध्ययन कराइये। और आपने जो घोषणा की है कि तेल मिलों पर दो प्रतिशत से ज्यादा दो की जगह एक लिया जाएगा, बशर्ते कि वह पड़ौस के राज्यों में माल बेचेंगे, सी.एस.टी. में माल बेचेंगे। क्यों माननीय वित्त मंत्रीजी? अरे भाई, पड़ौस के राज्यों में जाकर बेच सके, राजस्थान में ही राजस्थान के तिलों का तेल निकालकर राजस्थान के बाजार में बेचे तो उसको एक पर्सेंट करने में आपको कहां दिक्कत है? तेल उद्योग बैठ रहा है और तेल उद्योग बहुत महत्वपूर्ण उद्योग है। इसलिए उसको यह जो सिर्फ माल बाहर बेचने पर आपने एक पर्सेंट लगाया है यह उचित नहीं है। इसलिए यह

(श्री मानिक चन्द सुराना)

सुविधा राजस्थान के सभी तेल उद्योगों को चाहे वह राजस्थान में माल बेच रहे हैं या बाहर बेच रहे हैं बिना किसी भेदभाव के आपको यह सुविधा उन्हें उपलब्ध करानी चाहिए।

माननीय वित्त मंत्रीजी, मैं आपको थोड़ा और 1999-2000 के साल में ले जाना चाहता हूं। 2000-2001 में, जब आप वित्त मंत्री बने ही थे तो भारत सरकार को आपने कहा था वह मेमोरेंडम मेरे पास है जहां आपकी भारत सरकार से अंडरटेकिंग हुई, जो भी अंडरस्टेंडिंग हुई, आपने कहा था हम 680 करोड़ रुपये का ए.आर.एम. हर वर्ष करेंगे।

"Government of Rajasthan will take measures to mobilise additional resources equivalent to 20% of the current deficit or Rs. 680 crores per annum." और करंट डेफिसिट उस वक्त क्या था? 3391 करोड़ रुपये का, मैं पूछना चाहता हूं आपने प्रत्येक वर्ष जो भारत सरकार से वादा किया और फिर पावर सैक्टर रिफार्म की बात कही और दूसरे रिफार्म्स की बात कही और संस्थापन व्यय की 3 पर्सेंट, 21 हजार कर्मचारियों के छंटनी की बात कही या उनके कामों को दूसरे रेशनलाइजेशन आफ सर्विसेज करने और 21 हजार पदों को काटने की जो बात कही। मैं यह जानना चाहता हूं कि 680 करोड़ रुपये का ए.आर.एम. जो आपने पांच साल के लिए घोषित किया था कि हम 2004 तक बराबर 680 करोड़ का ए.आर.एम. करेंगे। मैं जानना चाहता हूं कि उसके बारे में आपको क्या कहना है, आपने क्यों नहीं किया यह 680 करोड़ का ए.आर.एम.? इस वर्ष भी आपने अपनी तरफ से तो ए.आर.एम. 50 करोड़ का किया, आपने अपनी तरफ से अभी यह स्वीकृति नहीं दी है कि नहीं यह 500 करोड़ का है या 400 करोड़ का है। तो मैं जानना चाहता हूं कि 680 करोड़ का ए.आर.एम. जब आपने कहा तो किन परिस्थितियों में कहा और उसको न अचीव करने के क्या कारण बने, इसका भी स्पष्टीकरण आपको करना चाहिए। यह स्पष्टीकरण राज्य की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत आवश्यक है।

आपने, वित्त मंत्री महोदय, राजस्थान की अर्थव्यवस्था में, मैं निवेदन करना चाहूंगा जितना जोर आप उद्योगों के विकास पर दे रहे हैं उससे अधिक जोर कृषि, पशुपालन और सिंचाई के विकास पर दीजिए। यदि राजस्थान को आप वाकई में बनाना चाहते हैं तो आपको सारी नजर उद्योग पर नहीं काफी नजर कृषि और पशुपालन पर आपको डालनी पड़ेगी। आज कृषि की स्थिति क्या है? माननीय कृषि मंत्रीजी थोड़ी देर पहले तो बैठे थे पर अभी शायद सदन में नहीं हैं। मैं निवेदन करना चाहूंगा यह आर्थिक समीक्षा पेज 37 पर आप देखें, कृषि मंत्रीजी को फुर्सत है या नहीं है देखने की मुझे नहीं मालूम, गौर से इस बात को देखें कि 1999-2000 में 109 लाख हैक्टेयर में खेती की गयी थी, 109.59 लाख हैक्टेयर में, उत्पादन कितने ... ब टन हुआ, 106.86 लाख टन, 2000-2001 में 113.57 लाख हैक्टेयर में खेती की गयी। और उत्पादन हुआ 100.34 लाख टन। फिर 2001-2002 में 120.88 लाख हैक्टेयर में

(श्री मानिक चन्द सुराना)

खेती की गयी और उत्पादन हुआ 124.49 लाख टन। माननीय वित्त मंत्रीजी, यह तो मैंने 2001-2002 की आर्थिक समीक्षा पढ़ी है और अब 1998-99 की आर्थिक समीक्षा भी पढ़ देता हूं। 1996-97 में खेती हुई। 128.70 लाख हैक्टेयर में और उत्पादन हुआ। 128.39 लाख टन। 1997-98 में खेती हुई 137 लाख हैक्टेयर में.....

श्री प्रद्युम्न सिंह : सुरानाजी, आपने शायद अकाल को कंसीडरेशन में नहीं रखा। आपके बाद जो 1998-99 से अकाल का दौर शुरू हुआ उसको आपने कंसीडरेशन में नहीं लिया है।

श्री मानिक चन्द सुराना : मैं अभी उसी पर आता हूं। मैं अभी निवेदन करूंगा। मैं इसी पर ला रहा हूं। अकाल को हमने हौव्वा बना दिया है जबकि राजस्थान में अकाल पड़ते रहे हैं और उसका समाधान भी होता रहा है लेकिन मूल बात पर आइये। 1997-98 में 137 लाख हैक्टेयर में खेती हुई, 140 लाख टन पैदावार। 1998-99 में 117.53 लाख हैक्टेयर में खेती, 112.25 लाख टन पैदावार। माननीय वित्त मंत्रीजी, मैंने 1996-97, 1997-98, 1998-99, 1999-2000, 2000-2001, 2001-2002 के आंकड़े पढ़ दिये। आप देखेंगे कि यह हमारा उत्पादन एक हैक्टेयर में एक टन पर जा रहा है। जितने लाख हैक्टेयर हम कर रहे हैं उतने लाख टन के करीब-करीब आ रहा है। 4 हैक्टेयर में एक टन का उत्पादन ले रहे हैं हम राजस्थान में कृषि में। 30 प्रतिशत जमीन सिंचित है। माननीय वित्त मंत्रीजी, सिंचाई मंत्रीजी से पूछिये, कृषि मंत्रीजी से पूछिये कि राजस्थान में क्या 4 हैक्टेयर में एक टन पैदावार होगी। यदि आप अपने कृषि और सिंचाई के प्रबन्धन को सही करेंगे और एक टन की जगह दो टन अनाज जिस दिन पैदा होगा, अंदाज लगाइये कि आपके राजस्थान की सम्पन्नता किस हद तक कहां से कहां पहुंचेगी। ऐसा नहीं है कि हम पैदावार कर नहीं सकते। आपका कुप्रबन्धन सिंचाई में भी है, कुप्रबन्धन कृषि में भी है। आपने तो भारत सरकार को कहा था जब 680 करोड़ का ए.आर.एम. करने की बात कही थी तब कि हम सबवेंशन और सब्सिडीज पर विचार करेंगे। आपने क्या विचार किया? मैं पूछना चाहता हूं, कम कराने की बात नहीं है, लाखों किताब बांटते हैं, कितनी किसानों के पास में पहुंचती हैं? यह सब्सिडी जो उस गरीब हरिजन के नाम पर उठती है और उसको प्याज का बीज दिया जाता है। उनसे पूछो कि राजस्थान के कितने हिस्सों में प्याज पैदा हो सकता है। आपका बीज निगम और आपकी सारी मशीनरी जिस तरीके से भ्रष्ट है और सड़ी हुई है, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह एक-एक किलो के किट्स बांटने और राजस्थान के धन का दुरुपयोग ही करना हो और उस गरीब तक पैसा नहीं पहुंचाना है तो निश्चित रूप से यह किट्स बांटना चालू रखिये। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह किट्स बांटने से ज्यादा ध्यान इस बात पर दीजिये कि बारानी खेती को, दो-दो यूनिवर्सिटी हैं कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर की है, उदयपुर की है, आप एक्सटेंशन सर्विसेज बारानी क्षेत्रों में क्यों नहीं शुरू करते

(श्री मानिक चन्द सुराना)

हैं। आपका कृषि विभाग, जिसका कर्मचारी हर ग्राम पंचायत में है और सिंचाई के अन्दर हर चक के अंदर कृषि के पर्यवेक्षक और सलाह देने वाले हैं, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि कृषि के उत्पादन में सर्वाधिक ध्यान देंगे और पशुपालन के लिए चरागाह योजना इन्दिरा गांधी नहर में बनाएंगे जो कि माननीय पूर्व इन्दिरा गांधी नहर मंत्रीजी के समय में थी और बाद में इनके हटने के बाद में समाप्त कर दी गयी, उस योजना को वापस लागू करेंगे तो निश्चित रूप से पश्चिमी राजस्थान का कायाकल्प होगा। सिंचाई कोटा में भी हो रही है, वहां पर भी चरागाह चाहिए। कहां पर नहीं चाहिए चरागाह? माही में भी चरागाह की जरूरत पड़ सकती है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप कृषि के उत्पादन को बढ़ाने के लिए इस असेम्बली की स्टैंडिंग कमेटी भी बनानी हो....

श्री सभापति : माननीय चन्द्रभानजी, प्लीज साइलेंट।

श्री मानिक चन्द सुराना : तो स्टैंडिंग कमेटी बनाइये 15 सदस्यों की और दो-दो महीने से वह उसको रिव्यू करें, आपकी हाई कैबिनेट सब कमेटी उसमें बैठे और आप इसको गहराई से रिव्यू करें। लक्ष्मी मित्तल और राहुल बजाज के पास में बैठने से इस राजस्थान का कल्याण नहीं होने वाला है और न इसका उत्पादन बढ़ने वाला है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जिस तरीके से आपने यहां आई.आर.सी. बना दी, आपने राजस्थान के सभी जिलों के प्रमुख पांच किसानों की एक संस्था क्यों नहीं बनाई? 32 जिलों के 160 किसान बैठेंगे और अपने क्षेत्रों के सम्बन्ध में चर्चा करेंगे। आखिर इलेक्टेड रिप्रजेंटेटिव्ज भी पंचायत समितियों में हैं, जिला परिषदों में हैं, पंचायतों में हैं और कृषि विभाग को मालूम है कि कौनसे अच्छे किसान हैं, काश्तकार हैं, "आप उनसे सलाह क्यों नहीं लेते। आप तो सिंचाई के मामले में, इन्दिरा गांधी नहर, इसका प्रबन्धन भांखड़ा व्यास मैनेजमेंट बोर्ड के पास है और जिसमें राजस्थान सरकार का प्रतिनिधि भी बैठता है और जो बोर्ड पंजाब रिआर्गेनाइजेशन एक्ट की धारा 78 के तहत बना हुआ है, चेयरमैन भारत सरकार उसमें बनाती है और हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, चारों राज्यों के प्रतिनिधि बैठते हैं। राजस्थान के किसानों को आप इस बी.बी.एम.बी. से उचित समय पर पानी दिलाने में असमर्थ रहे हैं। आपने तो घोषणा कर दी थी, आपकी सरकार के सी.ए.डी. कमिश्नर ने और सरकार ने, खास तौर से सिंचाई सचिव, परमेश चन्द्रजी ने 24 जनवरी, 2002 को पानी बंद करने की। 13 जनवरी को हम लोगों को यह खबर मिली और हम लोगों ने कहा 22 जनवरी को ही हम हजारों किसान लोग धरना देंगे और जब हम लोगों ने उसकी तैयारी की तो 5-7 दिनों में सी.ए.डी. कमिश्नर ने कहा कि नहीं, 24 को बंद नहीं करेंगे अभी हम 10 फरवरी तक पानी देंगे।

माननीय वित्त मंत्रीजी, मैं यह महत्वपूर्ण बात विधान सभा के रिकार्ड पर लाना चाहता हूं कि आपके सिंचाई सचिव ने बिना सिंचाई मंत्री से बात किये, बिना उनको जानकारी दिये यह निर्णय कर लिया अपने स्तर पर कि

(श्री मानिक चन्द सुराना)

लाखों किसान जो इन्दिरा गांधी नहर क्षेत्र के हैं, उनका पानी बंद है। जब मैंने माननीय श्रीमती कमलाजी से फोन पर बात की और उनसे कहा कि मैं कल मिलना चाहता हूं तो उन्होंने कहा कि आप संदर्भ बतायें तो मैंने कहा कि संदर्भ यह है कि आपके सिंचाई सचिव ने लाखों किसानों का पानी बंद कर दिया है। तो उन्होंने कहा कि मुझे तो पता ही नहीं है। उनको वास्तव में कोई जानकारी जैसा उनसे फोन पर बात हुई, साफ लगता था कि इनको जानकारी नहीं है। आपका सिंचाई सचिव इतना पावरफुल है, आपकी ब्यूरोक्रेसी इतनी पावरफुल है कि मंत्री को बतायें ही नहीं और लाखों किसानों का मामला हो तो उसको नजरअंदाज कर दे। उसके बाद वही पानी जो आपके सिंचाई सचिव ने कहा कि 24 जनवरी का बंद हो जाएगा, हम लोगों ने जब कहा कि हम 10 फरवरी को जयपुर आएंगे तो न सिर्फ 10 फरवरी, 15 फरवरी का 34 दिन को रोटेशन बना बल्कि वह पानी जब हमने बाद में कहा कि 13 मार्च को आपने कहा कि हम बंद करेंगे तो हम लोगों ने कहा कि हम 13 मार्च को भी दसों हजार लोग वहां धरना देंगे तो 13 मार्च को वापस रेगुलेशन बना और मुझे यह कहते हुए खुशी है कि माननीय विपक्ष के नेता के माध्यम से हमने भारत सरकार में सुरेश प्रभुजी से बात की और माननीय मुख्य मंत्रीजी से भी मैं एक मार्च, 2002 को मिला और उनको कहा कि यदि आपने पानी बंद कर दिया तो 20 लाख टन फसल का सत्यानाश हो जाएगा जो इन्दिरा गांधी नहर क्षेत्र में हुई है। अब जो व्यवस्था बनी है, वही बी.बी.एम.बी. है जो पहले हमारे चीफ इंजीनियर्स से कह रही थी कि हम पानी नहीं देंगे और वही बी.बी.एम.बी. है जो पानी दे रही है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सरहिन्द फीडर की चोरी, राजस्थान के हिस्से की चोरी जो सरहिन्द फीडर से होती है उस चोरी को रोकने में आपके सारे मंत्री और सारी सरकार असमर्थ रही है और भांखड़ा व्यास मैनेजमेंट बोर्ड में राजस्थान का प्रभावी जो हिस्सा है, हमारे हिस्से का पानी चलता है और 1000-800 क्यूसेक निकाल लिया जाता है। हरियाणा का स्टेट सतलज यमुना लिंक के मामले में सुप्रीम कोर्ट में चला गया। सुप्रीम कोर्ट ने भी निर्णय हरियाणा के पक्ष में दिया और यह कहा कि सतलज यमुना लिंक जो पंजाब के हिस्से में भी काफी बन चुकी है, थोड़ी सी बाकी है जिस पर करीब 670 करोड़ रुपया खर्च हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह धन की बरबादी नहीं की जा सकती और पंजाब सरकार को निर्देश दिया कि आपको बनानी पड़ेगी। भारत सरकार को भी निर्देश दिया कि यदि पंजाब की सरकार न बनाये तो आप इसको देखो और आप इसका निर्माण करें। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सिंचाई के मुद्दों पर आपको किसानों का हितैषी रूख अख्तियार करना पड़ेगा और अभी तक जो सिंचाई विभाग और सिंचाई मंत्रीजी सो रहे हैं कि काश्तकारों को पानी मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। इसकी कोई चिंता नहीं की है और सब कुछ ब्यूरोक्रेसी पर छोड़ा हुआ है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इस व्यवस्था में मूलभूत परिवर्तन करिये। यदि आप एक हैक्टेयर में

(श्री मानिक चन्द सुराना)

एक टन अनाज की जगह दो टन अनाज लेना चाहते हैं तो निश्चित रूप से सिंचाई की व्यवस्था, हमारे पास 30 प्रतिशत सिंचित जमीन है...

(16.00 बजे)

श्री सभापति : 48 मिनट्स कम्प्लीटेड, प्लीज। काफी वक्ता हैं।

श्री मानिक चन्द सुराना : अब मुझे 12 मिनट कम्प्लीट करने दें। नहीं, मेरे नेता बैठे हैं। आप नेता की ओर देखें पहले। (व्यवधान) मैं बहुत संक्षेप में ही कहूंगा। मैंने सिंचाई के मामले पर आपका ध्यान आकर्षित किया। मैं माननीय वित्त मंत्रीजी, पब्लिक अण्डरटेकिंग के संबंध मामले में भी थोड़ा निवेदन करना चाहूंगा। आपके तीन साल के बजट भाषणों में राजकीय उपक्रम का कहीं कोई जिक्र नहीं है कि आप डिस-इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं। ट्यूरिज्म के मामले में यह जरूर आ गया कि जो इकाइयां घाटे में है, उसको राज्य सरकार बेचने का विचार रखती है और जो इस साल की रिपोर्ट है स्टेट अण्डरटेकिंग्स की, उस रिपोर्ट में यह लिखा है कि 24 उद्योगों में 15 तो मुनाफे में चल रहे हैं, यह लेटेस्ट रिपोर्ट है जो विधान सभा में आपने प्रसारित की है 2001-2002 की, राज्य के 24 सार्वजनिक उपक्रमों में से 15 उपक्रम लाभ में हैं, 6 उपक्रम हानि में हैं और 3 उपक्रम बंद हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि कौन से उपक्रम हैं जो फायदे में आ गये। आपका रोडवेज घाटे में है। ओह, आपके ध्यान में आर.एस.एम.एम.सी. और आर.एस.एम.डी.सी. शायद आ रहे हों। मैं निवेदन करना चाहता हूं और भी राजकीय उपक्रम हैं। यह 100 करोड़ रुपये का घाटा आप क्यों नहीं पूरा कर रहे हैं। आज यातायात मंत्रीजी तो उसकी सफाई दे रहे थे कि घाटा इन-इन कारणों से हो रहा है। कारणों में तो जाइये, पर उपचार भी तो कीजिये। यह वित्त सचिव जो अभी हैं श्री एम. डी. मोरानी साहब, वह जब थे चेयरमैन आर.एस.आर.टी.सी., 600 करोड़ रुपये का फायदा हुआ था और आज क्यों घाटा हो रहा है। प्रबंधन भी कोई चीज होगी, नीति भी कोई चीज होगी...(व्यवधान) वह वित्त सचिव हो गये। मैं निवेदन करना चाहूंगा वित्त मंत्रीजी से, उनको तो मालूम है कि कैसे फायदा हुआ था और आप 100 करोड़ रुपये के घाटे को बरदाश्त मत करिये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : क्या आपकी राय है कि इनको वापस आर.एस.आर.टी.सी. में बुलायें ?

श्री मानिक चन्द सुराना : नहीं, नहीं, मेरा मतलब यह नहीं है। मेरा मतलब है कि उस ज्ञान से फायदा उठाइये और आप प्रोपर डाइरेक्शन आर.एस.आर.टी.सी. को दीजिये। आर.एस.आर.टी.सी. आखिर तो गवर्नमेंट कम्पनी है। वह कोई ऐसी चीज नहीं है कि जैसे कोई छुई-मुई हो और जिसको कुछ निर्देश नहीं दिये जा सकते हों। आपने यह नीति क्यों बना रखी है कि हम कोई नया रूट लेंगे ही नहीं। नया रूट फायदे में है तो भी हम नहीं लेंगे। यह आपको किसने कहा है आप घाटे के रूट को बंद करिये। नया रूट जो फायदे में है, वह लीजिये और आज

(श्री मानिक चन्द सुराना)

माननीय मंत्रीजी, आप जानते हैं कि आज आर.एस.आर.टी.सी. का एकुमुलेटेड लोस क्या है? 300 करोड़ हो गया, 250 करोड़ हो गया, 400 करोड़ हो गया, क्या हो गया....

श्रीमती सुमित्रा सिंह : 500 नई बसें लगा रहे हैं।

श्री मानिक चन्द सुराना : कोई बात नहीं, माननीय मंत्रीजी इस प्रश्न को देख लेंगे। मैं नहीं चाहता कि कोई रेडी रेकनर ही दिमाग में हो। आप इस बात को देखें। सकल घाटा कितना हो गया और इस सकल घाटे को उबारने के लिए क्या किया जा सकता है?

आपके सोडियम सल्फेट फैक्ट्री है, डीडवाना में है, माननीय सभापति महोदय, यह देखिये कि उस फैक्ट्री को बेचने का इन्होंने इसमें जो कुछ कहा है, उसके अनुसार उसका कोई 27 लाख का आफर आया है और उसके साथ में जो 103 बीघा जमीन लवण की पड़ी है, उसके लिए कोई 10 लाख का आफर आया है। मुझे ध्यान आ रहा है, इसी सोडियम सल्फेट संयंत्र के एक करोड़ रुपये से ऊपर का आफर आया हुआ था। आपने उस समय क्यों नहीं बेचा और यह 27 लाख में बेचने की साजिश है वित्त मंत्री महोदय, मैं साफ कहना चाहता हूं और यह उपक्रम मंत्रीजी देख लें। इसका रुपया एक करोड़ 80 लाख निश्चित रूप से आज भी आ सकता है और यदि पुराने टेण्डरों के आधार पर इसको बेचेंगे तो निश्चित रूप से राज्य को 50 लाख से ऊपर की हानि होगी और यह 103 बीघा जमीन, यह 10 लाख की नहीं है, यह भी 50 लाख की है। आप कुछ आंख खोलकर जो स्टेट एन्टरप्राइजेज हैं, उसके बारे में भी देखें। राजकीय वूलन मिल्स को आप क्यों नहीं बेच रहे बीकानेर की, आपने यू.आई.टी. के जिम्मे लगा दिया, यू.आई.टी. से कहिये कि बेचे उसको। नहीं बेचे तो आप वापस उससे ले लीजिये, क्या दिक्कत है आपको? आप 100 करोड़, 50 करोड़ रुपये राजकीय उपक्रमों में डिसइन्वेस्ट करके जहां नुकसान हो रहा है, उसका आप विनियोजन करके आप उससे पैदा करिये। मैं नहीं कहता कि उसको कोई सामाजिक सेवाओं में खर्च कर दीजिये पर राज्य के कर्जे को उतारने के लिए थोड़ा काम तो लीजिये और राज्य के लिए नये संसाधन भी आपको ढूंढ़ने पड़ेंगे।

आप गैर राजस्व कर क्यों नहीं बढ़ा रहे हैं। गैर राजस्व कर, नान टैक्स रेवेन्यु....

श्री प्रद्युम्न सिंह : आप बताओ ना, आप इतने अच्छे सुझाव दे रहे हैं, नान टैक्स रेवेन्यु किन क्षेत्रों में बढ़ाई जा सकती है, आप कुछ मार्गदर्शन तो करें मेरा।

श्री मानिक चन्द सुराना : मेरे बताने से ही काम चल रहा है क्या? मैं अर्ज करू, नान टैक्स रेवेन्यु, आपका आर.एस.एम.एम.डी.सी. आपको क्या लाभ दे रहा है अभी, 18 करोड़ रुपये। आप इसकी गहराई में जाइये। यह 40 करोड़ रुपये भी आपको देने की स्थिति में है। आपके माननीय उद्योग मंत्रीजी को फुर्सत कम है क्योंकि वह विद्युत में अधिक संलग्न है और विद्युत की समस्याएं भी बहुत हैं। उन्होंने तो विद्युत में इलैक्ट्रोनिक मीटर लगाकर राजस्थान की पूरी जनता को जो संदेश दिया है, उसका विश्लेषण तो मैं नहीं करना चाहता, अपने आप आने वाला समय करेगा....

श्री शिवनाथ सिंह : आपकी बात को नोट कर रहे हैं पूरी की पूरी।

श्री मानिक चन्द सुराना : नहीं-नहीं, वह कर रहे हैं तो वह बुद्धिमान आदमी हैं, नोट करेंगे ही। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप गैर राजस्व कर राजस्थान में बढ़ाइये। बहुत से खनिज हैं, उनका दोहन होना है और उनका दोहन राजकीय उपक्रमों के तौर पर भी किया जा सकता है। आप कर रहे हैं ना, आर.एस.एम.एम. क्या है। यह राजकीय उपक्रम है। आर.एस.एम.एम.डी.सी. भी वही है। मैं निवेदन करना चाहूंगा, अन्यथा आप डेट ट्रेप में राजस्थान को ले जाएंगे। डेट ट्रेप में आ गये। इसका विश्लेषण राजस्थान के वित्त आयोग ने जो किया है, वह मैं माननीय वित्त मंत्रीजी, सुना देना चाहता हूं कि आपके खुद के राजस्थान के वित्त आयोग ने आपके सम्बन्ध में क्या कहा है? पैरा नम्बर 4.4 में जो कुछ उन्होंने कहा है, उसको माननीय वित्त मंत्रीजी आपने देखा भी होगा सरसरी निगाह से और हो सकता है, नहीं भी देखा हो, कम देखा हो और पैरा पढ़ भी लिया हो और भूल भी गये हों। पेज नम्बर 55 पर पूरा चार्ट है और पेज 56 पर उसका विश्लेषण है और चार्ट है जिसमें 1994-95 से लगाकर 1999-2000 तक सारे आंकड़े, राज्य का राजस्व और राज्य का आपका राजस्व और राज्य का गैर कर राजस्व और पूंजीगत प्राप्तियां, सबके आंकड़े हैं। उपरोक्त सारणी में दिये गये आंकड़े यह दर्शाते हैं कि 1994-95 से 1999-2000 तक की अवधि के दौरान राज्य के कुल व्यय में औसत 18.65 प्रतिशत वार्षिक दर से तथा राजस्व व्यय में औसत 15.52 प्रतिशत वार्षिक दर से वृद्धि हुई। आप नोट कर लें कि कुल राजस्व में वृद्धि हो गई 18.65 प्रतिशत और राजस्व व्यय में वृद्धि हो गई 15.52 प्रतिशत। अन्य सूचना के अनुसार राज्य में कर्ज भार में इसी अवधि के दौरान औसत 20.52 प्रतिशत वार्षिक दर की वृद्धि हुई है। हमारा कर्ज बढ़ गया है 20.52 प्रतिशत प्रतिवर्ष के हिसाब से। राज्य व्यय एवं राज्य आय के अन्तर को पूरा करने के लिए राज्य को अधिकाधिक उधार लेना पड़ा। उच्च स्तर पर राजस्व व्यय का मुख्य कारण पांचवें वेतन आयोग की सिफारिशों का क्रियान्वयन, स्थानीय निकायों को चुंगी के बदले उच्च स्तर पर अनुदान एवं ब्याज का भुगतान आदि थे। अब माननीय वित्त मंत्रीजी, यह तो इन्होंने इसमें पूरा विश्लेषण 1994-95 से 1999-2000 तक का कर दिया। सबसे महत्वपूर्ण बात, सभापति महोदय, जो उन्होंने कही, पेज 57 पर फिर एक चार्ट दिया है कि राज्य में आवश्यक व्यय क्या है और आवश्यक व्यय में उन्होंने वेतन, मजदूरी, पेंशन, ब्याज, सहायता, अनुदान, यों पांचों करके जो कहा है, वह आपको अर्ज कर देता हूं कि 1997-98 तक जो आवश्यक व्यय थे, उनका प्रतिशत कुल राजस्व प्राप्तियों में 86.47 था 1997-98 तक....और 1998-99 में आपके पदार्पण के साथ ही, वह बारह हजार कर्मचारियों की छंटनी के साथ ही, वह 60 से 58 कर दी, तो आवश्यक व्यय का प्रतिशत कुल राजस्व प्राप्तियों से 111.91 प्रतिशत हो गया 1998-99 में, और 1999-2000 में आवश्यक खर्चों का प्रतिशत कुल राजस्व

(श्री मानिक चन्द सुराना)

आय से 115.99 प्रतिशत हो गया। यह तो आवश्यक व्यय है, बाकी और व्यय है।

माननीय वित्त मंत्रीजी, जो उन्होंने 4.8 में निष्कर्ष निकाला है योजना के प्रति, आपने योजना का आकार छोटा कर दिया और उस पर काफी हमारे उप नेता माननीय कटारिया साहब ने कल पूरा विश्लेषण किया कि कौन-कौन से, हमने क्या प्लान किया था और आपने पहले कितनी कटौती की और कटौती के खिलाफ भी कितनी उपलब्धि हुई। अब आप सुनें, सारणी तीन में योजना का व्यय दिया हुआ है पूरा और सारणी 4.3 का विश्लेषण यह उल्लेख करता है कि वर्ष 1995-96 में ऋण की राशि कुल योजना परिव्यय की राशि की तुलना में 73.83 प्रतिशत थी, 1995-96 में कुल योजना परिव्यय की राशि की तुलना में कर्ज की राशि 73.83 प्रतिशत थी जो वर्ष 1999-2000 में बढ़कर कुल परिव्यय का 137.64 प्रतिशत हो गई। यह तो 1999-2000 ही पहुंचे हैं। मतलब 137 प्रतिशत उधार लिया जब योजना व्यय चला और तथा वास्तविक योजना व्यय प्रतिशत के रूप में उधारें और भी अधिक हुई। जहां 1995-96 में 3120 करोड़ रुपये के कुल योजना व्यय में से राज्य सरकार ने 2362.48 करोड़ रुपये उधार लिये वहां 1999-2000 में 3600.95 करोड़ रुपये की कुल योजना के लिए राज्य सरकार को 6537.98 करोड़ रुपये की उधार लेनी पड़ी जो योजना व्यय की 181.56 प्रतिशत होती है। यह साधारण रूप से दर्शाता है कि जो निधियां योजना विकास के लिए उपयोग में ली जानी थी उन्हें गैर योजना मद के राजस्व घाटे की पूर्ति अर्थात चालू राजस्व के ऋणात्मक शेष को पूर्ति करने हेतु व्यय करना पड़ा। माननीय वित्त मंत्री महोदय, द्वितीय राज्य वित्त आयोग की रिपोर्ट के इस पैरा के पेज 58 को कोट करने के साथ ही मैं समझता हूं कि आप स्वयं निष्कर्ष पर आ गये होंगे कि जहां 181 प्रतिशत रुपया उधार करना पड़े योजना व्यय को चलाने के लिए, वहां आपके गैर योजना नान प्लान रेवेन्यू एक्सपेंडीचर कितना भारी है और किस तरीके से राज्य की कमर इस आपके नान प्लान रेवेन्यू एक्सपेंडीचर से टूट रही है और इस पर आपने जो 31 हजार करोड़ का योजना का आकार बनाया है, और 181 प्रतिशत से गुना कर लें तो शायद यह 60 हजार करोड़ के व्यय होने पर ही पूरित होने के लायक दिख रहा है। आपके वित्त आयोग के यदि निष्कर्ष सही हैं तो इस निष्कर्ष पर हमें आना पड़ेगा कि 183 पाइंट करना पड़ेगा उसका और तब जाकर यह योजना व्यय चलेगा। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान की अर्थव्यवस्था के लिए कुछ मूलभूत चिंतन करिये, मूलभूत उपाय करिये और राजस्व घाटे को पूंजीगत खाते से न पूरा करिये। मैं, इसी निवेदन के साथ में, आपको बीकानेर में विश्वविद्यालय खोलने के लिए बहुत आपका साधुवाद और धन्यवाद करते हुए अपना स्थान ग्रहण करता हूं। धन्यवाद।

श्री सभापति : माननीय श्री अब्दुल हादी।

श्री अब्दुल हादी (चौहटन) : उपाध्यक्ष महोदय, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने

(श्री अब्दुल हादी)

2002-03 का जो बजट तखमीना पेश किया है, तमाम हालात को मध्यनजर रखते हुए काफी तसल्लीबख्श है। मैं बजट प्रस्ताव की ताइद करता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं अपने इलाके के कुछ हालात पर रोशनी डालना चाहता हूं। इस हाउस में सबसे ज्यादा नुक्ताचीनी बिजली पर होती है, यह हमेशा सुनते रहते हैं, मगर मैं बिजली मिनिस्टर की तारीफ करूंगा कि मेरे हलके में चार जी.एस.एस. थे जिसके आज 33 के.वी. के 20 जी.एस.एस. हैं। इलाके में लोगों को बिजली की वजह से रोटी-रोजी का गुजारा हो गया। जहां हमारे यहां हर साल अकाल पड़ता था और इस बिजली ने मैं कसमिया कहता हूं कि लोगों को बिलकुल जिंदा कर दिया है। अब मैं अगर तारीफ करूंगा तो लोग कहेंगे कि बिजली वालों की सब लोग बुराई करते हैं, यह बूढ़ा कैसे तारीफ कर रहा है, पर हकीकत को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, इन्सान का फर्ज है। हालांकि मैं काफी पुराना मेम्बर हूं, मैं बोलता बहुत कम हूं, तो हमारे साथी हमारा आज यह रिवाज बन गया कि नुक्ताचीनी में ही सब कुछ हैं, मैं कहता हूं कि नुक्ताचीनी जरूर करनी चाहिए मगर कोई अगर अच्छा काम है तो उसकी तारीफ भी होनी चाहिए।

(16.16 बजे)

(श्री शिवनाथ सिंह, सभापति, पदासीन)

तो हमारे यहां जहां तक बिजली का सवाल है, उसमें 20 तो 33 के.वी. के, मेरे हल्के की मैं बात कर रहा हूं और 132 का जी.एस.एस. अब तैयार पड़ा है, वह उद्घाटन के इंतजार में है। अब मैं खास मंत्री महोदय से, अभी आ गये हैं, मैं इंतजार कर रहा था, पर बैठे हैं, मुझे दिखता कम है, मैं यह चाहता हूं कि जहां तक कनेक्शन का सवाल है उस पर आप पाबंदी मत लगाइये। अब जैसे नर्सरी योजना थी, यह भैरोंसिंह सरकार ने लगवाई तो हमारे कांग्रेस वालों ने उसकी खिलाफत की, यह ठीक नहीं है। मैंने उस वक्त इसकी ताइद की, मैंने कहा कि इसकी खिलाफत मत करो। हमारे यहां हमने सब यह नर्सरी के, कितने ही कनेक्शन लिये, उसके बाद यह हरे चारा, जो योजना चली, उसमें कनेक्शन लिये। तो मैं मंत्री महोदय से यह चाहूंगा कि हमारे यहां करीब हजार-बारह सौ आपके कनेक्शन हैं, मेरे हलके में, तो उस पर आप इस कनेक्शन पर पाबंदी मत लगाइये, उसको आप खुला कीजिये। अब ठीक है आपके खर्चा ज्यादा लगता है, बिजली महंगी है तो फिर पैसा ज्यादा ले लो पर सवाल यह है कि इसको आप बंद मत करें।

जहां तक आपके वायर का सवाल है तो अब 132 की लाइन आ गयी, अब तो वह तो मेरे खयाल से आपके चीज रही नहीं, इसलिए आप मेहरबानी करके जहां तक कनेक्शन का सवाल है, इस पर आप पाबंदी मत लगाइये तो इससे लोगों को रोटी-रोजी में बड़ा, हमारे यहां तो खुदा की मेहरबानी, आपकी इस बिजली की वजह से अब हमारे यहां बाड़मेर जो जिला है, सब कहते हैं कि चौहटन तो बढ़िया है, अब आप अगर सही मानें तो हमारा यह चौहटन राजस्थान कैनाल से भी ठीक हो गया। यह खुदा की मेहरबानी है, कुछ नीचे पानी आ गया, पता नहीं नदी है,

(श्री अब्दुल हादी)

खूब पानी है, 24 घंटे भी मोटर चलाओ तो भी पानी की कमी नहीं। तो मैं यह चाह रहा, अर्ज कर रहा था खास कर बिजली मिनिस्टर साहब से कि आप मेहरबानी करके इस कनेक्शन पर पांबदी मत लगायें। और दूसरी बात मुझे जो शिकायत की तरह मिली है वह यह मिली है कि आपके बिजली वालों ने 15 एच.पी. की जो मोटर है, वह कम्पनी वालों ने दी है, उनके पास बिल भी है कि यह 15 एच.पी. की मोटर है और आपके महकमे की मान्यता भी उसको मिली हुई है, बावजूद उसके भी वह जो विजिलेंस वाले हैं, वह जुर्माना करते हैं। तो मैंने यह एसई. से बात की, मैंने कहा कि आप खुद इसको देखो, लोगों को परेशान मत करो, तो उन्होंने कहा कि मैं इसको देख लूंगा। तो मैं खास कर आपसे जो गुजारिश करना चाहता था कि इस चीज को आप देखिये। जब कम्पनी वाले 15 उसका पैसा भी उन्होंने ले लिया तो उस पर लोगों के साथ जो ज्यादती हुई है उसकी थोड़ा आप जांच करवाइये। उसके अलावा मेरी एक खास गुजारिश यह थी कि कुछ लोगों की यह ख्वाहिश है, इलाका काफी लम्बा-चौड़ा है, अब काम बिजली का भी बढ़ेगा, लोगों की जरूरतें भी बढ़ रही हैं तो मैं चाहता हूं कि हमारे जी.एस.एस. 33 के एक बामरोड है और केकड़, सलारिया, विसारणियां यहां जरूरत है। तो आप इसमें मदद कीजिये। अब ये जो जी.एस.एस. 20 करवाये हैं इसमें कुछ मेरी भी मदद रही है मैंने बी.ए.डी. वालों से पैसा ले करके यह करवाये हैं तो यह हमारे कुछ एम.एल.ए. साहबान भी कहते हैं कि आप तो पैसा विजली में खर्च करवा रहे हैं। जहां लोगों को रोजगार मिले उसमें पैसा खर्च करना चाहिए और मैंने जो कुछ कहा है वह सही निकला और वह लोग भी खुश हैं। तो मैं आपसे यह गुजारिश कर रहा था कि हमारे जी.एस.एस. में थोड़ी आप और मदद कीजिये और कनेक्शन के लिए आप बिलकुल खुला कर दीजिये। यही मेरी गुजारिश है।

अब मैं पानी महकमे को लेता हूं। जहां तक पानी का सवाल है हमारे इलाके में खास जो मेरा इलाका चौहटन है उसमें करीब 10-15 पंचायतें ऐसी हैं जहां पानी खारा है लोग परेशान हैं उसके लिए काफी साल पहले मैंने एक स्कीम बनवायी करीब चार करोड़ की तो वहां से 45 किलोमीटर एक रमजान की गपन है वहां तक पाइप लाइन से पानी जाता है बीच में भी काफी गांव हैं तो कभी पानी मिलता है कभी नहीं मिलता है। तो 45 किलोमीटर जो टंकी है फिर वहां तो पानी कभी गया ही नहीं तो मैंने हमारे बाड़मेर में एक संजय दीक्षित कलक्टर साहब थे, अच्छे आदमी थे। तो मैंने उनसे निवेदन किया। मैंने कहा कि कलक्टर साहब, आप अगर एक दफा पानी पहुंचा दो तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। वह कलक्टर मेहनती आदमी था। उसने 8 दिन कंटीन्यू माथा फोड़ी की तब जाकर एक दफा पानी वहां मिला। तो मैं यह कह रहा था कि जहां लम्बी लाइन हैं वहां पर पानी का पहुंचना बड़ा मुश्किल है। हमारे इलाके में जहां भी लम्बी लाइन से पानी जाता है वहां पर पानी सही नहीं मिलता है, लोगों को शिकायत रहती है

(श्री अब्दुल हादी)

इसलिए मैं यह चाह रहा था कि आप सोर्स तलाश कीजिये। जितने भी नजदीक हो अगर पानी का सोर्स नीचे मिल जाता है तो पानी मिल सकता है आराम से तो मेरे इलाके में तो 10-15 पंचायतें ऐसी हैं बाकी सब जगह पानी का इंतजाम ठीक है। साल भर पहले मिनिस्टर साहब वहां आये थे, रामसिंहजी। तो मैंने उनसे निवेदन किया कि यह खारे पानी का इलाका है यहां पर अगर आप ट्यूबवैल गहरा करवायें तो शायद पानी आ सकता है तो उन्होंने अपने महकमे वालों से कहा तो उन्होंने 1500 फीट नीचे ट्यूबवैल किये मगर पानी नहीं निकला आखिर वे कामयाब नहीं हुए। पानी सही नहीं मिला तो इसके लिए मेरी यह गुजारिश है कि इन लोगों के पानी के लिए कोई इंतजाम किया जाए। इसके लिए यही है कि जहां पानी का अच्छा सोर्स हैं वहां पर ट्यूबवैल करवाया जाए और इन लोगों को जो खारे पानी के इलाके के हैं उनको पानी दिया जाए। दूसरी बात यह थी कि आम शिकायत यह आती रहती है कि ट्यूबवैल कोई खराब हो जाते हैं तो उसमें 15 दिन, महीने 3-3, 4-4 महीने लग जाते हैं लोग कहते हैं कि हमारा ट्यूबवैल खराब पड़ा है। जब बात करते हैं तो आफिसर कहता है कि साहब हमारे पास तो बजट नहीं है। तो मैं यह चाहता था कि जहां तक जो भी चालू ट्यूबवैल हैं जहां पानी हैं वहां के लिए आप थोड़ा बजट उनकी मशीनें वगैरह ठीक कराने के लिए वह बता रहे थे कि अपने को तो सिर्फ 16 लाख रुपये मिले हैं। तो 16 लाख रुपये तो पूरा उनका इलाका है एक्सईएन. दो-तीन तहसीलों का है तो वह बजट कम से कम ठीक होना चाहिए। जो भी अपनी स्कीमें चल रही हैं जहां पानी है वहां तो कम से कम मोटर खराब की वजह से लोग पानी से महरुम नहीं रहें। इसकी व्यवस्था जरूर होनी चाहिए।

अब मैं आता हूं एजुकेशन के ऊपर। जहां तक एजुकेशन का सवाल है यह जो राजीव गांधी स्कूलें खुली हैं ये तो हम जहां जिस रास्ते जाते हैं पक्का मकान मिलता है तो पूछते हैं कि क्या है तो पता चलता है कि राजीव गांधी स्कूल है। वहां जाकर स्कूल में देखते हैं तो डेढ़ सौ-सौ के करीब कभी-भी बच्चे पढ़ते रहते हैं तो इन स्कूलों को खोलने से इतना तालीम का विस्तार हुआ है जिसकी कोई हद नहीं है। उसके अलावा जो लोक जुम्बिश की स्कूलें भी खोली हैं। लोक जुम्बिश की स्कूलें हमारा जो इलाका है मेरा खुद का गांव है उसके अन्दर एक स्कूल खोली है जिसमें 6 लड़कियां हैं। जहां मैं जिस इलाके में रहता हूं वहां पर आबादी ज्यादा मुसलमान और मेघवालों की है। तो मुसलमान तो भले आदमी पढ़ना ही नहीं चाहते। खुद नहीं पढ़ते तो लड़कियों को कौन पढ़ाएगा। तो बड़ी मुश्किल से लड़कियों को इकट्ठा किया है और उनको पढ़ाने की माथा फोड़ी की। अब उसमें वे खाना भी खिलाते हैं और सब तरह से रहना, देना-लेना सब बाकायदा कैम्प खुला हुआ है। उसमें मैं यह चाहता था कि खासकर जोशीजी बैठे हुए हैं, इसमें थोड़ी आप तरमीम कीजिये। जब लड़कियां पढ़ रही हैं, मेरे खयाल से वह मुझे बता रहे थे कि साहब 10

(श्री अब्दुल हादी)

लाख का बजट है तो इसमें 2-1 लाख रुपये आप जोड़ दें और इन लड़कियों को दर्जी का काम सिखायें। अब लड़कियों को वे कह रहे हैं कि हम सात महीने के अंदर इनको पांचवीं तक तालीम दिला देंगे। माथा फोड़ी जिस हिसाब से कर रहे हैं तो मैं मानता हूं कि यह हो सकता है। तो उसमें साथ में आप यह कीजिये। आपके कैंप शायद काफी हमारे जिले में भी है। इनमें आप इतनी तरमीम करें कि लड़कियों के लिए 2-3 मास्टर दर्जी लगावें जो उनको दर्जी का काम सिखायें तो वे आगे रोजी-रोटी कमा सकती हैं। अब आपकी पांचवीं क्लास वाली को कोई नौकरी तो मिलेगी नहीं, ठीक है चिट्ठी भले ही पढ़ ले लेकिन रोटी का कोई उसमें इंतजाम नहीं है।

तो मेरा यह सुझाव था कि उसमें आप उन लड़कियों के लिए एक-दो दर्जी मास्टर ऐसे रखें जो उनको दर्जी का काम सिखायें जिससे आगे उनको रोटी का इंतजाम हो सकता है। और जहां तक आपकी स्कूलें हैं, मिडल स्कूलें हो, चाहे सैकण्डरी स्कूलें हो, चाहे जो भी स्कूलें हो, जहां भी जाओ मास्टरों की कमी है। तो कम से कम जहां मास्टरों की कमी है इसको आप जरूर पूरा करें। मैं आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने यह जो राजीव गांधी वाला सिलसिला चलाया है इससे तालीम का जो साक्षरता आपका अभियान है वह तो मुझे फर्जी दिखायी दे रहा है पर यह असलियत है। यह और यह जो दूसरा लोक जुम्बिश वाले जो लड़कियों को पढ़ा रहे हैं इससे तालीम का मुझे दिख रहा है कि हमारे इलाके में जहां कोई पढ़ना नहीं चाहता है वहां पढ़ रहे हैं तो इससे जरूर फायदा होगा।

अब मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि अभी जो अभियान चला अपना, क्या कहते हैं उसको "प्रशासन गांवों के संग" तो उस अभियान से लोगों को बड़ी राहत मिली। इसमें कोई शक की बात नहीं। मैं तो हमारे यहां की बात करता हूं कि कई बेचारे ऐसे गरीब लोग जिनको 10-15 बीघा जमीन काश्त करे अब अगर तहसीलदार को कुछ पैसा नहीं दे तो सीधा सजा टिकाता है तीन महीने। कई लोग बेचारे परेशान हो गये। यह मैंने अक्सर देखा वो देखते हैं कि एकाध, दो-चार को सजा दो तो दूसरे अपने को पैसा देंगे तो इतनी रिश्वतखोरी थी कि जिसको मैं क्या बयान करूं। तो अभी सरकार ने यह जो किया है कि रेगुलराइज का मामला चालू है इस अभियान के दौरान इससे गरीबों को बड़ा जबरदस्त फायदा मिला है। मैं खुद अभियान में गया कई बेचारे लाचार लोग कई शिड्यूल्ड कास्ट के बिलकुल लाचार लोग जिनको मतलब यह है कि वे जुर्माना भर-भर कर बेचारे तंग आ गये तो वह हमने उनको जमीन रेगुलराइज करवायी। बेचारे बहुत खुश हुए और उन्होंने कहा कि साहब म्हाने तो थां बचाई दिया हम तो गरीब आदमी हैं। हमारी बड़ी उन्होंने तारीफ की खास करके इस सरकार की कि ये तो बड़ी अच्छी है सरकार कि इन्होंने हम गरीबों की तरफ ध्यान दिया। अब उसमें एक बात और है वह मैं कहना चाहूंगा कि हमारे उन्होंने यह पाबन्दी लगा दी कि 10 किलोमीटर के भीतर जो गांव 10 किलोमीटर के अन्दर जो बोर्डर से आते हैं

(श्री अब्दुल हादी)

उनको यह जमीन रेगुलराइज नहीं कर सकते। वह यह बता रहे हैं। अब मैं यह अर्ज करना चाह रहा हूं कि यह बिलकुल सरासर गलत है। हमारे बोर्डर पर तो तमाम जमीन लोग काश्त कर रहे हैं एक आधा परसेंट भी जमीन सरकारी है ही नहीं। मामूली सी कोई जमीन है किसी ने कोई कब्जा किया है तो उस गरीब को आप महरुम न रखें और मेरे खयाल से जो ये 10 किलोमीटर वाली पाबन्दी है यह हमारे बाड़मेर में ही लगा रखी है शायद दूसरी जगह तो नहीं है उधर गंगानगर वगैरह में मैंने पूछा है तो मेहरबानी करके ये 10 किलोमीटर वाली जो पाबन्दी है उसको मेहरबानी करके हटा दें ताकि जो गरीब लोग बसे हुए हैं उसका फायदा हो जाएगा।

मैं शुक्रगुजार हूं कि आपने मुझे वक्त दिया।

श्री अमराराम चौधरी (पचपदरा) : हादी साहब, यह जो बाड़मेर डेजर्ट एरिया में 25 बीघा के नियमन कार्य हैं उसको आप 75 कराओ।

श्री अमीन खान : 132 जरीन का हो गया...(व्यवधान)

श्री सभापति : श्रीमती ममता शर्मा। विराजिए, विराजिए।

डा. चन्द्रभान (ऊर्जा मंत्री) : माननीय सभापति महोदय, जब कृषि कनेक्शन नीति बनाएंगे तो माननीय सदस्य की भावना का सम्मान किया जायेगा।

श्रीमती ममता शर्मा (बूंदी) : माननीय सभापति महोदय, 22 मार्च को 2001-2002 और 2002-2003 का जो बजट पेश हुआ उसके बारे में मैं मेरे विचार प्रकट करना चाहूंगी। बजट जो हमें राज्य सरकार ने दिया मुझे हालांकि उसमें कोई कमी नजर नहीं आती...

श्री राजेन्द्र राठौड़ : सही मन से बात करो।

श्रीमती ममता शर्मा : सही मन से कर रही हूं लेकिन...

मोहम्मद माहिर आजाद : यह लेकिन क्या है?

श्रीमती ममता शर्मा : अभी वह भी सामने आ रहा है। लेकिन इसमें थोड़ा जो बूंदी जिले को उपेक्षित रखा गया उससे मैं थोड़ा क्षुब्ध भाव से अपनी भावनाएं प्रकट करना चाहूंगी। बजट में जो प्रावधान रखे गये गरीबों के लिये उन प्रावधानों के लिये हम वित्त मंत्री जी का बहुत-बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करेंगे। लेकिन जो कमी नजर आई थोड़े रोजगार के और रास्ते खोलने की, क्योंकि जो हमारे नवयुवक हैं हमारी सरकार से आशा लगाये हुए बैठे हैं कि हमें रोजगार मिलेगा। जिस तरह से हमारी इण्डस्ट्रीज सिक हो गई हैं और सिक इण्डस्ट्रीज को ऊपर लाने का कोई इस वक्त रास्ता भी नजर नहीं आता और दो ही रास्ते नजर आते हैं या तो पर्यटन उद्योग को ऊपर लाया जाये या फिर माइंस मिनरल्स एण्ड लिग्नाइट्स का जो एक भण्डार है हमारे यहां और हमारी अर्थव्यवस्था को वह बहुत ऊपर ला सकता है इसके लिये हमें प्रयास करने पड़ेंगे। मैं वित्त मंत्री जी का और खास तौर से माननीय मुख्य मंत्री जी का तहे

(श्रीमती ममता शर्मा)

दिल से धन्यवाद करूंगी कि बूंदी में करीब 18 साल से लम्बित जो मध्यम सिंचाई परियोजना गरड़दा के नाम से पड़ी हुई थी और हमारी जब कांग्रेस सरकार थी उस वक्त की यह परियोजना है 8 साल भारतीय जनता पार्टी की भी सरकार रही, मैं यह नहीं कहती कि उन्होंने कुछ कोशिश नहीं की होगी। हो सकता है कि उन्होंने भी कोशिश की हो लेकिन कुछ ऐसा नजर नहीं आता कि 8 सालों में अगर वह कोशिश करते तो उसका कुछ न होता। वित्त मंत्रीजी और मुख्य मंत्रीजी की जो विशेष कृपा रही और विशेष मेहरबानियों की वजह से हमें उस गरड़दा सिंचाई परियोजना के लिये पहले साल में एक करोड़ रुपया मिला। उसके लिये तहे दिल से बार-बार मैं उनका धन्यवाद करूंगी। क्योंकि गरड़दा परियोजना से 9 हजार हैक्टेयर भूमि सिंचित होगी और जिस जगह यह परियोजना बन रही है, लागू होगी वहां 50 प्रतिशत के करीब एस.टी. के लोग रहते हैं और उनको इस परियोजना का लाभ मिलेगा। साथ ही इसी परियोजना से बूंदी और हिण्डौली दो विधान सभा क्षेत्रों में पेयजल की भी सुविधा उपलब्ध होगी।

माननीय सभापति महोदय, मेरा एक निवेदन है कि कई डिपार्टमेंट्स में स्टाफ की बहुत कमी है। कुछ डिपार्टमेंट्स ओवर स्टाफ्ड हैं और कई डिपार्टमेंट्स में कमी है। तो जिन डिपार्टमेंट्स में कमी है उनमें रोजगार खोले जायें, उनमें भर्तियां शुरू हों तो मैं मानती हूं कि हमारे नवयुवकों को रोजगार मिलेगा। खास तौर से राजस्थान की अर्थव्यवस्था को ऊपर लाने के लिये अगर हम 3-4 बिन्दुओं पर ध्यान दें तो मैं समझती हूं कि हम अवश्य ऊपर आ पायेंगे। माननीय बिजली मंत्रीजी यहां मौजूद हैं और वित्त मंत्री जी अभी-अभी कहीं पधार गये हैं, लेकिन मैं यह कहना चाहूंगी कि बिजली के क्षेत्र में हमें 2-3 बातों पर ध्यान देना होगा। एक तो जो 200 करोड़ का जो बजट इन्होंने दिया है मेरे हिसाब से वह बजट बहुत कम है। क्योंकि इस वर्ष का जो बिजली कम्पनियों का घाटा है वह करीब 1200 करोड़ का है और जब तक हम कम से कम आधा इसमें अपनी साझेदारी नहीं करेंगे तब तक मैं नहीं मानती कि हम किसान को, गरीब कंज्यूमर को पूरी पूरी बिजली दे पायेंगे। हम तभी दे पायेंगे जब हमारे बजट में इनके लिये पूरे-पूरे फण्ड का प्रावधान होगा। किसान को सस्ती बिजली और गरीब कंज्यूमर को सस्ती बिजली यह कम्पनियां नहीं देंगी। रियायती दरों पर इनको सस्ती बिजली मिलना अत्यन्त आवश्यक है और अगर यह नहीं दी तो उन पर पैसे की पूरी-पूरी मार पड़ेगी। यह तीनों कम्पनियां तो राज्य सरकार ने बनाई हैं लेकिन मेरा अनुरोध है राज्य सरकार से कि राज्य सरकार इन कम्पनियों के ऊपर सब कुछ डाल कर अपनी जिम्मेदारियों से विमुख न हो। राज्य सरकार को चाहिये कि पूरी-पूरी जिम्मेदारी सहित पूरा-पूरा फण्ड इन्हें दे ताकि हमारी जनता को राहत मिल सके। यह कॉमर्शियल आर्गेनाइजेशन है और यह अपने हिसाब से कार्य करेंगी। यह कम्पनियां सप्लाई की व्यवस्था जब तक ठीक से नहीं कर पायेंगी तब तक राजकीय कोष से इनको पूर्णत:

(श्रीमती ममता शर्मा)

सहायता नहीं मिलेगी। जहां बिजली कम्पनी को तकनीकी छीजत में कमी करनी पड़ेगी, बिजली की चोरी को सख्ती से रोकना पड़ेगा और गरीब पर मार पड़ेगी तो राज्य सरकार को इनकी मदद करना अत्यन्त आवश्यक है। इसलिए मैं माननीय वित्त मंत्री से निवेदन करूंगी कि बिजली विभाग को भी पूरा-पूरा बजट देने का कष्ट करें।

(16.37 बजे)

(श्री देवेन्द्र सिंह, उपाध्यक्ष, पदासीन)

अब मैं सड़कों के विषय में बात करना चाहूंगी। सड़कें वैसे तो पी.एम.जी.आर.वाई. से भी और कृषि उपज मण्डी से भी हमें मिल रही हैं। और इस सरकार ने जितना सड़कों का जाल बिछाया है, मैं यह मानकर चलूंगी कि पिछले 50 वर्षों में इतना जाल नहीं बिछा। उपाध्यक्ष महोदय, कई गांव तो ऐसे हैं जो अब यह कहने लगे हैं कि हमें अब आभास हुआ है और महसूस हुआ है कि हमारा देश भी आजाद है, इस सरकार के कार्यकाल में। कई गांव ऐसे हैं जो गड्ढे में पड़े हुए थे, देश की बात कर रही हूं मैं, अगर केन्द्र सरकार राज्य सरकार को पैसा दे रही है तो अहसान नहीं कर रही है, उनका कर्तव्य बनता है। सब जगह पैसा दे रही है, आप यह नहीं सोचें कि राजस्थान सरकार को ही पैसा मिल रहा है, पूरे हिन्दुस्तान में जितनी सरकारें हैं सबको पैसा मिल रहा है। हम सबको धन्यवाद दे रहे हैं। जो जनता के कार्य कर रहा है हम उन सबको धन्यवाद दे रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, सड़कों के बारे में मैं एक निवेदन करना चाहूंगी कि पंचायत हैडक्वार्टर को और एक हजार से ऊपर वाली आबादी को जोड़ने का जो प्रावधान रखा है वह अत्यन्त सुन्दर है। इससे कई पंचायत हैडक्वार्टर और 1000 से ऊपर की आबादी वाले गांव जुड़े भी हैं। लेकिन उसमें एक सबसे बड़ी कमी जो रही है कुछ गांवों के लिये, सब गांवों के लिये तो नहीं है, जहां बीच में नाला आ गया तो उस पर पुलिया का कोई प्रावधान नहीं है। सड़क को वहीं अधूरी छोड़ दिया जाता है। मैं वित्त मंत्रीजी से निवेदन करूंगी कि इसके लिये भी थोड़ा बजट आंबटित किया जाये। पुलियाएं बनाना अत्यन्त आवश्यक है क्योंकि पुलिया के बिना शिक्षा अधूरी है, जो मैं मानकर चलती हूं। क्योंकि गरीब लोग जब अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं और नाले आये रहते हैं तो उनके बच्चे बह जाते हैं। उनकी जो पीड़ा है, उनको हमारी सरकार समझने की कोशिश करे।

उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक कोटा सम्भाग में सिंचाई का सवाल है, सिंचाई के लिए सन् 1957 में नहरें बनीं, चम्बल कमांड एरिया बना और वह कमांड एरिया आज राजस्थान का मेजर कमांड एरिया है। हालांकि मैं मानती हूं कि उस कमांड एरिया में डवलपमेंट का पैसा भी कमांड एरिया ही लगाता है। सी.ए.डी लगाती है, लेकिन कुछ दायित्व हमारी सरकार का भी बनता है। सब जगह के लिए प्रावधान रखा गया है, गंगनहर के लिए भी रखा गया है, इन्दिरा गांधी नहर के लिए भी रखा गया, बीसलपुर के लिए भी रखा गया है, लेकिन चम्बल कमांड एरिया के लिए आर.एल.सी.

(श्रीमती ममता शर्मा)

और एल.एम.सी. है। हमारे यहां आर.एल.सी. तो मध्य प्रदेश तक को पानी देती है। तो उसके लिए कोई पैसे का प्रावधान नहीं रखा गया क्योंकि अब इतनी पुरानी नहरें जो जीर्णशीर्ण हो चुकी हैं अगर उनमें लाइनिंग का काम हमारी सरकार के द्वारा नहीं होता है तो मैं उसको एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति ही बताऊंगी। मैं चाहती हूं कि सरकार लाइनिंग का काम करवाकर उन नहरों की मरम्मत करवाकर, नवीनीकरण करवाकर हमारे किसानों को किसी भी तरह से राहत पहुंचाए।

दूसरी बात मैं कहूंगी कि जो सी.ए.डी. की सड़कें थी, जो सड़कें कैनाल के साथ-साथ चलती हैं उन सड़कों के हालात इतने बुरे हैं कि जो रास्ता हम 5 मिनट में तय कर सकते हैं वह रास्ता उन सड़कों पर कम से कम डेढ़ घंटे में तय होता है। इसलिए जो कैनाल एरिया की सड़कें हैं उनके लिए भी बजट दिया जाए। जो खास-खास सड़कें हैं उनमें तो कम से कम दिया जाए, जो बड़े-बड़े गांवों को जोड़ती हैं।

मैं बूंदी विधान सभा क्षेत्र की बात कहना चाहूंगी। बूंदी विधान सभा क्षेत्र में जो चम्बल कमांड एरिया है वहां करीब 200 क्यूसेक पानी वैस्ट जा रहा है। उसके लिए कोई बहुत बड़ी रकम नहीं है, अगर 40 लाख का एक बांध या एनीकट टाइप बना दिया जाए तो वह पानी बचेगा और वह पानी सिंचाई के अलावा पेयजल के भी काम आएगा, पशुओं के भी काम आएगा। तो मेरा विनम्र निवेदन है, मैं कई बार उसके लिए माननीया मंत्री महोदया से भी मिल चुकी हूं लेकिन उन्होंने हमेशा वित्तीय संकट की बात की है। जहां इतने हजारों, करोड़ों का बजट है वहां अगर 40 लाख दे दिया जाएगा तो बाजड़ के खाले के नाम से वह एनीकट बनेगा और उससे पूरे किसानों को बहुत राहत मिलेगी। करीब 10-15 पंचायतें उससे लाभान्वित होती हैं। केवल 6 करोड़ का जो बजट चम्बल कमांड एरिया को दिया गया वह मैं नगण्य मानकर चलती हूं, उस बजट से कुछ भी नहीं होगा।

अब मैं शिक्षा के लिए बात करूंगी। बहुत लम्बी बात नहीं है। एक तो जो विद्यालय हमें क्रमोन्नत करने के लिए दिए गए हैं वह बहुत कम हैं। एक तरफ जब हम शिक्षा की बात करते हैं तो बहुत पुराने और आबादी के हिसाब से जहां विद्यालय क्रमोन्नत होने चाहिए उनकी क्रमोन्नति के लिए सरकार को बजट में और प्रावधान रखना चाहिए, क्योंकि लड़के तो हास्टल में जाकर दूसरी जगह पढ़ लेते हैं लेकिन कन्याओं की शिक्षा वहीं पर खतम हो जाती है। छात्राओं की शिक्षा खतम हो जाती है तो हमारे मन में, उनके मां-बाप के मन में एक पीड़ा रह जाती है, इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगी कि क्रमोन्नत करने के लिए ज्यादा से ज्यादा स्कूल दिए जाए।

बूंदी जिला सम्पन्न और बहुत बड़ा जिला है तो बूंदी के लिए मैं चाहूंगी कि पोलीटेक्निक कालेज, विश्वविद्यालय की बात तो मैं पूरे हाड़ौती सम्भाग के लिए करूंगी। जितने भी हम वहां से विधायक हैं चाहे वह भारतीय जनता पार्टी के हों, चाहे कांग्रेस के हों हम सभी चाहते हैं कि कोटा सम्भाग को विश्वविद्यालय मिले। उसकी पुरजोर डिमाण्ड

(श्रीमती ममता शर्मा)

हम सब आपके सामने रख रहे हैं। बूंदी के लिए अगर पालिटेक्निक कालेज होता है तो हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी क्योंकि जब बी.ए.एम.ए. के बाद बच्चे भटकते हैं तो कम से कम तकनीकी शिक्षा उनको मिल जाए, उसके लिए निवेदन कर रही हूं।

दूसरी बात, भवनों में आठवीं क्लास के या मिडल स्कूल हैं या सैकण्डरी स्कूल हैं उनके भवन कई जगह पर जीर्णशीर्ण हो चुके हैं उनकी मरम्मत, कई तो ऐसे स्कूल हैं जो 8 वीं तक स्कूल है और भवन में कमरे केवल तीन या चार ही हैं। तो मैं निवेदन कर रही हूं कि उनको और कमरे देने का प्रावधान हमारी राज्य सरकार रखे। हालांकि जो पांचवीं तक के स्कूल हैं, प्राइमरी स्कूल हैं उनमें डी.पी.ई.पी. की जो एक योजना है उस योजना के तहत कमरे भी मिल रहे हैं, नये स्कूल भी खुल रहे हैं, बाण्डरीवाल भी मिल रही हैं। लेकिन जो मिडल स्कूले हैं, सैकण्डरी स्कूले हैं, हायर सैकण्डरी स्कूल हैं उनकी दशा खराब है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, चिकित्सा के मामले में मैं कहना चाहूंगी कि बूंदी का अस्पताल, चूंकि डिस्ट्रिक्ट हैडक्वार्टर का अस्पताल है और सारे डिस्ट्रिक्ट के लोग वहां पर इलाज कराने के लिए आते हैं, वह "ब" श्रेणी का है। मैं अनुरोध करूंगी कि उसको अब "अ" श्रेणी का घोषित किया जाए। पर्यटन की दृष्टि से भी पर्यटन बहुत ज्यादा आते हैं और उनको पूर्ण रूप से सुविधा नहीं मिल पाती है तो इससे पर्यटन उद्योग धन्धे को आघात पहुंचता है। इसलिए मैं चाहूंगी कि उसको "अ" श्रेणी का करने की कृपा की जाए।

पेयजल की दृष्टि से मैं सोचती हूं, मंत्री महोदय सोचते हैं कि चम्बल पास है और बूंदी में पानी की कोई कमी नहीं है, तो यह कोई बात नहीं हुई। बूंदी में पानी की काफी कमी है। बूंदी का बरहड क्षेत्र है टोटल स्टोनी डेजर्ट है, वहां पर पानी के साधन बिलकुल भी उपलब्ध नहीं हैं। मैं कई बार यह भी लिखकर दे चुकी हूं कि या तो वहां पर एनीकट का निर्माण हो ताकि पानी ठहरे। क्योंकि जितना पानी, या तो बाढ़ की स्थिति हो जाती है और बाढ़ की स्थिति के बाद, 15 दिन बाद कुछ नहीं बचता, सारा पानी बहकर चला जाता है। उस पानी के ठहराव के लिए या तो हम एनीकट्स का प्रावधान करें या कोई पेयजल योजना चम्बल से ली जाए, या कुछ ऐसा प्रावधान हो ताकि बूंदी के लिए पेयजल की मुश्किलें कम से कम आगे नहीं आए।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जनजाति के जो लोग वहां पर रह रहे हैं, एक पूरा एरिया ऐसा है जहां पर केवल जनजाति के लोग हैं, तो उनके लिए एनीकट का निर्माण अत्यन्त आवश्यक है। वह उसी जगह पर गड्ढा खोदकर, मिट्टी बिछाकर थोड़ा बहुत अपना एग्रीकल्चर के लिए साधन जुटा लेते हैं, तो इसलिए पानी को रोकना अत्यन्त आवश्यक है।

बूंदी के लिए खास एक मुद्दा है, वह पर्यटन है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे समझ नहीं आता कि हर साल बजट पेश होता है। कई-कई प्रावधान पूरे राजस्थान के लिए आते हैं पर्यटन के लिए, लेकिन बूंदी को अछूता क्यों रखा जाता है, मुझे यह बात समझ में नहीं आई। इस बार भी पर्यटन की

(श्रीमती ममता शर्मा)

दृष्टि से बूंदी को कुछ मिलेगा, मुझे इस बात का संदेह है। पर्यटन ही एक ऐसा उद्योग है जो बूंदी को रोजगार दे पाएगा, बूंदी की अर्थव्यवस्था को संतुलित कर पाएगा। मेरा नम्र निवेदन है कि बूंदी एक ऐसा जिला है जिसके चारों विधान सभा क्षेत्रों में कुछ न कुछ पर्यटकों के लिए है चाहे वह हिण्डौली हो, चाहे बूंदी विधान सभा क्षेत्र हो, नैनवां में दुगारी में बर्ड सैंक्चुरी बन सकती है। केशवरायपाटन में केशवराय भगवान का मन्दिर और महावीर भगवान का जो मन्दिर जो 3000 वर्ष पुराना है वह भी एक पर्यटकों के लिए धार्मिक स्थल है, इसलिए मैं चाहती हूं कि बूंदी को ज्यादा से ज्यादा बजट पर्यटन की दृष्टि से ऊपर लाया जाए और ज्यादा से ज्यादा बजट दिया जाए।

कोटा, बूंदी, झालावाड़ इन तीनों जगहों के लिए, कोटा सम्भाग के लिए राजीव गांधी नेशनल पार्क का जो प्रोजेक्ट सबमिट किया गया है उसको जल्दी से जल्दी लागू किया जाए। अगर यह सर्किट डवलप होता है, इस सर्किट का विकास होता है तो बूंदी ही नहीं कोटा, झालावाड़, बारां चारों जगहों का विकास स्वतः ही होगा। इसलिए मैं चाहती हूं कि राजीव गांधी नेशनल पार्क को किसी भी तरह से इजाजत देकर लाया जाए। इस डवलपमेंट के बाद हमारी जो एक सिक इण्डस्ट्री की वजह से हमें अर्थव्यवस्था में धक्का लगा है, क्योंकि जब हम किसी भी इण्डस्ट्री के मालिक के पास जाते हैं, और किसी व्यक्ति के रोजगार की बात करते हैं तो सीधा जवाब यह देते हैं कि साहब कम्प्युटराइजेशन का जमाना है और कम्प्युटर इतने आ गये हैं कि इनको हम रोजगार देने में असमर्थ हैं। तो इस बात को पूर्ण करने के लिये, इस कमी को पूर्ण करने के लिये पर्यटन को अधिक से अधिक हमें बढ़ावा देना चाहिए। अर्थव्यवस्था को ऊपर लाना ही हमारे प्रदेश का एक लक्ष्य रहना चाहिए हालांकि पूरे राज्य में जो सीमित साधन हैं उन साधनों के बाद भी जिस तरह का बजट हमें दिया गया, हम पूर्ण रूप से संतुष्ट हैं। हमारी सरकार ने कथनी और करनी में कोई कर्फ नहीं रखा। इसके लिये मैं वित्त मंत्रीजी का, मुख्य मंत्रीजी का धन्यवाद दे रही हूं। हालांकि 11 सितम्बर को अमेरिका में और 13 दिसम्बर को भारतीय संसद पर जो हमले हुए उसकी वजह से बहुत बड़ा आघात रत्न व्यवसाय को भी राजस्थान में लगा और पर्यटन को भी राजस्थान में लगा। लेकिन उसके बाद भी परिस्थितियों को इतनी सम्भालने के लिये मैं उनको बधाई दे रही हूं, आगे के लिये शुभकामनाएं दे रही हूं। आपने मुझे मौका दिया उसके लिये बहुत-बहुत धन्यवाद। जयहिन्द।

सदन की कार्यवाही

सदन की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री हरिसिंह (महुवा) (सरकारी मुख्य सचेतक) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय आधा घंटा और बढ़ाया जाए।

श्री उपाध्यक्ष : सदन का समय आधा घंटा बढ़ाया गया। श्री रमजान खानजी।

आय-व्ययक पर सामान्य वाद-विवाद

श्री रमजान खान (पुष्कर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वर्ष 2002-2003 के बजट पर बहस चल रही है। इसमें भाग लेते हुए मैं भी अपने विचार रखना चाहूंगा। मैं आंकड़ों के मायाजाल में ज्यादा न जाकर के जो वास्तविक स्थिति है उस स्थिति को आपके माध्यम से वित्त मंत्रीजी के ध्यान में लाना चाहूंगा। हो सकता है कि मैं कुछ बात कहूं और उसका वित्त मंत्रीजी के दिमाग में असर पड़े और उसकी क्रियान्वित हो जाए तो मैं समझूंगा कि मैंने बजट के ऊपर जो बात कही है उसका कुछ फायदा मिला है।

उपाध्यक्ष महोदय, वित्त मंत्रीजी ने बजट भाषण के अन्दर और इस किताब में पर्यटन स्थलों को जोड़ने के लिये जो सड़कों की घोषणा की है वह बहुत ही स्वागत योग्य है और मैं इसके लिये आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। परन्तु एक बात कहना चाहता हूं, वित्त मंत्रीजी, कि तीर्थराज पुष्कर जैसा पर्यटन स्थल जहां पर सैकड़ों लोग, देशी और विदेशी पर्यटक रोज आते हैं, हजारों की तादाद में आते हैं और करोड़ों रुपये की आय इन पर्यटकों की वजह से होती है और मैं समझता हूं कि पूरे राजस्थान में ही नहीं, पूरे हिन्दुस्तान तीर्थराज पुष्कर इस पर्यटक स्थल के नाम से बहुत ही मशहूर है। इसलिये उसको ही शामिल नहीं किया आपने। उसके लिये मुझे थोड़ी सी पीड़ा हुई। वरना हृदय से भी आपका आभार व्यक्त करता। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि पुष्कर को भी पर्यटन स्थल के अन्दर जोड़ते हुए जो सड़क बनानी जरूरी है उसको आप सड़क बनवाने की इस बजट में प्रावधान करेंगे। पुष्कर आने वाले पर्यटकों को घाटी में से पार होकर आना पड़ता है और हर साल कई एक्सीडेंट होते हैं, बे-मौत मारे जाते हैं। इसके लिये एक फाइसागर रोड से खरेकड़ी और पुष्कर होते हुए एक बाइपास का निर्माण किया है और उस बाइपास निर्माण में आधा तो बाइपास बन चुका परन्तु फाइसागर से खरेकड़ी सात किलोमीटर नहीं बन पाने की वजह से वह बाइपास काम में नहीं आ रहा है। इसलिये मेरा निवेदन है कि इस पर्यटन स्थल को जोड़ने के लिये इस बाइपास को यदि आप पूरा करवा दें तो मैं समझता हूं कि आने वाले पर्यटकों को बहुत बड़ा इसमें फायदा मिलेगा। अब इसके लिये एशियाई विकास बैंक से कर्जा लेकर पर्यटन स्थलों का विकास कराने का आपने प्रावधान रखा है, 50 करोड़ रुपये आपने लिये हैं। अब इसके अन्दर पुष्कर को शामिल किया या नहीं, मुझे इसकी जानकारी नहीं है। तो मैं आपसे मांग करना चाहता हूं कि विकास के इस काम में भी पुष्कर को आप शामिल करें।

डा. के. सी. चौधरी : माननीय सदस्य, आप सरकार को धन्यवाद दे दें। पुष्कर को सम्मिलित कर दिया गया है। आपकी जानकारी में है यह बात।

श्री रमजान खान : अब जानकारी में, मेरी जानकारी में नहीं आयी। क्योंकि इस तरह के कोई भी काम, वित्त मंत्रीजी जब होते हैं तो स्थानीय एम.एल.ए. को इस तरह की बैठक के

(श्री रमजान खान)

अन्दर बुलाते हैं। मगर मुझे बड़े दु:ख के साथ कहना पड़ता है।

श्री प्रद्युम्न सिंह : किसी को नहीं बुलाते हैं।

श्री रमजान खान : बुलाते हैं, उनकी राय लेते हैं। नहीं है तो नहीं है, उसका मैं कुछ कह नहीं सकता।

अब रहा सवाल, आपने इस बजट के अन्दर धार्मिक स्थलों को जोड़ने की भी बड़ी बात कही। यह भी बहुत ही अच्छी बात है। तीर्थ यात्री आते हैं और अगर धार्मिक स्थलों की सड़कें अगर अच्छी होती हैं तो कुछ तबीयत खुश होती है और आराम से अल्लाह और राम का नाम लिया जाता है। तो यह जोड़ना भी चाहिए। और इसके लिये आपने पुष्कर का नाम इसमें शामिल किया। मगर वित्त मंत्रीजी, अजमेर से पुष्कर का रास्ता आपने इस सड़क का नाम ले लिया और इतिश्री कर दी। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, उपाध्यक्ष महोदय, कि अजमेर से पुष्कर की सड़क तो बनी हुई है। उसको क्या आप बनाएंगे। अगर सड़क ही बनानी है, धार्मिक स्थल को जोड़ना ही है तो ब्यावर से पुष्कर के लिये वाया पीसांगन होकर सड़क बनाइये जिसकी हालत बहुत खराब है और पश्चिमी राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र के तमाम यहां के हजारों तीर्थ यात्री इस तीर्थ स्थल के ऊपर आते हैं। और वहां पर एक बहुत उपयोगी सड़क बन सकती है। अगर आप असली चीज कुछ देना चाहते हैं तीर्थराज पुष्कर को तो वह दीजिए।

श्री जयदेव प्रसाद इन्दौरिया : ब्रह्माजी का मन्दिर मात्र पुष्कर में ही है और कही नहीं है।

श्री रमजान खान : हां, पुष्कर में ही है।

श्री अमराराम चौधरी (पचपदरा) : यह आप भूल कर रहे हैं। आसोरतरा के अन्दर ब्रह्माजी का मन्दिर है। वह आपने देखा ही नहीं है। इसलिये आप यह गलत कह रहे हो।

श्री उपाध्यक्ष : आप डिस्टर्ब क्यों कर रहे हो। (व्यवधान) वे बढ़िया बात कर रहे हैं। उनको आप डिस्टर्ब कर रहे हो।

श्री रमजान खान : नहीं है, नहीं है, एक ही है। पूरी दुनिया में एक ही है।

उपाध्यक्ष महोदय, अजयपालजी महाराज का धाम है अजमेर के पास। यह भी बहुत धार्मिक स्थान है। यहां पर भी हजारों लोग रोज आते जाते हैं। यहां पर सड़क और पुलिया बिलकुल कच्ची है। पिछली बरसात के अंदर यहां पर बाढ़ आ गयी थी और बाढ़ आने के कारण वह पुलिया टूट गयी और पुलिया टूटकर 7 तीर्थ यात्री उस पुलिया में बह गये। गये साल की बात कर रहा हूं और वह सातों के सातों वहां पर उनका इतंकाल हो गया। इसलिये मैं यह चाहता हूं कि अजयपाल महाराज का जो धाम है, हजारों आदमी वहां पर जाते हैं। इसको भी, यह सिर्फ 5-7 किलोमीटर है, ज्यादा नहीं है, इसको भी यदि आप जोड़ें तो बहुत ही अच्छी बात होगी। यह तो सब आपने बजट में किया। मैंने किताब में बहुत ढूंढने की कोशिश की है। कोई दरगाह का नामो निशान नहीं आया है, यह बड़े अफसोस की

(श्री रमजान खान)

बात है, वित्त मंत्रीजी, एक भी दरगाह का आपने कहीं भी इस बजट भाषण के अन्दर नाम नहीं लिया जबकि आप जानते हैं कि झुंझुनूं के अन्दर नरहड़ शरीफ दरगाह पर आप जाते हैं तो रास्ता इतना खराब है कि मैं कुछ कह नहीं सकता और इसी तरह आपके कमरुद्दीन शाह बाबा की दरगाह झुंझुनूं के अन्दर, माननीय सुमित्राजी यहां पर बैठी हुई हैं, बहुत हालत खराब है उसकी। अजमेर शरीफ, नागौर शरीफ, सरवाड़ शरीफ दरगाह, बहुत सी दरगाहें हैं उनमें से कम से कम एक-दो दरगाह का तो नाम लेना चाहिए क्योंकि आप तो इनके लिये बहुत हितैषी हैं। इसलिये मेरा निवेदन है।

अब मैं एक निवेदन करना चाहता हूं, वित्त मंत्रीजी, आपने वर्ष 2000-2001 में यह प्रावधान किया कि राज्य सरकार द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम यदि कोई मदरसे में पढ़ाया जाता है तो 619 मदरसों को भी राजीव गांधी स्वर्ण जयंती पाठशाला के समकक्ष उसकी तमाम सुविधाएं देते हुए उनको भी मदरसों में भी वही टीचर रखे जाएंगे, वही खर्चा दिया जाएगा, वही उसकी सार-सम्भाल के लिये पैसे दिये जाएंगे, टाट-पट्टी दी जाएगी, किताबें दी जाएंगी। उनमें से भी आपने काफी करीबन 500 मदरसों में तो यह काम किया लेकिन 119 मदरसे इसमें से बाकी रह गये। मैं यह चाहूंगा कि इसमें भी आप टीचर लगाएं तो ठीक है। वर्ष 2001-2002 में फिर आपने प्रावधान किया कि 500 मदरसों को भी राजीव गांधी स्वर्ण जयंती पाठशाला के समकक्ष मानते हुए इसके अन्दर भी पैराटीचर लगाए जाएंगे। वित्त मंत्रीजी, यह केवल आपकी घोषणा रह गयी। आपने एक टीचर नहीं लगाया। एक भी टीचर मदरसों के अन्दर नहीं लगाया और इन टीचरों को लगाने का भार भी वक्फ बोर्ड के ऊपर डाल दिया। वक्फ बोर्ड के पास कहां तो पैसा है उसको लगाने के लिये। (व्यवधान) नहीं, नहीं, उसके सुपरविजन के लिये डाल दिया, सुपरविजन के लिये।

श्री प्रद्युम्न सिंह : पैसा हम उनको देंगे, वे उसकी तैयारी करवाएंगे।

श्री रमजान खान : मैं यही तो कह रहा हूं कि उसके सुपरविजन के लिये आपने डाल दिया। उनके पास स्टाफ ही नहीं है। मैं उसके ऊपर आ रहा हूं अभी। आपने वर्ष 2001-2002 में अल्पसंख्यक समुदाय के व्यक्तियों को आसानी से ऋण मिले, इसके लिये आपने अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम का गठन किया। और मैं आपका

(17.00 बजे)

ध्यान दिलाना चाहता हूं कि उसके लिए आपने सरकारी जमानत तीन करोड़ रुपये दी, इसके लिए भी आपको धन्यवाद मगर उपाध्यक्ष महोदय, उस नियम के माध्यम से आज तक एक भी अल्पसंख्यक समुदाय के व्यक्ति को ऋण नहीं मिला। केवल मात्र यहां पर सहकार भवन में एक कमरा लेकर एक आपका बाबू बैठा हुआ है, इसके अलावा न तो कोई स्टाफ है, न कोई लेना और न देना, फिर आपने इसमें इस बजट में भी [illegible] दोहरा दी कि हम अल्पसंख्यक [illegible]

(श्री रमजान खान)

आदमियों को ऋण देने के लिए, सुविधा देने के लिए काम कर रहे हैं तो फिर इस थोथी घोषणा से कोई मतलब नहीं निकलता। 1999-2000 में 400 टीचर की, थर्ड ग्रेड उर्दू टीचर की पोस्टिंग के लिए कहा था। उसको तीन साल बीत गये, वित्त मंत्रीजी, सिर्फ अभी तक 300 टीचर उसमें पोस्टिंग हो पाये हैं। कम से कम 100 टीचर तो अभी उसमें बाकी है। यह तीन साल पहले की बात है।

श्री हरिसिंह (महुवा) : तीन सौ तो हो गये।

श्री रमजान खान : यह तीन साल पहले की मैं अर्ज कर रहा हूं। वक्फ बोर्ड की हालत तो इतनी खराब है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कि वहां पर वित्तीय साधन नहीं होने की वजह से आधे कर्मचारियों को तो उसमें से हटाना पड़ा। आधे कर्मचारियों को घर बैठा दिया और बाकी आधे कर्मचारी रहे हैं, उपाध्यक्ष महोदय, उनको सात महीने से तनखाह नहीं मिल रही है। यह एक बहुत ही विचित्र बात है। यह आपके वक्फ बोर्ड की हालत बता रहा हूं। यह मैं इसलिए बता रहा हूं बाकी मैं तो बोलता ही नहीं, मैं दूसरी चीजें बोलता लेकिन यह कांग्रेस शासन की सरकार जो है, यह अल्पसंख्यकों की बहुत हितैषी बनती है इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, आपको आइना बता रहा हूं कि पिछले साढ़े तीन साल के शासनकाल में मुस्लिम समुदाय और विशेष कर अल्पसंख्यक समुदाय के लिए क्या किया वह आइना बता रहा हूं। अब मदरसों में जो टीचर लगाने का काम है जो वक्फ बोर्ड पर आपने डाल दिया, इसका सुपरविजन करने के लिए आप एक पैसा नहीं देते हो। अब वित्त मंत्रीजी, सरकार ने जो कार्यालय वक्फ सम्पत्तियों के ऊपर लगा रखे हैं, इसके संबंध में एक जोइंट पार्लियामेंटरी कमेटी आई थी यहां पर और यहां पर मीटिंग हुई। चीफ सैक्रेटरी साहब वहां पर थे कि साहब, हमारे पास पैसा नहीं है इसलिए कम से कम जो सरकारी कार्यालय चल रहे हैं, वक्फ सम्पत्तियों के अन्दर उन कार्यालयों का तो किराये का भुगतान दो। उस जोइंट पार्लियामेंटरी कमेटी ने कहा, चीफ सैक्रेटरी साहब ने वादा किया कि जितने भी सरकारी कार्यालय चल रहे हैं, तमाम का किराया वक्फ बोर्ड के अन्दर जमा किया जाएगा। उस घोषणा की वह बात वहां की वहां रह गई। आज तक सरकारी कार्यालय वहां पर चल रहे हैं। दूसरों की तो बात छोड़िए। एक पैसा वक्फ बोर्ड को नहीं देते, एक पैसा। करोड़ों रुपये उन सरकारी कार्यालयों के पैसा बाकी हैं अगर वह भी मिल जाए तो वक्फ बोर्ड की स्थिति सुधर सकती है। वक्फ बोर्ड को सरकार की तरफ से एक पैसा कोई अनुदान का नहीं देते। जबकि इस हिन्दुस्तान के अन्दर दूसरे जो राज्य हैं, कर्नाटक है, 10 करोड़ रुपये देता है, मध्य प्रदेश तीन करोड़ रुपये देता है, आन्ध्र प्रदेश तीन करोड़ रुपये देता है, यू.पी. एक करोड़ रुपये देता है, तमिलनाडु एक करोड़ रुपये देता है और दिल्ली एक करोड़ 80 लाख रुपये प्रति वर्ष अनुदान के रूप में वक्फ बोर्ड को देता है तो कम से कम वित्त मंत्रीजी, आप बहुत ही हितैषी हैं, एक काम तो आप कर जाओ कि वक्फ बोर्ड को भी, कुछ भी, चाहे एक लाख रुपये ही, दो, दो लाख रुपये ही दो, पांच लाख दो, मगर इस बार आपके बजट का जब आप जवाब आये,

(श्री रमजान खान)

उसके अन्दर थोड़ी आप घोषणा कीजिए कि वक्फ बोर्ड को हम यह दे रहे हैं।

एक माननीय सदस्य : करोड़ों में दो।

श्री रमजान खान : करोड़ों में तो खैर, यह देंगे नहीं। उपाध्यक्ष महोदय, इस बजट के अन्दर अल्पसंख्यकों को खाली गुमराह किया। बजट तो भैरोंसिंहजी के शासनकाल में आते थे, 1990 से लेकर 1998 तक, कोई भी ऐसा बजट नहीं जिसमें अल्पसंख्यकों के लिए, उनके हित के लिए कोई न कोई घोषणा नहीं की हो। चाहे वह दरगाह शरीफ अजमेर की हो, चाहे दरगाह शरीफ सरवाड़ की हो, चाहे दरगाह शरीफ नागौर की हो और चाहे यहां पर जयपुर के अन्दर निजामुद्दीन शाह बाबा की दरगाह हो, हर जगह पर लाखों की तादाद में नहीं, करोड़ों की तादाद में हर बजट के अन्दर कुछ न कुछ अल्पसंख्यक समुदाय के धार्मिक स्थलों के लिए दिये जाते थे। मगर मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आपके साढ़े तीन साल के शासन में इस अल्पसंख्यक समुदाय के धार्मिक स्थलों के लिए एक भी पैसा आपने नहीं दिया और आप हितैषी बनते हैं।

डा. के. सी. चौधरी : यही बातें तो गुजरात में हो रही हैं। गुजरात में भी बहुत पैसा दे रहे हैं अल्पसंख्यक समुदाय को इसलिए सब कुछ अच्छा हो रहा है वहां पर।

श्री रमजान खान : एक मिनट, चौधरी साहब, एक मिनट। आप मुझे डिस्टर्ब मत करो। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आपको, नहीं तो यह कहावत साबित हो जाएगी कि पिछले, जब से यह विधान सभा शुरू हुई है, उपाध्यक्ष महोदय, यहां पर बड़ी गर्मा-गर्मी हुई। इधर ऐसा महसूस होता है कि हितैषी हैं तो यह लोग ही हैं और इधर ऐसा महसूस होता है कि दुश्मन हैं तो यही लोग ही हैं, यह इस तरह का वातावरण यहां पर आपने बनाया है मगर यह वातावरण गलत है। हाथी के दांत खाने के तो और होते हैं और दिखाने के और होते हैं इसलिए, वित्त मंत्रीजी, अल्पसंख्यकों के लिए आपने कुछ नहीं किया है और साढ़े तीन साल की बात नहीं है, मैं आपको दावे के साथ कहता हूं, वित्त मंत्रीजी, आपके कम से कम 45 साल के शासनकाल में आपने जितना भैरोंसिंहजी ने दिया है अल्पसंख्यकों को, आपने उसके मुकाबले में पांच परसेंट भी नहीं दिया। आप कुछ नहीं करते हो, आप फालतू में बेवकूफ बनाते हो कि अल्पसंख्यकों के लिए हम यह कर रहे हैं, वह कर रहे हैं, कुछ नहीं करते।

मैं सड़कों के बारे में आपसे निवेदन करना चाहता हूं। पिछले बजट में भी आपने 300 करोड़, 600 करोड़ रुपये की जो सड़कें बनाने के लिए कहा था और इस साल भी आपने कहा, 31 मार्च पूरा हो गया है और मेरे विधान सभा क्षेत्र में अभी नहीं बनी है परन्तु बजट में आपने कहा कि 30 जून तक बना देंगे, मैं इस संबंध में निवेदन करना चाहता हूं कि (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : जवाब तो देने दो।

श्री छोगाराम बाकोलिया : बजट में कांग्रेस ने जितना माइनोरिटी का ध्यान रखा है, उतना और किसी ने नहीं रखा है और इसलिए बी.जे.पी. में केवल मात्र एक सदस्य, दो सदस्य चुनकर आते हैं और हमारे साथ में

(श्री छोगाराम बाकोलिया)

सबसे ज्यादा माइनोरिटी के लोग चुनकर आते हैं।

श्री सांवरलाल : कितने लोग हैं?

श्री छोगाराम बाकोलिया : आपकी हालत खराब कर दी।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : धोखा खा रहे हो धोखा, आपकी सरकार में...(व्यवधान)

श्री छोगाराम बाकोलिया : गुजरात में दिखा दिया है न आपने।

डा. किरोड़ी लाल : आप क्या कह रहे हो, धोखा खा रहे हो।

श्री छोगाराम बाकोलिया : गुजरात में तो + + + कर दी आपने। माइनोरिटी में सबसे ज्यादा नुकसान किया है तो आपने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार...(व्यवधान) और गुजरात के अन्दर सरे आम उनको जलाया।

श्री सांवरलाल : वित्त मंत्रीजी विराजमान हैं। आपका कोई...(व्यवधान)

श्री मानिक चन्द सुराना : यह पुष्कर जैसे धार्मिक स्थान से जीतकर आते हैं, यह तो ध्यान रखो कि पुष्कर जैसे धार्मिक स्थल से जीतकर आते हैं।

श्री धर्मपाल चौधरी : हरिजनों का भी फ्री का खा रहे हो सन् 1950 से लेकर आज तक (व्यवधान)

श्री सांवरलाल : एक मुसलमान था उसको भी रोडवेज में नहीं आने दिया।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : नहीं, व्यक्तिशः आप तो नाराज हो।

डा. के. सी. चौधरी : क्या पार्लियामेंट का चुनाव लड़ने का है आपको? अगले पार्लियामेंट का चुनाव झुंझुनूं से लड़ रहे हो?

श्री सांवरलाल : एक माइनोरिटी का चेयरमैन था उसको भी बरदाश्त नहीं किया आपने और आप किस मुंह से बात कर रहे हो। रोडवेज में...(व्यवधान)

श्री अब्दुल अजीज : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पुष्कर से आने वाले माननीय सदस्य अगर थोड़ा सब्र करें तो मैं जवाब दूं।

श्री धर्मपाल चौधरी : बैठ जाओ आप तो, रहने दो।

श्री सांवरलाल : आप तो बाद में दे देना।

श्री अब्दुल अजीज : तुम ही ने दर्द दिया है, तुम ही दवा देते। सारे दर्द इस भारत में आपके ही दिये हुए हैं। हमें सबसे ज्यादा पसन्द अमन है और अमन के लिए हर चीज कुर्बान है अगर आप अमन देते हैं तो हम समझते हैं कि आपने कुछ दिया। आर्दश नगर के अन्दर क्या किया?

श्री सांवरलाल : जनता पार्टी के टाइम के और अब आपके राज के दंगों को गिन लीजिए कि कितने हुए।

श्री अब्दुल अजीज : आपके प्रशासन के एक-एक काम को अगर गिनाया जाए तो...(व्यवधान)

श्री सांवरलाल : आपने अमन भंग ही करने का काम ही कर रखा है। तीन साल में और क्या किया।

+ + + अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

श्री अब्दुल अजीज : आपके जब यह माननीय सदस्य फरमा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यकों की हितैषी है तो मैं कहूं फिर आपको इतना सिकुड़ा क्यों दिया ?

श्री रमजान खान : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह आधा घंटा हो जाएगा पूरा...(व्यवधान)

श्री अब्दुल अजीज : और एक ही सदस्य क्यों है ?

श्री धर्मपाल चौधरी : सिकुड़ते रहते हैं और बढ़ते रहते हैं।

श्री अब्दुल अजीज : इसलिए कि आपकी हकीकत में, आपके अन्दर जो ईमानदारी होती लोगों के प्रति तो यह गुजरात के हालात नहीं बनते।

श्री उपाध्यक्ष : विराजिए। माननीय मंत्रीजी।

श्री अब्दुल अजीज : देखिये मैं डाइवर्ट नहीं कर रहा हूं। आज आप किस-किस (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी, विराजिए।

श्री अब्दुल अजीज : बातों को गिनोगे ?

श्री सांवरलाल : गई बार आप भी नहीं आये थे यहां पर और आप कोई सोच रहे हो कि हम तो हमेशा रहे हैं। आप थे क्या इस विधान सभा में ?

श्री उपाध्यक्ष : विराजिए।

श्री अब्दुल अजीज : हम तो हमेशा रहे हैं, आप तो...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : 15 साल बाद आये हो, अजीज साहब, 15 साल बाद आये हो।

एक माननीय सदस्य : एक आदमी बोले तो समझ में आये।

श्री सांवरलाल : 15 साल से तो हमारे यहां पर आपके दर्शन नहीं हुए। कभी आप...(व्यवधान)

श्री अब्दुल अजीज : पुष्कर की बात, आप सुनिए, आप यह कह कर...(व्यवधान)

श्री केसाराम चौधरी : आप सुनिए, पाकिस्तान जिन्दाबाद के नारे लगाओ और आप इस धरती पर बोझ बनकर जीओ तो...(व्यवधान)

श्री अब्दुल अजीज : अगर आप हितैषी होते तो आप कहते। आप कहते वह जो बातें कह रहे हैं, वक्फ बोर्ड की आप कहते तो मैं समझता कि आप कुछ कहना चाहते हैं। वह तो जो शुगर कोटेड कह रहे हैं, उसका अर्थ हम सब समझते हैं। हम सब समझते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : अच्छा बिराजिए।

श्री सांवरलाल : वह कल कहेंगे हम।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : अब्दुल अजीज साहब, मैं इतना साम्प्रदायिक नहीं कहता था, मैं आपको दंगाई नहीं कहता था, आप तो बहुत शरीफ हो। आप इन बातों को कहां ले आये, साहब। अमन तो बिगाड़ा है आपने, आपको तो मैं बहुत सज्जन मानता हूं। आप कहां साम्प्रदायिक हो गये, आप साम्प्रदायिकता का आवरण कहां ओढ़ रहे हैं, यह बताइये।

श्री उपाध्यक्ष : विराजिए।

श्री रमजान खान : आहूजा साहब, एक मिनट।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य। माननीय मंत्रीजी।

श्री रमजान खान : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वक्फ मंत्रीजी ने कहा कि यह कहते तो ठीक था, वह कहते तो ठीक था, मैं भी भारतीय जनता पार्टी का सदस्य हूं और वे भी भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं। वह कहे और मैं कहूं वह तो बात एक ही है। अब रहा सवाल वक्फ मंत्रीजी ने एक बात कह दी है, मैं अब उसके ऊपर जाना नहीं चाहता था, इतना ही बहुत था आपको कांच दिखाने का। वक्फ मंत्रीजी ने एक बात कह दी कि साहब हम तो अमन चाहते हैं तो मैं अमन का आपको उदाहरण देना चाहता हूं। वक्फ मंत्रीजी, भैरोंसिंहजी के आठ साल के शासनकाल में राजस्थान में जितना अमन, शांति रही न वह आपके साढ़े तीन साल के इस शासनकाल में सब रिकार्ड तोड़ दिया। क्या बात करते हो आप?

श्री अब्दुल अजीज : यह गलत है, यह गलत है।

श्री रमजान खान : अमन-चैन तो हमने रखा। खैर, छोड़ो इस बहस में हम नहीं जाना चाहते हैं। मैंने तो एक वास्तविक स्थिति...(व्यवधान)

श्री नाथूराम (किशनगढ़) : जयपुर में दंगे हुए तो आप हास्पिटल जाकर आये थे जब आपके शरीर में पसीना आ रहा था। जयपुर में यहां भैरोंसिंह के टाइम में, आप खुद गये थे हास्पिटल।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : आप तो बहुत साम्प्रदायिक हो, आप क्यों बोल रहे हो? आप तो बहुत साम्प्रदायिक हो, आप क्यों बोल रहे हो? किशनगढ़ में हत्याएं करा दीं। आप तो बहुत साम्प्रदायिक हो।

श्री नाथूराम : आप तो बैठे रहो। आपको नहीं कह रहा हूं, मैं इनको बता रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बहुत हो गया। दूसरे भी बोल लिये। बहुत हो गया।

श्री रमजान खान : (व्यवधान) इतना ही बहुत है। वास्तविक स्थिति जो मैंने आपके सामने अर्ज की है। मैं कह रहा था सड़कों के बारे में...

श्री दिग्विजय सिंह : पुष्कर से आने वाले माननीय सदस्य, आपसे मैं एक ही प्रश्न पूछना चाहता हूं कि ब्यावर के अन्दर जो काण्ड हुआ, उस वक्त अमन-चैन था क्या?

श्री सांवरलाल : आप तो हमारे नेता रहे हो, आप क्यों...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आपकी बात तो दूसरी है। आप क्यों उलझते हो साहब, आपकी तो बात ही दूसरी है।

श्री हीरालाल विश्नोई : यह आये हैं और आप में से कई लोग आएंगे।

श्री रमजान खान : उपाध्यक्ष महोदय, मैं सड़कों के ऊपर जाना चाहता हूं कि आपने 24 हजार किलोमीटर सड़कों का जो लक्ष्य तय किया है नाबार्ड से कर्जा लेकर, यह एक बहुत अच्छी योजना है। इसके अंदर जो सड़कें बन रही हैं, आपके माध्यम से वित्त मंत्रीजी को कहना चाहता हूं कि सी.डी. वर्क नहीं हो रहा है। छोटी-बड़ी जो पुलियाएं हैं, वह उसमें नहीं ले रहे हैं जब सड़क बना रहे

(श्री रमजान खान)

हैं। जब सी.डी. वर्क नहीं होगा, पुलियाएं नहीं बनेंगी तो उस सड़क का वित्त मंत्रीजी कोई उपयोग नहीं रहेगा। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इसके अन्दर कुछ प्रावधान कीजिये ताकि सी.डी. वर्क भी इसके अन्दर हो।

गत वर्ष प्रधानमंत्री सड़क रोजगार योजना के अन्दर इन्होंने यह किया, उपाध्यक्ष महोदय, बहुत महत्वपूर्ण बात है कि डब्ल्यू.बी.एम. रोड जहां पर बनी हुई हैं, उसको भी प्रधानमंत्री सड़क रोजगार योजना में शामिल नहीं किया। फिर क्या फायदा हुआ उस सड़क का? और मुश्किल से अजमेर जिले के अन्दर दो या तीन गांवों को जोड़ने का इस साल प्रावधान हुआ है। कहा, नहीं साहब, यहां तो डब्ल्यू.बी.एम. सड़क बनी हुई, इसको तो हम नहीं लेंगे। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, उपाध्यक्ष महोदय, आप भी मेरी बात का समर्थन कीजिये कि इस राजस्थान में यदि आपको डामर की सड़क नहीं बनानी है तो डब्ल्यू.बी.एम. सड़क मत बनाइये। डब्ल्यू.बी.एम. सड़क, कांकरी डालकर उसके ऊपर आप रोलर फिरा देते हो और एक बरसात के अन्दर वह तमाम कांकरी निकल जाती है वित्त मंत्रीजी और इस हालत में वह रोड हो जाती है कि उसके ऊपर पैदल चलना भी मुश्किल हो जाता है। इसलिए कम से कम इसके ऊपर तो पाबन्दी लगनी चाहिये कि डब्ल्यू.बी.एम. रोडें बन्द हों।

एक माननीय सदस्य : जो हैं, उनका डामरीकरण हो।

श्री रमजान खान : हां, या तो उसको डामर करो। और डामर की हिम्मत नहीं है तो फिर उसको डब्ल्यू.बी.एम. मत बनाओ। खाली मेडा डालकर ही सड़क बना दो तो ही ठीक है। वरना तो डब्ल्यू.बी.एम. की मेरे दो-तीन सड़कें बनी हुई हैं। आखिरकार पैदल दूसरा रास्ता है खेत में से होकर जाना पड़ता है। उस सड़क से तो जानवर भी नहीं निकल सकता।

अब नयी साल प्रधानमंत्री सड़क रोजगार योजना में भगवानपुरा से अकेपुरा तक सड़क बनी थी और वह सड़क आधा किलोमीटर पर बन्द कर दी कहा कि इतनी लम्बाई की है। फिर गांव जोड़ने का जो मकसद है, वह हल ही नहीं होगा। मैं इसलिए मांग करता हूं कि इसके ऊपर भी आप थोड़ा गौर करेंगे।

बिजली का जहां तक मामला है बिजली के मामले में भी इतना यहां पर ढोल पीटा जाता है कि सब कुछ किया जो साढ़े तीन साल के राज में चन्द्रभान जी बिजली मंत्री बने, जब ही किया। भैरोंसिंह जी के आठ साल के शासनकाल में कुछ भी नहीं हुआ। धारणा बहुत ही गलत है। भैरोंसिंह जी के राज के अन्दर बहुत काम हुआ। 10 मई, 1998 में सूरतगढ़ के तापीय परियोजना की प्रथम इकाई का उद्घाटन हुआ वह शुरू हुई। 250 मेगावाट बिजली वहां से मिली है।

श्री हफीज मोहम्मद : उद्घाटन नहीं हुआ था, शिलान्यास हुआ था।

श्री रमजान खान : नहीं-नहीं, शिलान्यास तो सैकण्ड इकाई का हुआ। हफीज साहब, सैकण्ड इकाई का शिलान्यास हुआ। फर्स्ट इकाई का तो उद्घाटन हुआ था और तारीख मैं बता दूं 10 मई और आप जाकर पत्थर

(श्री रमजान खान)

देख आना। सैकण्ड इकाई का काम शुरू हो गया था।

दूसरा, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि कोटा परमाणु बिजलीघर से दोनों संयंत्र भी भाजपा के शासन में प्रारम्भ हुए थे। इसके अन्दर भी 300 मेगावाट बिजली मिली थी। अब एक बात यह कह रहे हैं कि ग्रिड सब-स्टेशन भाजपा के राज में तो बने ही नहीं। मैं इस सम्बन्ध में निवेदन करना चाहता हूं कि 220 के.वी.ए. के ग्रिड सब-स्टेशन भी बने हैं, 132 के.वी.ए. के ग्रिड सब-स्टेशन भी बने हैं। 33 के.वी.ए. के तो 509 सब-स्टेशन 90 से लेकर 98 तक बने हैं। उपाध्यक्ष महोदय, 132 के.वी.ए. के 71 सब-स्टेशन बने हैं। 220 के.वी.ए. के 22 सब-स्टेशन बने हैं। इसलिए यह कहना कि भैरोंसिंहजी राज में न तो कोई बिजली पैदा हुई, न कोई सब-स्टेशन बनें, इस तरह की बात नहीं। हां, यह बात जरूर है कि आपके शासनकाल के अन्दर आपने एक बहुत ही जोरदार उपलब्धि अर्जित की है कि हमारे बिजली मंत्रीजी ने मिनिमम चार्ज लगा दिया और राजस्थान की जनता को हताश किया। अगर कोई भी व्यक्ति ताला लगाकर एक महीने के लिये गांव चला जाये और एक महीने बाद जब वह ताला खोलकर वापस आयेगा वित्त मंत्रीजी, अगर एक बल्ब भी नहीं जलाएगा तो भी उसके 1500 रुपये का बिल तैयार और 1500 रुपये या 1200 रुपये का जो मिनिमम चार्ज है, वह बिल अगर आप नहीं भरो तो आपका कनेक्शन कट जाएगा। दूसरा, वित्त मंत्री, एक और बात है इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है कि अगर मैंने बिजली जलाई 150 रुपये की और मेरा मिनिमम चार्ज आता है 1100 रुपये का तो 150 की जगह बिजली तो मैंने 150 की जलाई है तो 150 की जगह में 1100 रुपये भर रहा हूं। इसके ऊपर भी विचार करना चाहिये। यह गांव वालों को, शहर वालों को और गरीब लोगों को लूटने से कोई राज का खजाना भरता है क्या? इससे लोग-बाग बहुत हताश हैं और यह इलैक्ट्रोनिक मीटर लगा दिये। मैं यह चाहता हूं कि सही जांच आये, जितनी बिजली जले, उतना बिल आये।

भैरोंसिंहजी के शासन में तो इस मिनिमम चार्ज को बिलकुल ही खतम कर दिया था। लोग सुखी थे मगर यह मिनिमम चार्ज वापस करने से लोगों की जेबें कट रही हैं और लोग मजबूर हो रहे हैं कि वापस लालटेन जलायें। बिजली का कनेक्शन कटवा दिया जाये। क्योंकि एक गरीब आदमी तीन हजार रुपये बिजली का बिल भर देता है तो फिर वह कहां से बिजली जलायेगा, कैसे क्या करेगा? इसके ऊपर आपको गहराई से सोचना है और गांव वालों के लिये तो बहुत भेदभाव है। उपाध्यक्ष महोदय, रात्रि के समय गांव वालों के बच्चों को पढ़ने के लिये आठ-नौ बजे के बाद लाइट एक फेस की भी मिलती नहीं है। इसके ऊपर भी बिजली मंत्रीजी बार-बार कहते हैं देते हैं, देते हैं। मगर आप माननीय सदस्य यहां पर इस सदन में बैठे हुए हैं, आप सभी लोग जानते हैं कि गांवों के अन्दर भी लाइट नहीं मिलती है और लोग-बाग अंधेरे में रहने के लिये मजबूर होते हैं।

अब 11वें वित्त आयोग के बारे में यहां पर जो गाइड लाइन आयी है। इस गाइड लाइन में है 25 प्रतिशत जन सहयोग से पैसा जमा कराओ तो वह पैसा मिलेगा वरना पैसा मिलेगा नहीं।

श्री प्रद्युम्न सिंह : गाइड लाइन के बारे में अभी पंचायत राज मंत्रीजी ने कहा था थोड़ी देर पहले, जीरो आवर में कहा था कि इस मामले को भारत सरकार से टेक-अप कर रहे हैं और इसके बारे में मीटिंग हो रही है।

श्री रमजान खान : फिर इस बारे में मैं नहीं कहूंगा। अब मैं एक मांग करना चाहता हूं आपके माध्यम से, कि पीसांगन के अन्दर इस वक्त प्राइवेट कालेज चल रहे हैं। 40 किलोमीटर की परिधि में वित्त मंत्रीजी कोई कालेज नहीं है और गरीब लोगों के बच्चे सीनियर हायर सैकण्डरी पढ़ने के बाद कालेज की पढ़ाई से महरुम रह जाते हैं। इसलिए मेरी आपसे मांग है कि पीसांगन के अन्दर इस वक्त एक सेठ है जो पूरी की पूरी कालेज की बिल्डिंग बनवाकर देने के लिये तैयार है। उसने आधी तो बना दी और आधी और बनाने के लिये तैयार है। आप बड़ी मेहरबानी करेंगे अगर पीसांगन के अन्दर इस वर्ष कालेज खोल दें तो।

अब मैं कुछ जल स्तर के बारे में बात कहना चाहूंगा। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं आपके माध्यम से जलदाय मंत्रीजी को, कि आपने इस बजट के अन्दर राजीव गांधी मिशन के अन्तर्गत योजना शुरू की, तत्काल गांवों के अन्दर पानी दिया जाये। यह तो बहुत अच्छी योजना है। मैं इस संबंध में निवेदन करना चाहूंगा। आपके माध्यम से जलदाय मंत्रीजी बैठे हैं कि अगर कोई भी गांव वाले या कोई विधायक या एम.पी. अपने कोष से टंकी बना दे, ट्यूबवैल लगा दे, पाइप लगा दे, मोटर लगा दे, पानी को चालू कर दे, दूसरा बिजली का बिल अगर आपका विभाग भर दे। इस परम्परा को थोड़ा-सा आप बदलने की कोशिश करो ताकि वह बिजली के बिल नहीं भरने की वजह से बहुत से गांवों में जहां इस तरह के कनेक्शन में लाखों रुपये लगे हुए हैं, वह कट जाएंगे और लोग-बाग पानी से महरुम रह जाएंगे। हैण्डपम्प से हम आशा नहीं कर सकते। हैण्डपम्प तो बहुत ही खराब है। इसलिए मेरा निवेदन है कि इस सम्बन्ध में भी आप थोड़ा निर्णय लें।

बीसलपुर की पाइप लाइन जहां-जहां जिस गांव में से होकर जा रही है पांच किलोमीटर की परिधि में जो भी गांव आ रहे हैं वहां पर आपने बहुत ही अच्छी योजना बनायी, उन गांवों को भी बीसलपुर का पानी दिया जाये। इसके लिये भी मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहता हूं।

एक और बात कहना चाहता हूं कि प्राइवेट मशीनों से खुदाई और सरकारी मशीनों की खुदाई के अन्दर इतना अन्तर है कि हम जान-बूझकर भी खड्ढे में क्यों पड़ें? वित्त मंत्रीजी, एक विचार है कि हैण्डपम्प में अगर 200 फुट का प्राइवेट मशीन से खुदाता हूं तो बीस हजार रुपये मुश्किल से लगता है, और अगर आप इसको सरकारी मशीन से खुदाओ तो कम से कम 40,000 रुपये लगते हैं। और बाड़मेर के अन्दर तो 75,000 रुपये लगते हैं। अब यह विचार करो कि एक ट्यूबवैल पर इतना बड़ा अन्तर है। अगर आप प्राइवेट पार्टी से खुदाते हो और अगर 100 मीटर की ट्यूबवैल आपको खुदानी है तो मुश्किल से 50-60 हजार रुपये में वह ट्यूबवैल खुद जायेगा, आठ ईंच का बोर और अगर आप सरकारी मशीन से खुदाते हो तो

(श्री रमजान खान)

50-60 हजार रुपये की जगह ढाई, तीन लाख रुपये लगेंगे। अब यह जान-बूझकर के इस तरह के अड़खंजे में, हम जान रहे हैं कि यह खड्डा है और फिर भी हम खड्डे में पड़ रहे हैं तो यह गलत बात है। उपाध्यक्ष महोदय मैं आपके माध्यम से वित्त मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि इस सरकारी अड़खंजें से...

श्री उपाध्यक्ष : बहुत तारीफ कर दी, सुनो अब।

श्री रामसिंह विश्नोई : आपने दो बातें कही हैं। एक तो हमने यह तय किया है कि जिस गांव की आबादी 1500 से 4000 के बीच में है वहां पर ट्यूबवैल, उस पर एस.आर. पाइप लाइन गांव में बिछाने, यह सब करके आपको सौंपने को तैयार हैं। यह नयी योजना केन्द्र सरकार की नीति है। आप चाहते हैं बिजली का खर्चा हम दें, हम कम्प्लीट करके गांव के लोगों को सुपुर्द करना चाहते हैं इसलिए बिजली का खर्चा, यह सारा काम गांव की जनता को ही स्वयं करना पड़ेगा इतनी तैयारी के बाद, यह हमने तय किया है। एक तो यह है।

दूसरा, जहां तक ट्यूबवैल और हैण्डपम्प का मामला है, यह बात सही है पैसे हम ज्यादा लेते हैं लेकिन यह कोई लाजिमी नहीं है। अगर एन.ओ.सी. देते हैं तो आप आराम से प्राइवेट पार्टी से बोरिंग करा सकते हैं, हैण्डपम्प बना सकते हैं, ट्यूबवैल बना सकते हैं। आपको कोई रोक-टोक नहीं है। एन.ओ.सी. लेनी पड़ेगी। एम.एल.ए कोटे से भी आपको अधिकार है। कलक्टर उसका चेयरमैन है, आप कहेंगे हम इसको हमारी प्राइवेट पार्टी से कराना चाहते हैं तो हमारे को कोई आपत्ति नहीं है।

श्री रमजान खान : धन्यवाद। मैं इसके बारे में जलदाय मंत्रीजी को धन्यवाद देता हूं मगर मंत्रीजी, एक काम तो करो, हो सकता है कि विभाग की कोई प्रोब्लम हो, कम से कम विधायक कोष से तो यह प्रावधान करा दीजिये कि सार्वजनिक जल प्रणाली है, इसके लिए गांव वालों को शुद्ध पानी मिले, विधायक कोष के फण्ड से महीने का बिल जो भी गांव का आता है, मुश्किल से 5-10 लाख रुपये सालभर के लगेंगे और उन योजनाओं के लिए पैसे विधायक अपने कोष से दे देगा तो मैं समझता हूं कि योजनाएं बंद नहीं होंगी। अगर इसका आप प्रावधान करा दें तो बहुत बढ़िया होगा।

उपाध्यक्ष महोदय, जलदाय मंत्रीजी ने एक बात कही है कि हम टंकी बना कर देंगे, हम लेन-देन करेंगे तो वहां तो बिजली का बिल गांव वालों को भुगतान करने दो और गांव वाले, विधायक और एम.पी. अपने फण्ड में से बना कर देते हैं. वहां बिजली का हिसाब और वह आप दे दो, वह ठीक रहेगा।

अब मैं अपनी बात खतम करूंगा इस बात के साथ कि प्रशासन गांवों के संग अभियान है, इसका भी बहुत ढोल पीटा गया, उपाध्यक्ष महोदय, वरना प्रशासन गांवों के संग अभियान में कोई ज्यादा काम हुआ नहीं सिवाय जाति प्रमाण-पत्र, आयु प्रमाण-पत्र या फलाना, इतना ही हुआ है ज्यादा नहीं। वृद्धावस्था पेंशन के फार्म भरें, यह काम तो जरूर हुए। जब प्रशासन गांवों के संग अभियान हमारे अजमेर जिले में चला...

श्री मदन दिलावर : जिंदा के मृत्यु प्रमाण्-पत्र और मरे हुए का जीवित प्रमाण-पत्र यह बने हैं।

श्री रमजान खान : ये बने हैं। हां, इतने तो जरूर बने हैं।

डा. रघुवीर सिंह : आप क्या चाह रहे थे कि एक-एक गेहूं की बोरी और एक-एक घी का पीपा सब के घर पर पहुंचा दें? यह चाह रहे थे? (व्यवधान)

श्री रमजान खान : मैं आपके माध्यम से निवेदन कर रहा हूं कि अजमेर जिले के अन्दर 70-72 का भू-संशोधन का जो मामला था वह कई वर्षों से अटका हुआ है। मैं राजस्व मंत्री महोदया को धन्यवाद देना चाहता हूं कि इन्होंने मीटिंग बुलायी और मीटिंग बुला करके सभी जनप्रतिनिधियों को साथ में लेकर कहा कि प्रशासन गांवों के संग अभियान चले तब इस समस्या का समाधान कर देंगे। तो इस समस्या का समाधान गांव में कुछ तो हुआ परन्तु जो पैराफेरी इलाके अन्दर ग्राम पंचायतें आती थीं उसके लिए नया सर्कुलर निकाल दिया कि जो पैराफरी में आते हैं उनका इस प्रशासन गांवों के संग में नियमन तो कर दिया जाएगा, उनका काम तो कर दिया जायेगा और 70-72 में जिसकी खातेदारी थी उस काश्तकार को खातेदारी दे दी जाएगी परन्तु, इसमें परन्तु लग गया, परन्तु यह सब काम करके राज्य सरकार को भेज दो। अब राज्य सरकार को भेजने का क्या कारण था? वित्त मंत्रीजी, वह राज्य सरकार में गया नहीं कि ठण्डे बस्ते में गया नहीं। आज तक कम से कम पांच-छह महीने हो गये, उनका कोई पता नहीं है। मैं कभी-कभी सेक्रेटेरिएट जाता हूं राजस्व विभाग में तो वह कहते हैं कि, एम.एल.ए. साहब, बहुत फाइलें हैं, कहां ढूंढेंगे, कहां क्या करेंगे। तो इस सम्बन्ध में मेरा निवेदन है कि जो जिला कलक्टर ने भेज दी है उन फाइलों का निस्तारण कर दिया जाय, उसको ठण्डे बस्ते में नहीं दिया जाय क्योंकि यह 70-72 से अजमेर जिले को एक तरह से अभिशाप है। लोग-बाग बहुत परेशान हैं, उन परेशानियों को दूर करने के लिए आप कुछ न कुछ करें।

उपाध्यक्ष महोदय, एक बात और कहना चाहता हूं कि यह भू-उपयोग परिवर्तन नियम, 2000 है, मैं स्वायत्त शासन मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि इन्होंने बहुत अच्छा कानून बनाया है और इस कानून के माध्यम से, वित्त मंत्रीजी, ईमानदारी की बात है कि जो गरीब नगरपालिकाएं हैं, नगरपरिषदें हैं उनको लाखों-करोड़ों रुपये की इनकम हो सकती है और इस कानून के तहत यह प्रावधान किया हुआ है कि जिला समितियां हर महीने मीटिंग बुलायेंगी और भू-परिवर्तन के जो भी मामले हैं उनको निपटायेंगी और उसमें से बहुमत के आधार पर फैसला होगा। बाइ चांस कलक्टर साहब को बहुत ज्यादा काम है तो उसमें से जो भी सीनियर आदमी होगा वह आदमी अध्यक्षता कर लेगा मगर भू-परिवर्तन के प्रकरण तो निपटायेंगे। परन्तु, उपाध्यक्ष महोदय, मैं बड़े अफसोस के साथ कह रहा हूं कि अजमेर जिले के अन्दर पिछले 9-10 महीने से जिला कलक्टर महोदय को टाइम ही नहीं है कि भू-परिवर्तन के मामले निपटायें इसलिए वह भू-परिवर्तन के मामले यों के यों ही पड़े हुए हैं। मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूं कि स्वायत्त शासन मंत्रीजी को यह कहें कि यह प्रकरण निपटाने का काम स्थानीय निकायों को दे दें और जिस दिन आपने यह प्रावधान कर दिया

(श्री रमजान खान)

भू-परिवर्तन का तो एक तो चोरियां रुकेंगी और एक जो गलत काम करके लोग-बाग दुकानदारी कर रहे हैं, वह खतम होगा और करोड़ों रुपये की आय नगरपालिका, नगर परिषद् और नगर निगम में हो जायेगी और इस झंझट से लोगों को बहुत बड़ी राहत मिलेगी। वरना अगर जिला कलक्टर के भरोसे रहे तो ना तो यह काम होने वाला और न कोई करने वाला। यह ब्यावर के एम.एल.ए. साहब भी बैठे हैं, मैं भी बैठा हूं, पुष्कर के मामले अटके हुए थे, इनके अटके हुए थे।

डा. के. सी. चौधरी : (व्यवधान) मीटिंग कितनी बार पोस्टपोन हुई नौ महीने में ?

श्री उपाध्यक्ष : एक मिनट, आर्डर, आर्डर। माननीय रमजान खानजी, यह बात आप उठा रहे हैं तो 12 तारीख को इसकी डिमांड है उसमें इसको विस्तार से उठायें ताकि इसका जवाब भी आ सके और कोई समाधान भी निकल सके।

श्री रमजान खान : ठीक है। आपने मुझे काफी समय दिया।

श्री उपाध्यक्ष : चार मिनट और आप ही बोल लो न, दूसरा तो कोई बोलेगा नहीं।

श्री रमजान ख़ान : अंत में एक बात और कहना चाहता हूं, उपाध्यक्ष महोदय, कि आज की परिस्थिति में सैनिक, चाहे वह आर्मी के हों, नेवी के हों या एयर फोर्स के हों, इस वक्त बोर्डर के ऊपर हमारी देश की रखवाली कर रहे हैं। चाहे सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, वे अपने परिवार से दूर हैं। मगर मैं आपके माध्यम से बहुत दुःख के साथ कह रहा हूं कि मैं भी एक्स सर्विस मैन हूं, पूर्व सैनिक कल्याण विभाग जो अपने यहां पर चल रहा है, उसको राज्य सरकार की तरफ से एक पैसा भी अनुदान नहीं मिलता है। कम से कम इन सैनिकों के लिए, जो देश के हित में काम करते आये हैं, देश के लिए कुर्बानी दे रहे हैं इस सैनिक कल्याण विभाग को तो कम से कम थोड़ा-बहुत अनुदान, वित्त मंत्रीजी, दो। सिर्फ ब्याज के ऊपर काम चल रहा है उसका इसके अलावा कोई काम चल नहीं रहा है इसलिए इस सैनिक कल्याण विभाग को भी अनुदान देने की मांग करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, अंत में आपको धन्यवाद देते हुए एक आखरी में कहना चाहता हूं कि हमारे ब्यावर के विधायक महोदय ने ब्यावर को जिला बनाने की मांग की है, अगर इस बजट भाषण के अन्दर आप यह एक काम कर देंगे और एक जिले का प्रावधान कर देंगे तो आपका यह बजट भाषण बहुत खूबसूरत लगेगा और ब्यावर जिला बन जायेगा और हमारे विधायक महोदय का भी नाम होगा। इसलिए मैं इनकी ताईद कर रहा हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, आपने मेरे को समय दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

डा. के. सी. चौधरी : धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : सदन की बैठक बुधवार, दिनांक 3 अप्रैल, 2002 के प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 17.28 बजे बुधवार, दिनांक 3 अप्रैल, 2002 के प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

परिशिष्ट "अ"

परिशिष्ट-1

(तारांकित प्रश्न संख्या-186 का विवरण)

वर्ष 1998-99 से 2001-02 फरवरी, 02 तक आबंटित बजट एवं व्यय राशि का विवरण

(राशि लाखों में)

क्र.सं.	मद	1998-99		1999-2000		2000-01		2001-02 (2/02 तक)	
		आबंटन	व्यय	आबंटन	व्यय	आबंटन	व्यय	आबंटन	व्यय
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
अ-केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं									
1	आई.सी.डी.एस. (सामान्य)	5076.47	4632.14	5077.40	4543.32	5731.26	4993.54	6539.77	4457.21
2	आई.सी.डी.एस. (विश्व बैंक)	—	—	28.30	5.52	3423.98	1544.85	6250.98	2969.07
3	महिला विकास कार्यक्रम	—	—	—		217.12	—	375.89	—
	योग	5076.47	4632.14	5105.70	4548.84	9372.36	6538.39	13166.64	7426.28
ब-आयोजना व्यय									
1	आई.सी.डी.एस. (पोषाहार)	1410.00	1281.88	1200.00	782.57	1123.00	962.83	2104.00	898.20
2	महिला विकास कार्यक्रम	345.00	336.49	405.00	402.27	195.00	194.34	171.00	127.85
3	प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना	—	—	—	—	1446.00	1014.26	5125.74	4137.63
4	ड्वाकरा कार्यक्रम	240.00	240.00	200.00	203.79	—	—	—	—
	योग	1995.00	1858.37	1805.00	1388.63	2764.00	2171.43	7400.74	5163.68

परिशिष्ट "ब"

(राशि लाखों में)

वर्ष 1998-99 से 2001-02 (फरवरी, 02 तक) आबंटित बजट के विरुद्ध शेष रही राशि का विवरण

क्र.सं.	मद	1998-99 में शेष राशि	1999-2000 में शेष राशि	2000-01 में शेष राशि	2001-02 (2/02 तक) में शेष राशि
अ-केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं					
1	आई.सी.डी.एस. (सामान्य)	444.33	534.08	737.72	2082.56
2	आई.सी.डी.एस. (विश्व बैंक)	—	22.78	1879.13	3281.91
3	महिला विकास कार्यक्रम	—	—	217.12	375.89
	योग	444.33	556.86	2833.97	5740.36
ब-आयोजना व्यय					
1	आई.सी.डी.एस. (पोषाहार)	128.12	417.43	160.17	1205.80
2	महिला विकास कार्यक्रम	8.51	2.73	0.66	43.15
3	प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना	—	—	431.74	988.11
4	ड्वाकरा कार्यक्रम	—	—	—	—
	योग	136.63	420.16	592.57	2237.06

परिशिष्ट "अ"

परिशिष्ट-2

(तारांकित प्रश्न संख्या-187 का विवरण)

पर्यटन विभाग को देशी एवं विदेशी पर्यटकों से प्राप्त शिकायतों का विवरण

क्र.सं.	शिकायतकर्ता का नाम	शिकायत का प्रकार
1	2	3
1.	श्री देवाशीष बसाक, बिहार	क्रय किया गया वास्तविक माल न देने बाबत।
2.	डा. एच. एस. बाजवा, जी. टी. रोड, खन्ना, पंजाब	निम्न श्रेणी का माल प्रदाय करने बाबत।
3.	भारत सरकार, पर्यटक कार्यालय, खासा कोठी, जयपुर मि. फिलिप ब्रोकर तथा मिस क्रिस्टल, फ्रान्स की शिकायत	विदेशी पर्यटकों के साथ धोखाधड़ी
4.	श्री अजीत थानावाला, जिलाध्यक्ष, लायन्स क्लब, मुम्बई	अग्रिम राशि लेने के उपरान्त भी माल प्रदाय न करने बाबत।
5.	भारत सरकार, पर्यटक कार्यालय, खासा कोठी, जयपुर के माध्यम से प्राप्त शिकायत	क्रय किया गया कारपेट सप्लाई न करने बाबत।
6.	श्री अब्दुल कदर मलंग, मुम्बई	क्रय किया गया माल प्रदाय न करने बाबत।
7.	श्री जे. एस. बंगाली, मुम्बई	अग्रिम राशि न लौटाने बाबत।
8.	श्री एस. आर. अली, जबलपुर	बस टिकट में अधिक चार्ज करने बाबत।
9.	श्री एम. पी. एन्टिया, मुम्बई	कनफर्म आरक्षण रद्द करने बाबत।
10.	डा. श्यामल चक्रवर्ती, खड़कपुर	घटिया माल प्रदाय करने बाबत।
11.	श्री थामस टी. अब्राहम	मुद्रित बिल की बजाय एस्टीमेट फार्म पर बिल देने एवं सरकार को राजस्व हानि करने बाबत।

1	2	3
12.	कर्नल, पी. सी. शर्मा, लक्ष्मणगढ़	फोन काल्स पर अधिक राशि चार्ज करने बाबत।
13.	मिस. यामातो, जापान	2500 डालर की बेइमानी करने बाबत।
14.	श्री एस. गुहा, नई दिल्ली	मुद्रित बिल की बजाय एस्टीमेट फार्म पर बिल देने एवं सरकार को राजस्व हानि करने बाबत।
15.	मिस. एवलिन वेस एवं मि. माइकल हैनेसी, केलिफोर्निया	धोखाधड़ी करने बाबत।
16.	श्री वी. श्याम सुन्दर राव, आन्ध्र प्रदेश	माल प्रदाय न करने बाबत।
17.	मिस. जयसिन्टा बुश, आस्ट्रेलिया	धोखाधड़ी का मामला।
18.	श्री आर. के. सैनी, जयपुर	अभद्र व्यवहार करने बाबत।
19.	श्री एस. पी. भट्टाचार्य, गोहाटी	टूटा-फूटा माल प्रदाय करने बाबत।
20.	मि. लैक्स गोडा, हालैण्ड	माल प्रदाय न करने बाबत।
21.	मिस. हेविक हैड, जर्मनी	अधिक चार्जेज लेने एवं संतोषप्रद सेवा न देने बाबत।
22.	कर्नल, सुरेश वाई रैग, मुम्बई	होटल स्टाफ के विरुद्ध शिकायत।
23.	निदेशक, लोक प्रशासन एवं ग्रामीण, त्रिपुरा	अधिक चार्जेज लेने बाबत।
24.	श्री एन. के. अग्रवाल, रामपुर	फोटोग्राफ्स न भिजवाने बाबत।
25.	मि. यहोनाता एलन, इजराइल	विदेशी पर्यटक के साथ 2500 डालर की धोखाधड़ी करने बाबत।
26.	मि. अमिर हेल्पट, सिडनी	पर्यटकों के साथ धोखाधड़ी का मामला।
27.	मि. स्टीव यंग, अमेरीका	पर्यटक के साथ धोखाधड़ी करना।
28.	श्री हीरासिंह वैद्य, भरतपुर	राजस्थान पर्यटन विकास निगम, होटल सारस, भरतपुर के स्टाफ के विरुद्ध शिकायत।

परिशिष्ट-3

समयाभाव के कारण सदन में नहीं लिये जा सके तारांकित प्रश्न एवं उत्तर

राजगढ़ (चूरू) की हरिजन बस्तियों का विद्युतीकरण

188. श्री नन्दलाल पूनिया (सादुलपुर) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) तहसील राजगढ़ (चूरू) में कितनी हरिजन बस्तियों को विद्युतीकृत किया गया है? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त तहसील की हरिजन बस्तियों को विद्युतीकृत करने का विचार रखती है? यदि हां, तो क्या योजना है तथा कितनी बस्तियों को भविष्य में विद्युतीकृत किया जाएगा? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) तहसील राजगढ़ (चूरू) में 56 हरिजन बस्तियों को विद्युतीकृत किया गया है। सूची परिशिष्ट "क" पर संलग्न है।

(2) जी हां, तहसील राजगढ़ (चूरू) के अन्तर्गत भविष्य में चिन्हित होने वाली हरिजन बस्तियों को वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर वर्षवार लंक्ष्यों के अनुसार विद्युतीकृत कर दिया जावेगा।

परिशिष्ट-क

हरिजन बस्ती विद्युतीकृत ग्राम की सूची

क्र.सं.	ग्राम		हरिजन बस्ती	हरिजन बस्ती विद्युतीकृत दिनांक	
1	2	3	4	5	6
1.	सांखू	3.2.13	हरिजन मौहल्ला	27.2.79	REC
2.	चान्दगोठी	187	हरिजन मोहल्ला	30.3.80	REC
3.	चान्दगोठी	187	हरिजन मौहल्ला W.N.9	30.3.80	REC
4.	रामपुरा	163	चमार बस्ती	21.6.81	REC
5.	रामपुरा	163	हरिजन बस्ती	21.6.81	REC
6.	थीरपाकीबड़ी	204	चमारान मौहल्ला	31.3.83	REC
7.	नीमा	181	हरिजन मौहल्ला	19.10.85	REC
8.	हमीरवास	170	W. 2	30.11.85	REC
9.	हमीरवास	170	W. 3	30.11.85	REC
10.	हमीरवास	170	W. 4	30.11.85	REC

1	2	3	4	5	6
11.	हमीरवास	170	W. 5	30.11.85	REC
12.	नीमा	181	चमार मौहल्ला	31.10.86	REC
13.	साखू	138	चमार मौहल्ला W. 2	20.11.86	REC
14.	सांखू	138	W.3	20.11.86	REC
15.	सांखू	138	W. 4	20.11.86	REC
16.	नंवा	184	हरिजन मौहल्ला W. 4	30.11.86	REC
17.	नंवा	184	W. 5	30.11.86	REC
18.	हमीरवास	170	W. 1	31.3.85	REC
19.	लम्बोर छिपियान	106	चमारों का मौहल्ला	31.3.85	REC
20.	सरदारपुरा	169	रेगर बस्ती चमार	31.3.88	REC
21.	बासलालसिंह	185	हरिजन मौहल्ला	20.7.87	REC
22.	बांगड़वा	167	चमारान मौहल्ला	31.1.90	REC
23.	सांखू	138	चमारान मौहल्ला	31.1.90	REC
24.	कानावासी	143	चमारान मौहल्ला	31.1.90	REC
25.	खारिया	129	चमारान मौहल्ला	31.1.90	REC
26.	कान्धरान	98	चमारान मौहल्ला	30.11.91	REC
27.	हरवालू पतराम	99	चमारान मौहल्ला	30.11.91	REC
28.	नवां	184	चमारान मौहल्ला	31.3.96	REC
29.	हरपाल रामसुख	101	चमारान मौहल्ला	31.3.97	REC
30.	भोजान	152	हरिजन बस्ती	31.3.99	REC
31.	राधावडी	096	हरिजन बस्ती	31.3.99	DRDA
32.	Sadulpur	3.2.11	Ward No. 23	15.2.72	Not REC
33.	Sadulpur	3.2.11	Ward No. 4	28.3.69	Not REC
34.	Sadulpur	3.2.11	Ward No. 3	27.2.71	Not REC

1	2	3	4	5	6
35.	Sadulpur	3.2.11	Ward No. 13	31.3.72	Not REC
36.	Sadulpur	3.2.11	Ward No. 10	19.2.72	Not REC
37.	Sadulpur	3.2.11	Ward No. 6	13.11.74	Not REC
38.	Sadulpur	3.2.11	Ward No. 5	9.11.77	Not REC
39.	Sadulpur	3.2.11	Ward No. 7	9.11.77	Not REC
40.	Sadulpur	3.2.11	Ward No. 8	9.11.77	Not REC
41.	Sadulpur	3.2.11	Ward No. 1	9.11.77	Not REC
42.	Sadulpur	3.2.11	Regar Basti	9.11.77	Not REC
43.	Paharsar 911	3.2.52	Indra Colony	15.1.83	REC
44.	Bhegela 011	3.2.45	Bhangi Basti	20.1.83	REC
45.	Bhegela 011	3.2.45	Chamar Basi	25.1.83	REC
46.	Sudulpur	3.2.11	नायक मौहल्ला	31.3.83	REC
47.	Kishanpur	3.2.15	H.B. Kishanpura	31.3.89	REC
48.	Chanpura Chuota	3.2.42	H.B. Chanpura Chuota	31.3.89	REC
49.	Nangle Chuoti	3.2.23	H.B. Nangla Chuoti	21.10.84	REC
50.	Gawalisar	3.2.46	H.B. Gawalisar	28.10.84	REC
51.	Indasar	3.2.48	H.B. Indasar	31.3.87	REC
52.	Ramsaratal	3.2.17	H.B. Ransaratal	26.2.93	REC
53.	Tumkakheri	3.2.20	H.B. Tumkakheri	31.3.94	REC
54.	Tunda Kheri	3.2.16	H.B. Tundakheri	21.2.93	REC
55.	Kishanpura	3.2.15	H.B. Kishanpura	30.3.96	REC
56.	Dhindul	3.2.74	H.B. Dhindul	31.3.97	REC

टोडाभीम के राजकीय चिकित्सालयों में सुविधाओं का अभाव

189. श्री रामस्वरूप (टोडाभीम) : क्या चिकित्सा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या सरकार जिन चिकित्सालयों में भवन का अभाव है वहां भवन निर्माण कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम में कहां-कहां भवन रहित चिकित्सालय हैं और सरकार उक्त भवन कब तक बनाने का विचार रखती है?

(2) सरकार उक्त चिकित्सालयों में दवाई, उपकरणों व आपरेशन थियेटर सुविधा के लिये उक्त क्षेत्र हेतु कब नये आदेश देने का विचार रखती है?

(3) विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम में नई एम्बूलेंस गाड़ी खरीदने हेतु कब तक वित्तीय स्वीकृति जारी कर दी जावेगी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम के अन्तर्गत आने वाले स्वीकृत उप केन्द्र जो भवन रहित है, के नामों की सूची परिशिष्ट "अ" पर उपलब्ध है। आगामी वित्तीय वर्ष में उप केन्द्रों के भवन निर्माण हेतु समुचित वित्तीय प्रावधान उपलब्ध होने पर विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम के अन्तर्गत आने वाले भवन रहित उप केन्द्रों का भवन निर्माण करवाया जाना सम्भव हो सकेगा।

(2) विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम के अन्तर्गत आने वाले सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, टोडाभीम एवं उच्चीकृत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, गुढ़ाचन्द्रजी में आपरेशन थियेटर निर्मित है। आवश्यक औषधियां एवं उपकरण आवश्यकतानुसार समय-समय पर क्रय कर उपलब्ध करवाये जाते हैं।

(3) विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम के अन्तर्गत आने वाले सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, टोडाभीम एवं उच्चीकृत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, गुढ़ाचन्द्रजी में आगामी वित्तीय वर्ष में रोगी वाहन खरीदने हेतु समुचित वित्तीय प्रावधान उपलब्ध होने के उपरान्त ही उपलब्ध करवाया जाना सम्भव हो सकेगा।

परिशिष्ट "अ"

विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम के अन्तर्गत आने वाले स्वीकृत उप केन्द्र जो भवन रहित हैं, के नामों की सूची

क्र.सं.	उप केन्द्र का नाम
1	2
1.	गहरोली
2.	भीमपुर
3.	भजेडा
4.	पाडला
5.	पहाड़ी
6.	भौपुर
7.	ढहरिया
8.	रायसना
9.	तालचिड़ा
10.	तिमावा
11.	राजपुर
12.	राजाहेड़ा
13.	पाल

(राज्य मंत्री, चिकित्सा)

1	2
14.	कुन्जेला
15.	भोलापाड़ा
16.	धालेटा
17.	रलावता
18.	मेढकापुरा
19.	मोहनपुरा
20.	अजीजपुर
21.	उरदेन

कुचामनसिटी एवं नावां में "प्रशासन शहरों के संग" में निस्तारित विद्युत समस्याएँ

190. श्री हरिश चन्द्र (नावां) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) "प्रशासन शहरों के संग" अभियान वर्ष 2001-2002 के दौरान विद्युत विभाग के किन-किन कार्यों को अभियान के दौरान ही सम्पादित कर उनका निस्तारण करने के निर्देश दिये हुए हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) नगरपालिका क्षेत्र कुचामनसिटी तथा नावां शहर में उक्त अभियान के दौरान किस-किस वार्ड क्षेत्र में विद्युत सम्बन्धी किन-किन समस्याओं को लेकर आवेदन प्राप्त हुए ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त आवेदनों में अब तक क्या-क्या कार्यवाही की जाकर उनका निस्तारण किया जा चुका है तथा शेष आवेदनों का निस्तारण कब तक करा दिया जावेगा ?

उत्तर

(1) "प्रशासन शहरों के संग" अभियान के दौरान निम्नलिखित कार्यों को अभियान के दौरान ही निष्पादित कर उनके निस्तारण करने के निर्देश दिए हुए थे :—

1. विद्युत सप्लाई में व्यवधान व चालू करने में अधिक समय लगने की समस्याएं।
2. मीटर/मीटर बाक्स सम्बन्धी समस्याएं।
3. ढीले तार सम्बन्धी समस्या।
4. विद्युत सम्बन्ध जारी होने व विच्छेद होने की समस्या।
5. लोड/वोल्टेज सम्बन्धी समस्या।
6. त्रुटि पूर्ण विद्युत विपत्र जारी होने व देरी से प्राप्त होने की समस्या।
7. नागरिक अधिकार पत्र की जानकारी।

(2) नगरपालिका कुचामनसिटी व नावां में क्रमशः 94 व 164 प्रकरण अभियान के दौरान प्राप्त हुए थे। प्राप्त प्रकरणों की शिकायत मदवार, वार्डवार सूची परिशिष्ट 'अ' और 'ब' सदन के पटल पर रख दी गई है।

(3) नगरपालिका कुचामन के विभिन्न वार्डों में 94 आवेदन/शिकायतें प्राप्त हुई, जिनमें से अब तक 55 का निस्तारण किया जा चुका है शेष रहे 39 प्रकरणों जिनमें उच्चाधिकारियों की तकनीकी व वित्तीय स्वीकृति आवश्यक है, उन पर स्वीकृति लेने की प्रक्रिया जारी है। स्वीकृति प्राप्त होने पर संसाधनों की उपलब्धि अनुसार निस्तारण किया जावेगा। इसी प्रकार नावां शहर में 164 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से अब तक 141 का निस्तारण किया जा चुका है। शेष

(ऊर्जा मंत्री)

रहे 23 प्रकरणों पर भी उच्चाधिकारियों की तकनीकी व वित्तीय स्वीकृति प्राप्त कर संसाधनों की उपलब्धि अनुसार निस्तारण किया जा सकेगा।

अजमेर में भू-संरक्षण के कार्यों का बकाया भुगतान

191. श्री सांवरलाल (भिनाय) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या विगत 4 वर्षों में अजमेर जिले में भू-संरक्षण के कार्यों का भुगतान हो गया है? यदि नहीं, तो किस-किस कार्य का क्यों व कितना-कितना बकाया है?

उत्तर

जी हां।

विधान सभा क्षेत्र घाटोल की सम्पर्क सड़कें

192. श्री नानालाल नीनामा (घाटोल) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र घाटोल के मोरवानिया से बोरी वाया धारणा, केला मेला से नलन्दा वाया ठेसला, नायन से पृथ्वीपुरा वाया माण्डवी, ठेसला से जामली वाया महुवाल, केसरपुरा से जामली वाया बाघघाटी, वन्टाली से सोडलपुर वाया बलौर तथा डुंगलावानी मेन रोड से कलवाणी तक सड़क बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

जी हां। जो गांव 500 व उससे अधिक जनसंख्या (2001) के हैं उन्हें प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत वर्ष 2007 तक सड़क से जोड़ना प्रस्तावित है। विवरण परिशिष्ट "अ" पर उपलब्ध है।

परिशिष्ट "अ"

विवरण

प्रश्न में वर्णित सड़कों का निर्माण बाबत विवरण सड़कवार निम्नानुसार है :—

(अ) मोरवानिया (1922/2001) से बोरी (685/2001) वाया धारण (644/2001) मोरवानिया व बोरी डामर सड़क से जुड़े हुए हैं तथा धारण (644/2001) मोरवानिया व बोरी के बीच में है। अतः गांव धारण को जोड़ने के प्रस्ताव वर्ष 2007 तक प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत जनसंख्या की प्राथमिकता के अनुसार किया जा सकेगा। सड़क का शेष भाग मिसिंग लिंक है और वर्तमान में किसी योजना में कार्य करवाया जाना सम्भव नहीं है।

(ब) केलामेला (2544/2001) सड़क से नलन्दा (55/2001) वाया थेचला (677/2001) यह कच्ची सड़क है। नल्दा की जनसंख्या 500 से कम होने के कारण सड़क का थेचला से नल्दा का भाग वर्तमान में किसी योजना में कराया जाना सम्भव नहीं है। प्रधान मंत्री सड़क योजना के अन्तर्गत थेचला को केलामेला से वर्ष 2007 तक

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

जनसंख्या की प्राथमिकता के आधार पर जोडा जा सकेगा।

(स) नायन (2027/2001) से पृथ्वीपुरा (1317/2001) वाया मांडवी (474/2001) यह वर्तमान में मेटल सड़क है। डामर सड़क से प्रधानमंत्री सड़क योजना की प्राथमिकताओं के आधार पर इन गांवों के मेटल सड़क पर स्थित होने के कारण 500 तक की आबादी के बिना जुड़े हुये सभी गांवों को सड़क से जोड़ने के पश्चात् वर्ष 2007 तक निर्माण कराना सम्भव होगा।

(द) थेचला (1124/2001) से जामली (1627/2001) वाया महुवाल (1242/2001) वर्तमान में यह मेटल सड़क है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की प्राथमिकताओं के आधार पर इन गांवों के मेटल सड़क पर होने के कारण 500 से अधिक जनसंख्या के सभी गांवों को जोड़ने के पश्चात वर्ष 2007 तक जनसंख्या की प्राथमिकता के अनुसार किया जा सकेगा।

(क) केसरपुरा (348/2001) से जामली (1627/2001) वाया बानघाटी (986/2001) केसरपुरा को लम्बाडाबरा से प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत जोडा जा रहा है। जामली व बानघाटी को योजना में निर्धारित प्राथमिकताओं के आधार पर वर्ष 2007 तक जोड़ा जा सकेगा। सड़क का शेष भाग जो एक मिसिंग लिंक है को वर्तमान में किसी योजना में बनाया जाना सम्भव नहीं है।

(ख) घंटाली (3135/2001) से सोडलपुर (1090/2001) वाया पेन्योल (943/2001) घंटाली डामर सड़क पर सोडलपुर मेटल सड़क पर स्थित है तथा घंटाली से सोडलपुर वाया पेन्योल कच्ची सड़क है। सोडलपुर व पेन्योल को प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना की निर्धारित प्राथमिकता के आधार पर वर्ष 2007 तक जोड़ा जा सकेगा, परन्तु सड़क का शेष भाग मिसिंग लिंक है को वर्तमान में किसी योजना में बनाया जाना सम्भव नहीं है।

(ग) डूंगलावानी (7953/2001) मेन सड़क से कलवानी (120/01) डूंगलावानी डामर सड़क पर तथा केलवानी कच्ची सड़क पर स्थित है। गांव की जनसंख्या के आधार पर वर्तमान में किसी योजना में नहीं आने के कारण कार्य कराया जाना सम्भव नहीं है।

बीकानेर में बहुसंकाय विश्वविद्यालय की स्थापना

193. श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर) : क्या उच्च शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या राज्य सरकार ने बीकानेर में बहुसंकाय विश्वविद्यालय स्थापित करने का निर्णय लिया है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री मानिक चन्द सुराना)

(2) क्या उक्त बहुसंकाय विश्वविद्यालय बीकानेर में वित्तीय वर्ष 2002-2003 में प्रारम्भ किया जावेगा ?

(3) बीकानेर बहुसंकाय विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए राज्य सरकार को कितनी राशि की आवश्यकता होगी ?

(4) उक्त बहुसंकाय विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए क्या राज्य सरकार को बीकानेर संभाग के प्रायः सभी कालेज यूनियनों द्वारा विश्वविद्यालय स्थापित करने के समर्थन में प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं ? यदि हां, तो जिन-जिन संस्थानों की कालेज यूनियन से ऐसे प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या यह सही है कि बीकानेर बार एसोसिएशन, व्यापार मण्डल, उद्योग संघ व अन्य सामाजिक व शैक्षणिक संस्थानों ने भी बीकानेर में बहुसंकाय विश्वविद्यालय की स्थापना करने की मांग की है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त प्रस्तावों पर विचार कर रही है ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) बीकानेर में वर्ष 2002-2003 में एक नया विश्वविद्यालय स्थापित किया जाना प्रस्तावित है।

(3) बीकानेर बहुसंकाय विश्वविद्यालय को स्थापित करने के लिए कितनी राशि की आवश्यकता होगी, इसके प्रस्ताव तैयार किये जा रहे हैं।

(4) बीकानेर में बहुसंकाय विश्वविद्यालय स्थापित करने हेतु कुछ यूनियन एवं संगठनों से यथा—डूंगर महाविद्यालय छात्र संघ बीकानेर, विश्वविद्यालय छात्र संघर्ष समिति बीकानेर सम्भाग, स्टूडेन्ट फैडरेशन आफ इण्डिया जयपुर, भारतीय जनता युवा मोर्चा, बीकानेर एवं किसान पंचायत, बीकानेर से ज्ञापन प्राप्त हुए हैं।

(5) प्रश्न के भाग-4 में उत्तर दिया जा चुका है। राज्य सरकार द्वारा बीकानेर में नया विश्वविद्यालय स्थापित किया जाना प्रस्तावित है।

विमंदित गृह सेठी कालोनी, जयपुर में मंदबुद्धि बालकों के अध्यापन हेतु प्रशिक्षित शिक्षक

194. श्री रघुवीर सिंह (सराड़ा) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) मंदबुद्धि बालकों की शिक्षा के सम्बन्ध में विकलांगता अधिनियम, 1995 की क्या व्याख्या है ?

(2) क्या विकलांगता अधिनियम, 1995 में उल्लेख है कि मंदबुद्धि बालकों को शिक्षा प्रशिक्षित अध्यापक (डी.एम.आर.) के माध्यम से कराई जानी है ? यदि हां, तो ऐसी स्थिति में क्या यह अधिनियम पूर्ण रूप से लागू हो रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) विभाग के विमंदित गृह सेठी कालोनी, जयपुर में कुल कितने मंदबुद्धि बालक/बालिकाएं हैं ? उक्त के लिये कितनी राशि का आवंटन किया गया है ? क्या उक्त

(श्री रघुवीर सिंह)

के शिक्षण प्रशिक्षण के लिये पूर्व निर्धारित अनुपात 1 : 8 की संख्या में विशेष शिक्षक नियुक्त हैं? यदि नहीं, तो क्यों? कारण सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि उक्त प्रकार के विशेष शिक्षकों के लिये सरकार बजट विमंदित गृहों को दे रही है? यदि हां, तो उक्त बजट को विशेष शिक्षकों के अभाव में कहां खर्च किया जा रहा है?

(5) क्या वर्तमान में कोई ऐसा विशेष शिक्षक कार्यरत है जो अपनी सेवाएं राजस्थान सरकार को प्रदान कर रहा है? यदि हां, तो कौन-कौन व कहां-कहां कब से कार्यरत हैं?

(6) क्या सरकार विशेष शिक्षकों को विमंदित गृह में नियुक्ति देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर अधिकार संरक्षण एवं पूर्ण भागीदारी) अधिनियम 1995 में मन्दबुद्धि बालकों की शिक्षा के लिये अलग से कोई व्याख्या नहीं की गई है। अधिनियम में समस्त निःशक्त बालकों के लिए शिक्षा की जो व्याख्या अधिनियम की धारा 26 से 30 तक की गई है, जिसकी छाया प्रति परिशिष्ट "क" पर उपलब्ध है।

(2) जी नहीं। अधिनियम 1995 में मन्द बुद्धि बालकों के लिये अलग से कोई उल्लेख नहीं किया गया है।

(3) विभाग द्वारा संचालित विमन्दित महिला एवं बाल पुनर्वास गृह, सेठी कालोनी में 55 बालक एवं 91 बालिकाएं/महिलाएं निवास कर रही है। उक्त के लिये राज्य सरकार द्वारा 37.08 लाख रुपये वर्ष 2001-2002 के लिये आवंटन किया गया है। आवास कर रहे बालक/बालिकाएं एवं महिलाएं जिसमें अधिकांशतः अतिगम्भीर मानसिक विकलांगता वाले आवासी है जो शिक्षण प्रशिक्षण के योग्य नहीं है। शेष के लिये 2 अध्यापकों के पद सृजित है।

(4) जी नहीं। विमन्दित गृहों के आबंटित बजट में अलग से विशेष शिक्षकों के लिए कोई बजट मद नहीं हैं समवेतन मद ही प्रावधित करवाया जाता है, जिससे वेतन सम्बन्धी आहरण करवाया जाता है।

(5) जी नहीं।

(6) यह नीतिगत निर्णय से सम्बन्धित है।

(अधिनियम की प्रति विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

जनरल नर्सिंग प्रशिक्षण में निर्धारित मानदण्डों की पालना

195. श्रीमती सुमित्रा सिंह (झुंझुनूं) : क्या चिकित्सा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या राज्य सरकार ने जनरल नर्सिंग एवं मिडवाइफ के प्रशिक्षण हेतु 70% स्थान महिलाओं के लिए एवं 30% स्थान पुरुष उम्मीदवारों के लिए तय कर रखे हैं? यदि हां, तो क्या दिनांक 10.12.01 एवं 20.1.02

(श्रीमती सुमित्रा सिंह)

को दी गई नियुक्तियों में उक्त प्रतिशत का पालन किया गया है? यदि नहीं, तो क्यों?

(2) क्या यह सही है कि प्रशिक्षण के अनुपात में यदि 70% महिलाओं को नियुक्ति नहीं मिलती है तो यह महिलाओं के साथ अनुचित होगा?

उत्तर

(1) जी हां। वर्ष 2000 तक जनरल नर्सिंग प्रशिक्षण में 70% स्थान महिलाओं के लिए तथा 30% स्थान पुरुषों के लिए तय थे। जनरल नर्सिंग उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को नर्स श्रेणी द्वितीय के पद पर दिनांक 10.12.01 एवं 20.1.02 को दी गई नियुक्तियों में सामान्य आरक्षण नियमों (महिलाओं को 30%) का पालन किया गया है। प्रशिक्षण में उपलब्ध अनुपात (महिला व पुरुष) के अनुरूप नियुक्ति के लिये अनुपात निर्धारण का कोई प्रावधान नहीं है।

(2) जी नहीं। कार्मिक विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ. 7 (2) कार्मिक/क-2/88 दिनांक 7.6.1999 के द्वारा नियुक्ति में महिलाओं का आरक्षण 20% से बढ़ाकर 30% किया गया है जिसके प्रावधान अनुसार नियुक्ति में महिलाओं को 30% आरक्षण दिया जा रहा है।

भगवानपुरा (पुष्कर) का प्रस्तावित ग्रिड सब स्टेशन

196. श्री रमजान खान (पुष्कर) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि पंचायत समिति-पीसांगन (अजमेर) के पिचोलिया, भगवानपुरा, जसवन्तपुरा, सूरजकुण्ड आदि ग्रामों में नये विद्युत कनेक्शन वर्तमान में तकनीकी साध्यता अर्थात 11 के. वी. ग्रिड सब स्टेशन की वोल्टेज निर्धारित सीमा से अधिक होने के कारण नहीं मिल पा रहे हैं?

(2) क्या विधान सभा क्षेत्र पुष्कर के ग्राम भगवानपुरा में 33/11 के. वी. ग्रिड सब स्टेशन बनाने की स्वीकृति हुई है? यदि हां, तो उक्त ग्रिड सब स्टेशन का निर्माण कब से शुरू किया जा रहा है?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां। विधान सभा क्षेत्र पुष्कर के अन्तर्गत ग्राम भगवानपुरा में 33 के. वी. ग्रिड सब स्टेशन बनाने की स्वीकृति जारी की जा चुकी है तथा वर्ष 2002-03 के वार्षिक सब ट्रांसमिशन प्रोग्राम में सम्मिलित कर निर्माण करना प्रस्तावित है।

जैसलमेर क्षेत्र में फसल खराबे का मुआवजा

197. श्री गोवर्द्धन कल्ला (जैसलमेर) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला जैसलमेर के सीमावर्ती क्षेत्र में गत तीन माह में अन्तरराष्ट्रीय तनाव के कारण कितने काश्तकारों की फसल को सीमा सुरक्षा तथा सैन्य गतिविधियों के कारण हानि पहुंची है? क्या उक्त का आकलन किया है? यदि हां, तो रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(श्री गोवर्द्धन कल्ला)

(2) क्या यह सही है कि सैन्य वाहनों के आवागमन से कई सड़कें व खालों (वाटर कोर्सिज) को हानि पहुंची है जिसकी मरम्मत आवश्यक है? यदि हां, तो क्या इसका आंकलन किया है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार ने काश्तकारों को फसल खराबे का मुआवजा देने की योजना बनाई है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जैसलमेर जिले के सीमावर्ती क्षेत्रों में सैन्य बलों की गतिविधियों के कारण काश्तकारों की फसल के नुकसान का आकलन करवाया गया था। तदनुसार जिले के 216 व्यक्तियों की 3,267 बीघा भूमि पर अनुमानित राशि रुपये 143 लाख की फसलों के नुकसान का आकलन किया गया है। यह वास्तविक आकलन नहीं है क्योंकि सीमावर्ती क्षेत्र में भू सुरंग बिछी होने से सम्पूर्ण क्षेत्र की वास्तविक गिरदावरी नहीं करवाई जा सकी है। नुकसान व पुनर्भरण हेतु राशि का आबंटन नहीं हुआ हैं।

(2) सैन्य वाहनों के आवागमन से जिले की कुल 730 कि.मी. सड़कें क्षतिग्रस्त हुई हैं। अनुमानित क्षति राशि रुपये 82.55 लाख आंकलित की गई है। क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत आवश्यक है। इस हेतु कोई राशि आबंटित नहीं हुई है। जिले में रुपये 98,500 के नहरी खालों की क्षति हुई है।

(3) फसल खराबे का वास्तविक आकलन करने के पश्चात् ही काश्तकारों को मुआवजा दिये जाने का प्रकरण तैयार कर भारत सरकार को भेजा जावेगा।

बसेड़ी (धौलपुर) पार्वती नदी पर पुल निर्माण

198. श्री बृजेन्द्र सिंह सूपा (बयाना) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि बसेड़ी (धौलपुर) बाडी सड़क पर वर्षा के दिनों में पार्वती नदी आने के कारण रास्ते रुक जाते हैं?

(2) क्या सरकार पार्वती नदी पर पुल बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) उक्त निर्माण संसाधनों की उपलब्धता न होने के कारण व तकनीकी मापदण्डों में न आने के कारण फिलहाल सम्भव नहीं है।

ग्राम पंचायत-मोढ़ा (जैसलमेर) के पूर्व सरपंच द्वारा की गई अनियमितता की जांच

199. श्री अमीन खान (शिव) : क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या जिला जैसलमेर की पंचायत समिति-सम की ग्राम पंचायत-मोढ़ा के पूर्व

(श्री अमीन खान)

सरपंच ने विकास कार्यों के निर्माण में काफी अनियमितताएं की हैं? यदि हां, तो उक्त के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गई और नहीं, तो क्यों?

(2) उक्त पूर्व सरपंच ने कितने गांवों में कौन-कौनसे निर्माण कार्य शुरू किये थे और उक्त में कितने पूर्ण किएं व कितने अपूर्ण रहे? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त पूर्व सरपंच ने ऐसे कितने कार्य किए हैं, जो गिर चुके हैं?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) कार्यों की सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(3) पूर्व सरपंच के कार्यकाल में निर्मित कोई भवन/कार्य नहीं गिरा है।

श्री भगवान सिंह, पूर्व सरपंच, ग्राम पंचायत-मोढा के कार्यकाल में सम्पादित निर्माण कार्यों की सूची

क्र. सं.	कार्य का नाम	ग्राम	योजना	स्वी. वर्ष	स्वी. राशि	भौ. स्थिति
1	2	3	4	5	6	7
1.	प्राथमिक पाठशाला	रणधा	जे.आर.वाई (डी)	1989-90	0.65	पूर्ण
2.	टांका निर्माण	मोढा	डी.डी.पी.	1985-86	0.47	पूर्ण
3.	टांका निर्माण	मोढा	डी.डी.पी.	1989-90	0.32	पूर्ण
4.	टांका निर्माण	रावतसर	डी.डी.पी.	1989-90	0.32	पूर्ण
5.	शौ. मू. प्राथमिक पाठशाला	रणधा	ओ.बी.बी.	1988-89	0.052	पूर्ण
6.	शौ. मू. प्राथमिक पाठशाला	मोढा	ओ.बी.बी.	1988-89	0.052	पूर्ण
7.	रा. प्रा. विद्यालय	मोढा	अकाल राहत	1988-89	1.00	पूर्ण
8.	बुनकर रोड निर्माण	रणधा	अकाल राहत	1987	1.30	पूर्ण
9.	पटवार घर	मोढा	अकाल राहत	1987	0.55	पूर्ण
10.	नाड़ी खुदाई	रणधा	अकाल राहत	1987	0.74	पूर्ण
11.	नाड़ी खुदाई	बोगनियाई	अकाल राहत	1987	0.25	पूर्ण
12.	नाड़ी खुदाई	बीरमानी	अकाल राहत	1987	0.08	पूर्ण
13.	नाड़ी खुदाई	मोढा	अकाल राहत	1987	0.66	पूर्ण
14.	प्रा. पा. कक्षा कक्ष	रणधा	अकाल राहत	1990	0.90	पूर्ण

1	2	3	4	5	6	7
15.	आंगनबाड़ी भवन	रणधा	डब्ल्यू.एफ.पी.	1990	0.78	पूर्ण
16.	आंगनबाड़ी भवन	मोढा	डब्ल्यू.एफ.पी.	1990	0.78	पूर्ण
17.	अध्यापक आवास	बीरमानी	जे.आर.वाई.	1990.91	0.50	पूर्ण
18.	शाला मरम्मत	बीरमानी	जे.आर.वाई.	1990-91	0.025	पूर्ण
19.	शाला मरम्मत	रणधा	जे.आर.वाई.	1990-91	0.015	पूर्ण
20.	उप स्वास्थ्य केन्द्र	रणधा	जे.आर.वाई.	1990-91	0.81396	अपूर्ण
21.	टांका निर्माण	निम्बले का डेर	डी.डी.पी.	1990-91	0.31840	अपूर्ण
22.	एस.सी./एस.टी. सभा भवन	रणधा	जे.आर.वाई.	1989-90	0.50	अपूर्ण

ह०/-
विकास अधिकारी
पंचायत समिति-सम, मु. जैसलमेर

जिला पाली में "प्रशासन शहरों के संग" अभियान में विकलांगों को प्रदत्त सुविधाएं

200. श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली) : क्या समाज-कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला पाली के किस-किस कस्बे/शहर में "प्रशासन शहर के संग" अभियान में विकलांगों द्वारा स्वरोजगार हेतु सहायता राशि, सिलाई मशीन, ट्राई साइकल, श्रवण यंत्र इत्यादि सहायता प्राप्त करने के कितने आवेदन पत्र प्रस्तुत किये? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त अभियान के पहले विकलांगों की सहायता हेतु कार्यालय में कितने आवेदन कितने समय से विचाराधीन थे? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त में से कितने आवेदक सहायता पाने में पात्र थे एवं कितने अपात्र थे? अपात्र हैं तो किन कारणों से?

(4) उक्त अभियान के पूर्व के एक वर्ष व अभियान के दौरान एवं अभियान के बाद कितने विकलांगों को किस-किस किस्म की सहायता उपलब्ध कराई गई? पालिका क्षेत्रानुसार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) उक्त सहायता हेतु लम्बित आवेदनों का कितने समय में निस्तारण कर दिया जायेगा?

उत्तर

(1) पाली जिले के नगर परिषद/पालिका क्षेत्र में "प्रशासन शहरों के संग" अभियान में

(समाज कल्याण मंत्री)

विकलांगों द्वारा स्वरोजगार हेतु सहायता राशि, सिलाई मशीन, ट्राई साइकिल, श्रवण यंत्र आदि सहायता प्राप्त करने हेतु 33 आवेदन पत्र प्रस्तुत किये गये थे। सूची परिशिष्ट "अ" पर उपलब्ध है।

(2) उक्त अभियान के पहले 154 आवेदन पत्र एक वर्ष से विचाराधीन थे। सूची परिशिष्ट "ब" पर उपलब्ध है।

(3) उक्त आवेदन पत्रों में से 85 आवेदन सहायता पाने के पात्र थे तथा 69 आवेदक अपात्र थे। इन आवेदन पत्रों में अपात्रता का कारण, 50 आवेदन पत्रों में कोटेशन एवं आय प्रमाण पत्रों का संलग्न नहीं होना था। 19 आवेदन पत्र सहायता की आय सीमा से अधिक आय अर्जित करने वाले थे।

(4) उक्त अभियान के पूर्व के एक वर्ष एवं अभियान के दौरान शहरी क्षेत्र के कुल 31 विकलांगों को सहायता उपलब्ध कराई गई। विवरण परिशिष्ट "स" पर उपलब्ध है।

(5) लम्बित आवेदन पत्रों पर आवश्यक कार्यवाही कर, शीघ्रता शीघ्र निस्तारण कर दिया जाएगा।

(विवरण की प्रति विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

रेट कान्ट्रेक्ट के आधार पर दवा खरीद प्रक्रिया में अनियमितता की जांच

201. श्री गुलाब चन्द कटारिया (बड़ी सादड़ी) : क्या चिकित्सा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा रेट कान्ट्रेक्ट के आधार पर करोड़ों रुपयों की दवाई खरीद प्रक्रिया में अनियमितता का मामला प्रकाश में आया है? यदि हां, तो कब?

(2) उक्त दवाइयों की खरीद हेतु सरकार ने कब-कब तथा किस-किस से निविदाएं आमंत्रित की तथा किस कम्पनी की निविदाएं अनुमोदित की गई? कम्पनी का नाम निर्धारित शर्तें एवं मूल्य सहित सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि वर्ष 1998 से 2002-2003 के लिये जो दरें अनुमोदित की गई वे ज्यादा थीं? यदि हां, तो उक्त वर्षों का तुलनात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह भी सही है कि दवाओं की खरीद का कार्य डी. जी एण्ड एस. एच. के आधार पर किया जाता है तथा रेट कान्ट्रेक्ट दो साल के लिये होता है तथा निविदाएं दो चरणों में आमंत्रित की जाती हैं? यदि हां, तो उक्त सम्बन्ध में सारे नियमों को छोड़कर प्राप्त सभी निविदाओं को निरस्त कर दिया गया तथा एक कम्पनी को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से कान्ट्रेक्ट दे दिया गया?

(5) क्या यह सही है कि जिन कम्पनियों की निविदाएं निरस्त की गईं उनके द्वारा चिकित्सा मंत्री एवं मुख्य मंत्री को शिकायत दर्ज कराई गई? यदि हां, तो अब तक उक्त शिकायतों पर क्या कार्यवाही की गई?

उत्तर

(1) यह सही नहीं है। रेट कान्ट्रेक्ट के आधार पर दवाई खरीद प्रक्रिया में कोई अनियमितता का मामला नहीं है।

(2) दवाइयों की खरीद हेतु दवा निर्माता राजकीय उपक्रमों से निदेशालय के पत्र दिनांक 28.3.2000 द्वारा दरें दिनांक 5.4.2000 तक आमंत्रित की गई जिसकी सूची परिशिष्ट "अ" संलग्न है प्राप्त निविदाओं से निम्न राजकीय उपक्रमों की निविदाएं अनुमोदित की गई :—

1. मैसर्स स्मिथ स्टेनीस्ट्रीट फार्मास्यूटिकल लि., नई दिल्ली
2. मैसर्स कर्नाटक एंटीबायोटिक एवं फार्मास्यूटिकल लिमिटेड, बैंगलोर
3. मैसर्स हिन्दूस्तान लेटेक्स लिमिटेड, नई दिल्ली
4. मैसर्स राजस्थान ड्रग्स एवं फार्मास्यूटिकल लिमिटेड, जयपुर
5. मैसर्स बैंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल लि. जयपुर
6. मैसर्स हिन्दुस्तान एंटीबायोटिक लिमिटेड, जयपुर संलग्न निर्धारित शर्तें परिशिष्ट "ब" पर संलग्न है तथा स्वीकृत दर संविदा की प्रक्रिया परिशिष्ट "स" पर संलग्न है राजकीय उपक्रमों द्वारा उत्पादित दवाइयों के अतिरिक्त शेष दवाइयों की दर संविदा हेतु निजी क्षेत्र के निर्माता/आयातकों से दिनांक 30.7.01 को निविदाएं आमंत्रित की गई जिनके कवर "ए" को दिनांक 31.7.01 को खोला गया प्राप्त निविदाओं की कम्पनी वार सूची परिशिष्ट "द" पर संलग्न है निजी क्षेत्र की निविदाओं में से किसी भी कम्पनी की दर संविदा जारी नहीं की गई है।

(3) वर्ष 1998-2000 व वर्ष 2001-2003 के लिए अब तक स्वीकृत राजकीय उपक्रमों की दवाइयों की दरों में तुलना करने पर जिन दवाइयों की दरें पूर्व के वर्ष की तुलना में ज्यादा पाई गई है उनकी सूची परिशिष्ट "ई" पर संलग्न है क्योंकि निजी क्षेत्र की किसी भी दवा की दर संविदा जारी नहीं की गई है अतः तुलना सम्भव नहीं है।

(4) यह सही है कि दवाओं की खरीद का कार्य डी. जी. एस. एण्ड डी के आधार के अनुसार ही विभाग दरें आमंत्रित कर दो वर्ष के लिए रेट कान्ट्रेक्ट करता है प्रथम चरण में राजकीय उपक्रमों द्वारा उत्पादित दवाई की दरें उनसे आमंत्रित कर राज्य सरकार की दवा खरीद की नीति के अनुसार विभाग न्यूनतम दर पर राजकीय उपक्रमों से रेट कान्ट्रेक्ट करता है जो दवाइयां राजकीय उपक्रमों द्वारा उत्पादित नहीं की जाती है ऐसी शेष रही दवाइयों की राज्य सरकार की खरीद की नीति के अनुसार निजी क्षेत्र की निर्माता कम्पनियों से क्रय हेतु खुली निविदा विभाग द्वारा आमंत्रित कर दर संविदा की शर्तों के अनुसार दर संविदा भण्डार क्रय समिति द्वारा तय की जाती है। निविदा को निरस्त करने का अधिकार भण्डार क्रय समिति को है।

(राज्य मंत्री, चिकित्सा)

भण्डार क्रय समिति ने अपनी बैठक दिनांक 26.9.01 को मैसर्स बियर स्ट्रोर्फ (बी. डी. एफ) इंडिया लिमिटेड, मुम्बई के कैटलाग नं. ई/787 मेडिकेटेड पेड कन्टेन्स नाइट्रोफूरोजोन 0.2% डब्ल्यू. डब्ल्यू. के सम्बन्ध में कमेटी ने निर्णय लिया कि उक्त आइटमों की अस्पतालों में आवश्यकता नहीं है अतः एक मात्र टेण्डर निरस्त किया गया मैसर्स वी. के. टेक्सटाइल, जयपुर द्वारा काटन क्रेप बेन्डेज कैटलाग ई/772 के सम्बन्ध में समिति द्वारा उक्त आइटम की चिकित्सालयों में आवश्यकता नहीं रहने के कारण एक मात्र टेण्डर को निरस्त किया उपरोक्त के अलावा किसी भी टेण्डर को क्रय समिति द्वारा निरस्त नहीं किया गया है क्योंकि माह सितम्बर, 2001 के बाद क्रय समित की बैठक नहीं हो सकी है। राजकीय उपक्रमों की निविदाओं में निर्णय क्रय समिति द्वारा राज्य सरकार की खरीद नीति के तहत जारी किये गये हैं यदि किसी एक उपक्रम की अधिक दवाइयां के रेट कान्ट्रेक्ट जारी हुए है तो वह उस उपक्रम के न्यूनतम दर पर रहने के कारण क्रय समिति द्वारा स्वीकृत किये गये हैं। निजी क्षेत्र को निविदाओं के परिप्रेक्ष्य में कोई भी रेट कान्ट्रेक्ट जारी नहीं हुआ है अतः किसी तथाकथित एक फर्म को रेट कान्ट्रेक्ट दे देना व अन्य सभी निविदाएं निरस्त करने की बात सरासर गलत है।

(5) दरअसल सैक्शन "ए" की निविदाओं के कवर "ए" की निविदा शर्तों के अनुसार जांच पड़ताल करने पर योग्य पाई गई निविदाओं के कवर "बी" निविदा शर्तों के अनुसार खोले गये। जो कम्पनियों निविदा शर्तों की कवर "ए" की जांच पड़ताल में अयोग्य पाई गई अतः उन कम्पनियों के कवर "बी" नहीं खोले जा सके ऐसी कुछ कम्पनियों ने माननीय चिकित्सा मंत्री एवं माननीय मुख्य मंत्री एवं विभागीय अधिकारियों को शिकायती पत्र लिखे हैं जिन पर माननीय चिकित्सा मंत्री ने रोग लगाते हुए प्रकरण पर विस्तृत टिप्पणी मांगी गई। पत्रावली का पूर्ण अध्ययन करने के बाद माननीय मंत्री महोदय द्वारा रोक हटा ली गई तत्पश्चात माननीय मुख्य मंत्री द्वारा पुनः रोक लगाते हुए उन्हीं शिकायतों पर टिप्पणी चाही जिस पर कार्यवाही प्रक्रिया में है।

(सूचियां विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

कोटा सम्भाग में कृषि उपभोक्ताओं द्वारा दूसरे कुएं में विद्युत कनेक्शन

202. श्री मदन दिलावर (अटरू) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्य । जिन उपभोक्ताओं के खेत में खुदे हुए ट्यूबवैल में पानी सूख जाने पर उसी खेत में अन्य ट्यूबवैल लगाकर उसमें मोटर डालकर बिजली का उपयोग करंना व्यावहारिक तौर पर अपराध माना जाना न्याय संगत है ? यदि हां, तो कैसे ?

(2) उक्त प्रकार के कोटा संभाग में कितने मामलों में किसानों को बिजली चोर मानकर उनके ऊपर जुर्माना किया है ? उक्त कारण कम्पनियों को कितना फायदा है ?

उत्तर

(1) कुएं में पानी सूख जाने पर या अन्य कारणों से यदि कृषक के लिये अपने कनेक्शन का स्थान परिवर्तन करना जरूरी हो तो 10 मीटर की दूरी तक शिफ्टिंग के लिये कोई चार्जेज नहीं लिये जाते हैं।

यदि शिफ्टिंग उसी खसरे में है तथा उसी लाइन तथा ट्रांसफार्मर से है तो लाइन का वास्तविक खर्चा, लेकर शिफ्टिंग कर दी जाती है। यदि उपभोक्ता स्वयं बिना आज्ञा से शिफ्टिंग कर लेता है तो उसे चोरी न मानते हुए उससे 200/- प्रति हा. पा. अतिरिक्त राशि लेकर नियमित करने का प्रावधान है। यद्यपि स्थापित कनेक्शन को बिना निगम की अनुमति से शिफ्ट करना नियमानुकूल नहीं है परन्तु कृषि के मामलों में इन कनेक्शनों को नियमित करने का प्रावधान किसानों की सुविधा के लिये किया गया है। चोरी मात्र उसी दशा में मानी जाती है जबकि पुराने कुएं में मोटर विद्यमान रखते हुए नये कुएं अथवा बोरिंग में नई मोटर चालू कर ली जाती है।

(2) उक्त प्रकार से शिफ्टिंग करने पर कोई भी चोरी का मामला नहीं बनाया गया है परन्तु कोटा सम्भाग में स्थित कोटा, झालावाड़ तथा सवाईमाधोपुर वृतों में 17 मामलों में जिनमें उपभोक्ताओं द्वारा पुराने कुएं में मोटर स्थापित रखते हुए नये बोरिंग में अतिरिक्त मोटर स्थापित कर ली थी इन उपभोक्ताओं पर विद्युत चोरी के मामले बनाये गये हैं तथा नियमानुसार जुर्माना तय किया गया है। यह प्रावधान लाभ के लिये नहीं बनाये गये हैं परन्तु विद्युत चोरी पर अंकुश लगाने के लिये किये गये हैं।

जिला कोटा में एनिकटों/वाटरशेडों के निर्माण में अनियमितता की जांच

203. श्री रामगोपाल बैरवा (पीपल्दा) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला कोटा में वर्ष 1995 से मार्च, 2001 तक भू-संरक्षण विभाग द्वारा कौन-कौन से कार्य कितनी-कितनी राशि के करवाये गये ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि स्वीकृत सभी कार्य समय पर करवाये गये हैं? यदि हां, तो कौनसा कार्य कब शुरू हुआ व कब पूर्ण हुआ ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि वर्ष 1995 से फरवरी, 2002 तक स्वीकृत उक्त कार्यों का मूल्यांकन हो गया है? यदि हां, तो किस-किस कार्य का कब-कब मूल्यांकन हुआ ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या उक्त जिले में भू-संरक्षण विभाग द्वारा कराये गये कार्यों, एनिकटों व वाटरशेड़ों में घटिया सामग्री का उपयोग व अनियमितता की शिकायतें प्राप्त हुई हैं? यदि हां, तो कब-कब? उक्त शिकायतों पर विभाग द्वारा क्या-क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो इसके लिए कौन दोषी है?

(5) क्या सरकार उक्त निर्माण कार्य में हुई अनियमितताओं की जांच कराकर दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) जलग्रहण विकास एवं भू-संरक्षण विभाग द्वारा वर्ष 1995 से मार्च 2001 तक कोटा जिले में विभिन्न योजनांतर्गत कुल 43 कार्य करवाये गये जिन पर मार्च, 2001 तक रुपये 529.24 लाख का व्यय हुआ है। कार्यों एवं उन पर व्यय राशि का विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) जी हां। कार्यवार विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(3) वर्ष 1995 से फरवरी, 2002 तक उक्त कार्यों में से सूखा संभाव्य योजनांतर्गत स्वीकृत 4 जलग्रहण विकास कार्य खेड़ली-ए, खेड़ली-बी, डोटी-ए एवं डोटी-बी का मूल्यांकन ग्रामीण विकास विभाग द्वारा माह अगस्त, 2001 में करवाया गया है।

(4) एनीकट कार्य : कोटा जिले में भू-संरक्षण विभाग द्वारा करवाये गये एनीकट के कार्यों में घटिया सामग्री का उपयोग व अनियमितता की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

वाटर शैड कार्य : जलग्रहण विकास कार्यों में अनियमितताओं से सम्बन्ध कुल तीन शिकायतें प्राप्त हुई हैं। इस सम्बन्ध में विवरण परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(5) जी हां। प्राप्त शिकायतों में से एक शिकायत की जांच कार्य पूर्ण कर दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही की जा रही है शेष 2 शिकायतों की पुनः जांच शीघ्र पुरी कराकर आवश्यक कार्यवाही की जावेगी।

परिशिष्ट "1"

कोटा जिले में गत वर्षों में स्वीकृत जलग्रहणवार व्यय राशि का विवरण

क्र. सं.	नाम कार्य	कार्य प्रारम्भ करने का वर्ष	कार्य पूर्ण होने का वर्ष	व्यय राशि (लाखों में) वर्ष 1995 से मार्च 2001 तक
अ	जलग्रहण क्षेत्र विकास कार्य			
1	2	3	4	5
1.	मंडाप	1989-90	1997-98	21.43
2.	रूसलिया	1997-98	प्रगति पर	65.69
3.	नियामतखेड़ी	1989-90	1997-98	41.31
4.	देवलीकला	1997-98	प्रगति पर	71.28
5.	रोलाना	1994-95	1995-96	11.63
6.	कंवरपुरा	1994-95	1995-96	7.03
7.	डोबरी	94-95	95-96	6.71

(श्री गोवर्द्धन कल्ला)

1	2	3	4	5
7.	डोबरी	1994-95	1995-96	6.71
8.	धायपुरा	1994-95	1995-96	15.41
9.	गुडाला	1993-94	1995-96	3.29
10.	खेड़ली ए	1996-97	प्रगति पर	16.04
11.	खेड़ली बी	1996-97	प्रगति पर	17.98
12.	ढ़ोटी-ए	1996-97	प्रगति पर	18.59
13.	ढ़ोटी-बी	1996-97	प्रगित पर	18.84
14.	लसूडिया प्रथम	2001-02	प्रगति पर	0.60
15.	लसूडिया द्वितीय	2001-02	प्रगति पर	0.60
16.	लसूडिया तृतीय	2001-02	प्रगति पर	0.60
17.	अलोद प्रथम	2001-02	प्रगति पर	—
18.	कुराड तृतीय	2001-02	प्रगति पर	0.60
19.	कुराड चतुर्थ	2001-02	प्रगति पर	0.60
20.	कुराड पंचम	2001-02	प्रगति पर	0.60
21.	मदनपुरा	1994-95	1994-95	6.58
22.	गेहुखेडी	1994-95	1995-96	3.08
23.	देवलीकला	1994-95	1994-95	4.61
24.	मोडुहेडा	1994-95	1994-95	3.48
25.	बोरीना ए	1996-97	प्रगति पर	16.12
26.	बोरीना बी	1996-97	प्रगति पर	15.96
27.	बोरीना सी	1996-97	प्रगति पर	13.14
28.	बोरीना डी	1996-97	प्रगति पर	14.24
29.	हेमलखेड़ी	1996-97	प्रगति पर	10.04
30.	सल वदखुर्द	1996-97	प्रगति पर	11.34
31.	हमाउ	1996-97	प्रगति पर	11.27
32.	बडोदिया	1996-97	प्रगति पर	10.54
33.	खड़िया	1996-97	प्रगति पर	14.94
34.	बपारि ए	1996-97	प्रगति पर	18.17

(श्री गोवर्द्धन कल्ला)

1	2	3	4	5
35.	बपारि बी	1996-97	प्रगति पर	18.14
36.	काल्याखेड़ी	1996-97	प्रगति पर	11.64
37.	मादलियाहेड़ी	1996-97	प्रगति पर	4.59
ब	**एनीकट कार्य**			
38.	गेहुखेड़ी	1994-95	1995-96	3.96
39.	चारयाखेड़ी	1994-95	1995-96	4.80
40.	कुटबया	1994-95	1995-96	3.58
41.	हथोना	1995-96	1997-98	4.04
42.	डुरकली	1995-96	1997-98	3.79
43.	ढाकिया	1995-96	1997-98	2.00
	योग			**529.24**

परिशिष्ट-2

कोटा जिले में क्रियान्वित जलग्रहण विकास कार्यों के सम्बन्ध में शिकायतों का विवरण

1. कोटा जिले के रामगंजमण्डी खण्ड के जलग्रहण कार्यों के सम्बन्ध में एक शिकायत दिनांक 6.9.1997 को की गई। इसी सम्बन्ध में एक अन्य शिकायत दिनांक 15.4.1999 को भी की गई। इस प्रकरण में अनेक स्तरों पर जांच की गई। अन्ततः सम्बन्धित सहायक अभियंता एवं कनिष्ठ अभियंता के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही प्रस्तावित की गई है एवं तीन अन्य कर्मचारियों से घास बीज स्टोर में कम पाये जाने पर वसूली के आदेश दे दिये गये हैं।

2. [illegible] जलग्रहण क्षेत्र के सम्बन्ध में एक शिकायत 16.11.2000 को प्राप्त हुई जिसके सम्बन्ध में खण्ड स्तर से प्राप्त जांच रिपोर्ट के आधार पर निदेशालय से विशेष दल भेजकर भौतिक सत्यापन कराने के आदेश दे दिये गये हैं एवं कार्यवाही शीघ्र ही पूर्ण की जावेगी।

3. जलग्रहण क्षेत्र देवलीकला, लसूडिया एवं नियामतखेड़ी जलग्रहण क्षेत्रों के बारे में दिनांक 29.3.2001 को शिकायत प्राप्त हुई। नियामतखेड़ी के सम्बन्ध में कार्यवाही क्रम संख्या-1 के अनुसार की जा रही है जबकि शेष दो जलग्रहण क्षेत्रों के सम्बन्ध में कोटा खण्ड से अधूरी जांच रिपोर्ट प्राप्त होने के कारण निदेशालय स्तर से विशेष जांच दल से जांच के आदेश दे दिये गये हैं एवं कार्यवाही शीघ्र ही पूर्ण की जावेगी।

रोटेदा से मण्डावरा (कोटा) की सम्पर्क सड़क निर्माण

204. श्री घासीलाल मेघवाल (पाटन) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि रोटेदा (बून्दी) व मण्डावरा (कोटा) के बीच चम्बल नदी पर पुल निर्माण करवाया गया है? यदि हां, तो निर्माण में सरकार द्वारा कितनी राशि व्यय की गई?

(2) क्या यह भी सही है कि रोटेदा से चम्बल एवं मण्डावरा से चम्बल पुल तक कोई सम्पर्क सड़क नहीं होने से उक्त का लाभ जनता को नहीं मिल रहा है?

(3) क्या सरकार उक्त सम्पर्क सड़क बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

(4) क्या यह सही है कि उक्त सम्पर्क सड़क बन जाने से राजस्थान एवं मध्य प्रदेश की जनता को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से लाभ मिल सकेगा?

उत्तर

(1) जी हां। इसके निर्माण में 246.28 लाख रु. व्यय हुए हैं।

(2) जी हां।

(3) जी हां, सम्पर्क सड़क निर्माण हेतु भूमि अवाप्ति की कार्यवाही की जा रही है।

(4) जी हां।

राज्य में उर्दू भाषा के अध्यापकों के रिक्त पद

205. मोहम्मद माहिर आजाद (नगर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या वर्ष 1998-99 व 1999-2000 के बजट में उर्दू भाषा के अध्यापकों के नये पद सृजित किये गये थे? यदि हां, तो किस-किस श्रेणी के कितने-कितने पद? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त नव सृजित उर्दू भाषा के अध्यापकों का चयन किया गया है? यदि हां, तो कुल कितने अध्यापक अब तक कहां-कहां पदस्थापित किये गये हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या उक्त नव सृजित उर्दू भाषा के अध्यापकों के कुछ पद अभी भी नहीं भरे गये हैं? यदि हां, तो कितने और क्यों?

(4) अब उक्त रिक्त पदों को कब तक भर दिया जायेगा?

(5) वर्तमान में उर्दू भाषा के कुल कितने पद हैं? उक्त में से कितने पद कहां-कहां रिक्त हैं और उक्त रिक्त पदों को कब तक भर दिया जायेगा?

उत्तर

(1) प्रारम्भिक शिक्षा विभाग में वर्ष 1999-2000 में 400 सामान्य अध्यापक ग्रेड तृतीय के पदों को उर्दू अध्यापकों के पदों में परिवर्तित किया गया। माध्यमिक शिक्षा अन्तर्गत 1999-2000 में उर्दू भाषा के वरिष्ठ अध्यापकों (द्वितीय श्रेणी) के 200 नये पद सृजित किये गये।

(शिक्षा मंत्री)

(2) जी हां। प्रारम्भिक शिक्षा के उक्त 400 पदों में से 281 अध्यापकों को नियुक्ति आदेश जारी किये गये जिसमें से 262 अध्यापकों ने कार्यग्रहण किया। पदस्थापित अध्यापकों की सूची परिशिष्ट "क" पर सदन के पटल पर रख दी गई है। माध्यमिक शिक्षा अन्तर्गत नव सृजित एवं अन्य रिक्त पदों के विरुद्ध 209 अध्यापकों को पदस्थापन किया गया जिनका विवरण परिशिष्ट "ख" पर सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(3) प्रारम्भिक शिक्षा के उक्त 400 पदों में से 138 उर्दू अध्यापकों के पद उर्दू की अदीब, अदीब माहिर एवं अदीब कामिल डिग्रियों की वैधता का मामला न्यायालयों में विचाराधीन होने के कारण नहीं भरे जा सके हैं।

(4) प्रारम्भिक शिक्षा अंतर्गत रिक्त पदों को भरने की कार्यवाही न्यायालय निर्णयानुसार की जा सकेगी।

(5) प्रारम्भिक शिक्षा अन्तर्गत द्वितीय श्रेणी का एक, तृतीय श्रेणी के 801 अध्यापकों के पद स्वीकृत है, जिनमें से कुल 183 पद रिक्त हैं। रिक्त पदों का विवरण परिशिष्ट "ग" पर सदन के पटल पर रख दिया गया है। रिक्त 183 पदों में से 138 पद न्यायालय निर्णयानुसार भरे जा सकेंगे। शेष 45 पदों को भर्ती पर लगे प्रतिबंध के हटने पर भरा जा सकेगा। माध्यमिक शिक्षा के अन्तर्गत राज्य में 54 पद व्याख्याता, 328 पद वरिष्ठ अध्यापकों के एवं 149 अध्यापक उर्दू भाषा के स्वीकृत हैं, जिनमें से क्रमशः 18, 47 एवं 12 पद रिक्त हैं। रिक्त पदों का विवरण परिशिष्ट "घ" पर सदन के पटल पर रख दिया गया है। माध्यमिक शिक्षा अन्तर्गत राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित आशार्थी उपलब्ध होने, डी.पी.सी. एवं भर्ती पर लगी रोग हटने एवं न्यायालय द्वारा लगा स्थगन आदेश हटने पर पदों को भरने की कार्यवाही की जा सकेगी।

(विवरण की प्रतियां विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

उप योजना क्षेत्र के विद्युतीकृत ग्राम

206. श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़) : क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि वर्ष 2000-2001 से पूर्व ऊर्जा विभाग द्वारा उप योजना क्षेत्र के 178 गांवों को विद्युतीकृत करने हेतु विद्युत निगम को 722.31 लाख रुपया हस्तान्तरित किया गया था? यदि हां, तो उप योजना क्षेत्र के किन-किन गांवों का विद्युतीकरण किया गया? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या 178 गांवों में विद्युतीकृत किया गया? उक्त भौतिक सत्यापन किस स्तर के अधिकारियों द्वारा किया गया? रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि दिनांक 15 जून, 2001 तक केवल 178 गांवों में से 107 गांवों का ही भौतिक सत्यापन किया बाकी गांवों का सत्यापन के लिये परियोजना अधिकारियों को कब निर्देशित किया और उक्त अधिकारियों ने पालना रिपोर्ट कब प्रेषित की है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। उक्त राशि ऊर्जा विभाग द्वारा विद्युत निगम को हस्तान्तरित नहीं की गयी। बल्कि उक्त राशि जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग द्वारा जनजाति उप योजना क्षेत्र के 178 ग्रामों के विद्युतीकरण हेतु रुपये 722.31 लाख तत्कालीन राज. राज्य विद्युत मण्डल को हस्तान्तरित किये गये थे। इनमें से 140 ग्रामों का विद्युतीकरण किया गया है। जिसकी सूची परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) अजमेर विद्युत वितरण निगम द्वारा दी गयी सूचना के अनुसार नवम्बर, 2001 तक 140 ग्रामों का विद्युतीकरण किया गया है। विद्युतीकृत किये गये ग्रामों का भौतिक सत्यापन परियोजना/उप परियोजना अधिकारी जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग एवं तहसीलदार, विकास अधिकारी स्तर के अधिकारियों से करवाया गया है। उक्त अधिकारियों द्वारा जो भौतिक सत्यापन किया गया है उसकी रिपोर्ट परिशिष्ट-1 के स्तम्भ 7 में अंकित है।

(3) जी नहीं। तत्कालीन राजस्थान विद्युत मण्डल द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर समस्त ग्रामों का भौतिक सत्यापन कराया गया। जिसमें से तत्समय 107 ग्राम ही विद्युतीकृत पाये गये। नवम्बर, 2001 तक 33 और ग्रामों को विद्युतीकृत करने की अजमेर विद्युत वितरण निगम ने सूचना दी है। दिनांक 4.12.2001 को आयोजित बैठक में ही परियोजना/उप परियोजना अधिकारियों को इन 33 ग्रामों का भौतिक सत्यापन करने के निर्देश दिये गये। पालना रिपोर्ट अपेक्षित है।

(रिपोर्ट की प्रति विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

राजकीय चिकित्सालय नाहटा में बी. पी. एल. कार्डधारियों को निःशुल्क दवा

207. श्री अमराराम चौधरी (पचपदरा) : क्या चिकित्सा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या सरकार बी.पी.एल. कार्डधारी परिवार को राजकीय चिकित्सालयों से निःशुल्क दवाइयां उपलब्ध करवाती है? यदि हां, तो वर्ष 2000-2001 में राजकीय चिकित्सालय, नाहटा में कितने व्यक्तियों को निःशुल्क दवाइयां उपलब्ध करवाइ? संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जी हां। मेडिकेयर रिलिफ कार्डधारी बी.पी.एल. परिवार को राजकीय चिकित्सालयों से निःशुल्क दवाइयां एवं चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाई जाती है।

वर्ष 2000-2001 में राजकीय नाहटा चिकित्सालय, बालोतरा में 819 व्यक्तियों को निःशुल्क दवाइयां उपलब्ध करवाई गई। माहवार संख्या सूची परिशिष्ट "अ" पर उपलब्ध है।

परिशिष्ट "अ"

राजकीय नाहटा चिकित्सालय, बालोतरा द्वारा वर्ष 2000-2001 में मेडिकेयर रिलिफ कार्डधारी बी.पी.एल. परिवारों के रोगियों की माहवार संख्या जिन्हें निःशुल्क दवाइयां उपलब्ध करवाई गई :—

(राज्य मंत्री, चिकित्सा)

माह का नाम	रोगियों की संख्या
अप्रेल, 2000	15
मई, 2000	65
जून, 2000	79
जुलाई, 2000	68
अगस्त, 2000	65
सितम्बर, 2000	97
अक्टूबर, 2000	96
नवम्बर, 2000	43
दिसम्बर, 2000	57
जनवरी, 2001	60
फ़रवरी, 2001	76
मार्च, 2001	98
	819

विधान सभा क्षेत्र सांचौर के अविद्युतीकृत गांवों में सौर ऊर्जा से विद्युतीकरण

208. श्री हीरालाल विश्नोई (सांचौर) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या विधान सभा क्षेत्र सांचौर के दूर दराज के गांव अभी तक विद्युतीकृत नहीं हुए हैं? क्या सरकार के समक्ष ऐसे गांवों में सार्वजनिक स्थानों पर सौर ऊर्जा लाइटें लगाने की योजना विचाराधीन हैं? यदि हां, तो कब से?

(2) क्या सरकार उक्त योजना बनाकर सार्वजनिक स्थानों पर सौर ऊर्जा लाइटें लगाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) जी नहीं, एक सार्वजनिक सौर ऊर्जा लाइट की लागत लगभग रु. 24000/- आती है जो वर्तमान सीमित आर्थिक साधनों से सम्भव नहीं है।

ग्राम दुधालिया (डाग) में ओलावृष्टि से हुए नुकसान का मुआवजा

209. श्री मदन लाल वर्मा (डग) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र डग के ग्राम दुधालिया में दिनांक 10 फरवरी, 2002 को हुई ओलावृष्टि में नष्ट हुए पनवाड़ी उद्योग के लिये विभाग द्वारा मदद की जा रही है?

(2) क्या सरकार ने उक्त उद्योग की नष्ट हुई फसल का सर्वे किया है?

(3) क्या उक्त उद्योग के लिये बीज उपलब्ध कराने की कार्यवाही की गयी?

(4) पनवाड़ी उद्योग के लिये राहत हेतु बीज कब तक उपलब्ध हो जाएंगे?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र डग के ग्राम दुधालिया में दिनांक 10 फरवरी, 2002 को हुई ओलावृष्टि के नुकसान का सर्वे कृषि एवं उद्यान विभाग के संयुक्त दल द्वारा किया गया। सर्वे रिपोर्ट के अनुसार 13 पनवाड़ियों की 30-40 प्रतिशत फसल नष्ट होना पाया

(कृषि मंत्री)

गया। चूंकि इस प्रकार के प्राकृतिक आपदा से हुए नुकसान हेतु कृषकों को मदद करने के लिये विभाग में कोई वित्तीय प्रावधान नहीं है। पनवाड़ी उद्योग के लिये विभाग द्वारा तकनीकी मदद दी जा रही है।

(2) जी हां। कृषि एवं उद्यान विभाग की संयुक्त दल द्वारा सर्वे दिनांक 14.2.2002 को किया गया।

(3) पान की खेती कलमों से होती है। पान की खेती हेतु कृषकों को पौध रोपण सामग्री उपलब्ध कराने का वर्तमान में कोई कार्यक्रम विभाग द्वारा संचालित नहीं किया जा रहा है। राजस्थान राज्य बीज निगम एवं राष्ट्रीय बीज निगम द्वारा भी पान की पौध रोपण सामग्री का वितरण नहीं किया जाता है।

(4) पान की खेती हेतु पौध रोपण सामग्री कृषकों द्वारा स्वयं के स्तर से तैयार की जाकर बुवाई के लिये उपयोग में ली जाती है।

विधान सभा क्षेत्र डीग की क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत

210. श्री अरुण सिंह (डीग) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या सरकार डीग क्षेत्र की क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत इस वर्ष कराने की विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

(2) क्या डीग क्षेत्र की ग्रामीण सड़कों की मरम्मत हेतु सरकार ने इस वर्ष में राशि स्वीकृत की है? यदि हां, तो कितने किलोमीटर सड़कों की मरम्मत कराने का विचार है?

(3) क्या राज्य सरकार ने प्रत्येक क्षेत्र में 120 किलोमीटर सड़कें बनवाने की घोषणा की थी? उक्त में से कितने किलोमीटर सड़कों का निर्माण अब तक उक्त क्षेत्र में किया है?

(4) क्या राज्य सरकार ने इस वर्ष 2002-2003 के बजट में डीग क्षेत्र की सड़कों की मरम्मत हेतु राशि स्वीकृत की है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां। डीग क्षेत्र की ग्रामीण सड़कों की मरम्मत हेतु सरकार ने इस वर्ष 181.37 लाख रुपये की स्वीकृति प्रदान की है, जिसके अन्तर्गत 96.5 किलोमीटर सड़क लम्बाई में नवीनीकरण व पेच मरम्मत कराया जाना है।

(3) जी हां। डीग विधान सभा क्षेत्र में विधायक महोदय की अभिशंसा पर 56.5 किलोमीटर सड़क लम्बाई में सुदृढ़ीकरण एवं नवीनीकरण की स्वीकृति प्राप्त हुई है, जिनके कार्यादेश दिये जा चुके हैं तथा कार्य प्रगति में है।

(4) जी नहीं, वर्ष 2002-2003 के बजट अनुसार अभी कोई स्वीकृति प्राप्त नहीं हुई है, परन्तु सुदृढ़ीकरण व नवीनीकरण कार्यक्रम के द्वितीय चरण में वर्ष 2002-2003 के लिये 49.8 किलोमीटर समान लम्बाई में राशि 149.40 लाख रुपये के प्रस्ताव भेजे जा चुके हैं।

शिक्षा विभाग के प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत कर्मी

211. श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सरकार ने प्रतिनियुक्तियों पर रोक लगा रखी है? यदि हां, तो कब से?

(2) क्या यह भी सही है कि प्रतिनियुक्तियों पर रोक के बावजूद कई शिक्षक प्रतिनियुक्ति पर अन्य स्थानों पर कार्य कर रहे हैं? यदि हां, तो प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत शिक्षकों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या उक्त के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) जी नहीं। प्रतिनियुक्तियों पर रोक नहीं है।

(3) जी नहीं। प्रतिनियुक्ति शिक्षकों के विरुद्ध कार्यवाही का कोई प्रश्न ही नहीं है, क्योंकि प्रतिनियुक्ति पर रोक नहीं है।

छात्रावासों में अंशकालीन चौकीदारों को देय मानदेय

212. श्री शिवराम सिंह कुशवाह (धौलपुर) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा संचालित छात्रावासों में अंशकालीन चौकीदार रखने का प्रावधान है? यदि हां, तो अंशकालीन चौकीदार को कितना मानदेय भत्ता दिया जाता है?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त अंशकालीन चौकीदारों को छात्रों के लिए देय सुविधाओं में से मानदेय भत्ता दिया जाता है? यदि हां, तो क्यों?

(3) उक्त छात्रावासों में प्रति छात्र को कितनी सुविधा दी जाती है? क्या देय राशि की कटौती करने पर छात्रों की सुविधाओं में असुविधा उत्पन्न होती है?

(4) क्या सरकार अंशकालीन चौकीदार को स्थाई करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। अंशकालीन चौकीदार को 600/- रु. प्रतिमाह मानदेय भुगतान किया जाता है।

(2) अंशकालीन चौकीदार को छात्रावास संधारण बजट में से 600/- रु. मानदेय पृथक से स्वीकृत कर भुगतान किये जाते हैं।

(3) उक्त छात्रावासों में प्रति छात्र 675/- रु. प्रतिमाह साढ़े नौ माह के लिये दी जाती है, जिसमें भोजन, नाश्ता, विशेष भोजन, वस्त्र, जूते, मौजे, तौलिये, स्वेटर, तेल, साबुन, बाल कटिंग, चद्दर, खेश धुलाई व पत्र पत्रिकाएं आदि की सुविधा मैस समिति के माध्यम से उपलब्ध कराई जाती है तथा कक्षा 6 से 8 तक के छात्र/छात्राओं को 40/- रु. व कक्षा 9 से 12 तक के छात्र/छात्राओं को 60/- रुपये प्रति सत्र प्रति छात्र स्टेशनरी व फीस के लिए

(समाज कल्याण मंत्री)

एक मुश्त दी जाती है। छात्रावासों के छात्र/छात्राओं को निःशुल्क आवासीय सुविधा, बिस्तर, बर्तन आदि उपलब्ध कराये जाते हैं। छात्रों को देय सुविधाओं में से राशि की कटौती नहीं की जाती है।

(4) जी हां। अंशकालीन चौकीदार को नियमित करने सम्बन्धी कार्यवाही माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय दिनांक 29.3.1996 की अनुपालना में प्रक्रियाधीन है।

राजकीय चिकित्सालय, श्रीगंगानगर में पर्याप्त दवाओं की आपूर्ति

213. श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर) : क्या चिकित्सा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राजकीय चिकित्सालय, श्रीगंगानगर में विभिन्न रोगों के चिकित्सकों के पद काफी समय से रिक्त हैं? यदि हां, तो सरकार इन्हें कब तक भरने का विचार रखती है?

(2) क्या सरकार श्रीगंगानगर स्थित पुराने चिकित्सालय, में खाली पड़े भवन में मातृ शिशु वार्ड स्थापित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

(3) क्या यह सही है कि श्रीगंगानगर, स्थित क्षय रोग निवारण केन्द्र में गरीब लोगों हेतु निःशुल्क दवाइयों का अभाव चल रहा है? यदि हां, तो क्या सरकार इनकी नियमित आपूर्ति की व्यवस्था करने का विचार रखती है?

उत्तर

(1) राजकीय चिकित्सालय, श्रीगंगानगर में विभिन्न विषय विशेषज्ञों (वरिष्ठ विशेषज्ञ/कनिष्ठ विशेषज्ञ) के कुल 8 पद रिक्त हैं राजस्थान सरकार कार्मिक (क-2) विभाग के परिपत्र आदेश क्रमांक प. 4 (2) कार्मिक/क-2/अप्र/91 दिनांक 10.1.2002 के द्वारा किसी भी पद के लिए विभागीय पदोन्नति समिति का आयोजन अग्रिम आदेशों तक स्थगित है इसमें शिथिलता मिलने पर उक्त पदोन्नति वाले रिक्त पदों को विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक आयोजित होने के उपरान्त ही भरा जाना सम्भव हो सकेगा।

(2) श्रीगंगानगर स्थित पुराने चिकित्सालय के खाली पड़े भवन में मातृ शिशु वार्ड स्थापित करने के प्रस्ताव विभाग को प्राप्त हुए हैं जिस पर आवश्यक कार्यवाही कर निर्णय लिया जाना सम्भव हो सकेगा।

(3) जी नहीं। क्षय रोग निवारण केन्द्र, श्रीगंगानगर में क्षय रोगियों को निःशुल्क क्षय निरोधक दवाइयां उपलब्ध करवाई जा रही है।

जिला पाली में कुटीर ज्योति योजना के अन्तर्गत प्रदत्त विद्युत कनेक्शन

214. श्री हीरासिंह चौहान (रायपुर) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य में विद्युत नियामक आयोग के गठन के बाद पाली जिले में अनुसूचित जाति/जनजाति की किन-किन आवासीय कालोनियों में कुटीर ज्योति योजना के अन्तर्गत विद्युत से उनके आवासों को जोड़ा गया? संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

(श्री हीरासिंह चौहान)

(2) राज्य सरकार द्वारा कुटीर ज्योति योजना के अन्तर्गत वर्ष 2000-2001 तथा 2001-2002 में कितने-कितने लक्ष्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड, जोधपुर के अधीनस्थ पाली खण्ड को दिये ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त अवधि में तहसील क्षेत्र सोजत जैतारण, रायपुर तथा मारवाड़ जंक्शन में कितने-कितने कुटीर ज्योति के अन्तर्गत विद्युत कनेक्शन किस-किस गांव में कितने व्यक्तियों को दिये गये ? संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राज्य में विद्युत नियामक आयोग का गठन जनवरी, 2000 में हुआ तथा इसके बाद पाली जिले में वर्षवार कुटीर ज्योति योजना के अन्तर्गत जारी किये गये कनेक्शनों की सूची परिशिष्ट "अ" व "ब" में सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) पाली जिले में वर्ष 2000-2001 तथा 2001-2002 में क्रमशः 423 व 428 कुटीर ज्योति कनेक्शन दिये जाने का लक्ष्य रखा गया है।

(3) उक्त अवधि में तहसील सोजत, जैतारण, रायपुर तथा मारवाड़ जंक्शन (खारची) में दिये गये कुटीर ज्योति कनेक्शनों का संख्या विवरण परिशिष्ट "स" में सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(विवरण की प्रति विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

पंचायत समिति-ईटावा (कोटा) के ग्रामों के निर्माण कार्यों का भुगतान

215. श्री हेमन्त कुमार (दीगोद) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या सरकार ने मद संख्या 5054 द्वारा निर्माण कार्य बन्द कर दिया है ? क्या उक्त मद द्वारा कराए गये निर्माण कार्यों का भुगतान कर दिया गया ? यदि नहीं, तो कोटा जिले की पंचायत समिति-ईटावा के ग्राम बिनायका में नाली निर्माण कार्य तथा कैथरा से गुड़ला सड़क निर्माण कार्य के भुगतान की क्या व्यवस्था की गई ?

(2) अब कब तक उक्त का भुगतान करा दिया जाएगा ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। वित्तीय संसाधन उपलब्ध नहीं होने के कारण मद संख्या 5054 के निर्माण कार्यों को स्थगित कर दिया गया था। कोटा जिले की पंचायत समिति-ईटावा में ग्राम बिनायका में नाली निर्माण कार्य तथा कैथूदा से गुड़ला सड़क निर्माण पर कराये गये कार्यों का भुगतान कर दिया गया है।

(2) उपरोक्तानुसार।

परिशिष्ट-4

(अतारांकित प्रश्न संख्या-314 की सूची)

जिला भीलवाड़ा में स्वीकृत सेटेलाइट चिकित्सालय, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, रेफरल चिकित्सालय, राजकीय चिकित्सालय एवं उच्चीकृत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के चिकित्सा संस्थानों के नामों की सूची

क्र.सं.	चिकित्सा संस्थान का नाम
1.	सेटेलाइट चिकित्सालय, शाहपुरा
2.	उच्चीकृत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, आसीन्द
3.	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, माण्डल
4.	उच्चीकृत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, जहाजपुर
5.	उच्चीकृत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, पण्डेर
6.	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, गुलाबपुरा
7.	उच्चीकृत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, हमीरगढ़
8.	उच्चीकृत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, कोटड़ी
9.	उच्चीकृत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, बाछोता
10.	उच्चीकृत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, रायपुर
11.	उच्चीकृत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, बनेड़ा
12.	उच्चीकृत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, बिजोलिया कलां
13.	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, गंगापुर
14.	राजकीय चिकित्सालय, माण्डलगढ़
15.	राजकीय चिकित्सालय, सहाड़ा

परिशिष्ट-5

(अतारांकित प्रश्न संख्या-316 की सूची)

दिनांक 1 जनवरी से 28 फरवरी, 2002 तक बी. पी. एल. मरीजों के लगे वाल्वों का विवरण

क्र.सं.	नाम	स्थान	वाल्व का नाम	दिनांक आपरेशन	वाल्व कम्पनी का नाम
1	2	3	4	5	6
1.	अब्दुल रसीद/शाहुला खाना	कोटा	मेडट्रेक	1.11.2000	मेट्रोनिक
2.	निर्भयलाल/बदरीलाल	चित्तौड़गढ़	वेडमेड	22.11.2000	काबोमेडिक्स
3.	मुकेश/रामदयाल	टोंक	यथा	6.12.2000	यथा
4.	कु. शीला/शिवसिंह	धौलपुर	यथा	1.1.01	यथा
5.	मगलिश/बदरी	बीकानेर	यथा	1.1.01	यथा
6.	रामस्वरूप/मोदूराम	जयपुर	मेडट्रेक	4.1.01	मेट्रोनिक
7.	रेशमराम/सुखराम	फलौदी	यथा	29.1.01	यथा
8.	शलिम/जेतुल	जैतारण	वेडमेड	1.2.01	काबोमेडिक्स
9.	मुरारीलाल/मदनलाल	भीलवाड़ा	यथा	3.2.01	यथा
10.	श्यामस्वरूप, जगन्नाथ	कोटा	यथा	22.2.01	यथा
11.	गोवर्धन/मांगीलाल	ईडोली	यथा	24.2.01	यथा
12.	संतोष/मन्नीराम	चिड़ावा	मेडट्रेक	26.2.01	मेट्रोनिक
13.	गणपत/परमाराम	बीकानेर	यथा	5.3.01	यथा
14.	सुनील/श्रीराम	राजगढ़	वेडमेड	9.3.01	काबोमेडिक्स
15.	दशरथ/रामनारायण	टोंक	यथा	10.3.01	यथा
16.	रमेश/जग्गा	भीलवाड़ा	मेडट्रेक	12.3.01	मेट्रोनिक
17	प्रभुराम/शोभाराम	चूरू	वेडमेड	26.3.01	काबोमेडिक्स
18	जमीला/हमीहुल्ला	झालावाड़	मेडट्रेक	7.3.01	मेट्रोनिक
19.	बिदामी/परसीराम	सीकर	मेडट्रेक	23.3.01	यथा
20.	मीराकुमार/कैलाश	भीलवाड़ा	यथा	15.3.01	यथा
21.	गजेन्द्र/पारसलाल	हनुमानगढ़	यथा	31.3.01	यथा
22.	शिवकेश/धीमन	सवाई-माधोपुर	यथा	9.4.01	यथा

1	2	3	4	5	6
23.	रामचरण/सूरज	अलवर	यथा	17.3.01	यथा
24.	गुड्डी/निर्मल सिंह	हनुमानगढ़	यथा	26.4.01	यथा
25.	जगदीश/धन्नीराम	भरतपुर	यथा	23.4.01	यथा
26.	गीता/गणेशलाल	उदयपुर	यथा	21.4.01	यथा
27.	ओमप्रकाश/गणेशराम	अलवर	वेडमेड	20.4.01	काबोमेडिक्स
28.	इस्लामुद्दीन/बदुरूद्दीन	सवाईमाधोपुर	यथा	21.3.01	यथा
29.	दयाराम/नराराम	यथा	यथा	22.3.01	यथा
30.	रामकुमार/पूसाराम	नौखा हनुमानगढ़	मेडट्रेक	4.4.01	मेट्रोनिक
31.	मुकेश क./कन्हैयालाल	भीलवाड़ा	वेडमेड	12.4.01	काबोमेडिक्स
32.	खोमाराम/मांगूराम	पाली	मेडट्रेक	20.4.01	मेट्रोनिक
33.	सुरजाराम/मूलाराम	बीकानेर	वेडमेड	10.4.01	काबोमेडिक्स
34.	लूनाराम/मुकनाराम	बाड़मेर	यथा	10.4.01	यथा
35.	लालकुमार/गोपाल सिंह	झालावाड़	मेडट्रेक	20.4.01	मेट्रोनिक्स
36.	पीलसिंह/नवरंग सिंह	चूरू	वेडमेड	1.5.01	काबोमेडिक्स
37.	शिवकुमार/बाबूलाल	करौली	यथा	4.3.01	यथा
38.	देवाराम/नाथूलाल	पाली	मेडट्रेक	18.5.01	मेट्रोनिक
39.	लक्ष्मीदेवी/बंशीलाल	उदयपुर	वेडमेड	30.4.01	काबोमेडिक्स
40.	शबाना/मुशर्रफ	यथा	मेडट्रेक	9.5.01	मेट्रोनिक
41.	कृष्णा/शिवसिंह	पाली	मेडट्रेक	2.5.01	मेट्रोनिक
42.	अंनरीदेवी/डोलीराम	पावटा	यथा	7.5.01	यथा
43.	पुष्पाकंवर/दुर्गासिंह	कोटा	यथा	31.5.01	काबोमेडिक्स
44.	लक्ष्मणदास/मांगूदास	भीलवाड़ा	वेडमेड	28.5.01	यथा
45.	संदीप/भगवत प्रसाद	झुंझुनूं	मेडट्रेक	26.5.01	मेट्रोनिक
46.	गुड्डी/जगदीश	करौली	वेडमेड	21.5.01	काबोमेडिक्स
47.	पुष्करलाल/वर्दीराम	राजसमन्द	वेडमेड	19.5.01	यथा
48.	लाभचन्द/	चित्तौड़गढ़	यथा	17.5.01	यथा
49.	कैरला/मोहनलाल	सवाईमाधोपुर	यथा	7.6.01	यथा
50.	गिता/केसराराम	हनुमानगढ़	मेडट्रेक	6.6.01	मेट्रोनिक

1	2	3	4	5	6
51.	अरसदवानो/निजाम	सीकर	यथा	19.5.01	यथा
52.	शारदा/राजेश	अलवर	यथा	1.5.01	यथा
53.	संतोष/मुन्नाराम	जयपुर	यथा	15.3.01	यथा
54.	प्रेमचन्द/राधेश्याम	फागी	यथा	27.6.01	यथा
55.	रामकरण/बन्नाराम	जयपुर	यथा	27.6.01	यथा
56.	अब्दुल रसीद/अब्दुल सलीम	जोधपुर	यथा	6.6.01	यथा
57.	अंकुरी/मोहनसिंह	हनुमानगढ़	वेडमेड	14.6.01	काबोमेडिक्स
58.	भंवरलाल/कालूराम	झालावाड़	यथा	23.7.01	यथा
59.	राजूलाल/बाबूराम	यथा	यथा	21.6.01	यथा
60.	मनीयादेवी/ओमप्रकाश	अलवर	यथा	31.7.01	यथा
61.	कमला/प्यारेलाल	करौली	यथा	21.7.01	यथा
62.	फूलाबाई/नाथूलाल	बून्दी	यथा	19.7.01	यथा
63.	शिवसिंह/लक्ष्मण सिंह	उदयपुर	यथा	30.6.01	यथा
64.	अन्नाराम/मांगूलाल	नगर	यथा	30.7.01	यथा
65.	मंगलसिंह/फूलाराम	हनुमानगढ़	मेडट्रेक	25.7.01	मेट्रोनिक्स
66.	कुटीटू/सत्यनारायण	जयपुर	वेडमेड	5.7.01	काबोमेडिक्स
67.	रामनाथ/गणेशनाथ	बीकानेर	मेडट्रेक	10.8.01	मेट्रोनिक्स
68.	ईसाखखान/अल्पखान	जैसलमेर	यथा	17.8.01	यथा
69.	सहनाद/सलीम	बीकानेर	यथा	27.7.01	यथा
70.	मधु/मुकददास	करौली	यथा	7.8.01	यथा
71.	मातादीन/कृष्णाकांत	यथा	यथा	13.6.01	यथा
72.	गोपालचंद/देवीलाल	अलवर	यथा	7.8.01	यथा
73.	बलेदव/वसूराम	करौली	यथा	31.7.01	यथा
74.	छीतरमल/गंगाराम	टोंक	यथा	13.8.01	यथा
75.	मिसरीदेवी/दाताराम	सीकर	यथा	20.7.01	यथा
76.	केसरपुरी/कृष्णापुरी	उदयपुर	वेडमेड	8.5.01	काबोमेडिक्स
77.	पिन्टूदेवी/फूलाराम	कोटपूतली	यथा	7.6.01	यथा
78.	शांतीदेवी/रमेश	सीकर	यथा	13.7.01	यथा

1	2	3	4	5	6
79.	प्रेमलाल/मथुरालाल	कोटा	यथा	21.8.01	यथा
80.	संदीप/सोहनलाल	हनुमानगढ़	मेडट्रेक	31.8.01	मेट्रोनिक्स
81.	सुनिता/मन्नालाल	सीकर	वेडमेड	28.8.01	काबोमेडिक्स
82.	भंवरकंवर/प्रवीण सिंह	डूंगरपुर	यथा	24.8.01	यथा
83.	हेमलता/सीताराम	झालावाड़	यथा	18.9.01	यथा
84.	मुंशीराम/गोपालराम	चूरू	यथा	23.9.01	यथा
85.	मुबीना/जहुरअहमद	टोंक	यथा	25.9.01	यथा
86.	महेन्द्र/मुन्नीलाल	पाली	वेडमेड	14.9.01	काबोमेडिक्स
87.	दिनेश/कालूराम	जयपुर	यथा	28.8.01	यथा
88.	आशा/बदरीलाल	चित्तौड़गढ़	यथा	2.7.01	यथा
89.	उमरलाल/हरीसिंह	झालावाड़	यथा	13.6.01	यथा
90.	चंदादेवी/गणेशराम	सीकर	मेडट्रेक	1.6.01	मेट्रोनिक्स
91.	तारा/अलमवीर	करौली	यथा	8.5.01	यथा
92.	रामचन्द्र/कृष्णराम	सीकर	वेडमेड	18.8.01	काबोमेडिक्स
93.	मधुलिका/रामचंदर	यथा	यथा	29.3.01	यथा
94.	अंजू/राधेश्याम	अलवर	मेडट्रेक	4.4.01	मेट्रोनिक्स
95.	रविना/अमीन	बीकानेर	वेडमेड	16.9.01	काबोमेडिक्स
96.	दिनेश/धन्ना	उदयपुर	मेडट्रेक	30.6.01	मेट्रोनिक्स
97.	कृष्णादेवी/राजसिंह	यथा	यथा	8.6.01	यथा
98.	रामकरण/जयराम	यथा	वेडमेड	18.8.01	काबोमेडिक्स
99.	गुड्डी/राजूराम	गंगापुर	मेडट्रेक	10.7.01	मेट्रोनिक्स
100.	केसुमा/धर्माराम	पाली	वेडमेड	19.9.01	काबोमेडिक्स
101.	मनोहरलाल/घीसीलाल	बूंदी	यथा	6.11.01	यथा
102.	कमला/श्रीनारायण	यथा	यथा	28.9.01	यथा
103.	चम्पा/जौहरीलाल	झालावाड़	यथा	6.7.01	यथा
104.	रतनबाई/रामदास	करौली	यथा	14.8.01	यथा
105.	रिछपाल/औंकार	जयपुर	यथा	8.10.01	यथा
106.	मथुरादेवी/माधोराम	जालौर	यथा	1.11.01	यथा

1	2	3	4	5	6
107.	कान्तीबाई/सुखदेव	बूंदी	यथा	3.9.01	यथा
108.	किरण/बाबूलाल	भरतपुर	यथा	20.6.01	यथा
109.	किशन/रामदेव	बूंदी	यथा	19.9.01	यथा
110.	मदीना/मुखादीम	करौली	मेडट्रेक	7.8.01	मेट्रोनिक्स
111.	कृष्णकुमार/बलराम	हनुमानगढ़	वेडमेड	31.10.01	काबोमेडिक्स
112.	शीला/रामवीर सिंह	करौली	यथा	18.8.01	यथा
113.	भगवती/भैंरूलाल	झालावाड़	यथा	24.11.01	यथा
114.	सुन्दर/बोलाराम	पाली	मेडट्रेक	26.9.01	मेट्रोनिक्स
115.	मायादेवी/गिरीराज	करौली	वेडमेड	27.10.01	काबोमेडिक्स
116.	दयाराम/भंवरलाल	यथा	यथा	28.9.01	यथा
117.	शोभना/गंगाराम	जालौर	यथा	19.11.01	यथा
118.	खम्बादेवी/शम्भूराम	जोधपुर	यथा	6.11.01	यथा
119.	संतोष/रामसिंह	उदयपुर	यथा	7.9.01	यथा
120.	गोगादेवी/केसवलाल	बीकानेर	मेडट्रेक	25.1.02	मेट्रोनिक्स
121.	गोविन्द/सांवरलाल	झुंझुनूं	वेडमेड	27.12.01	काबोमेडिक्स
122.	भंवरलाल/जगन्नाथ	भीलवाड़ा	मेडट्रेक	7.9.01	मेट्रोनिक्स
123.	लीलाबाई/अम्मबालाल	चित्तौड़गढ़	वेडमेड	26.7.01	काबोमेडिक्स
124.	साथी/सरदारा	राजगढ़	यथा	2.9.01	यथा
125.	राकेश/छोटूराम	झुन्झुनूं	यथा	5.12.01	यथा
126.	रमकू/बेडाराम	जालौर	मेडट्रेक	18.9.01	मेट्रोनिक्स
127.	श्यामसुन्दर/कुशीराम	करौली	वेडमेड	7.2.02	काबोमेडिक्स
128.	शान्ति देवी/मदनलाल	दौसा	मेडट्रेक	10.12.01	मेट्रोनिक्स
129.	हरीश/मांगूराम	बाड़मेर	वेडमेड	5.2.02	काबोमेडिक्स
130.	लक्ष्मी/शंकरलाल	पाली	मेडट्रेक	27.12.01	मेट्रोनिक्स
131.	बेतोनी/दीनूर	अलवर	वेडमेड	3.1.02	काबोमेडिक्स
132.	शान्ति/हरदेव	नागौर	यथा	15.1.02	यथा
133.	सारादेवी/चुन्नीलाल	राजसमन्द	यथा	17.1.02	यथा
134.	जमीला/हाकिम	अलवर	यथा	23.1.02	यथा

परिशिष्ट-6

परिशिष्ट "अ"

(अतारांकित प्रश्न संख्या-317 का विवरण)

राजकीय अमृत कौर चिकित्सालय, ब्यावर में स्टाफ के रिक्त पदों की रिक्त अवधि सहित सूची

क्र.सं.	पद नाम	रिक्त पदों की संख्या	रिक्ति की अवधि
1	2	3	4
1.	वरिष्ठ विशेषज्ञ	2 (शिशुरोग	1.9.2001
		अस्थिरोग)	1.12.2001
2.	उप नियंत्रक	1	जून, 2001
3.	वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी	1	अक्टूबर, 2001
4.	चिकित्सा अधिकारी	1	1.11.2001
5.	जिला नर्सिंग अधीक्षक	1	1.12.1994
6.	नर्सिंग अधीक्षक श्रेणी प्रथम	1	1.9.1999
7.	नर्सिंग अधीक्षक श्रेणी द्वितीय	1	1.8.2000
8.	नर्स श्रेणी प्रथम	15	1.7.2001
			1.8.1994
			2.12.1994
			3.12.1994
			4.5.1997
			9.1998
			6.10.98
			7.12.98
			8.12.98
			9.2.2000
			10.1.2001
			11.2.2001
			12.3.2001
			13.1.2002
			14.6.1997

1	2	3	4
9.	नर्स श्रेणी द्वितीय	1	3.3.2001
10.	कार्यालय सहायक	1	1.1.2002
11.	कनिष्ठ लिपिक	1	1.12.2001
12.	वाहन चालक	1	1.2.2002
13.	दर्जी	1	1.3.1998
14.	जमादार	7	1.5.1995
			2.1.1996
			3.8.1996
			4.8.1996
			5.2.2000
			6.2.2000
			7.4.2001
15.	वार्ड बाय	13	1.6.1999
			2.2.2001
			3.3.2001
			4.3.2001
			5.6.2001
			6.9.2001
			7.10.2001
			8.1.2002
			9.1.2002
			10.1.2002
			11.1.2002
			12.2.2002
16.	कुक	1	1.12.2001
17.	धोबी	1	18.2.2000
18.	परिवार कल्याण कार्यकर्ता	1	—

परिशिष्ट-7

प्रपत्र "अ"

(अतारांकित प्रश्न संख्या-320 का विवरण)

क्र.सं.	सड़क का नाम	मद	1994-1995	1995-1996	1996-1997	1997-1998	1998-1999	कुल योग
1.	बौली से लाखनपुर ग्रेवल कार्य	1. जे. आर. वाई.	2.43	0.52	0.17	—	—	3.12
2.	डब्ल्यू. बी. एम. का कार्य	2. ई. ए. एस.	—	—	0.99	5.71	1.15	7.85
3.	घाटी कुटाई का कार्य	3. एमपीएलएडी.	—	—	2.09	—	1.74	3.83
	योग		2.43	0.52	3.25	5.71	2.89	14.80

परिशिष्ट 8

(अतारांकित प्रश्न संख्या-326 की सूची)

(जिला पाली) "सूची"

क्र.सं.	सड़क का नाम	स्वीकृत लम्बाई (किमी. में)	स्वीकृत राशि (लाखों में)	वि.वि.
1.	नयागांव से कोट किमी. 0/0 से 3/0	3.00	7.50	
2.	आउवा बांता वाया केरडी किमी. 13/0 से 16/0	3.00	6.00	
3.	सम्पर्क सड़क फुलाद किमी. 0/0 से 1/0	1.00	8.00	
4.	बसनी जोजावर 0/0 से 2/0	2.00	5.00	
5.	सम्पर्क बागोडा गांव 0/0 से 2/0	2.00	4.00	
6.	मारवाड़ जंक्शन भगवानपुरा रोड 0/0 से 3/0	3.00	7.50	
7.	लिंक रोड खारची 0/0 से 2/0	2.00	4.00	
8.	नागा की बेरी से मारवाड़ जंक्शन रेलवे फाटक से हेमलियावास	3.00	10.00	
9.	सम्पर्क गुडा सुरसिंह 0/0 से 1/0	1.00	2.50	
10.	सम्पर्क ईसाली वाया जानुदा 0/0 से 2/0	2.00	5.00	
11.	सम्पर्क सड़क डायलाना 0/0 से 10/0	2.00	4.00	
12.	सम्पर्क सड़क कोलर बाई पास 0/0 से 1/0	1.00	2.00	
13.	गुडा मोखमसिंह से गुडा केसरसिंह 0/0 से 3/0	3.00	7.50	
14.	मांडा से राणावास वाया ठाकरावास 5/0 से 10/0	5.00	10.00	
15.	धामली फाटक से गुडा मोखमसिंह 10/0 से 17/800	7.80	22.00	
16	लिंक रोड हेमलिया वास 0/0 से 0/550	0.55	1.50	
17.	लिंक रोड राणावास से राणावास स्टेशन 0/0 से 0/650	0.65	1.50	
18.	गुढ़ा ठाकुरजी से सिवास 0/0 से 3/0	3.00	7.50	
19.	खारची चौराहा से बारसा	6.00	12.00	
20.	बागोल से खिंवाडा 15/0 से 17/0	2.00	5.00	
21.	कोट दिवेर रोड 3/0 से 5/0	2.00	5.00	
22.	सोमेसर से खिंवाड़ा 15/0 से 18/0	3.00	7.50	
23.	नाडोल घेनड़ी रोड 8/0 से 10/0	2.00	5.00	
	योग	60.00	150.00	

परिशिष्ट-9

प्रपत्र "अ"

(अतारांकित प्रश्न संख्या-327 का विवरण)

USA NO. 2002 AWM IMMEDIATE

OFFICE OF THE CHIEF ENGINEER (ROADS), P.W.D., RAJASTHAN, JAIPUR

No. CE (R)/F.1/P&M-II/1072. 20th Aug., 1999.

1. The Addl. Chief Engineer, P.W.D. Region...............(all)
2. The Suptdg. Engineer, P.W.D., Circle................(all)
3. The Executive Engineer, P.W.D. Dn...............(all)

Sub. :—Preparation of road charts and renewal programme as per renewal cycle.

Sir,

As you are aware that the following minimum renewal cycle is maintained on BT roads in PWD Rajasthan :—

(i)	State Highways	6 to 8 years
(ii)	M.D. Rs.	8 to 10 years
(iii)	ODRs / VRs	10 to 12 years
(iv)	Urban roads	4 to 5 years

2. A decision has now been taken to prepare the linear road charts and renewal programme of the following roads i.e. State Highways, MDRs, ODRs and VRs. The linear chart showing the total length of the road to be renewed yearwise, distinctly marking name of Kms. in each year to be renewed. This exercise is to be done w.e.f. current year i.e. 1999-2000. As such, you are directed to please immediately take up this work and prepare the road linear charts and programme for renewals each year, so as to completely cover the entire length of that particular road.

3. This information be prepared districtwise, road categorywise and yearwise. Additional funds allotment @10% every year may please be

considered for planning purpose, in respect of 3054-Repairs & Maintenance head only. The information to be supplied by you is to be fed in computor, so that, detail of each road is readily available. This information is to be collected Regionwise and is to be furnished by the Addl. Chief Engineer of every region by 7.9.1999.

4. The proforma is enclosed for preparing the renewal programme. linear chart of each road indicating the yearwise renewal programme must accompany the details.

Encl :– A/a.

Yours faithfully,

(G.L. Goyal)

CHIEF ENGINEER (ROADS)

प्रपत्र "ब"

वर्ष 1999 से फरवरी, 2002 तक राज्य में नवीन सड़क निर्माण/सड़कों की मरम्मत एवं रख-रखाव की स्वीकृत राशि का विवरण

क्र.सं.	मद का नाम	1999-2000 स्वीकृत राशि (लाखों में)	2000-2001 स्वीकृत राशि (लाखों में)	2001-2002 स्वीकृत राशि (लाखों में)
1	2	3	4	5
1.	एमएन (जनरल)	–	–	467.00 125.50
2.	सी.आर.एफ.	–	5353.00	–
3.	आई.जी.एन.पी. (सीएडी)	–	293.00 46.66	–
4.	खनन एवं धातु	–	–	–
5.	बार्डर रोड 5054	–	–	–
6.	अरबन रोड	462.00 1474.40 172.00	700.00 690.00 30.00	–
7.	स्टेट हाइवे	1886.00 222.50 62.50	–	–

1	2	3	4	5
8.	एस.एम. एण्ड आर.	13.00 1863.00 155.00	—	—
9.	नाबार्ड	881.87	—	—
10.	बी.एम.एस.पी.	1433.31 1547.50	2984.00 (पीएमजीएसवाई के अन्तर्गत)	
11.	पी.एम.जी.एस.वाई.	—	11025.00	26305.00
12.	नाबार्ड (आरयूपी-7)	—	—	28571.00 I 1657.27 II
13.	मरम्मत एवं रख-रखाव	6790.00	7843.68	4500.00

प्रपत्र "स"

हिण्डौली विधान सभा क्षेत्र में चालू कार्यों की सूची

क्र.सं.	सड़क का नाम	योजना का नाम	स्वीकृत लागत (लाखों में)	कार्य प्रारम्भ होने की तिथि	विवरण
1	2	3	4	5	6
1.	सम्पर्क सड़क रानीपुरा	प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना	16.20	17.3.2001	
2.	सम्पर्क सडक रोनीजा	प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना	33.85	17.3.2001	
3.	सम्पर्क सड़क रैन	प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना	35.00	17.6.2001	
4.	सम्पर्क सड़क दरा का नयागांव डाबेटा	प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना	153.50	26.1.2002	
5.	सम्पर्क सड़क हुवालिया	प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना	69.17	28.1.2002	
6.	भेण्डी गोठडा सड़क किमी. 11/0 से 16/0	आर. यू. पी. I	18.75	21.3.2002	
7.	बूंदी से दबलाना सड़क किमी. (11/0 से 15/0, 20/0 से 22/0)	आर. यू. पी. I	17.35	21.3.2002	

1	2	3	4	5	6
8.	सथूर शक्करगढ़ सड़क (10/0 से 13/0 एवं 24/0 से 27/0)	आर. यू. पी. I	20.40	21.3.2002	
9.	गुढ़ा गोकुलपुरा थाना सड़क (1 किमी)	आर. यू. पी. I	3.40	21.3.2002	
10.	बूंदी चित्तौड़ सड़क (किमी. 16, 17, 20)	आर. यू. पी. I	17.10	21.3.2002	
11.	काछोला से ओडन्दा सड़क 1 किमी.	आर. यू. पी. I	3.40	—	कृ.उ.मं. के अन्तर्गत
12.	सम्पर्क सड़क खैंरूणा	आर. यू. पी. I	9.00	—	"
13.	सम्पर्क सड़क बड़ा नया गांव	आर. यू. पी. I	3.00	—	"
14.	बीचडी से चेता सड़क	आर. यू. पी. I	6.00	—	"
15.	सम्पर्क सड़क अलोद	आर. यू. पी. I	6.00	—	"
16.	धोवडा से मेण्डी सड़क	आर. यू. पी. I	3.40	—	"
17.	धनाव से रामेश्वर महादेव सड़क	आर. यू. पी. I	9.00	—	"
18.	मेघरावत की झोपड़िया से खीन्या सड़क	आर. यू. पी. I	20.00	—	"
प्रस्तावित कार्यों की सूची					
1.	सम्पर्क सड़क नेत	प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना	187.00	—	—
2.	सम्पर्क सड़क विषधारी	प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना	37.50	—	—
3.	सम्पर्क सड़क सूहरी	प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना	41.00	—	—
4.	सम्पर्क सड़क त्रिशूलिया	प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना	64.50	—	—
5.	सम्पर्क सलाथलिया	प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना	25.00	—	—
6.	सम्पर्क ढगारिया	प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना	53.30	—	—

परिशिष्ट-10

परिशिष्ट "क"

(अतारांकित प्रश्न संख्या-328 के नोटिफिकेशन की प्रति)

[बिन्दू सं.-1]

+27-C. Notwithstanding anything contained to the contrary in substantive part of rule 27, the seniority of persons appointed as Lower Division Clerks in a Department under rule 24B shall be determined in order in which they have been placed in the list prepared by the Commission under rule 24B, but such persons shall rank junior to the persons appointed in a Department as a result of the competitive examination conducted by the Commission prior to conducting the special recruitment examination for the retrenched employees of the Census Department.

L 27-CC. Subject to the provisions contained in rule 27, in case powers of Appointing Authority have been delegated by the Head of the Department concerned with the approval of the Goverment to the District/Divisional/Zonal/Regional/Range level authority for appointment and/or promotion to the categories of posts of Ministerial cadre of a Department, the seniority of persons appointed by such an authority shall be determined on the basis of District/Divisional/Zonal/Regional/Range basis :

Provided that in case such persons are transfered by the Head of Department concerned from District/Division/Zone/Region/Range/ Department to another District/Division/Zone/Region/Range/Department on the same post in accordance with the provisions contained in proviso (i) sub-rule (1) of rule 7 or on higher posts in accordance with the provisions contained in sub-rule (2) of rule 27, as the case may be, the official so transfered shall continue to retain his lien, seniority and right of promotion in his parent District/Division/Zone/Region/Range/ Department and in case such persons attain the age of superannuation while working in another District/Division/Zone/Region/Department, the vacancy caused by their retirement shall, for the purpose of appointment and promotions be deemed to have occurred in their parent District/Division/Zone/Region/ Range/Department, as the case may be.

+ Added vide Notification No. F. 3(9) DOP/A-II/82 dated 30-3-1982.

L Added vide Notification No. F.3 (7) DOP/A-II/82 dated 31.8.1982, effective from 30.6.1957.

परिशिष्ट-11

(अतारांकित प्रश्न संख्या-330 का विवरण)

विधान सभा क्षेत्र दानपुर के व्या. के स्वीकृत एवं रिक्त पदों का विवरण

क्र.सं.	विद्यालय का नाम	विषय व्या. स्वीकृत पद	कुल स्वीकृत पद	व्या. के रिक्त पद
1	2	3	4	5
1.	रा.उ.मा.वि. बडोदिया	हिन्दी-3 अंग्रेजी-3 संस्कृत-2 कृषि-2 अर्थ शास्त्र-2 राज. विज्ञान-2	14	हिन्दी-2 अंग्रेजी-1 संस्कृत-1 कृषि-1
2.	रा.उ.मा.वि. कलिजरा	हिन्दी-2 अंग्रेजी-1 राज. विज्ञान-1 इतिहास-1	5	..शून्य..
3.	रा.उ.मा.वि. करजी	हिन्दी-1 अंग्रेजी-1 संस्कृत-1 भूगोल-1 इतिहास-1	5	संस्कृत-1 भूगोल-1
4.	रा.उ.मा.वि. छींच	हिन्दी-2 अंग्रेजी-1 संस्कृत-1 चित्रकला-1	5	संस्कृत-1 चित्रकला-1
5.	रा.उ.मा.वि. तलवाड़ा	हिन्दी-3 अंग्रेजी-3 संस्कृत-2 राज. विज्ञान-2 अर्थशास्त्र-1 भूगोल-1 चित्रकला-1 कृषि-2	15	संस्कृत-2 चित्रकला-1 कृषि-2

1	2	3	4	5
6.	राउमावि. सुरवानिया	हिन्दी-1 अंग्रेजी-1 संस्कृत-1 भूगोल-1	4	संस्कृत-1 भूगोल-1
7.	राउमावि. नवागांव	हिन्दी-1 अंग्रेजी-1 संस्कृत-1 भूगोल-1	4	..शून्य..
8.	राउमावि. दानपुर	हिन्दी-2 अंग्रेजी-1 इतिहास-1 राज.वि.-1	5	अंग्रेजी-1
9.	राउमावि. खान्दूकोलोनी	भौतिक शा.-1 रसा. शा.-1 जीव वि.-1 गणित-1 वाणिज्य-3 इतिहास-1 अर्थ शा.-1 राज. विज्ञान-1 हिन्दी-2 अंग्रेजी-2 शा. शि-1	15	अर्थ शा.-1
10.	राबाउमावि. ठिकरिया	हिन्दी-1 अंग्रेजी-1 राज . वि.-1 गृह वि.-1 संस्कृत-1	5	गृह वि.-1 संस्कृत-1
		कुल	77	20

परिशिष्ट-12

(अतारांकित प्रश्न संख्या-331 का विवरण)

व्याख्याता जो एस.डी.आई. के पद पर कार्यरत हैं का विवरण

क्र.सं.	नाम	आदेश	दिनांक	चयन का प्रकार
1	2	3	4	5
1.	श्री राजकुमार जैन	शिविरा/प्रारम्भ/संस्था राजपत्रित/2001	8.1.2001	तदर्थ
2.	श्री अरुण कुमार सनाढ्य	शिविरा/प्रारम्भ/संस्था राज/16203/01	29.1.2001	पाते वेतन
3.	श्री ललित शंकर शर्मा	शिविरा/प्रारम्भ/संस्था राज/16203/01	29.1.2001	आरपीएससी
4.	श्री धन्ना राम	शिविरा/प्रारम्भ/संस्था राज/16203/01	29.1.2001	डीपीसी
5.	श्री रमेश चन्द्र पुरोहित	शिविरा/प्रारम्भ/संस्था राज/16203/01	29.1.2001	डीपीसी
6.	श्री प्रीतम सिंह चौहान	शिविरा/प्रारम्भ/संस्था राज/16203/01	29.1.2001	डीपीसी
7.	श्री शैलेन्द्र कुमार गुर्जर	शिविरा/प्रारम्भ/संस्था राज/16203/01	18.4.2001	तदर्थ
8.	श्री कालूराम वर्मा	शिविरा/प्रारम्भ/संस्था राज/16203/01	18.4.2001	तदर्थ
9.	श्री श्याम सुन्दर खण्डेलवाल	शिविरा/प्रारम्भ/संस्था राज/16203/01	18.4.2001	तदर्थ
10.	श्री घासीराम बामणिया	शिविरा/प्रारम्भ/संस्था राज/16203/01	18.4.2001	तदर्थ
11.	श्री मेघराज पाटीदार	शिविरा/प्रारम्भ/संस्था राज/16203/01	3.5.2001	पाते वेतन
12.	श्री अमृत लाल सोलंकी	शिविरा/प्रारं/संस्था राज/16203/01	9.5.2001	डीपीसी
13.	श्रीमती शांति दिवाकर	शिविरा/प्रारं/संस्था राज/16203/01	9.5.2001	आरजीएससी
14.	श्री अरविन्द कुमार	शिविरा/प्रारं/संस्था राज/16203/01	24.5.2001	डीपीसी
15.	श्री धनपाल दोसी	शिविरा/प्रारं/संस्था राज/16203/01	26.5.2001	पाते वेतन
16.	श्री मुकीम खां शेख	शिविरा/प्रारं/संस्था राज/16203/01	26.5.2001	पाते वेतन

1	2	3	4	5
17.	श्री मदन लाल विजयवर्गीय	शिविरा/प्रारम्भ/संस्था राजपत्रित/16203/01	27.7.2001	कार्यग्रहण नहीं किया
18.	श्री कृष्ण आचार्य	शिविरा/प्रारम्भ/संस्था राजपत्रित/16203/01	13.9.2001	डीपीसी
19.	श्री ओमप्रकाश शर्मा	शिविरा/प्रारम्भ/संस्था राजपत्रित/16211/01	25.9.2001	आरपीएससी
20.	श्री कृष्णकान्त जाजू	शिविरा/प्रारम्भ/संस्था राजपत्रित/16203/01	19.10.2001	पाते वेतन
21.	श्री विनोद प्रसाद शर्मा	शिविरा/प्रारम्भ/संस्था राजपत्रित/16203/01	5.11.2001	डीपीसी
22.	श्री गोवर्धन स्वामी	शिविरा/प्रारम्भ/संस्था राजपत्रित/16203/01	18.12.2001	पाते वेतन
23.	श्री बजरंग सिंह राजपूत	शिविरा/प्रारम्भ/संस्था राजपत्रित/16203/01	17.1.2002	आरपीएससी
24.	श्री मदन लाल छींपा	शिविरा/प्रारम्भ/संस्था राजपत्रित/16211/01	30.1.2002	डीपीसी

परिशिष्ट-13

(अतारांकित प्रश्न संख्या-342 के आदेश की प्रति) JPR5-28

JAIPUR VIDYUT VITRAN NIGAM LIMITED
(COMMERCIAL WING).

No. JVVNL/ACE (C)/C.I./F.4(205)/Pt.I/D.1023 Dt. 10.7.2001

ORDER

Sub. : Release of domestic/non domestic connections in Urban & Rural Areas-Preparation of estimates.

On the subject, various orders in the past have been issued for releasing domestic & non-domestic connections in Urban and Rural areas. Orders No. 2625 dt. 12.9.1999 (CO-22), Comml.-447, Comml.-451, Comml.-452, Comml.-476, Comml.-498, Comml.-523 & Comml.-525 were for domestic category and Comml.-482 & Comml.-527 were for non-domestic category. Certain amount was fixed so as to prepare the similar estimates throughout the area, considering uniform rates.

The matter was reviewed and it was decided to revise these charges. Accordingly the following revised Fixed Charges shall be recovered for releasing domestic and non-domestic connections in Urban, Rural, Tribal Sub-Plan areas and Kachchi Basties with immediate effect :—

S. No.	Particualrs	Charges per connection
(I)	DOMESTIC CATEGORY (A) URBAN AREAS :	
(1)	For Colonies & Lands developed by JDA/UIT/Minicipality. Raj. Housing Board & Other local bodies.	Rs. 2000/-
(2)	Other Colonies and Undeveloped areas such as Co-Operative/Private colonies	Rs. 5000/-
(3)	All Kachchi Basties whether developed or undeveloped.	Rs. 2000/-

In areas as at Item-2 above, if the extension of lines is beyond 300 meters, above amount of Rs. 5000/- plus Rs. 120/-per metre for extension of three phase lines and Rs. 80/- per metre for single phase lines be also recovered.

(B) RURAL AREAS :

On and within Abadi land/area Rs. 1500/-

JPR5-28(Contd.)

Note : Beyond Abadi Land/Area, the cost towards excess line shall be charged @Rs. 150/- per meter for three phase lines and @Rs. 100/- per meter for single phase lines.

(C) TRIBAL SUB PLAN AREAS :

Tribal Sub plan areas where the LT lines have been drawn with the financial assistance from Tribal Development Deptt. Rs. 750/-

S.No.	Particulars	Charges per connection
(II)	NON-DOMESTIC CATEGORY :	
	(A) URBAN AREAS :	
(1)	For colonies and lands developed by Municipality JDA/UIT and Raj. Housing Board and Local bodies.	Actual cost of laying the service line or Rs. 3000/- whichever is higher.
(2)	Other colonies and un-developed areas such as CoOperative/private colonies etc.	Actual cost of laying the service line or Rs. 5000/- whichever is higher.
	(A) RURAL AREAS	Actual cost of laying the service line or Rs. 2000/- whichever is higher.

The above orders are issud in supersession to the previous order issued on the subject and shall be with immediate effect.

By order,

(A.C. Gupta)

Addl. Chief Engineer (Comml.)

परिशिष्ट "अ"

परिशिष्ट-14

(अतारांकित प्रश्न संख्या-345 का विवरण)

पंचायत समिति महुवा जिला दौसा में जले हुए ट्रांसफार्मरों की सूचना

क्र.सं.	गांव का नाम	लगे हुए ट्रांसफार्मर की क्षमता (के.वी.ए.)	जब से जला हुआ है उसकी तारीख	गांव में कुल उपभोक्ताओं की संख्या व श्रेणी	कितने उपभोक्ताओं ने पैसे जमा करवा दिये उनकी संख्या	गांव में बकाया रुपयों की सूचना
1.	तालचिई	63 KVA	20.1.2002	104 (DS+NDS)	—	273861/-
2.	लांगडीपुरा	25 KVA	20.10.2001	37 (DS+NDS)	—	32540/-
3.	कमालपुर	25 KVA	17.2.2002	12 (NDS+ISIP)	7	11155/-
4.	दूलापुरा	25 KVA	18.11.2001	17	8	15282/-
5.	हल्दैना	25 KVA	20.11.2001	56	21	91268/-
6.	गढ़ हिम्मत सिंह I	63 KVA	14.4.2001	105	71	116117/-
	II	63 KVA	6.4.2001	113	61	229627/-
	III	63 KVA	20.2.2002	10	4	47993/-
7.	बैनावड़	25 KVA	9.2.2002	76	8	111135/-
8.	गोपालगढ़	25 KVA	1.1,2002	62	10	95329/-
पं.स. बामनवास में जले हुए ट्रांसफार्मर का विवरण						
1.	भावड़	25 KVA	MAY, 2001	30DS 1 SIP	—	80043/-

परिशिष्ट-15

परिशिष्ट "अ"

(अतारांकित प्रश्न संख्या-348 का विवरण)

हराचारा योजना अन्तर्गत (स्पेशल स्कीम) में कुल वर्षवार प्राप्त आवेदनों का जिलेवार विवरण

क्र.सं.	जिले का नाम	वर्ष 1999-2000 (मार्च 2000 तक) कुल प्राप्त आवेदन	वर्ष 2000-2001 (मार्च 2001 तक) कुल प्राप्त आवेदन	वर्ष 2001-2002 फरवरी 2002 तक कुल प्राप्त आवेदन
1	2	3	4	5
1.	अजमेर	247	556	556
2.	अलवर	382	1427	1437
3.	बांसवाड़ा	3	31	34
4.	बारां	28	167	167
5.	बाड़मेर	1030	2244	2247
6.	भरतपुर	5	41	41
7.	भीलवाड़ा	247	609	754
8.	बीकानेर	88	226	455
9.	बून्दी	30	685	1035
10.	चित्तौड़गढ़	58	1753	1753
11.	चूरू	436	785	556
12.	दौसा	170	795	796
13.	धौलपुर	0	0	0
14.	डूंगरपुर	18	69	69
15.	जयपुर	596	5126	5263
16.	जैसलमेर	3	15	15
17.	जालौर	2790	4551	4610
18.	झालावाड़	31	123	127
19.	झुंझुनूं	1342	2720	2720
20.	जोधपुर	769	1233	1233
21.	कोटा	31	327	283
22.	नागौर	606	1854	1857
23.	पाली	502	1044	1042
24.	राजसमन्द	54	379	379
25.	सवाईमाधोपुर	58	283	280

1	2	3	4	5
26.	सीकर	968	3099	3099
27.	सिरोही	278	633	633
28.	श्रीगंगानगर	55	385	385
29.	टोंक	57	158	158
30.	उदयपुर	111	602	602
31.	हनुमानगढ़	90	588	588
32.	करोली	34	142	160
	योग	11117	32630	33334

परिशिष्ट "ब"

जोधपुर विद्युत वितरण निगम के क्षेत्रान्तर्गत पाली वृत के अधीनस्थ उपखण्ड चार हरावारा स्कीम व स्पेशल योजना के तहत जारी विद्युत कनेक्शन विवरण

क्र.सं.	उपखण्ड	जारी कनेक्शन संख्या
1.	सोजत सिटी	73
2.	सोजत रोड	96
3.	जैतारण	77
4.	पिपलियां कलां	41
5.	खारची	111
6.	रोहिट	13
7.	सुमेरपुर	52
8.	पाली	68
9.	फालना	68
10.	देसूरी	33
11.	रानी	73
	कुल	705

अधीक्षण अभियन्ता (पी. पी. एण्ड एम)

जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर

परिशिष्ट "स"

जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड

पाली वृत के अधीन हरा चारा योजनाओं के तहत जिन उपभोक्ताओं ने मांग पत्र की राशि जमा करवा रखी है उसकी सूची निम्नानुसार है

क्र.सं.	उपभोक्ता का नाम	गांव का नाम	उपखण्ड	मांग पत्र जमा की तिथि	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6
1.	श्री मदन सिंह/सवाईसिंह	ठाकुरवास	खारची	3.12.2001	विवादित
2.	श्री तेजमाल/आडमल	हिंगोला कला	खारची	5.12.2001	
3.	श्रीमती मोहनी/भंवरलाल	धनला	खारची	15.2.2002	
4.	श्रीमती कीर्ति बाई/केसा राम	धनला	खारची	18.2.2002	
5.	श्री लालराम/खीवानी	देवली	खारची	18.2.2002	
6.	श्री हरकाराम/देना जी	देवली	खारची	26.2.2002	
7.	श्री खीमाराम/देदाराम	बाडला	खारची	2.3.2002	
8.	श्री दुर्गाराम/तेजाराम	आडवा	खारची	4.3.2002	
9.	श्री सोहन सिंह/चेनसिंह	रडावास	खारची	4.3.2002	
10.	श्री मानाराम/नवलाजी	धनवा गुडाखुर्द	खारची	8.3.2002	
11.	श्री डोली बनाम मन्दिर	भीमालीया	खारची	11.3.2002	
12.	श्री मंगल पुरी/देव पूरी	विरमपुरा	फालना	5.2.2002	
13.	श्री पोकर लाल/गंगाराम	सेवाडी	फालना	21.11.2001	
14.	श्री शिव लाल/कृपा राम	इ. चारनान	फालना	20.6.2000	विवादित
15.	श्री पाबूसिंह/धूल सिंह	इ.चारनान	फालना	9.5.2000	विवादित
16.	श्री मंगा राम/शैला जी	रामपुरिया	फालना	4.7.2000	विवादित
17.	श्री सुरा राम/वगता जी	माण्डल	फालना	21.3.2002	
18.	श्री मांगी लाल/तेजा ही	माण्डल	फालना	18.3.2002	

1	2	3	4	5	6
19.	श्री मूल सिंह/पेन सिंह	राजोलाखुर्द	सोजत रोड	11.3.2002	
20.	श्री पोकर राम/उदाराम	राजोलाखुर्द	सोजत रोड	11.3.2002	
21.	श्री वेनाराम/मंगाराम	कंटालिया	सोजत रोड	28.2.2002	
22.	श्री लालसिंह/जसराज सिंह	मेलावास	सोजत रोड	3.1.2002	
23.	श्री शेषाराम/वीरमराम	मेलावास	सोजत रोड	26.11.2000	
24.	श्री देवीसिंह/विशनसिंह	धर्मधारी	रोहट	26.5.2000	विवादित
25.	श्री गणेशसिंह/किशोर सिंह	धर्मधारी	रोहट	26.6.2000	विवादित
26.	श्री भंवरसिंह/बोजराजसिंह	धर्मधारी	रोहट	26.6.2000	विवादित
27.	श्रीमती भंवर कंवर/मानसिंह	धर्मधारी	रोहट	26.6.2000	विवादित
28.	श्री अमराराम/हीराराम	थानावास	सोजत सिटी	दिसम्बर,2001	

परिशिष्ट-16

(अतारांकित प्रश्न संख्या-351 की सूची)

पंचायत समिति अटरू की ग्राम पंचायत अन्ताना की ग्राम सभा की बैठक विभिन्न बैठकों में ग्राम गांधी ग्रामों के चयन के सम्बन्ध में पारित प्रस्तावों के उद्दरण

क्र.सं.	दिनांक	प्रस्ताव संख्या	पारित प्रस्ताव का उद्दरण
1.	26.1.2001	10	"गांधी ग्राम योजना" के लिये ग्राम अन्ताना व क्षेत्र का चयन किया। योजना से सम्बन्धित कर्मचारी द्वारा योजना की जानकारी दी।
2.	20.5.2001	1	गांधी ग्राम योजना के अन्तर्गत गांव का नाम बदल जाने के क्रम में :— 26 जनवरी 2001 को ग्राम सभा द्वारा लिया गया प्रस्ताव जिसमें ग्राम अन्ताना को गांधी ग्राम योजना के अन्तर्गत लिया गया था जिसको ऊपर के अधिकारियों द्वारा ग्राम अन्ताना का नाम हटाकर इसकी जगह उम्मेदगंज को लिखा गया, जो गलत है। अत: ग्राम सभा द्वारा सर्व सम्मति से प्रस्ताव पारित किया जाता है कि उम्मेदगंज का नाम हटाकर उसके स्थान पर ग्राम अन्ताना को किया जावे। जिससे ग्राम सभा के प्रस्ताव की पालना हो सकें। इस प्रस्ताव की प्रतियां उच्च अधिकारियों को भिजवायी जावें ताकि इस पर कार्यवाही हो सकें।
3.	23.8.2001	21	गांधी ग्राम योजना अन्तर्गत ग्राम उम्मेदगंज का चयन पर विचार : गांधी ग्राम योजना में ग्राम उम्मेदगंज का चयन ग्राम सभा द्वारा सर्व सम्मति से किया गया है।

परिशिष्ट-17

(अतारांकित प्रश्न संख्या-353 की सूची) परिशिष्ट "क"

जिला बाड़मेर व जैसलमेर के उच्च प्राथमिक विद्यालयों में रिक्त पदों का पंचायत समितिवार संख्यात्मक विवरण

जिला	क्र.सं.	पंचायत समिति का नाम	रिक्त पदों का विवरण	
			II ग्रेड	III ग्रेड
बाड़मेर	1.	बाड़मेर	06	30
	2.	शिव	12	41
	3.	चौहटन	23	72
	4.	धोरीमन्ना	05	54
	5.	बायतू	04	55
	6.	सिपधरी	08	41
	7.	सिवाना	06	74
	8.	बालोतरा	06	62
		योग	70	428
जैसलमेर	1.	जैसलमेर	—	24
	2.	सम	07	80
	3.	सांकड़ा	01	79
		योग	08	183

परिशिष्ट-18

(अतारांकित प्रश्न संख्या-356 की सूची)

ग्राम पंचायत ख़ींवासर तहसील जमवारामगढ़, जिला जयपुर की गैर मुमकिन भूमि खसरा नं. 71 के पास सरकारी भूमि पर 1975 में निःशुल्क जारी किये गये पट्टों की प्रश्न के भाग संख्या (1) से सम्बन्धित सूची

क्र.सं	नाम जिन्हें निःशुल्क पट्टे दिये गये
1.	श्री रामनारायण पुत्र प्रभात कुम्हार
2.	श्री सेडूराम पुत्र प्रभात कुम्हार
3.	श्री बद्री नारायण पुत्र भगवान मीणा
4.	श्री श्योबक्स पुत्र परसाराम रैगर
5.	श्री कल्याण सहाय पुत्र मांगीलाल

परिशिष्ट-19

परिशिष्ट "अ"

(अतारांकित प्रश्न संख्या-359 की सूची)

कार्यालय पंचायत समिति प्रतापगढ़ जिला चित्तौड़गढ़ (राज.) बालिका समृद्धि की लाभान्वितों की पंचायतवार संख्या की सूची

क्र.सं.	नाम पंचायत	लाभान्वितों की संख्या	विशेष विवरण
1	2	3	4
1.	रामपुरिया	11	
2.	पानमोड़ी	09	
3.	धमोतर	04	
4.	नारायणखेड़ा	08	
5.	ग्यासपुर	03	
6.	कचोटिया	67	
7.	कुलथाना	02	
8.	अमलावद	01	
9.	बारावरदा	20	
10.	अचलपुर	29	
11.	बरड़िया	03	
12.	नकोर	86	
13.	रठांजना	01	
14.	मधुरा तलाब	07	
15.	मेरियाखेड़ी	10	
16.	डाबड़ा	14	
17.	सरी पिपली	12	
18.	लुहारिया	25	
19.	चिकलाड़	18	

1	2	3	4
20.	असावता	11	
21.	बसाड़	03	
22.	केरवास	28	
23.	मोटीखेड़ी	21	
24.	गादोला	22	
25.	गन्धेर	08	
26.	जोलर	32	
27.	अवलेश्वर	12	
28.	बसेरा	13	
29.	धगोतर	07	
30.	झांसड़ी	06	
31.	रतनपुरिया	08	
32.	वीरपुर	14	
33.	बरोठा	02	
34.	पण्डावा	10	
35.	सुहागपुरा	11	
36.	देवगढ़	06	
37.	सिद्धपुरा	07	
38.	कुलमीपुरा	02	
39.	कल्याणपुरा	02	
40.	वरमण्डल	02	
41.	खोरिया	04	
42.	थड़ा	07	

विकास अधिकारी
पं. सं. प्रतापगढ़

परिशिष्ट-20

परिशिष्ट "अ"

(अतारांकित प्रश्न संख्या-362 की सूची)

वर्ष 2001-02 में की गई पदोन्नतियों का विवरण

क्र.सं.	पद जिससे पदोन्नति की	पद जिन पर पदोन्नति की	संख्या	किस वर्ष के लिए
(अ)	कनिष्ठ लिपिक	वरिष्ठ लिपिक	09	1987-88
			22	1989-90
			01	1990-91
			07	1991-92
			31	1992-93
			13	1993-94
			31	1994-95
			03	1996-97
			16	2000-2001
			61	2001-2002
			194	
(ब)	वरिष्ठ लिपिक	कार्यालय सहायक	02	1995-96
			03	1997-98
			02	1998-99
			07	

अ + ब = 194 + 7 = 201

परिशिष्ट "1"

परिशिष्ट-21

(अतारांकित प्रश्न संख्या-366 का विवरण)

सीमावर्ती क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्रामीण विकास विभाग द्वारा वर्ष 1997-98 से 2001-02 तक जिलेवार जारी की गई राशिं एवं व्यय राशि का विवरण

(राशि लाखों में)

क्र.सं.	वर्ष	बीकानेर		बाड़मेर		जैसलमेर		श्रीगंगानगर	
		जारी राशि	व्यय राशि	जारी राशि	व्यय राशि	जारी राशि	व्यय राशि	जारी राशि	व्यय राशि
1.	1997-98	641.00	705.16	769.00	1029.11	769.00	959.25	384.00	558.06
2.	1998-99	663.00	944.90	795.60	889.90	795.60	899.54	397.30	984.21
3.	1999-00	728.90	926.95	874.65	742.26	876.15	624.09	437.30	265.01
4.	2000-01	757.95	718.61	909.60	926.65	909.60	1168.80	454.85	483.65
5.	2001-02 फरवरी 2002 तक	379.00	711.52	454.80	830.94	454.80	1001.11	227.40	530.48
		3169.85	4007.14	3803.65	4418.86	3805.15	4652.79	1901.35	2821.41

नोट: वर्ष 2001-02 के लिए चारों की ली गई व्यय राशि जिलों से प्राप्त फरवरी माह के मासिक प्रगति प्रतिवेदन के आधार पर है एवं वर्ष 1997-98 से 2000-01 के लिए व्यय राशि जिलों से प्राप्त सीए रिपोर्ट के आधार पर आडिटेड व्यय की राशि है।

परिशिष्ट "2"

दसवीं पंचवर्षीय योजना के लिए जिलों से प्राप्त वर्षवार प्रस्तावों की राशि का विवरण

(राशि लाखों में)

जिले का नाम	कार्यों के प्रस्तावों की वर्षवार राशि					
	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	प्रस्तावों की कुल राशि
बाड़मेर	1047.41	1043.88	1013.90	1063.31	1089.55	5258.05
बीकानेर	977.08	976.25	972.31	961.96	952.05	4839.65
जैसलमेर	992.30	960.80	978.51	949.20	974.35	4855.16
श्रीगंगानगर	740.60	761.82	759.85	788.04	828.16	3878.47
योग	3757.39	3742.75	3724.57	3762.51	3844.11	18831.33

परिशिष्ट-22

परिशिष्ट-1

(अतारांकित प्रश्न संख्या-367 का विवरण)

ग्राम रामपुरा ग्राम पंचायत डूंगरी खुर्द तहसील फुलेरा में वर्ष 1990 से फरवरी, 2002 तक कराये गये कार्यों की सूची

क्र.सं.	वर्ष	कार्य का नाम	मद	स्वीकृत राशि (रुपये)	व्यय राशि (रुपये)
1.	1990-91	राज. प्रा. शाला रामपुरा का मरम्मत कार्य	जवाहर रोजगार योजना	5000.00	4795.00
2.	1991-92	राज. प्रा. शाला रामपुरा का बरामदा निर्माण	जवाहर रोजगार योजना	10000.00	8051.00
3.	1992-93	अपूर्ण राज. प्रा. शाला रामपुरा का पूर्ण कार्य	जवाहर रोजगार योजना	5000.00	3004.00
4.	1997-98	खुर्रा निर्माण रामपुरा	जवाहर रोजगार योजना	15000.00	13680.00
5.	2000-01	गड्डा निर्माण खंडा रामपुरा	जवाहर रोजगार योजना	15000.00	15000.00

अति. कलक्टर (विकास)

परिशिष्ट-2

ग्राम रामपुरा ग्राम पंचायत डूंगरी खुर्द तहसील फुलेरा में वर्ष 1978 से वर्ष 1984 तक व 1997 से फरवरी, 2002 तक भू-खण्ड का पट्टा चाहने वालों की सूची

क्र.सं.	नाम आवेदक	पता	वर्ष
1.	श्री रामेश्वर, घनश्याम, सत्यनारायण पुत्रगण कृष्ण दत्त शर्मा	ग्राम रामपुरा	1981
2.	श्री साधूराम/बालूराम यादव	ग्राम रामपुरा	1982
3.	श्री जगदीश सिंह/हरिसिंह	ग्राम रामपुरा	1982
4.	श्री रत्तूराम/बालूराम बलाई	ग्राम रामपुरा	1983
5.	श्री लालूराम/कानाराम मीणा	ग्राम रामपुरा	1983
6.	श्री सूवालाल/नन्दाराम जाट	ग्राम रामपुरा	1983
7.	श्री गोपाल/रामदेव मीणा	ग्राम रामपुरा	1997
8.	श्री मोहनसिंह/विजयसिंह राव	ग्राम रामपुरा	1999
9.	श्री ओमप्रकाश/गोविन्दनारायण शर्मा	ग्राम रामपुरा	1999

अति. कलक्टर (विकास)

परिशिष्ट-3

ग्राम रामपुरा ग्राम पंचायत डूंगरी ख़ुर्द तहसील फुलेरा में वर्ष 1978 से 1984 तथा वर्ष 1997 से फरवरी, 2002 तक भू-खण्ड के पट्टे जारी किये जाने वाले व्यक्तियों की सूची

क्र.सं.	नाम आवेदक	पता	पट्टा जारी करने का वर्ष
1.	श्री रामेश्वर, घनश्याम, सत्यनारायण पुत्रगण कृष्ण दत्त शर्मा	ग्राम रामपुरा	1981
2.	श्री साधूराम/बालूराम यादव	ग्राम रामपुरा	1982
3.	श्री जगदीश सिंह/हरिसिंह	ग्राम रामपुरा	1982
4.	श्री रत्तूराम/बालूराम बलाई	ग्राम रामपुरा	1983
5.	श्री लालूराम/कानाराम मीणा	ग्राम रामपुरा	1983
6.	श्री सूवालाल/नन्दाराम जाट	ग्राम रामपुरा	1983
7.	श्री मोहनसिंह/विजयसिंह राव	ग्राम रामपुरा	1999
जिन लोगों को पट्टा जारी करना है			
1.	श्री गोपाल/रामदेव मीणा	ग्राम रामपुरा	
2.	श्री ओमप्रकाश/गोविन्दनारायण शर्मा	ग्राम रामपुरा	

अति. कलक्टर (विकास)